(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पचासवां दिवस [संख्या : 5

सोमवार,
10 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरिसिंह (महुआ)।

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन व उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नकाल लें, उसके पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री चिकित्सा) : उपाध्यक्षजी, प्रश्नकाल में क्यों?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप अधिकार छीन लीजिये मेरे बोलने का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह नियमों का घोर उल्लंघन है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : है तो है पर मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने बोलने का मौका दिया है।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल हो जाए उसके बाद लम्बा-चौड़ा भाषण देवें प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : पहले प्रश्नकाल लिया जाए उसके बाद जो भी आपको बोलना है, बोलें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं।

श्री महावीर भगोरा : प्रश्नकाल हो जाना चाहिए, पहले प्रश्नकाल ले लो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, जो उनकी व्यग्रता है, व्याकुलता है उनको मैं समझता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सत्ता पक्ष के सदस्यों की जो व्याकुलता है, उग्रता है, उनका चिन्तन है, उसको मैं समझता हूं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : बड़ी मुश्किल से प्रश्नों के उत्तर तैयार होते हैं। पहले प्रश्नकाल ले लो, बड़ी मेहनत होती है। क्वश्चन आवर चलने दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जल्दी ही अपनी बात समाप्त करके मैं आपको मौका दूंगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये लगते हैं, सारा

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

विभाग लगता है। (व्यवधान) बहुत मेहनत करनी पड़ती है।

श्री महावीर भगोरा : प्रश्नकाल के बाद आप जो भी चाहें, वह कार्यवाही ले सकते हैं। प्रश्नकाल तो चलने दें आप। बड़ी मुश्किल से तो प्रश्नकाल आता है वह भी एक घण्टा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : पूरे राजस्थान के विकास के लिये कुछ क्वश्चन उठाये जाते हैं, उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में पड़ता है, पूरे विभाग प्रश्नों की तैयारी में लगते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप प्रश्नकाल बाद में कीजिएगा। आप स्वतंत्र हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, जन समस्याओं के कई मसले हम उठाना चाहते हैं और प्रश्नों के माध्यम से ही वह उठाये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम क्वश्चन आवर में हम जो मुद्दे उठा सकते हैं उनको उठाने की परमिशन दी जाए। पहले प्रश्नकाल ले लिया जाए। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल पूरा होने के बाद शाम तक बोलें कोई मनाही नहीं है, आप समय दीजिये, ये बोलेंगे लेकिन प्रश्नकाल का महत्व है और उस महत्व को कम नहीं किया जाए, प्रश्नकाल पूरा हो और उसके उत्तर आयें। धन्यवाद।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये अभी दिन भर पड़ा हुआ है क्वश्चन आवर तो केवल एक घण्टे का होता है। यह लिमिटेड टाइम में है, इसका तो सदुपयोग किया जाए।

एक माननीय सदस्य : शांतिजी धारीवाल का महत्वपूर्ण प्रश्न है आज।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय उप नेता महोदय, प्रश्नकाल में हर रोज अवरोध नहीं किया जा सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आम तौर पर नहीं किया जाना चाहिए लेकिन जब विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, माननीय (व्यवधान) आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं। मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ऐसी क्या परिस्थिति है जिसकी वजह से प्रश्नकाल नहीं हो सकता। आपकी बात आप बाद में भी कह सकते हैं।

श्री कालूलाल गूजर : आपकी बात आप बाद में भी कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया परिस्थितियां सुन तो लें, क्या हैं? सुन लें पहले, परिस्थितियां क्या हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं बहुत लम्बा समय नहीं लूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रोज प्रश्नकाल स्थगित करायेंगे। इनको बायकाट

(श्री कालीचरण सराफ)

करना है, ये करें लेकिन प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय प्रदेश की समस्याओं के बारे में कहकर जिस तरह से बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार का उनका खुद का स्वतंत्र अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले की जो गम्भीर समस्याएं हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पहले मुझे मौका दिया है, मुझे बोलने दीजिये।

श्री मदन मोहन : अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में डकैतियां हो रही हैं। करीब दस लाख की डकैती आज से तीन दिन पहले हुई है और जगता बसाई में हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है उसमें कुछ हरिजनों को पीटा गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराज जाएं। आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप विराज जाएं। कृपया माननीय सदस्य, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है आप विराज लें। बैठिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत दी उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। (व्यवधान) मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का पूरा-पूरा प्रयास करूंगा। मैं व्यर्थ में सदन के अमूल्य समय को बरबाद नहीं करूंगा और मुझे जो बात कहनी है उसको मैं संक्षेप में कहूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल लिया जाए। प्रश्नकाल के बाद ये अपनी कोई बात कहना चाहें तो कहें।

श्री कालीचरण सराफ : प्रश्नकाल के बाद कहें, अभी नहीं कहें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल का विधान सभा में अपना महत्व है। ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं। प्रश्न के महत्व को कम किया जा रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है। कृपया अनुशासित तरीके से आसन के प्रति आप अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक नयी परम्परा कायम होगी। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, हम अनुशासित तरीके से ही निवेदन करते हैं प्रतिपक्ष के उप नेता से कि आप प्रश्नकाल के बाद अपना भाषण दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। परिस्थितियां बता रहे हैं, आप सुनिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं बहुत ज्यादा समय बरबाद नहीं करना चाहता। मैं खुद भी चाहता हूं लेकिन कुछ तथ्य तो आप सुन लें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : वही तथ्य हैं आपने जो पिछली बार बताये थे ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और कुछ हैं । सुनिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इनके पास कुछ नहीं है, नयी परिस्थिति नहीं है इसलिये प्रश्नकाल चलने दें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई जिसकी वजह से....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें । माननीय सदस्य, आप सुन लें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दिनांक 6 मार्च को जब सदन आहूत हुआ था....

श्री किशन गोपाल कोगटा : कोई नयी बात बतायें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, आ रहा हूं ना....

श्री किशन गोपाल कोगटा : कोई नयी बात तो बतायें ।

श्री रामप्रताप कासनियां : घुमा-फिराकर भूमिका बनाने से तो अच्छा है कि आप निर्णय बदल दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं भूमिका में नहीं जा रहा हूं ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हमको पता है कि इसके बाद आप बायकाट करेंगे सारी परिस्थिति बता दी । कोई नयी परिस्थिति हो तो बतायें । कोई जन समस्या हो, बिजली पर हो । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : जन समस्या उठाने के लिये आज की कार्यसूची में दर्ज है । (व्यवधान) आज कानून व्यवस्था और बिजली की समस्या पर विचार होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का माहौल अनुकूल बने, इसमें सहयोग दीजिये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप चुप रहते तो मेरे ख्याल से अब तक तो मैं अपनी बात खतम कर देता । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि नयी परिस्थितियां पैदा कीं जिनकी वजह से मुझे यहां बोलना आवश्यक हो गया । मैंने 6 मार्च को सदन में जो कुछ कहा उसके बाद माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने और सदन के उप नेता ने कुछ बातें कहीं । उन्होंने कहा कि मैंने जिन बातों का उल्लेख किया और नियमों का उल्लेख किया, 291 और 292 का उल्लेख किया उस पर तो वे मौन साध गये, सदस्य के आचरण की चर्चा करने का उपदेश दे दिया और सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में उपदेश देकर हमको ज्ञान पाठ पढ़ाने की कोशिश की इसके लिये तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नियम 291 और 292 के तहत भी जो कार्यवाही नहीं हुई उसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है । मैंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी सदस्य को उस सत्र से सत्रावसान तक निष्कासित किया जा सकता है, अवधि तय नहीं की जा सकती है लेकिन इसके बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया । मैं नये तथ्य पेश कर रहा हूं । जिन माननीय सदस्यों को सदन के निष्कासित किया मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके दल के महामंत्री श्री जोगेश्वर गर्ग ने एक विशेषाधिका रप्रस्ताव इस सदन में पेश किया है उपाध्यक्ष महोदय,उस विशेषाधिकार प्रस्ताव में न तो

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जुबेर खान का नाम है और न ही श्री जगदीप धनखड़ का। दोनों ही विशेषाधिकार प्रस्ताव मैंने पढ़ा हैं। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जुबेर खान और जगदीप धनखड़ के नाम का उल्लेख तक नहीं किया। फिर हमारे उप मुख्य मंत्रीजी उपदेश देते हैं कि माफी मांगो। आपके सचिव महोदय ने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया उसमें उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही लम्बित होने का काम नहीं बताया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निलम्बित हो गये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हो गये, वही तो अन्यापूर्ण है और उस अन्याय का प्रतिकार करना हमारा फर्ज बन जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने किया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा, थोड़ा इन्तजार करिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : जवाब देंगे तब तक तो वह बायकाट कर देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नियम 157 और 162 के तहत गर्ग साहब ने नोटिस दिया है विशेषाधिकार का। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें और मैं भी पढ़कर सुना देता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, ये किसको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट आप सुन लें कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाए, जब तक यहां विचारार्थ पेश नहीं हो तब तक उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुख्य सचेतक महोदय, मैंने यह कहा है कि इसमें इनका नाम नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगातार नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं और अवहेलना भी कर रहे हैं। आपने 6 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय पर जिस प्रकार का आक्षेप लगाया, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 272 (10) आप पढ़ लें जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ केवल अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय और विधान सभा के कर्मचारी, सचिव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये। मुझे अफसोस है कि इतने पुराने सदस्य होने के बावजूद मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप जिन नियमों की बात करते हैं उन नियमों का पालन करें। कई माननीय सदस्य नये आये है वह क्या सीखेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं नियमों के अन्तर्गत ही कह रह हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सदन में क्या परम्परा पैदा करना चाहते हैं ? यहां प्रश्नकाल कभी स्थगित नहीं होता लेकिन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उसके बाद आपकी जन समस्याओं के प्रति कोई रूचि नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह परम्परा जो आपने कायम की है वही बता रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जन समस्याओं की बात करते हैं जन समस्याओं के प्रति कोई रूचि नहीं है। हम यह चाहते हैं कि प्रतिपक्ष यहां पर पूरी बहस करे। यह सदन बहस के लिए है यह बाहुबल के लिए नहीं है, यहां बहस करनी चाहिए। मेरा प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय से निवेदन है कि जन समस्याएं उठाये, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर किस नियम के अन्तर्गत है ? आप खुद नियम की अवहेलना कर रहे हो। आपको नियमों की तो खुद को जानकारी नहीं है और यहां पर लम्बा भाषण देने के लिये आ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन जनता के द्वारा नियुक्त किया हुआ है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + कि प्रतिपक्ष के उप नेता बोल रहे हैं। एक तरफ तो आप मौजूदा परिस्थितियों में गतिरोध दूर करने की बात करते हैं........ (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा आपसे निवेदन है कि जन समस्याएं यहां पर उठायें। यहां पर इस प्रकार का दृश्य उपस्थिति करना ठीक नहीं है और नियमों का ध्यान रखें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दूसरी तरफ आप कहते हो कि नियमों की अवहेलना हो रही है। आपको नियमों का खुद को कुछ ज्ञान नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो उस विशेषाधिकार को नहीं पढ़ना चाहता हूं लेकिन वह विशेषाधिकार जिन लोगों के खिलाफ आया और आपकी पार्टी के महामंत्री श्री जोगेश्वर गर्ग ने पेश किया। दोनों विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेश किये। उनमें न तो जगदीप धनखड़ का नाम है, न जुबेर खान का नाम है। अगर वह दोषी होते तो आप विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के जरिये उनका नाम भी उसमें अंकित करते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप नेता महोदय, जो आप चर्चा कर रहे हो यह विषय सदन के सामने इस समय नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): कांफिडेंशियल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हो बाहर जाने के लिये, अन्दर रहने के लिये, वह कहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विशेषाधिकार समिति की सारी कार्यवाही कांफिडेंशियल है और आप नाम ले रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वहां से ले रहे हैं आप ? जब तक हाउस के सामने रिपोर्ट

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नहीं आएगी तब तक उस पर चर्चा करना (व्यवधान)....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सारे अखबारों में छपी है कि किन लोगों के खिलाफ है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कम से कम आप तो नियमों का उल्लंघन मत करिये अखबारों में छपी है तो....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सारे अखबारों में जब छप गयी तो फिर क्या रहा ? (व्यवधान)....

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : आपका पान खाना क्या नियमों का उल्लंघन नहीं है ? वह भी नियमों के विपरीत है श्रीमान् जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं पान खाता ही नहीं हूं कभी.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : पान नहीं खाते प्राण खाते हो आप तो हमारे....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : आपके पैर में वैसे ही दर्द है। आप कृपया शान्त रहिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में आया है कि आपके दल के सदस्य मोती लाल खरेर ने आसन पर चढ़कर राज्यपाल महोदय के हाथ से अभिभाषण छीना (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं साबित कर दूंगा। वक्त आने पर वह साबित कर दूंगा, आज नहीं। उन्होंने फाड़कर ऊपर फैंक दिया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप तो थे ही नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो था। यहीं पर बैठा हुआ था (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे न बोले माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपकी पार्टी के सदस्य गोपीचन्द गुर्जर, आपकी पार्टी के सदस्य मोतीलाल खरेर, आपकी पार्टी के जो मंत्री थे उस दिन, उस टाइम तक मंत्री थे पूंजालाल, वैल में आकर के राज्यपाल महोदय के साथ अभद्र व्यवहार करे और दोष हमारा है। कहां गयी जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी केबिनेट की ? उनका त्यागपत्र शाम को मंजूर किया गया था। जब पूंजालाल जी यहां आये थे और राज्यपाल को रोक रहे थे तब तक आपकी केबिनेट के मैम्बर थे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : निलम्बन वापस ले लिया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : शशी दत्ता....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शशी दत्ता तो छोड़कर आ गयी थीं। केबिनेट को

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मैम्बर नहीं थीं कोगटा जी, मेरा थोड़ा तो दिमाग ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिन मुद्दों को मैंने यहां उठाया था उन मुद्दों का जवाब न तो मामड़ा जी ने दिया, न मुख्य मंत्री जी ने दिया । रावण और कंस की बात हमको कहकर मुख्य मंत्री जी चले गये । न तो हम रावण की औलाद हैं, न हम कंस की औलाद हैं । अगर कोई है (व्यवधान) सुन लीजिये, सुन लीजिये । यह किसको उपदेश देना चाहते हैं ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने तो केवल यह कहा था कि रावण और कंस ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था इसलिए उनका परिवार नष्ट होता चला गया और वह देखते रहे । केवल इतना ही कहा था कि आप उनका ध्यान रखें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप बिराजिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सचेतक महोदय को बैठाइये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमको कहा कि हम प्रायश्चित के लिये करें ...

एक माननीय सदस्य : आप धृतराष्ट मान लें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको कोई और संज्ञा दे दूं तो एतराज तो नहीं होगा (व्यवधान).... मैं यहीं निवेदन कर रह था कि हमको उपदेश दिये जाते हैं, "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" आपने पढ़ा होगा । महामहिम सुखदेव प्रसाद के साथ क्या किया ? जब आप इधर बिराजते थे । पूनम चन्द जी विधान सभा के जब अध्यक्ष थे तब क्या किया ? यह कार्यवाही आपने पढ़ी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय, आसन के माध्यम से कहें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आसन के माध्यम से ही कह रहा हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गांधीवादी अर्थ को, गांधीवादी संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की और गांधी-वादी संस्कृति को मानने वाले लोग जो उधर बैठे हैं जब इधर बैठे हुए थे तब क्या कार्यवाही कर रहे थे उस वक्त ? गांधी-वादी संस्कृति के पोषक मुख्य मंत्री जी से आज पूछना चाहता हूं, तब क्या कर रहे थे ? गांधीवाद की धज्जियां उड़ाई जा रही थी (व्यवधान).... सवाल यह है कि माफी और प्रायश्चित का सवाल तब आता है कि जब कोई गुनाह करे, जब कोई गलती करे । निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर आप माफी मंगवाना चाहते हैं... (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : आपकी पैंट फटी क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस पर भी आ रहा हूं । सदन में जिस तरह की पुलिस की अव्यवस्था थी, हमारे एक माननीय सदस्य रामस्वरूप मीणा आज भी शिकार हैं उसके । तीन महीने से आज भी वे पैर में पट्टी बांधकर घूम रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया रामस्वरूप जी बिराजें । आपके नेता बोल रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इन्दिरा मायाराम के बारे में क्या हुआ। किस तरह से पुलिस के लोगों ने हमारे माननीय सदस्यों का अपमान किया, किस तरह से उनके पैर पर पैर रखकर उनके पैर को चोट पहुंचाने की कोशिश की और रामस्वरूप जी के साथ जो किया वह इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां जब माननीय सदस्य बैठते थे तब वहां सामने बैठे हुए माननीय रघुनाथ जी विश्नोई के ऊपर माइक किसने फेंका था ?

श्री कालूलाल गूजर : नयी बात तो कुछ बतायी ही नहीं। आधा घण्टे में एक भी नयी बात नहीं बतायी। वहीं बातें आप रिपीट कर रहे हैं जो आपने पहले रिपीट की हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि प्रायश्चित्त करने का काम आप कीजिये क्योंकि आपकी पार्टी के सदस्यों ने अभिभाषण फाड़ा, आपकी पार्टी के सदस्यों ने अव्यवस्था फैलाई। प्रायश्चित्त आप कीजिये और यदि हमारी पार्टी के किसी एक व्यक्ति की भी गलती नजर आएगी तो मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो सबसे पहले प्रायश्चित करूंगा लेकिन आप तो करिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप चाहते हैं कि विपक्ष के लोग कुछ बोलें नहीं आपने जानबूझकर आज बिजली की समस्या पर चर्चा करने का काम रखा है। आपका यह प्रलोभन है कि हम यहां आकर बोलें। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक कितनी बातें बिजली पर सदस्यों ने कहीं; उनका क्या उत्तर निकला ? किसानों के तीन-तीन बार यहां पड़ाव पड़े रहे। किसान आये और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार किसान यहां आये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : नागौर और फुलेरा ने जवाब दे दिया उस बात का तो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अगर इनकी जन समस्याओं के प्रति रूचि है तो....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर मेरी बात जल्दी समाप्त करनी है तो दो मिनट रोक दीजिये। मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की चर्चा में हम भाग लेना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): कृपया रोकें इन्हें आप। कितनी गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो रुक जाइये। आप तो रुक जाइये, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इनको रोकिये तो सही ना....(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लेकिन जिस प्रकार से आज की इस कार्यसूची में इसको सम्मिलित किया गया उससे स्पष्ट मंशा जाहिर होती है कि राजस्थान के इतने लोग जो अलग-अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों के हित की बात को नहीं रख सकें इसलिये आपने जानबूझ-

(10)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कर यह षड्यंत्र किया है। इसका मैं पर्दाफाश करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि अगर आप संवेदनशील हो, जनता के हितों के रक्षक हो, किसानों के हितैषी हो तो बिजली की मांग को विपक्ष से बात करके गतिरोध को समाप्त करने के बाद रखें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : नागौर और फुलेरा से आ जाओ वह अपने आप ही.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप नेता महोदय, अब आप समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बस दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा, मैंने आपसे अनुरोध कर लिया। भामड़ाजी आप कुर्सी पर बिराजें हैं... (व्यवधान) हम तो आपकी जाजम भी बिछा देंगे....(व्यवधान) भामड़ा जी आप यहां बिराजमान हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अगर इनमें हिम्मत हैं तो यह जो बोल रहे हैं उसका भी जवाब सुन कर फिर जायें। अगर आप में इतना साहस हो तो.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखें। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ध्यान दीजिये, नेता महोदय बोल रहे हैं....(व्यवधान) हम बोलने नहीं देंगे नेता महोदय को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये। बड़े+ + +होते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं इतना ही अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, जिस पर आपका भरोसा ज्यादा है जिसके आप ज्यादा प्रशंसक हैं, मैं उसके नाम पर कहना चाहता हूं। (व्यवधान) यह आपकी पार्टी का अन्दरूनी मामला, नसरू खां बनाम रोहिताश्व कुमारजी का क्या मामला है यह ? यह भाटीजी बनाम राजवीजी का क्या मामला है, यह घनश्याम तिवाड़ी और ललित किशोरजी का क्या मामला है ?....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अप्रासंगिक हो रहे हैं। (व्यवधान) माननीय नेता महोदय, मैंने जो समय दिया है उसका आप दुरुपयोग न करें। कृपया बिराजें। उप नेता महोदय, सदन के उप नेता महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने चार्ज लगाये। इन सब बातों का चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिलने से मैं सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से बहिर्गमन)

श्री किशन गोपाल कोगटा : जवाब सुन कर तो जाओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : जवाब सुन कर जाइये हिम्मत है तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : बिजली पर चर्चा करके जाइये। (व्यवधान) किसानों की चिन्ता है तो बिजली पर चर्चा करो।

एक माननीय सदस्य : +++ किनको कहा जाता है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : किसानों के हितैषियों, बिजली पर चर्चा हो रही है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : जवाब सुन कर जाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। सदन के उप नेता महोदय बोल रहे हैं। आप विराज जाइये। (व्यवधान) कृपया बातें न करें, माननीय सदस्य, कृपया बातें, न करें, सदन के उप नेता महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष के सदस्य हमेशा नयी बात करते है और पुरानी बात छोड़ते हैं। किसी एक मुद्दे पर वह टिके हुए नहीं है और यह उनके भाषणों से निरन्तर स्पष्ट हो रहा है। प्रारम्भ में उन्होंने एक मुद्दा लिया कि यह सदन विधिवत नहीं बुलाया गया और इसलिये गवर्नर का भाषण नहीं हुआ। तीन दिन तक इसी पर आन्दोलित होते रहे। 6 मार्च को जब सदन फिर से मिला तो उन्होंने उस प्रश्न को छोड़ दिया, सदन के बहिष्कार की बात कही और यह मान लिया कि राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था और सदन विधिवत चल रहा है। यह उन्होंने स्वीकार कर लिया। अपने व्यवहार से भी और न बोलकर भी। उस दिन उन्होंने फिर चार बातें रखी कि प्रतिपक्ष बिजली पर और पुलिस विभाग में महिलाओं पर अत्याचार, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है उस पर बहस करना चाहता है और यह भी कहा कि जो प्रिविलेज मोशन दिया है वह विदड्रा किया जाए और पांचों निलम्बित सदस्यों को फिर से लिया जाए। यह उन्होंने उस दिन बात रखी। हमने उनकी बात को गम्भीरता से लिया और तुरन्त उसी दिन दो मांगें हमने स्वीकार कर लीं, बिजली पर और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर बहस रख दी। यह प्रतिपक्ष की मांग थी। उन्हीं की मांग के आधार पर हमने उनको स्वीकार कर लिया। जहां तक प्रिविलेज मोशन का सवाल है, अभी खुद प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय इस बात को स्वीकार कर गये कि इसके सम्बन्ध में मैं चर्चा नहीं करूंगा, चर्चा हो भी नहीं सकती इसलिये हमने कहा कि जब भी विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट यहां हाउस में रखेगी तो उस पर आपके विचार को हम सुनेंगे। रचनात्मक सुझाव होगा हम उसको स्वीकार

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भी कर लेंगे । सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होगा और सदन चाहेगा तो मामला ड्राप भी हो सकता है । इसलिये वह मामला भी समाप्त हुआ । फिर पांच सदस्यों का उन्होंने कहा, तो हमने उनको यह प्रस्ताव रखा कि पांच में से दो सदस्य आपकी पार्टी के हैं आप उनके बारे में चर्चा करिये । यदि वह दोनों खेद प्रकट करते हैं तो हम उनके निलम्बन को रद्द करने पर विचार कर सकते हैं तो कहा नहीं-नहीं, हम तो पांचों के लिये ही करेंगे क्योंकि पांचों हमारे साथ थे । अब पांच में से कल फिर एक छोड़ दिया उन्होंने गोपीचन्द गुर्जर पर तो हमको कुछ करना ही नहीं है । अपने आप ही उन्होंने वह बात छोड़ दी जबकि पहले पांच के लिये कह रहे थे और आज उन्होंने इस तरह का सवाल कर दिया कि आपकी पार्टी के झगड़े हैं । मेरी समझ में नहीं आया कि हमारी पार्टी के झगड़े उनको कहां परेशान कर रहे हैं । हमारी पार्टी के झगड़े हैं तो उनको हम सलटायेंगे । हमारे यदि मोतीलालजी या किसी ने भी कुछ किया है तो उस पर हमने एक्शन लिया है और जरूरत होगी तो एक्शन लेंगे । लेकर उसको बायकाट करने की क्या जरूरत पड़ी । हम यदि अपनी पार्टी के किसी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करें या न करें, जैसा मैंने पहले कहा था कि जिन गोपीचन्द गुर्जर का नाम वह हमारी पार्टी के नाम से लेते हैं । यदि उनको उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया होता, सारा कांग्रेस उनके नेतृत्व में काम कर रहा था । भंवरलाल शर्मा और गोपीचन्द गुर्जर के ही नेतृत्व में काम कर रहा था । उनके सदस्यों के भी चोटें आयीं तो उन्हीं की वजह से आयी । उन्होंने आपस में झगड़ा करके उनको चोट पहुंचायी । यदि प्रतिपक्ष बैठा रहता, अकेले कोई गोपीचन्द गुर्जर या कोई मोतीलाल खरेरा की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाउस को चलाने में कोई बाधा उत्पन्न करें । उनके सहयोग, उनके प्रोत्साहन से और उनकी योजना से और षड्यंत्र से उन्होंने किया तो इसलिये उनकी जिम्मेदारी उन पर है, हमारे पर नहीं है । हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है और जरूरत समझेगी तो पार्टी और एक्शन लेगी इसलिये हमारी वजह से उनको बायकाट करने की जरूरत नहीं है । हमारा कोई सदस्य कुछ करेगा उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं । जो भी एक्शन लेना होगा, हम लेंगे और इसके लिये उनको चिन्तित होने की जरूरत नहीं है । इसलिये इस तरह के सवाल उठाने का मतलब है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा इसलिये वह बार बार बदलते हैं ।

अब एक मुद्दा उन्होंने उस दिन भी उठाया था । मैंने जवाब दिया, सुना नहीं । आज फिर उठाया है कि रूल 291 में स्पीकर को एक दिन के लिये मैम्बर को सस्पैंशन करने का अधिकार है, यह ठीक बात है । लेकिन वह जो प्रस्ताव पास हुआ है वह स्पीकर सस्पैंशन नहीं किया है उसको गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं । वह निलम्बन का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया था । सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव रखा था, वह सदन का प्रस्ताव था और सदन ने उसको स्वीकार किया है और किसी ने विरोध नहीं किया उस वक्त उन्होंने उसका विरोध नहीं किया । वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया सदन से । बहुमत भी हमने उस दिन साबित कर दिया । इसलिये उसमें रूल 291 लागू नहीं होता ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वह तो सदन का प्रस्ताव था। सदन ने हां और ना के बाद उसको स्वीकार किया और अध्यक्ष महोदय ने उसकी स्वीकृति जारी की। इसलिये 291 की बात करना कोई मतलब की बात नहीं है।

मान्यवर, प्रतिपक्ष का मतलब केवल विरोध करना नहीं है। इस सदन में हम पहले इनका विपक्ष नाम देते थे। मैंने, जब मैं अध्यक्ष था तो यह कहा कि यह विपक्ष नहीं, यह प्रतिपक्ष है क्योंकि प्रतिपक्ष केवल विरोध करने के लिए नहीं है। प्रतिपक्ष का अपना भी नजरिया होता है, उनका भी अपना रचनात्मक कार्यक्रम होता है, तो प्रतिपक्ष के दो काम हैं एक तो सरकार की आलोचना करना विपक्ष का काम है और दूसरे अपने नजरिये को भी रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना वैकल्पिक रूप से, इसलिये हम प्रतिपक्ष की यहां पर आवश्यकता महसूस करते हैं कि वह हमको सुझाव देंगे। प्रजातंत्र को चलाने के लिए केवल सत्तापक्ष जिम्मेदार नहीं है उसके लिए प्रतिपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वह चले। यदि प्रतिपक्ष सदन में आकर सरकार की आलोचना न करे, अपने रचनात्मक सुझाव न दे अपना रवैया प्रकट नहीं करे तो प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों से च्युत होता है और वह प्रजातंत्र में जान-बूझकर अवरोध पैदा कर रहा है। अब प्रतिपक्ष तो इस हद तक चला गया कि कल उनके कोई कांग्रेस के नेता आये थे और यहां पर यह घोषणा कर गये, अखबारों में आया है कि जो कुछ भी सदन में 20, 21, 22 को हुआ उसकी पार्लियामेंट में करवायेंगे। मुझे आश्चर्य है कि वह खुद पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, यह ऐसी बात उन्होंने कैसे कह दी जबकि किसी भी एक सदन में होने वाली घटनाओं की चर्चा हिन्दुस्तान के किसी दूसरे सदन में नहीं की जा सकती। यहां तक कि पार्लियामेंट में भी नहीं, राज्य सभा के बारे में लोक सभा में चर्चा नहीं हो सकती, लोक सभा की जो घटनाएं हैं उनकी चर्चा राज्य सभा में नहीं हो सकती और वह इस तरह की बात कह गये, तो इसका मतलब प्रतिपक्ष कुछ भी कह सकता है नियम, कानून प्रजातंत्र के सारे आधारों को छोड़कर। अब भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमने उनकी चार में से साढ़े तीन मांगें तो मान ली हैं, अब वह इतना जिद क्यों कर रहे हैं? अपने दो सदस्यों से खेद प्रकट करवा दें हम उनका निलम्बन रद्द करने की चर्चा को तैयार हैं। इसके लिए तैयार हैं हम। जहां तक बाकी का सवाल है, अब उनका वह जो आधार था कि चूंकि उन बाकी लोगों ने हमारा समर्थन किया है। पहले ये कहा कि गोपीचन्द गुर्जर वगैरह ने हमारा समर्थन किया है इसलिये हम उनकी मदद पर हैं इसलिए हमारी मांग पांचों के लिए है। अब उन्होंने एक को तो छोड़ दी, मतलब वह आधार चला गया तो जब बाकी के लोग भी उनकी पार्टी के नहीं हैं, जैसे गोपीचन्द गुर्जर उनकी पार्टी के नहीं थे तो उन्होंने छोड़ दिया, तो इस तरह से बाकी के लोग भी कोई जनता दल के हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उनके दल के नहीं हैं, तो उनकी चर्चा वह क्यों कर रहे है? अपने दल के बारे में चर्चा करें और इसके बारे में हम हर तरह से उनका सहयोग करने को तैयार हैं और इसलिये अब आज बिजली पर हमने उनकी मांग पर बहस रखी है। अच्छा होता कि

(14)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

प्रतिपक्ष आज यहां आकर बिजली के सम्बन्ध में राजस्थान की जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखता और सरकार की बिजली की नीति में यदि कोई खामियां हैं तो उसकी आलोचना करता, उसमें रचनात्मक सुझाव देता, बजाय अपने इस कर्तव्य को करने से और बायकॉट करके और रोज आधा घण्टे तक, आज आधा घण्टा किया है, यह प्रश्नकाल का समय है जो कि सदस्यों का समय है उस समय को समाप्त करना, मैं समझता हूं यह प्रतिपक्ष प्रजातन्त्र के हित में कदम नहीं उठा रहा है, इससे प्रजातन्त्र को आघात पहुंच रहा है और बार-बार प्रतिपक्ष के उप नेता कोई न कोई ऐसी नयी कानून विरुद्ध कह जाते हैं, पिछली बार भी उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ आक्षेप लगाये जो लगाने का नियमों में प्रावधान प्रतिबंधित है 272 में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : बहुत महत्वपूर्ण मामला है और वह एक्सपंज भी होना चाहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि इस तरह के लगे हैं तो एक्सपंज होने चाहिये क्योंकि सिवाय अविश्वास के प्रस्ताव के बाकी अध्यक्ष पर कभी कोई आक्षेप नहीं लगा सकता, इसका प्रतिबन्ध 272 के रूल में है। उसका उल्लंघन उन्होंने किया और इस तरह से ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष, अब कोई उनके सामने विकल्प नहीं है तो इनको अपनी जिद छोड़नी चाहिये, हमने भी अपनी बातें छोड़ी हैं, उनकी बातें मानने को हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस बजट सत्र में प्रतिपक्ष सब कार्यवाही में भाग ले और सार्वजनिक समस्याओं के बारे में अपने विचार सरकार के सामने रखे, सरकार की नीतियों पर भी यदि वह आलोचना करना चाहे तो उसकी आलोचना भी करे। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि रोज-रोज भाषण देकर, बायकॉट करने की उन्होंने जो एक पद्धति अपनायी है यह प्रजातन्त्र के हित में नहीं है और इसलिये इस तरह की जिद करना भी उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि अब प्रश्नकाल लिया जाए।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

प्रश्न संख्या–131

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री खेतसिंह राठौड़।

प्रश्न संख्या–132

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

प्रश्न संख्या–133

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री रामगोपाल बैरवा।

प्रश्न संख्या–134

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री रामस्वरूप मीणा।

प्रश्न संख्या–135

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री जोगेश्वर गर्ग ।

प्रश्न संख्या–136

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री परसादीलाल मीणा ।

प्रश्न संख्या–137

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री रतनलाल ताम्बी ।

स्थगित प्रश्न संख्या–33

(दिनांक 22 जनवरी, 1997)

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री भरतसिंह ।

प्रश्न संख्या–138

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री रतनलाल ताम्बी ।

प्रश्न संख्या–139

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री मगराज चौधरी ।

प्रश्न संख्या–140

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री रमाकान्त शर्मा ।

पंचायत समिति थानागाजी के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

141. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति थानागाजी की प्राथमिक शाला मादरी में छात्र संख्या 122 है और 7 अध्यापक कार्यरत हैं जबकि प्राथमिक शाला बसई जोगियान में छात्र संख्या 327 है और केवल 5 अध्यापक ही कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक शाला बांदरोल में 190 छात्रों पर केवल 3 अध्यापक हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त शालाओं के निरीक्षण और अनियमितताओं के बारे में जांच की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार व्यवस्था को ठीक करने एवं पंचायत समिति के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है । मुझे जो लिखित उत्तर मिलना चाहिये था सरकार से, लिखित उत्तर नहीं भिजवाया हैं ।

राज्य मंत्री पंचायती राज (श्री नाथू सिंह गुर्जर) : (1) पंचायत समिति थानागाजी की प्राथमिक शाला मादरी में छात्र संख्या 138 है तथा 7 अध्यापक हैं । यह सही है कि प्राथमिक शाला बसई जोगियान में छात्र संख्या 327 है, और केवल 5 अध्यापक ही हैं ।

(2) जी, हां ।

(3) सरकार द्वारा शालाओं के, निरीक्षण और अनियमितताओं के बारे में शिक्षा

(6)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रसार अधिकारी एवं विकास अधिकारी से जांच की व्यवस्था है।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर से जांच करायी जा रही है। जांच के परिणामों पर कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो यह कि यह जो मैंने मादरी का उदाहरण दिया था कि 138 व 7 अध्यापक हैं और दूसरी जगह 327 और 5 अध्यापक हैं, यह केवल मात्र इन दो प्राथमिक शालाओं में ही नहीं है, थानागाजी की प्रत्येक शाला के अन्दर यह स्थिति है और इसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया था, उसके बारे में मुझे कुछ जवाब नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जांच करवायी जाएगी कार्यकारी अधिकारी से, मैं, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेरे द्वारा लिखे हुए इनके पास कई मामले हैं, कोई दो वर्ष से हैं और कोई तीन वर्ष से हैं, उनकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई और इस मामले की जांच कितने महीने में करवा लेंगे?

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री जी से मांग करूंगा कि पूरे राजस्थान में विशेषकर प्राथमिक शालाओं में जहां पहाड़ी क्षेत्र है और दुर्गम स्थान है वहां तीन-तीन सौ विद्यार्थी हैं, एक टीचर है और जो रूट पर हैं और इजी अप्रोच है वहां सौ विद्यार्थी हैं और सात-सात, आठ-आठ टीचर्स लगा रखे हैं। क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई मापदण्ड तय हैं या करने वाले हैं, माननीय मंत्री महोदय इसके लिए जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। वैसे यह सवाल थानागाजी क्षेत्र का है।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय किशन गोपाल जी कोगटा ने जो बात बतायी है वास्तव में वह सही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कई ऐसी स्कूलें हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीरियर में है रोड के अलावा 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी पर कोई भी अध्यापक नहीं है। एक स्कूल जहां वास्तव में 50 छात्र हैं वहां 7—7 अध्यापिकाएं लगी हुई हैं और जहां तीन सौ छात्र हैं और एक अध्यापक है और छुट्टी पर होने पर स्कूलें बंद हो जाती हैं, ऐसा माननीय मंत्री महोदय की नजर में भी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप रिकार्ड मंगवा लें किसी भी पंचायत समिति का और कम से कम इस पद्धति को तो बदलें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। धन्यवाद।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति बिलकुल इससे भिन्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह थानागाजी क्षेत्र के बारे में स्थिति बताई है।

श्री महावीर भगोरा : पंचायती राज मंत्री जी से अध्यापकों के बारे में चर्चा हो

(श्री महावीर भगोरा)

रही हैं, विद्यार्थियों के बारे में चर्चा हो रही हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक क्षेत्र है कोटड़ा, वहां आज की स्थिति में पौने तीन सौ अध्यापकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्ष जिला परिषद ने अध्यापकों का चयन किया था। हमने कहा था कि इस मेरिट लिस्ट को छः माह तक वैलिड माना जाता है, उनमें से आप पोस्टिंग कर दीजिये। आज तक 30 स्कूलें बन्द पड़ी हैं और सन् 2000 तक हम लोगों को सम्पूर्ण साक्षर कर देना चाहते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह परिपाटी जब से देश आजाद हुआ है तब से वहां चली आ रही है। क्या कोई विशेष प्रयत्न, संविधान के तहत राज्यपाल महोदय के माध्यम से शिथिलता लेकर माननीय मंत्री महोदय, कोई ऐसी व्यवस्था कराना चाहते हैं कि हमारे यहां ट्रेंड अध्यापक को संविदा पर लगाकर उन विद्यालयों को चालू किया जाए, कम से कम बच्चों को पढ़ने की सुविधा तो उपलब्ध हो। विद्यालय तो हमने खोल दिये, लेकिन अध्यापक ही नहीं हैं। एक पंचायत समिति में पौने तीन सौ अध्यापकों के पद खाली हैं। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी कोई व्यवस्था करें और राज्य सरकार से भी निवेदन करूंगा कि शिथिलता के लिये वह राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव भिजवाये ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके हमारे ट्राइबल एरिया में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है यह सही है कि हमने जो नोम्र्स तय किये हैं, पहले 49 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक और उसके बाद 40 विद्यार्थियों पर दूसरा अध्यापक, हमने यह भी नोम्र्स तय किये हैं कि पहले एक अध्यापक की शाला होती थी अब हमने प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापक कम से कम हों और इस सत्र से हमने यह आदेश दे दिये हैं क्योंकि जब एक ही शिक्षक होता था और वह छुट्टी पर चला गया तो पूरी स्कूल ही छुट्टी पर चली जाती थी। इसलिये अब प्रत्येक स्कूल विद्यालयों में हमने दो अध्यापकों की व्यवस्था की है। यह जो व्यवस्था है इस नोम्र्स के हिसाब से विद्यालयों में अध्यापक लगाये हैं। इसके लिये हमने सर्कुलर भी जारी किये, हमने निर्देश दिये सी. ई. ओज को, बी. डी. ओज को कि इस तरह से इस नोम्र्स के हिसाब से अध्यापकों की नियुक्ति करें। लेकिन जो माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं यह सही है कि जो सड़क के पास स्कूल होती हैं वहां तो ज्यादा अध्यापक लग जाते हैं और इंटिरियर एरिया की स्कूलों में कम अध्यापक होते हैं। जब यह हमारे ध्यान में आया, शिकायतें आयीं तो इसको रोकने के लिये हमने निर्देश दिये, डेपुटेशन पर लगा दिया करते थे तो हमने सख्त निर्देश दिये, आपने भी समाचार–पत्रों में पढ़ा होगा कि यह जो डेपुटेशन हैं, उस डेपुटेशन पर कोई भी टीचर्स को इस तरह से नियुक्त नहीं करेंगे। इसको टोटली समाप्त किया गया। करीब छः महीने पहले हमने यह निर्देश दिये थे। जहां तक मुझे याद है उसकी

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

पालना भी हमने करायी। लेकिन फिर भी कहीं–कहीं इस तरह की शिकायतें आयीं जैसे थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने इस मामले में सी.ई.ओ. को लिखा है कि तुरन्त जांच करके भेजें। मैं जांच रिपोर्ट आते ही जो भी कंसर्ड आफिसर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा। और यह जांच रिपोर्ट एक माह के अन्दर–अन्दर मंगाकर कार्यवाही करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

दूसरा, जहां तक अन्य माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं, राज्य सरकार ने राजस्थान में शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए पिछले 2–3 साल में इतने स्कूल खोले हैं। प्रत्येक 250 की आबादी वाले राजस्व गांव और डेजर्ट एवं ट्राइबल बैल्ट में 150 की आबादी के राजस्व गांव में हमने स्कूल खोले हैं। एकदम इतना ज्यादा स्कूल खोलने के कारण अध्यापकों की कमी आना स्वाभाविक था, एक तो इस कारण से अध्यापकों की कमी आई। दूसरा, जो स्कूल एकल अध्यापक वाले थे वहां हमने दो अध्यापक कर दिये। उस कमी को पूरा करने के लिये भी राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं कि तुरन्त इन अध्यापकों की भर्ती की जाए और जिला परिषदों को हमने इस तरह के निर्देश दिये हैं। जिला परिषदों में भर्तियां चालू हैं और कई जगह जगह भर्ती हो चुकी है, कई जगह भर्ती चालू है लेकिन उनके अपाइंटमेंट में देरी इसलिये हो जाती है क्योंकि कई जगह कई मामलों में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिये। इनमें देरी इसलिये हो जाती है कि बी. एड. की जो डिग्रियां होती हैं वह बाहर के स्टेट्स से लोग लेकर आते हैं जैसे मध्य प्रदेश है, यू.पी है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, वहां से डिग्रियां लेकर आते हैं। पिछले सालों में ज्यों ही यह विभाग मेरे पास आया और कुछ इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई तो पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराई और जांच कराने पर पता लगा कि बहुत सारे लोग फर्जी डिग्रियां लेकर भर्ती हो गये हैं। उन प्रकरणों की जांच कराकर उनको नौकरी से निकाला, उनके खिलाफ कार्यवाही की और अब यह निर्देश दिये हैं कि इन डिग्रियों का पहले प्रमाणीकरण किया जाए और उसके बाद ही उनको नौकरियां दी जाए। इसलिये भी इन अध्यापकों की नियुक्तियों में थोड़ा विलम्ब होता है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी इन जिला परिषदों को निर्देश देंगे कि इन डिग्रियों को वेरीफाई कराकर अध्यापकों को तुरन्त नियुक्ति दी जाए जिससे कि विद्यार्थी सफर न हों....

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं विकास अधिकारी निरीक्षण करते हैं यदि वही निरीक्षण करते तो आज जो अव्यवस्था सारे स्कूल्स में हो रही है वह नहीं होती जो मैंने उदाहरण देकर बताई हैं। इनके यहां पर एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्या यह कोई नोर्म्स फिक्स करेंगे

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उन डिप्टी डायरेक्टर्स के लिये कि एक साल के अंदर 10 स्कूल्स, 25 स्कूल्स या एक पंचायत समिति के एक स्कूल का निरीक्षण करेंगे या नहीं करेंगे या कोई निरीक्षण की अन्य व्यवस्था करवायेंगे अपने यहां से ?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि इन्होंने नोर्म्स फिक्स कर रखे हैं कि 40 के ऊपर एक अध्यापक है। यह नोर्म्स तो किसी भी स्कूल में फालो नहीं हो रहे है। क्या यह यहां पर आश्वासन देंगे कि अगले सत्र से प्रत्येक स्कूल के अन्दर इन नोर्म्स का फालो किया जाएगा ?

तीसरी बात हर दफे बात होती है तो आप फरमाते हैं कि हमने निर्देश दे दिये हैं। निर्देश तो दे दिये हैं, निर्देश तो रोजाना दिये जा रहे हैं। निर्देशों की पालना नहीं होती है। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निर्देशों की पालना नहीं हो रही है तो कहा जाता है कि कोई उत्तरदायी नहीं है। किसी ने कोई गलती नहीं की है। निर्देशों की जो पालना नहीं करते हैं उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? माननीय मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न यह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा था कि पिछले तीन सालों में हमने बहुत सी स्कूलें खोली हैं। यह बजट साल खतम हो रहा है, 1.4.96 से लेकर आज तक कितनी प्राइमरी स्कूलें खोली हैं ? यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि माननीय मंत्री महोदय अभी कह रहे थे कि हम नये जो शिक्षक ले रहे हैं उनके बारे में जांच कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह था कि इन्होंने पहले जो नये अध्यापक लिये, उनकी परीक्षाएं भी ले लीं, इंटरव्यू भी ले लिये, मेरिट लिस्ट बना ली, उसमें से कुछ को अपाइंटमेंट दे दिये, बाकी मेरिट लिस्ट अभी तक स्टेण्ड करती है। यह चाहे उसी लिस्ट में सी. ई. ग्रोज को, सभी जिला परिषदों को आदेश दे दें तो जो बकाया मेरिट लिस्ट बनी हुई है उसमें से अगर अध्यापकों को भर्ती किये जाएंगे तो मेरे ख्याल से यह पूर्ति हो सकती है। इसमें समय कम लगेगा और यह रास्ता बहुत अच्छा है और इस तरह जल्दी समस्या का समाधान होगा।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मंत्री महोदय को पुकार लिया है। आप बिराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, एक साथ ही इन सब का उत्तर दे देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैयालाल जी, आप कृपया बिराजें।

(२०)

श्री कन्हैयालाल मीणा : उप सचिव जो बना दिये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैयालाल जी, आसन पैरों पर हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमने यह आदेश भी दिये थे कि बी. डी. ओज. सी. ई. ओज. एक महीने में कुछ निश्चित संख्या मिनिमम हमने तय की थी कि इतने स्कूल्स को चैक करेंगे एस. डी. आई. के अलावा लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे पास कुछ एस. डी. आई. की कमी थी, एस. डी- आई. हम शिक्षा विभाग से लेते हैं। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को निवेदन किया और उन्होंने कुछ एस. डी. आई. जिनकी कमी थी हमें दिये भी हैं, उनको हमने लगाया भी है। पहले हमारे पास एस. डी. आई. डेपुटेशन पर आते रहते हैं और प्रमोशन होने पर जाते रहते हैं तो इससे कुछ कमी हो गयी थी। वह सलेक्शन होकर आते हैं उसमें गेप हो गया था, तो एक यह भी कारण था कि कई जगह एस. डी. आई. उतनी मात्रा में नहीं थे।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकास कार्य गांवों में इतने हो रहे हैं कि हमारे जो विकास अधिकारी हैं, उनके पास इतना अधिक कार्य होता है कि वह यह जो एक फील्ड है इसमें जितना समय देना चाहिये वह समय नहीं दे पाते हैं। फिर हम एस. डी. आई. लगाकर भी यह कोशिश कर रहे हैं कि इन शालाओं का निश्चित रूप से निरन्तर निरीक्षण होता रहे। जो हमारे नोर्म्स हैं उनको फालो किया जाए और जो नोर्म्स को फालो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

माननीय सदस्यों ने एक दो सवाल और उठाये हैं कि जो टीचर्स हैं उनको लेने में देरी की। हम अभी, इस बार यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरे साल का कलेण्डर बनाये इस साल से। इसी साल से, जो नेक्स्ट शिक्षण सत्र आ रहा है उसमें इसे हम लागू करेंगे। उस कलेण्डर में शिक्षकों की भर्ती कब होगी, कब से उनको अपाइंटमेंट मिलेगा, कब से वे जोइन करेंगे और डिग्रियों में जांच करने में जो विलम्ब होता है इसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं कि उनसे एफिडेविट ले लिया जाए और एफिडेविट लेकर उनको एक बार नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन उसमें दिक्कत यह आएगी कि कई बार कई लोग गलत एफिडेविट देकर नौकरी लग जाते हैं और बाद में उनके खिलाफ केस चलते रहते हैं। इस पर विभाग विचार कर रहा है कि कौन सा तरीका निकाला जाए ताकि तुरन्त उनको नियुक्ति मिल जाए। इस पर हम सीरियसली विचार कर रहे हैं उसके बाद ही इस समस्या का निदान हो सकेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयन्ति लाल कोली।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कर्मियों का आरक्षण

142. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जयन्तिलाल कोली)

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्तमान में अधिकारी, मंत्रालयिक एवं लेखा वर्ग, यातायात वर्ग तथा तकनीकी वर्ग में कुल कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? वर्गशः संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सौ बिन्दु रोस्टर के हिसाब से इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी होने चाहिए ?

(3) निगम में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है ? वर्गशः तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेकलॉग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व): (1) निगम में वर्तमान में वर्गवार कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) सौ बिन्दु रोस्टर 1.4.1985 से लागू हुआ है। अतः 1.4.1985 तथा उसके बाद समय-समय पर की गयी भर्ती एवं पदोन्नति के अन्तर्गत सौ बिन्दु रोस्टर के हिसाब से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो पद बनते हैं उनका विवरण परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(3) निगम में वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का विवरण परिशिष्ट (स) पर संलग्न है।

(4) पदोन्नति अथवा भर्ती के समय नियमानुसार आरक्षित पदों को भरा जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): यह तो गागर में सागर भर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, सारा जवाब आ गया।

अनेक माननीय सदस्य : कोई सप्लीमेंट्री नहीं सन्तुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर, प्रश्न संख्या 132.

उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय भीलवाड़ा में सदस्यों की नियुक्ति

143. श्री कालूलाल गूजर (मांडल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय है ? यदि हां, तो यह कब से कार्यरत है ?

(2) क्या यह सही है कि इस न्यायालय में सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से इसका कार्य ठप्प पड़ा है ? यदि हां, तो कब से व सरकार इस न्यायालय का गठन कब

(२२)

(श्री कालूलाल गूजर)

तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) लम्बे समय से उक्त उपभोक्ता न्यायालय के गठन नहीं होने के क्या कारण रहे ? इससे सरकार को कितना व्यय करना पड़ा ? अब कब तक यह न्यायालय कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) जी, हां। इस जिला मंच के गठन की विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 26-11-1990 को जारी की गयी है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1991 में इस जिला मंच में नियुक्त सदस्यों का पांच वर्ष का कार्यकाल वर्ष 1996 में पूर्ण होने के फलस्वरूप माह फरवरी, 1997 में नये सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है।

(3) वर्ष 1988 में 6 सम्भागीय मुख्यालयों में ही जिला मंचों का गठन कर इन सम्भागों में आने वाले जिलों का कार्य क्षेत्र भी इन्हीं मंचों में सम्मिलित कर दिया गया था। परन्तु वर्ष 1990 में राज्य के अन्य जिलों में भी जिला मंचों का गठन कर दिया गया था जिसमें भीलवाड़ा जिला भी सम्मिलित था। जिला मंच में करीब 60,850 रुपये प्रति माह का व्यय आता है। वर्तमान में यह जिला मंच कार्यरत है।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो–तीन पूरक प्रश्न करना चाहता हूं। पहला तो यह कि 1996 में यह जो कार्यकाल समाप्त होना बताया गया है, यह कौनसी तारीख से कार्यकाल समाप्त हुआ और फरवरी, 1997 में कौनसी तारीख तक नया उपभोक्ता मंच वहां पर तैयार हो गया ? इसके बीच का जो समय था, यह इतना लम्बा समय क्यों लगा इनकी नियुक्ति करने में ? इसका कारण बतायें।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि 60,850/- रुपये प्रति माह इस कोर्ट पर व्यय हो रहा है क्योंकि 12 महीने से ज्यादा समय से वहां पर कोर्ट नहीं चालू होने और नियुक्तियां नहीं की आपने इस कारण से सरकार के करीब 9–10 लाख रुपये बेकार में खर्च हुए और जनता को कोई रिलीफ भी नहीं मिली क्योंकि 12 महीने से वहां न्यायालय का गठन नहीं होने से कई मुकदमों का फैसला नहीं हुआ। जो उपभोक्ता से सम्बन्धित मुकदमें वाले पक्षकार थे वे चक्कर काटते रहे और अनावश्य रूप से उनको भी परेशानी हुई। इसका क्या कारण रहा ? यह माननीय मंत्री महोदय बतायें कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जिससे आपने न्यायालय में जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां करनी थी उनकी नियुक्ति नहीं की। इसमें कितना कुल मिलाकर खर्च हुआ और इसमें कौन दोषी हैं और आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे।

डा. रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10-3-1996 को सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 8-3-1996 को विभाग द्वारा इन दोनों रिक्त पदों के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10--96 तक भिजवाने हेतु यह विज्ञप्ति डी. पी. आर. को दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करने के लिए भेजी गयी और उसके बाद में चयन समिति की

(डा. रामप्रताप)

बैठक का आयोजन करना तय था। उसी वक्त लोकसभा के चुनाव आ गये और बाद में विधान सभा का अधिवेशन होने की वजह से इसमें देरी हुई। फिर उसके बाद ....

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या स्थिति है ?

डा. रामप्रताप : हां, बता रहा हूं। 24-9-1996 को जब इसकी तिथि तय की गयी तो प्रमुख शासन सचिव जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं वे छुट्टी पर थे इस वजह से इसकी मीटिंग का आयोजन नहीं हो सका तब हमने अध्यक्ष को सूचित किया कि अध्यक्ष के अतिरिक्त अगर एक सदस्य भी हो तो चयन समिति की मीटिंग हो सकती है। इसके बाद में 18-2-1997 को जो दो चयनित सदस्य थे उनका अनुमोदित राज्य सरकार ने किया और 22-2-1997 से इसकी अधिसूचना जारी की गयी थी। इसमें देरी होने के कारण में किसी का दोष मेरी समझ में नजर नहीं आता इसलिए सजा देने की कोई बात नहीं है।

जहां तक खर्चे का सवाल है, जिला मंच का अध्यक्ष है उनकी तनख्वाह और कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह का ही यह खर्चा है और यह व्यवहारिक है इसलिए किसी के खिलाफ कोई जांच या किसी को दोषी पाये जाने की बात नहीं है।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, आप बता रहे हैं कि खर्चा व्यवहारिक है। व्यवहारिक है या अव्यवहारिक, बात यह है कि आपने यह प्रक्रिया पहले क्यों नहीं अपनायी ? जब आपको पता है कि फला तारीख को उपभोक्ता संरक्षण मंच का समय पूरा हो रहा है और उसके पहले-पहले नियुक्ति की जानी चाहिए। आज दिन तक जितनी नियुक्तियां हुई थी उसमें इसी प्रकार का प्रोसीजर फालो किया जाता रहा है और यदि ऐसा नहीं है तो आप उस एक्ट है या कानून में प्रावधान रखिये किसी एक को, दूसरे को अधिकार देकर। इस तरह से न्यायालय तो कम से कम रेगुलर चलना चाहिये जो आपने वहां खोल रखा है। आप यह कह रहे हैं कि अधिसूचना जारी हो गयी, सेक्रेटरी साहब नहीं थे और इस वजह से इन्टरव्यू लिये। यह क्या मतलब हुआ मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह का कहां प्रोसीजर है कि उसमें लम्बा, सालभर तक यूं बिना कारण तक खींचता रहे और 10 लाख रुपये सरकार के फालतू लगे। इसलिए यह दोष नहीं है किसी का ? यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असन्तुष्टि का जवाब है और माननीय मंत्री महोदय यह बताये कि वास्तव में इसमें क्यों डिले हुआ और समय पर सूचना उनकी नियुक्ति की क्यों नहीं जारी की गयी ? समय पर नियुक्तियां क्यों नहीं हुई ? इसमें आखिर सरकार का, जनता का 10 लाख रुपया बेकार खर्च हुआ। 10 लाख रुपये का कोई महत्व नहीं है। 10 लाख रुपये में तो बहुत बड़े विकास के काम हो सकते हैं जहां हम विकास के लिए पूरा खर्च ही नहीं कर पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रक्रिया काफ़ी लम्बी थी, समय लगना स्वाभाविक था। कृपया बिराजें। श्री हरिसिंह।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या–144.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री किशनाराम नाई ।

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में स्वीकृत कार्य

145. श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू में वर्ष 1992–93 से जनवरी, 1997 तक अकाल राहत कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां के स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्यों में से कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ?

(3) उक्त कार्यों में से अपूर्ण कार्य कौन-कौन से हैं ? वे कब तक पूर्ण कर दिये जाएंगे ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री सांवरलाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू में वर्ष 1992–93 से जनवरी, 1997 तक स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है । (परिशिष्ट–1)

(2) पूर्ण हुए कार्य व व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट-1)

(3) अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट में संलग्न है । अकाल राहत कार्य निश्चित अवधि के लिए और निश्चित उद्देश्य से चलाये जाते हैं । अपूर्ण रहे कार्यों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों की होती है । विभाग ने ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्देश जारी किये कि अपूर्ण अकाल राहत कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृति देकर पूर्ण करवायें । (सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1996–97 तक कितने कार्य कौन–कौन से स्वीकृत हुए ? उनका जवाब है कि परिशिष्ट संख्या–1 पर देख लो । परिशिष्ट संख्या–1 तो आ है, कि मंत्री जी पढ़ कर सुना दो, उसमें कोई समझ में आनेरी बात ह के । चूरू जिले में श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में काफी अधूरे काम हैं जिकांरा नोटिफिकेशन जारी हुआ बिरैं मायनै जिकां विभाग के तहत जिकां काम स्वीकृत होसी बिरैं मुताबिक बै छह महीने या तीन महीने में पूरा करवासी, आज तक करयो कोनी ।

आज तक होया नहीं और पूरा का पूरा जिला में काफी जगह पेमेंट बाकी पड्या है अकाल राहत कार्या का । धर्मास, कितासर, टूचासर में जखा भी कार्य होया है, सामुदायिक विकास केन्द्र, स्कूल का करवाया, पूरा का पूरा अधूरा पड्या है । इ वास्ते कोई जिम्मेवारी कोनी । गवर्नर कौंसिल की मीटिंग में बात होयी तो कह्यो । कई ग्राम सेवक भागगा, कई सस्पेंड हगा, कई गबन करगा, आ जिम्मेवारी विभाग की हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर सुन लीजिए, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत काम करने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त होने जा रहा है, आप उत्तर सुनना चाहते हैं कि नहीं ? माननीय मंत्री महोदय।

श्री किशनाराम नाई : मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम पूरे हो चुके हैं, उनका पेमेंट कब होगा ?...(व्यवधान)।

राज्य मंत्री, अकाल (श्री सांवरलाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में जो सूचियां संलग्न की गयी हैं, इसकी फोटोस्टेट विधान सभा सचिवालय ने करवायी हैं उसमें उत्तर कुछ स्पष्ट दिखायी नहीं दे रहा है। हमने जो भेजी है उसमें से मैं पढ़कर बता दूंगा कि क्या-क्या चीजें हैं।

सहायता विभाग का कार्य रोजगार देकर लोगों का पालन पोषण करना है। इसके माध्यम से काम हो जाये यह बहुत बढ़िया बात है। अगर अपूर्ण कार्य करते हैं तो सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा विभाग को हमने शुरू से ही पाबन्द किया है कि आप अपने स्तर पर और उन्हीं कार्यों को टेक अप करवायें जिनको विभागीय बजट से करवा सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो बातें बतायी हैं,वह अपने स्तर पर आप मुझे और बता दीजिये, मैं निर्देश देकर उनको पूर्ण करवाने के लिए हिदायत दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गुडगावां नहर परियोजना पर व्यय

131. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गुडगावां नहर परियोजना कब स्वीकृत की गयी ? इस नहर परियोजना पर प्रारम्भिक स्तर पर कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया और कितनी भूमि सिंचित किये जाने का लक्ष्य था तथा कितना क्यूसेक्स यमुना जल प्राप्त कर उपयोग करने का लक्ष्य था ?

(2) उक्त परियोजना पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है ? और अब तक कितनी सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी है ? यह परियोजना कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था ? परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब के क्या-क्या कारण रहे ? विलम्ब के कारण कितना अधिक व्यय भार सरकार को वहन करना पड़ेगा ?

(3) परियोजना में विलम्ब के लिए क्या सरकार किसी अधिकारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब के कारणों की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गुडगावां नहर परियोजना जुलाई, 1966 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी। इस नहर परियोजना पर

(२६)

(सिंचाई मंत्री)

प्रारम्भिक स्तर पर 287.87 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया था तथा 26923 हैक्टेयर (66500 एकड़) (भूमि को जलप्लावन) (Inundation) द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था। इस नहर को दिए जाने वाले जल की मात्रा सम्बन्धी अन्तरराज्यीय बैठक दिनांक 29.4.60 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं जिसके अनुसार यमुना से ओखला तक कुल 5350 क्यूसेक्स या इससे अधिक पानी उपलब्ध होने पर गुडगावां नहर द्वारा राजस्थान को 500 क्यूसेक्स दिये जाने का प्रावधान हैं तथा कम पानी उपलब्ध होने पर राजस्थान और हरियाणा में 1:2:4 के अनुपात में पानी दिए जाने का निर्णय था।

(2) इस परियोजना पर जनवरी, 1997 तक 2237.50 लाख रुपये हो चुके हैं, इस परियोजना से अब तक 22775 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी हैं, इस परियोजना को नवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य हैं। परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब के जो कारण रहे वे इस प्रकार हैं:–उत्तर प्रदेश में ओखला बैराज को पूरा करने में देरी एवं पर्याप्त पानी उपलब्ध होने में कठिनाई, मूल तखमीने में प्रस्तावित कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करवाये जाने की आवश्यकता तथा सीमित बजट की उपलब्धता। अब परियोजना की संशोधित लागत 3644.00 लाख आंकी गयी है।

(3) जी, नहीं। परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब हेतु किसी अधिकारी का दोष नहीं हैं। अतः जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अकालग्रस्त ग्राम

132. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 के अकाल राहत कार्य कब से प्रारम्भ किए गए ?

(2) क्या सरकार के द्वारा राज्य के कौन-कौन से जिलों के कितने-कितने ग्रामों में अकाल की स्थिति है, की जानकारी एकत्रित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने ग्राम अकालग्रस्त हैं और उन ग्रामों में अकाल राहत के तहत कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) अभाव सम्वत् 2052 में आवश्यकतानुसार राहत कार्य दिसम्बर, 1995 से चलाये जाने के निर्देश दिये थे। वर्ष 1996-97 में अकाल भी राहत कार्य कुछ जिलों में दिनांक 31.7.96 तक चालू रहे।

(2) जी, हां।

(3) खराबे की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। अभाव स्थिति की घोषणा होते ही तत्काल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

खासा कोठी (जयपुर) के समीप स्थित भूमि का विक्रय प्रकरण

133. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित खासा कोठी के समीपस्थ भूमि की सरकार द्वारा नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि की और कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की बिक्री के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया था ? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों में कब-कब ? समाचार-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जून, 1995 में जयपुर शहर में भवन निर्माण के सम्बन्ध में "बाई लाज" बनाये गये थे ? यदि हां, तो मिर्जा इस्माइल रोड पर "बाई लाज" के अनुसार बड़े भूखण्डों के लिए अधिकतम निर्मित स्पेस (एफ. ए. आर.) के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड पर विभाग द्वारा दो निर्मित स्पेस (एफ. ए. आर.) देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । खासा कोठी के समीपस्थ भूमि की सरकार द्वारा नीलामी की गयी है, इस भूमि का क्षेत्रफल 4532 वर्गमीटर है और दिनांक 30-10-96 को नीलाम की गयी है ।

(2) जी, हां । यह सही है कि उक्त भूमि की बिक्री के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था । जिन समाचार पत्रों में कब कब विज्ञापन दिया गया है उनकी सूचना संलग्न है ।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जून, 95 में कोई मान विनियम नहीं बनाये गये । उल्लेखनीय है कि 19 जून, 96 की प्राधिकरण की 32वीं बैठक में नये विनियमों का प्रारूप कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया था जिसे यथा संशोधन के पश्चात् राजस्थान राजपत्र में असाधारण अंक दिनांक 28 जून, 96 में प्रकाशित होने के पश्चात् उसी दिन अर्थात् 28 जून, 96 से नये विनियम प्रभावी हो गये । इन विनियमों के अनुसार सेक्टर 5 में, जिनमें एम.आई.रोड भी पड़ती है, पर बड़े भू-खण्डों अर्थात 1500 वर्गमीटर से अधिक के लिये एफ.ए.आर. के निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :—

1– भू-खण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक

1. एफ. ए. आर. 1.75
2. यदि कोई व्यक्ति भवन कम आच्छादित करना चाहता है तो प्रति 5 प्रतिशत कम आच्छादन करने पर भवन की ऊंचाई में 3 मीटर का बोनस तथा एफ. ए. आर. में 0.1 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ ।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) यह सही है कि सम्बन्धित भू-खण्ड पर एफ. ए. आर 2.0 दिया गया था जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 1996 प्रभावी होने से पूर्व प्रचलित जयपुर विकास प्राधिकरण (भवन) विनियम, 1989 के विनियम सं. 17 : 3 सपठित तालिका 6 के अनुसार अनुज्ञेय था। इस भू-खण्ड पर अन्य विशेष भवन मानदण्ड प्राधिकरण के आदेश संख्या जविप्रा. । एस.टी.पी । परि । एफ. । 79/96/682 दिनांक 11. 6. 96 में निर्धारित किये गये (प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है)।

(सूचना/प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला कोटा में ग्राम सेवकों की नियुक्ति प्रकरण

134. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में ग्राम सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रतियोगी परीक्षा की वरीयता सूची तैयार कर ली गयी है ? यदि हां, तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की वरीयता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अन्य जिलों में इस पद पर नियुक्ति दे दी गयी है? यदि हां, तो कोटा जिले में इस पद पर अब तक नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं ? सरकार अब कब तक जिला कोटा में उत्तीर्ण प्रतियोगियों को इस पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर, 1996 को परीक्षाएं आयोजित की गयी थी।

(2) जी, हां। वरीयता सूची की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) कोटा जिले में 25 आशार्थियों को दिनांक 27. 1. 97 से 5. 2. 97 तक की अवधि में विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा नियुक्तियां दे दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सवाईमाधोपुर के सीमेन्ट उद्योग

135. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कितने सीमेन्ट उद्योग कहां-कहां स्थित हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर दिया गया है।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जबकि वर्तमान में सीमेंट फैक्ट्री चालू नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर में निम्न दो सीमेंट उद्योग स्थापित है :-

1. मैसर्स दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाईमाधोपुर (वृहद उद्योग)

2. मैसर्स श्री लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर (लघु उद्योग)

(2) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में परीक्षण के तौर पर मार्च, 1996 में उत्पादन चालू किया गया था, परन्तु श्रमिक संघ व नये प्रबन्धकों में मतभेद के कारण फैक्ट्री फिर बन्द हो गयी है।

शिकायत पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं वितरण

136. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निगम द्वारा यात्रियों की शिकायतों एवं सुझावों को पंजीबद्ध करने हेतु अपने कार्यालयों तथा बसों के परिचालकों को शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1996 में कुल कितनी शिकायत पुस्तिकाएं निगम द्वारा जारी की गयी तथा कुल कितनी शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त हुए ?

(2) निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल कितनी शिकायत पुस्तिकाएं छपवाई गयी उनमें से कितनी उपयोग हेतु जारी की गयी तथा कितनी भरने के पश्चात् पुनः प्राप्त हुई ? आगार वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1996 में मुख्य-मुख्य बस स्टेण्डों तथा बसों के परिचालकों को कुल 110 शिकायत पुस्तिकाएं जारी की गयी हैं तथा इस वर्ष के दौरान कुल 1365 शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त हुये हैं।

(2) विगत 3 वर्षों में से केवल वर्ष 1996 में 500 शिकायत पुस्तिकाएं छपवाई गयी हैं। वर्ष 1994 एवं 1995 में मांग के अनुरूप स्टाक में शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध होने के कारण मुद्रित नहीं करवाई गयी। वर्ष 1994 के दौरान 199 एवं 1996 के दौरान कुल 110 शिकायत पुस्तिकाएं विभिन्न आगार कार्यालयों को जारी की गयी, इनमें से वर्ष 1994 में 199 एवं वर्ष 1996 में 110 शिकायत पुस्तिकाएं भरने के बाद आगार कार्यालयों में प्राप्त हुई। जारी की गयी तथा भरने के पश्चात पुनः प्राप्त हुई शिकायत पुस्तिकाओं का वितरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रेषित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राज्य में राशन विक्रेताओं को आवंटित गेहूं

137. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): क्या खाद्य एवं नागरिक

(श्री परसादी लाल मीणा)

आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 के माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में गेहूं का कितना कोटा आबंटन किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा राशन विक्रेताओं को कितना-कितना गेहूं आबंटित किया गया ? विभिन्न जिलों में वितरित गेहूं का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1996 में जयपुर के राशन विक्रेताओं ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को माह अक्टूबर से दिसम्बर 96 तक क्रमशः 1,19,910–1,18,000 एवं 1,17,000 मैट्रिक टन गेहूं का आबंटन प्राप्त हुआ । प्राप्त गेहूं के आबंटन को समस्त जिला रसद अधिकारियों को उप-आबंटन कर दिया जाता है । जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राप्त आबंटन को जिले की मांग एवं उपलब्धता को मध्य नजर रखते हुये राशन विक्रेताओं को जिला कलक्टर की सहमति से आबंटित कर दिया जाता है आबंटित गेहूं एवं उठाव की जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी, हां । जयपुर राशन विक्रेता एसोशिएसन जयपुर के सदस्यों द्वारा हड़ताल के दौरान विभाग में उपस्थित होकर हड़ताल के निम्न कारण बतलाये :–

1. मुख्यालय से गठित विशेष जांच दल आदेश दिनांक 29 11. 96 को वापस लिया जावे ।
2. राशन विक्रेताओं को अधिक आबंटन किया जावे ।
3. वितरण रजिस्टर आदि जमा नहीं कराये जावें ।
4. कमीशन में वृद्धि की जावें ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 जनवरी, 1997)

जिला भीलवाड़ा एवं अजमेर में स्वीकृत राहत कार्य

33. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा तथा अजमेर जिले में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे कार्य गुणवता की दृष्टि से सही हैं तथा क्या ये पूरे कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो अभिकरणवार स्वीकृत कार्यों का विवरण तथा सामग्री एवं श्रम पर व्यय राशि तथा उनकी पूर्णता तथा राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत कार्यों की श्रम एवं सामग्री की राशि का

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य की कितनी-कितनी राशि ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के अकाल राहत कार्यों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार, घोटाले, फर्जीवाड़ों तथा अनियमितता की शिकायतें आने पर उनकी जांच की गई ? यदि हां, तो प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत का विवरण तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के राहत कार्यों में हुए घोटाले, फर्जीवाड़े तथा भारी अनियमितताओं संबंधी शिकायतों का मौके पर भौतिक सत्यापन केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राहत कार्य जनता को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाये जाते हैं कार्य अपूर्ण रहने पर सम्बन्धित विभाग या कार्यकारी एजेंसी का दायित्व पूरा कराने का है।

(2) जी, हां। कार्यों का भुगतान बकाया है। ऐसे कार्यों की सूचना मय कारण के सदन के पटल पर रखा दी गयी है। (परिशिष्ट-3 व 4)

(3) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-5 व 6)

(4) जी, नहीं।

(सूचना/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिंचाई परियोजना, बारां

138. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तुलसा सिंचाई परियोजना जिला बारां का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या परवन नदी पर डाबरी गांव के यहां एक एनीकट निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा उस पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी राशि व्यय होना प्रस्तावित है ?

(3) निर्माणाधीन एनीकट का कार्य कितने साल से बन्द है तथा कार्य बन्द रहने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि एनीकट निर्माण पूर्ण होने पर बारां-झालावाड़ राज्य मार्ग संख्या 19 पर पुरानी रियासत काल की बनी रपट रूपी पुलिया डूब जायेगी ? यदि हां, तो इस पुलिया पर एनीकट के निर्माण के बाद कितना पानी रहेगा।

(5) क्या नई पुलिया के निर्माण का खर्च सिंचाई विभाग देगा ? यदि हां, तो कितनी राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस कार्य हेतु देना प्रस्तावित है ?

(32)

उत्तर

(1) परवन (तुलसा) लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य वर्ष 1981 में प्रारम्भ हुआ था, इस योजना को वर्ष 1998 में पूरा करना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। परवन नदी पर डाबरी गांव के पास परवन पिकअप वियर (एनीकट) का कार्य वर्ष 1990 में शुरू किया गया था। परवन पिकअप वियर एवं इसकी नहरों के निर्माण पर 12/96 तक 1705 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं, तथा 809 लाख रुपये और कार्य करना प्रस्तावित है।

(3) पिकअप वियर का निर्माण कार्य 1995 से बन्द है वर्ष 1995 तक, इस कार्य का 90% कार्य, 40 मीटर का गैप छोड़कर पूर्ण कर लिया गया था जिसे बारां, झालावाड़ मार्ग पर नदी में पुरानी पुलिया (रपट) जो बपावर गांव के पास स्थित है और पिकअप वियर के ऊपर की तरफ स्थित है। जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ऊंचा करने के पश्चात् ही कार्य को पूरा किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) हां, इस पुलिया (रपट) पर करीबन 2 मीटर पानी रहेगा।

(5) पुरानी पुलिया (रपट) जो ऊंचा करने में आने वाले व्यय को ही सिंचाई विभाग वहन करेगा। इसके ऊंचा उठाने में जो व्यय होगा उसका तखमीना बनाकर भिजवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा को लिखा गया है लेकिन तखमीना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 1996-97 में इस कार्य हेतु 70 लाख रुपये का बजट उपलब्ध है।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में स्वीकृत कार्य

139. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर तथा कोटड़ी में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में पंचायत समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो उनका विवरण स्वीकृत श्रम, सामग्री, राशि, व्यय, श्रम सामग्री राशि तथा भुगतान श्रम सामग्री राशि एवं कार्य की गुणवत्ता तथा पूरा होने की स्थिति सहित और बकाया राशि में कितना भुगतान करना शेष है व किन कारणों से, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों पर अग्रिम राशि कार्यवार भुगतान के कोई दिशा निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पंचायत समितियों में कब-कब, किस-किस पंचायत को किन-किन कार्यों के लिए किस-किस अनुपात में किस आधार पर कब-कब राशि भुगतान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायतों को स्वीकृत राशि के अनुसार सामग्री राशि देने में भेदभाव तथा पक्षपात के कारण कार्य की मात्रा कम रही और उनको सामग्री राशि में अलग-अलग मानदंड से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रभावित किया गया है ? यदि नहीं, तो दोनों पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत कार्य राशि, अग्रिम भुगतान बकाया, सामग्री राशि का कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्रम सामग्री राशि का आबंटन बराबर जिला कलक्टरों को किया गया ? क्या उन द्वारा विकास अधिकारियों को दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार राशि का पंचायतों को भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कर संबंधित अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वीकृत श्रम सामग्री की राशि, व्यय राशि बकाया भुगतान राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1) कार्य गुणवता का ध्यान में रखते हुए कराये गये।

(2) स्वीकृत कार्यों पर अग्रिम राशि का भुगतान कार्य की प्रगति तथा उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा किया गया। पंचायत समिति जहाजपुर व कोटड़ी के द्वारा कार्यवार अग्रिम राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी, नहीं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(4) आवश्यकतानुसार आबंटन एवं भुगतान किया गया था।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आहोर (जालौर) की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

140. श्री भगराम चौधरी (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर की तहसील आहोर की क्षेत्रीय जल योजना भूती-कवराड़ा से जुड़े हुए 8 गांव जल आपूर्ति हेतु केवल मात्र कवराड़ा ट्यूबवैल पर आधारित होने से इन गांवों में लम्बे समय से चली आ रही भयंकर पेयजल समस्या का निवारण करने हेतु बनाई हुई योजना स्वीकृत हेतु मुख्य अभियन्ता, जयपुर के कार्यालय में विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आहोर तहसील की क्षेत्रीय जल योजना-नोसरा-मीठड़ी से जुड़े हुए गांवों में से करीब 10 गांव छांगाड़ी, कोटड़ा, सरागा, आईपुरा, सांदन, बावड़ी, नोसरा की ढाणी, नोसरा, खांबी, वगैरह में लम्बे समय से चली आ रही विकट पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनाई हुई योजना अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर के कार्यालय में लम्बित है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इन योजनाओं को स्वीकृत कर उक्त वर्णित गांवों में जल आपूर्ति की समस्या का शीघ्र समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। जालौर जिले में आहोर तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

भूति कवराड़ा से जुड़े 8 ग्रामों की जल आपूर्ति कवराड़ा नलकूप से की जाती है उत्पादन की कमी के कारण इन 8 ग्रामों में पेयजल की समस्या है। इन ग्रामों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 2 संवर्धन योजनाएं जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 3.04 लाख रुपये एवं 9.57 लाख रुपये है, की स्वीकृति 28. 2. 96 एवं 28. 11. 96 को की जा चुकी है योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है तथा है इसी गर्मी में अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

(2) उल्लेखित योजना के ग्रामो की पेयजल समस्या के समाधान हेतु संवर्धन योजनाएं जिसकी अनुमानित लागत 14.58 लाख रुपये है 29.1.97 को स्वीकृति की जा चुकी है तथा योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है तथा आने वाली गर्मी में इस योजना में भी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

(3) उपरोक्त 1 व 2 के अनुसार।

जिला भरतपुर के सिंचाई संसाधनों पर व्यय

144. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जून, 1996 में आई बाढ़ तथा इसके पश्चात् माह अक्टूबर, 1996 तक भरतपुर जिले में सिंचाई, बांध, नहरें इत्यादि पर कुल कितनी राशि रख-रखाव कार्यों पर व्यय की गयी? बांध अथवा नहरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य ठेके पर कराये अथवा सरकारी मशीनरी द्वारा करवाये गए? ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान की सूची मय ठेकेदारों के नाम तथा वर्गीकरण विवरण के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जून, 1996 में आयी बाढ़ तथा उसके उपरांत माह अक्टूबर, 1996 तक बांध तथा नहरों पर 291.22 लाख रुपये व्यय किये गये। बांध वार एवं नहरवार हुए व्यय की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों में से कुछ कार्य ठेकेदारों से एवं अन्य कुछ कार्य मशीनों द्वारा कराये गये थे। ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान की सूची मय ठेकेदारों के नाम तथा वर्गीकरण के परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में उद्यमियों को भू–आवंटन

225. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में औद्योगिक कम्पनियों को भू-आवंटन के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां,

(श्री हरजीराम बुरडक)

तो कब ? आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनियों को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि भी आबंटित की जा सकेगी ? यदि हां, तो क्या जिस कार्य के लिये कम्पनियों को भूमि आबंटित की जाती है, उसी कार्य के लिये व्यक्तियों को भी सीलिंग सीमा से अधिक भूमि आबंटित की जा सकेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त प्रकार से भूमियों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी भूमि कब–कब आबंटित की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा अधिसूचना कमांक:एफ–6 (18) रेवेन्यू/ग्रुप–6/94/2 दिनांक 14.3.96 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन नियम, 1996 जारी किये गये है। इन नियमों के तहत कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ बंजर भूमि (Waste Land) आबंटित की जा सकेगी। इस अधिनियम की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी, हां। इन नियमों के अधीन भूमि केवल कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक, प्राइवेट और संयुक्त क्षेत्र, भारतीय कम्पनियों और राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सप्रवर्तित सोसायटियों को आबंटित की जाएगी। व्यक्तियों को भूमि आबंटन का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(3) इन नियमों के तहत अभी तक कोई भूमि आबंटित नहीं की गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उद्योगों की स्थापना

226. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) इस क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। टोडाभीम में औद्योगिक क्षमता का अभाव होने एवं उस क्षेत्र में उद्यमियों से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है। टोडाभीम कस्बे से 40 किलोमीटर की दूरी पर हिण्डौन

(उद्योग मंत्री)

सिटी औद्योगिक क्षेत्र एवं 22 किलोमीटर की दूरी पर महुवा में औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा स्थापित किया हुआ है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्तमान में 79 लघु उद्योग कार्यरत हैं, जिनके विवरण की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के शिक्षित बेरोजगार

227. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष 1996–97 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन–पत्र प्रेषित किये गये, उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक कितनी–कितनी राशि का ऋण कब–कब उपलब्ध करया गया तथा शेष रहे व्यक्तियों को किन कारणों से ऋण वंचित रखा गया ? अब सरकार इन व्यक्तियों को कब तक ऋण उपलब्ध करा देगी ? ऋण प्राप्त करने वाले एवं बकाया लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत बस्सी क्षेत्र में 1996–97 में 31 बेरोजगार युवकों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध ऋण स्वीकृति/वितरण हेतु 69 अभ्यार्थियों के आवेदन–पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये थे। जिनमें से अब तक 21 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है। शेष 48 आवेदन-पत्रों में से 29 आवेदन पत्र बैंकों में लम्बित/विचाराधीन हैं और 19 आवेदन पत्र, ऐसे बैंकों ने जिन्होंने लक्ष्य के अनुसार स्वीकृति जारी कर दी, उनके द्वारा लौटा दिये गये जिनको अगले वर्ष लक्ष्य प्राप्त होने पर पुनः बैंकों को भिजवा दिया जायेगा।

उपरोक्त अवधि (वर्ष 1996–97) के लिये ऋण स्वीकृत अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रशिक्षण देने के उपरान्त ही बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया जायेगा। बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत एवं शेष युवाओं की सूची सदन की मेज पर रख गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में उद्योगों का पंजीयन

228. श्री भीमराज भाटी (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में प्रदूषण फैलाने वाले डाईंग, प्रिन्टिंग एवं इसी तरह के उद्योगों के स्थाई/अस्थाई पंजीयन पर रोक लगाई गई थी ? यदि हां, तो कब ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशों के बावजूद आज

(श्री भीमराज भाटी)

तक जिला उद्योग विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर इस तरह के उद्योगों का पंजीयन होता रहा है ? यदि हां, तो प्रतिबन्ध के बाद कौन–कौन से उद्योगों के पंजीयन कब–कब स्थानीय स्तर पर किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रतिबन्ध के बावजूद ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पंजीयन करने के लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार ऐसे उद्योगपतियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या भविष्य में गैर कानूनी कार्यवाही की रोकथाम के लिए सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। निम्न आदेशों के तहत पाली जिले में रंगाई–छपाई उद्योगों के पंजीयन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था :–

1. निदेशालय उद्योग का तार दिनांक 4.4.1983.
2. निदेशालय उद्योग का पत्र–क्रमांक एफ. 15/1 (1) एस. एस. आई/इण्ड/86/4500–4533 दिनांक 7.10.86 (आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।)

(2) उपरोक्त आदेशों के पश्चात् केवल एक वस्त्र छपाई उद्योग मैसर्स अजन्ता मिल्स, एफ. 272-ए, मण्डिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र पाली का दिनांक 28.3.88 को स्थायी पंजीयन किया गया।

(3) उपरोक्त उद्योग के पंजीयन प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, पाली, (सतर्कता) प्रभाव प्रभियोग में जांच कार्यवाही विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। भविष्य में भी गैर कानूनी कार्यवाही करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

देवगढ़ (राजसमन्द) का औद्योगिक क्षेत्र प्रकरण

229. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले के देवगढ़ नगर के पास रीको अथवा उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है ?

(2) सरकार द्वारा उक्त नगर के पास औद्योगिक वातावरण बनाने तथा उद्यमियों को सुविधा देने के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अब तक क्या क्या कदम उठाये गये ?

(3) सरकार इस दिशा में अब क्या-क्या ठोस कार्य करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) देवगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की दिशा में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

(उद्योग मंत्री)

नगर पालिका देवगढ़ में दिनांक 10.7.96 को आयोजित किया, जिसमें 150 इच्छुक उद्यमियों ने भाग लिया। रीको द्वारा देवगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा यह सूचित किया गया कि निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर अनुमानित विकास शुल्क की दर 150/– रुपये प्रति वर्गमीटर आने की संभावना है। इस पर उपस्थित काफी उद्यमियों ने इसे अत्यधिक बताया तथा उक्त दर पर भूखण्ड लेने में असमर्थता जताई।

जिला उद्योग केन्द्र, एवं अन्य संस्थाओं द्वारा भी उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रोत्साहन शिविर के दौरान यह अनुभव किया गया कि उद्यमी सस्ती दरों पर भूखण्ड आवंटन चाहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम विजयपुर पंचायत हल्का कायली तहसील देवगढ़ के आराजी नं. 3 की कुल 150 बीघा भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है।

(3) देवगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए ग्राम विजयपुर पंचायत हल्का, कायली तहसील देवगढ़ के आराजी नं.–3 की कुल 150 बीघा भूमि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्थल निरीक्षण किया गया था। उक्त प्रस्तावित भूमि नगर पालिका व पास के गांव विजयपुरा ग्राम पंचायत के बीच विवादग्रस्त है। उक्त भूमि विवादग्रस्त होने से किसी वैकल्पिक भूमि के चयन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

स्थानीय निकायों के अध्यक्षों/सदस्यों को सुविधाएं

230. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार स्थानीय निकायों के अध्यक्षों/सदस्यों को भत्ता, विश्राम-गृहों में ठहरने की सुविधा और मण्डल की बैठकों में उपस्थित होने पर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

स्थानीय निकाय विभाग के लम्बित प्रकरण

231. **श्री पराक्रम सिंह** (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय विभाग में बकाया काम निपटाओ अभियान चलाया गया था ?

(2) इस अभियान में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के निदेशालय में लम्बित प्रकरणों को निपटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? निदेशालय में कितने कार्य कब-कब से लम्बित चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अभियान के दौरान सभी जिला मुख्यालयों के लम्बित प्रकरणों को निपटाया गया था एवं वहां के कोई प्रकरण लम्बित नहीं चल रहे हैं।

राज्य में चुंगी दरें

232. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मथुरादास माथुर कमेटी ने चुंगी कर समाप्त करके आय की वैकल्पिक व्यवस्था करने बाबत की गई सिफारिश के सम्बन्ध ने निर्णय सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा?

(2) क्या सरकार विभिन्न स्थानों पर लागू चुंगी दर की असमानता को दूर कर दरों में एकरूपता लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में इस समय कतिपय वस्तुओं/आइटम की चुंगी दरों में समानता है? यदि हां, तो चुंगी दर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्री मथुरादास माथुर कमेटी ने अपनी सिफारिश फरवरी, 1992 में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है जो अभी वित्त विभाग के परीक्षणाधीन है। परीक्षाणोपरांत ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(2) जी, हां। चुंगी की दरों में राज्य में एकरूपता लाने हेतु मंत्री मण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

(3) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

प्रश्न संख्या–233

(स्थगित)

परसराम नगर जयपुर की अवरुद्ध सीवरेज लाइन

234. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परसराम नगर स्कीम नम्बर–5 ढेहर का बालाजी जयपुर के प्लाट नम्बर 1 से 3 एवं 71 के निवासियों को सीवरेज लाइन की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त प्लाट होल्डर्स से सीवरेज टैक्स वसूल कर रही हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सीवरेज लाइन में मिट्टी जमा हो जाने के कारण लाइन रुक गई हैं?

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

(4) क्या सरकार उक्त सीवरेज लाइन को साफ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त स्कीम में पुरानी लाइन की जगह नई बड़ी सीवरेज लाइन डालने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर रोड पर विद्याधर नगर की मुख्य सीवर लाइन से स्कीम नम्बर–5 परसराम नगर के प्लाट नम्बर 1 से 3 एवं 71 द्वारा निजी सीवर लाइन से कनेक्शन लिए हुए हैं। ये सीवर कनेक्शन जुलाई, 1995 से है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। मुख्य सीवर लाइन चालू है।

(4) जी, नहीं। निजी सीवर लाइन का दायित्व उपभोक्ता का है एवं मुख्य सीवर लाइन चालू है।

(5) परसराम नगर स्कीम नम्बर–5 ढेहर का बालाजी सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनी है जो नियमित नहीं है। नियमित योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा सहभागिता योजना में सीवर लाइन का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना में सीवर लाइन का कोई प्रस्ताव प्राधिकरण के विचाराधीन नहीं है।

हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर में सफाई व्यवस्था

235. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर (जवाहर नगर) में सफाई व्यवस्था का अभाव है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालोनी के हनुमान मन्दिर सैक्टर नम्बर 1 में बने पार्क की स्थिति अत्यन्त खराब है तथा कूड़ा कचरा पार्क में डाला जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार पार्क की सफाई व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कालोनी की सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कालोनी में सीवरेज व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने के कारण व नालियां टूटी फूटी होने के कारण गन्दा पानी कालोनी में एकत्रित हो जाता है, जिससे भयंकर रोग फैलने की आशंका बनी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की व्यवस्थाएं शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है। सफाई नगर परिषद द्वारा हाउसिंग बोर्ड व जवाहर नगर में उपलब्ध साधनों से करवाई जा रही है।

(2) इस कालोनी के हनुमान मन्दिर सैक्टर नम्बर 1 के पार्क में हाउसिंग बोर्ड

(स्वायत्त शासन मंत्री)

द्वारा केवल पार्क हेतु स्थान छोड़ा हुआ है, कोई चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया। नागरिकों द्वारा कभी-कभी कूड़ा–करकट डाल दिया जाता है। परिषद द्वारा समय-समय पर सफाई करवाई जाती रही है।

(3) इस कालोनी की सड़कें हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित की गयी थी, जो कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त भी हो गयी है। नगर परिषद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सड़कों को दुरुस्त कराएगी।

(4) हाउसिंग बोर्ड द्वारा इस कालोनी में सीवरेज का निर्माण किया गया था। सीवरेज लाइन यदि कभी रुक भी जाती है तो नगर परिषद के सफाई कर्मियों से सफाई करवाई जाती है। नगर परिषद द्वारा पम्प लगाकर गन्दा पानी निकाल दिया जाता है। महामारी फैलने जैसी कोई बात नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–236

(स्थगित)

रामनगर (जयपुर) के पार्क में विद्युत व्यवस्था

237. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपोल, जयपुर के रामनगर (शास्त्री नगर) पार्क संख्या–9 (खड्डेवाला पार्क) में विद्युत व्यवस्था हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी ? विद्युत व्यवस्था के मानचित्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पार्क में मानचित्र के अनुसार विद्युत व्यवस्था कर दी गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई और नहीं, तो क्यों व अब उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1996-97 में 70000/– रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। मानचित्र विवरण सहित सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(2) जी, हां। कार्य का माप व भुगतान की कार्यवाही जारी है। अनुमानित खर्चा 70,000/- रुपये होगा। पार्क में बिजली के खम्भे व तार खींचने का कार्य पूरा किया जा चुका है। लाइट लगाने का कार्य प्रगति पर है। लगभग इसी माह में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

(मानचित्र एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परसराम नगर (जयपुर) में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य

238. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी**(नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परसराम नगर स्कीम नम्बर 5 ढेहर का बालाजी जयपुर के प्लाट नम्बर 1 से 15 तक सर-

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

कार ने सड़क एवं नाली निर्माण कार्य नहीं करवाये है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त निर्माण कार्यों के अभाव में यहां के निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त स्कीम में सड़क/नाली निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। परसराम नगर स्कीम नं. 5 ढेहर का बालाजी के भूखण्ड स्वामियों द्वारा विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया है। जबकि सहकारी समितियों की स्वीकृत योजना में भूखण्ड स्वामियों द्वारा विकास शुल्क जमा कराने पर ही सड़क, नाली एवं अन्य विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। परसराम नगर स्कीम नं 5 ढेहर का बालाजी के भूखण्ड स्वामियों द्वारा विकास शुल्क जमा कराने पर सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य तुरन्त करवा दिया जायेगा।

परसराम नगर (जयपुर) का सीवर लाइन स्वीकृति प्रकरण

239. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जल-मल निकास समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सीकर रोड स्थित परसराम नगर स्कीम नं. 3, 5 एवं 5-ए के 40 प्रतिशत क्षेत्र को मौजूदा मैन सीवर लाइन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो स्कीम नं. 3 में कुछ विशेष व्यक्तियों के मकानों तक ही सीवरेज लाइन डालकर यह कार्य क्यों बन्द कर दिया गया तथा स्कीम नं. 5 एवं 5–ए के 40 प्रतिशत क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं डाली जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जल-मल विकास समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम क्षेत्र में सीकर रोड पर स्थित परसराम नगर स्कीम नम्बर 3, 5 एवं 5-ए के क्षेत्र में सीवर-लाइन डाले जाने की योजना हैं। स्कीम नम्बर 3, 5 एवं 5–ए में मौजूदा सीवर लाइन से ढलान विपरीत दिशा में होने से यह कार्य बन्द कर दिया गया है। सीकर रोड के दक्षिणी भाग हेतु मुख्य सीवर लाइन वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। मुख्य सीवर लाइन के निर्माण के पश्चात् ही तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम बिछोछ (बामनवास) को पेयजल योजना

240. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील बामनवास के ग्राम बिछोछ के ग्रामवासियों के पेयजल

(श्री हीरालाल)

की समस्या के स्थायी निराकरण करने के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां । तहसील बामनवास के ग्राम बिछोछ के ग्रामवासियों के पेयजल की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए एक क्षेत्रीय योजना चांदनहोली-बिछोछ (अनुमानित लागत 38.81 लाख) की स्वीकृति दिनांक 19.02.97 को की जा चुकी है । शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

ग्राम पचार (सीकर) की पेयजल योजना

241. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पचार, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वर्तमान पेयजल योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा सुचारू रूप से संचालित न कर पाने के कारण विभिन्न जन-प्रतिनिधियों, स्थानीय जनता एवं स्वयं ग्राम पंचायत ने भी विभाग को संभलाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? अब तक विभाग द्वारा इस योजना को अपने हाथ में न लेने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उक्त ग्राम में विभाग की ओर से एक ओवर हैड टैंक का निर्माण चल रहा है ? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य की कुल लागत कितनी है तथा अब तक इस पर कितना व्यय किया जा चुका है तथा शेष कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ? नई योजना पर स्वीकृत कुल राशि तथा अब तक किये गये व्यय का विवरण स्वीकृतियों सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट तथा पाइप लाइन बिछाने का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या मोहल्ला प्रहलादपुरा (खाटूश्यामजी मार्ग पर पटवारघर के पास स्थित) में व्याप्त पेयजल संकट एवं गांव के मुकाबले अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण नई पेयजल योजना में ओवरहैड टैंक से वहां सीधी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । चूंकि विभागीय नीति के अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का संधारण ग्राम पंचायत के द्वारा ही करने का निर्णय होने के कारण इस योजना को विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया । वर्तमान में योजना ग्राम पंचायत द्वारा सुचारू रूप से संधारित की जा रही है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी, हां। कार्य आदेश के अनुसार ओवर हैड टैंक के निर्माण की लागत 4.55 लाख रुपये है इस निर्माण कार्य पर 2/97 तक 4.33 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। माह अप्रेल के अन्त तक टंकी को टेस्ट कर टंकी से पेयजल वितरित कर दिया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना परिशिष्ट "क" पर है।

(4) जी, नहीं। उपरोक्त योजना स्वीकृत होने के पश्चात् कोई भी अन्य योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया है। स्वीकृत योजना अनुसार पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(5) स्वीकृत योजना के अनुसार ओवर हैड टैंक बनाया जाकर पूर्व में लगायी गयी वितरण प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। जिससे उल्लेखित क्षेत्र में भी पेयजल पूर्ण दबाव के साथ उपलब्ध हो सकेगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पहाड़ा (खैरवाड़ा) की जलप्रदाय योजना

242. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील खैरवाड़ा के गांव पहाड़ा में जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो यह कार्य किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया तथा इसे कब से प्रारम्भ किया गया और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है ? यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह योजना सम्बल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है। इस योजना का कार्य मार्च, 1995 में प्रारम्भ किया गया है। योजना में प्रस्तावित लगभग सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य शीघ्र चालू कर गर्मी के पूर्व ग्राम को इस योजना से पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

(2) जी, नहीं। वांछित योजना की बकाया राशि माह जनवरी, 1997 में प्राप्त हुई है। अतः विभाग की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ। योजना से पेयजल गर्मी के पूर्व उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

पंजाब से श्रीगंगानगर एवं जयपुर को दिये गये गेहूं की गुणवत्ता

243. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंजाब से श्रीगंगानगर व जयपुर के लिये कितना खराब गेहूं भेजा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो गेहूं पंजाब द्वारा भेजा गया उसकी गुणवत्ता

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

खराब थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जो खराब गेहूं भेजा गया था उसका नुकसान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा या पंजाब सरकार द्वारा ?

(4) खराब गेहूं भेजने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) पंजाब से भारतीय खाद्य निगम के श्रीगंगानगर जिले में 1053 बोरियों एवं जयपुर में 507 बोरियां (लगभग) खराब गेहूं की प्राप्त हुई हैं।

(2) जी, हां। पंजाब क्षेत्र से प्राप्त उक्त गेहूं की गुणवत्ता खराब थी। इनमें से 1184 बोरियों की जांच हो चुकी है तथा जांच रिपोर्टों की छाया प्रतिलिपि संलग्न है। शेष 376 बोरी गेहूं की जांच रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालय से अभी आनी शेष है। यह सभी जांच रिपोर्ट भारतीय खाद्य निगम पंजाब क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है।

(3) खराब गेहूं के नुकसान को वहन कर फैसला भारतीय खाद्य निगम पंजाब क्षेत्र चण्डीगढ़ द्वारा किया जायेगा।

(4) खराब गेहूं भेजने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र, चण्डीगढ़ द्वारा ही की जायेगी।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिचाई खण्ड कोटा के न्यायालय में लम्बित प्रकरण

244. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिंचाई खण्ड कोटा के वर्ष 1992–93 से 1996-97 की अवधि में कितने कोर्ट केस न्यायालय में विचाराधीन थे, उनमें से कितने केस का विभाग के विरुद्ध एक तरफा फैसला हुआ ? इनके क्या कारण रहे ? यदि विभागीय गलती के कारण एक तरफा फैसला हुआ तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

सिंचाई खंड, कोटा में वर्षवार न्यायालय में विचाराधीन कोर्ट केस की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	1992–93	12
वर्ष	1993–94	19
वर्ष	1994–95	21
वर्ष	1995–96	32
वर्ष	1996–97	50

उक्त विचाराधीन केसों में से केवल वर्ष 1994–95 में से एक केस का विभाग के विरुद्ध एक तरफा फैसला हुआ है।

(सिंचाई मंत्री)

विभागीय गलती का पता लगाने एवं दोषी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व निर्धारण के लिये जांच की जा रही है ।

भाखड़ा नहर परियोजना

245. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखड़ा नहर परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी तथा इससे वर्तमान में कुल कितनी भूमि सिंचित की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने तथा नहरों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में अब तक निर्णय नहीं लिये जाने के कारण रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भाखड़ा नहर परियोजना के निर्माण कार्यों पर मार्च, 1969 तक कुल 2193.00 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। जिसमें से राजस्थान में भाखड़ा नहर प्रणाली के निर्माण पर कुल 475.00 लाख तथा दूसरे प्रदेशों से साझे कार्य के हिस्से पर 1718 लाख रुपये खर्च किया गया था, इसके अलावा इस प्रणाली की नहरों के रखरखाव के कार्यों पर वर्ष 1996-97 में अब तक कुल 120.00 लाख राशि व्यय हो चुकी है ।

भाखड़ा प्रणाली से वर्तमान में कुल 9.06 लाख एकड़ रकबा में सिंचाई सुविधा प्रेषित है ।

(2) जी, हां । यह सही है कि भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने तथा नहरों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया था, यह निर्णय वर्ष 1977 में मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17.8.88 को हुई बैठक में लिया गया था ।

आधुनिकीकरण योजना के निर्णय की अनुपालना में वर्ष 1979 में भाखड़ा नहर प्रणाली की नहरों के आधुनिकीकरण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है, जो विचाराधीन है ।

ग्राम तालफरा एवं सूरोता से गुजरने वाली भरतपुर फीडर एवं माइनर

246. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर फीडर की तालफरा ग्राम में बनी माइनर कुछ ग्रामों के रास्तों पर होकर गुजरती है तथा उन रास्तों पर आने-जाने की जन सुविधा हेतु पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार यह कार्य कब तक पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या भरतपुर फीडर की ही लखनका माइनर को ग्राम सूरोता व लखन

(श्री हरिसिंह)

के मध्य जो रपट गयी है उसको पुनः खोद कर साफ करने की मांग की गई है तथा सरकार द्वारा इस कार्य को कराने का आश्वासन भी दिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य अब कब तक करा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इन रास्तों पर वर्तमान में आने जाने की जन-सुविधा हेतु तीन जगह आर.सी.सी. ह्यूम पाइप डाले हुये हैं जिसमें इन रास्तों पर आने जाने वालों को नहर पार करने की सुविधा उपलब्ध है यद्यपि इन स्थानों पर पुलियाएं बनाने से नहर पार करने में अधिक सुविधा होगी। इन सभी तीन पुलियाओं का निर्माण 30.6 97 से पूर्व करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। लखनका माइनर की जो रपट बह गयी है उसे वर्ष 1995 के बाद क्षतिग्रस्त कार्यों के तहत प्राप्त स्वीकृति के अनुसार आगामी वर्षा से पूर्व ठीक करवाया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के सिंचाई बांध

247. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना, (नागौर) में कुल कितने सिंचाई के बांध हैं ? उनकी भराव क्षमता कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र, डेगाना में कितने बांधों को ऊंचा उठाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 1997–98 के दौरान राजलोता बांध, भैरूंदा बांध प्रताप सागर बांध (हरसोर) आदि को ऊंचा उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डेगाना विधान सभा क्षेत्र में 18 बांध हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गयी है।

(2) गत तीन वर्षों में डेगाना विधान सभा क्षेत्र में किसी भी बांध को ऊंचा नहीं उठाया गया है।

(3) नहीं। क्योंकि पूर्व के बांध पानी की कुल आवक क्षमता के अनुसार ही बनाये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

ग्राम पंचायत अटरू के नाकेदार के विरुद्ध शिकायतें

248. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अटरू के सरपंच द्वारा निर्वाचन होने के उपरांत से अब तक ग्राम सभा की बैठकें नहीं बुलाई गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत अटरू के प्रशासक कार्यालय के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नाकेदार श्री रतनलाल मीणा को चुंगी राशि का गबन किये जाने के प्रकरण में सेवा से मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि के लिये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नाकेदार को बिना गबन की राशि जमा कराये ही पुनः सेवा में बहाल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अटरू में निर्वाचित सरपंच द्वारा गड़बड़ी एवं घोटाले किये जाने सम्बन्धी मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत अटरू द्वारा विभिन्न दिनांकों में ग्राम सभा की बैठकें बुलाई गयी हैं। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश दिनांक 11.4.94 को रुपये 28858/– चुंगी की राशि का गबन करने के प्रकरण में सेवा मुक्त किया गया था।

(3) जी, हां। सरपंच द्वारा गबन सम्बन्धी जानकारी नहीं होना बताया है।

(4) सरपंच, ग्राम पंचायत अटरू के विरुद्ध गड़बड़ी एवं घोटाले किये जाने की शिकायतें जनता एवं पंचों द्वारा वर्ष 1995 में की गयी हैं जिनकी जांच एस. डी. ओ. छबड़ा द्वारा कराई जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पंचायत समिति कठूमर (अलवर) के प्राथमिक विद्यालय

249. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति कठूमर (अलवर) के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या, कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर (अलवर) के कई प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या छात्र/छात्रा, अध्यापक/अध्यापिका के निर्धारित अनुपात से अधिक है ? यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालयों में आधिक्य सम्बन्धी सूचना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार समानीकरण योजना सम्बन्धी निर्देश के उल्लंघन के लिए सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति कठूमर, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, कठूमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अलवर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं।

(3) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर की पंचायतों में आबादी भूमि की दरों का निर्धारण

250. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ की पंचायत बालेसर सता, बालेसर दुर्गावता, बेलबा व आगोलाई में आबादी भूमि की प्रति वर्ग फुट क्या दरें निर्धारित की गई हैं ? दर निर्धारित किये जाने का आधार क्या है ?

(2) वर्ष 1993–94 में पंचायत बालेसर सता व आगोलाई में भूमि की प्रति फुट क्या दर थी और वर्ष 1994-95 व 1995-96 में दरें कितनी तय की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94, 1994–95 व 1995–96 में तहसील शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर की बालेसर सता, बालेसर दुर्गावता एवं बेलवा, आगोलाई में आबादी भूमि की दर प्रति वर्ग फुट निर्धारित की हुई है, विवरण संलग्न है। बालेसर सता, विकसित क्षेत्र है। जहां पर कोर्ट, उप तहसील, पंचायत समिति, खनिज विभाग आदि महत्वपूर्ण कार्यालय एवं बाजार मुख्य सड़क पर होने के कारण बाजार दर अधिक निर्धारित की हुई है। शेष ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण विकसित नहीं है। इसलिए कम दर निर्धारित हैं।

(2) तय की गयी दरों का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राज्य में गठित वित्त आयोग

251. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महामहिम राज्यपाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–4–1994 द्वारा प्रथम राज्य वित्त आयोग (1995-2000) का गठन किया गया ? यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम उनके द्वारा पंचायती राज संस्थानों की सभी स्तरीय वित्तीय संस्थाओं का पुनर्विलोकन किया गया जिसमें पंचायत वित्त का पुनर्निर्धारण किया गया ? उसकी सरकार ने कितने प्रतिशत क्रियान्विति की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई एवं 243 वाई के तहत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त वित्त आयोग की क्रियान्विति अब तक नहीं कर पाना भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायती राज हेतु किये गये संवैधानिक संशोधन के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित अनुबन्धों के अनुसरण में अपेक्षित नियमों का निर्धारण कर पंचायत राज व्यवस्था को पूरा जनोपयोगी बनाया गया है ? यदि हां, तो बनाए गये नियमों की प्रतियां तथा अन्य आज्ञाएं सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अभाव में

(8)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

विगत लगभग 02 वर्षों से पंचायती राज संस्थाएं निष्क्रिय, अनुपयोगी एवं जन आकांक्षाओं के विपरीत ही रही है, परिणामतः इन्हें पूर्ण तथा सामाजिक मान्यता ही नहीं मिल पाई है ? यदि हां, तो क्या विगत 2 वर्षों से ग्रामीण समाज के साथ और उसके विकास तथा अन्य प्रक्रियाओं में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर खिलवाड़ होकर ग्रामीण विकास अवरुद्ध हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भारत सरकार के निर्णय के पश्चात् भी आज तक जिला ग्रामीण अभिकरण की अध्यक्षता निर्वाचित जिला प्रमुख द्वारा नहीं की जा रही है ? क्या यह जन प्रतिनिधियों का अपमान व अवमानना नहीं है ? यदि हां, तो कब तक इसकी क्रियान्विति पूरी होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 23.4.94 के द्वारा प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग का गठन श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में हुआ। जिसके अन्य सदस्यों के नाम निम्नांकित हैं:–

1— श्री चन्दनमल बैद–सदस्य

2— श्री देवेन्द्रसिंह शक्तावत-सदस्य

3— श्री टी. श्रीनिवासन–सदस्य सचिव

वित्तीय वर्ष 1995–96 में 42.81 करोड़ का प्रावधान था जिसमें से 33.45 करोड़ का आबंटन किया गया। वित्तीय वर्ष 1996–97 में 50.48 करोड़ का प्रावधान है जिसमें से अब तक 14.76 करोड़ का आबंटन किया जा चुका है शेष का आबंटन किया जा रहा है।

(2) जी, हां। आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई एवं 243 वाई के तहत किया गया है। वित्त आयोग की अभिशंसाओं की क्रियान्विति निरन्तर की जा रही है।

(3) जी, हां। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत नवीन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बन चुके हैं जो दिसम्बर, 1996 से प्रभाव में आ गये हैं। नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर पूर्व में रखी जा चुकी हैं।

(4) जी, नहीं। पंचायती राज अधिनियम, 1994 दिनांक 23 अप्रेल, 1994 से प्रभाव में आये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत नवीन नियमों को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 124 (1) में ये प्रावधान किया गया है कि पूर्व में दिये गये किसी आदेश/अधिसूचना की वैधानिकता इसी प्रकार है जैसे कि उसे नये अधिनियम में जारी किया गया हो, अर्थात् अधिनियम के अन्तर्गत नवीन नियम नहीं बन जाते, पूर्व पंचायत सामान्य नियम 1961 तथा पंचायत समिति तथा जिला परिषद, 1959 के नियमों–उप नियम यथावत प्रभावशील रहेंगे। ग्रामीण विकास कार्यों में कोई अवरुद्धता आई हो ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। दिसम्बर, 1996 से राजस्थान राज पंचायती राज नियम, 1996 लागू कर दिये गये हैं।

(5) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुरा (मकराना) पर लगे आरोपों की जांच

252. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत नारायण पुरा के वर्तमान सरपंच पर लगे आरोपों की जांच की गयी है ? यदि हां, तो उन पर किस-किस प्रकार के क्या-क्या आरोप हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध शीघ्र ही आरोपित मामलों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत नारायणपुरा के सरपंच श्री नानूराम के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच अधिकारी से जांच कराई जा रही है।

(2) जिला कलक्टर, नागौर को जांच प्रतिवेदन एवं तथ्यात्मक टिप्पणी शीघ्र भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं। जांच में सरपंच के दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पंचायत समिति सोजत (पाली) में सामान्य सभा का आयोजन

253. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किसी पंचायत समिति की दो बैठकों के बीच अधिकतम अन्तराल नियमानुसार कितना हो सकता है ? क्या निर्धारित अन्तराल से अधिक समय तक बैठक न बुलाने वाले प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का नियमों में प्रावधान है ?

(2) पंचायत समिति सोजत (पाली) के गठन के पश्चात् से अब तक कुल कितनी बैठकें (सामान्य सभा की) हुई हैं ? तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सोजत के एक तिहाई से अधिक सदस्यों ने अनेक बार सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाने हेतु लिखित में ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार प्रधान पंचायत समिति सोजत को सामान्य सभा की बैठकें समय पर नही बुलाने का दोषी मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 46 के अन्तर्गत पंचायत समिति कारबार का संव्यवहार करने के लिए एक मास में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। यदि किसी प्रधान द्वारा पंचायत समिति की बैठकें निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की जाती है या अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य की अनुपालना की नहीं की जाती हैं तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत लिखित आदेश

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

द्वारा उस कर्तव्य के पालन की कालावधि नियत कर सकेगी। यदि इस पर भी प्रधान द्वारा कर्तव्य पालन में उपेक्षा की जाती है तो धारा 38 (1) (ख) के अन्तर्गत दोषी मानकर उसे हटा सकती है।

(2) पंचायत समिति सोजत (पाली) के गठन के पश्चात अब तक निम्न 10 सामान्य बैठकें आयोजित की गयी हैं :—

1. दिनांक 10.4.95
2. दिनांक 4.5.95
3. दिनांक 30.6.95
4. दिनांक 31.7.95
5. दिनांक 16.8.95
6. दिनांक 30.9.95
7. दिनांक 30.12.95
8. दिनांक 30.4.96
9. दिनांक 31.8.96
10. दिनांक 23.12.96

(3) वर्ष 1995–96 में पंचायत समिति सोजत के एक तिहाई से अधिक सदस्यों ने कभी भी सामान्य बैठक बुलाने हेतु ज्ञापन नहीं दिया है। किन्तु दिनांक 1.1.97 को एक तिहाई से अधिक सदस्यों ने एक बार बैठक बुलाने हेतु ज्ञापन दिया था जो सामान्य बैठक 23.12.96 के होने के बाद दिया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) पंचायत समिति सोजत के प्रधान द्वारा बैठकें समय पर ही बुलाई गयी हैं। अतः इस क्रम में प्रधान के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु प्रधान द्वारा 30.9.95 के बाद एक माह से अधिक कालान्तर के बाद बुलाई गई बैठकों के बारे में पंचायत समिति से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

ग्राम खारा (बीकानेर) में फर्जी आवासीय भूखण्डों का आबंटन

254. **श्री गुलकराज धिद** (रायसिहनगर) एवं **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है ग्राम खारा पंचायत समिति बीकानेर के नागरिकों ने जिला कलक्टर, बीकानेर से औद्योगिक क्षेत्र के निकट के आवासीय भूखण्डों के फर्जी रेकार्ड तैयार करके किये गये आबंटनों को रद्द करने तथा पंचायत का रेकार्ड जब्त कर उसकी जांच अतिरिक्त जिला स्तर के किसी अधिकारी से कराने की मांग की है? यदि हां, तो जिला कलक्टर ने क्या रेकार्ड पंचायत से अपने कब्जे में लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम वासियों ने बार-बार जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत किये कि सरपंच आवासीय भूखण्डों के फर्जी आबंटन की नई पत्रावली तैयार कराकर रेकार्ड को नियमानुसार करने का प्रयास कर रहा है? यदि हां, तो जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण में क्या कदम उठाये?

(3) क्या सरकार उक्त करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां । ग्राम पंचायत खारा पंचायत समिति, बीकानेर के आबादी में सरपंच द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं, उनका रेकार्ड सीज कर अपने कब्जे में ले लिया गया है ।

(2) जी, हां । ग्रामवासियों द्वारा आवेदन पत्र दिये हैं । जिला कलक्टर बीकानेर ने इस मामले में लेखाधिकारी जिला परिषद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है ।

(3) प्रशासनिक जांच के उपरान्त ही यह बिन्दु तय होगा ।

ग्राम सेवकों का पदोन्नति प्रकरण

255. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की विभिन्न पंचायत समितियों में स्वीकृत पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदों की पूर्ति ग्राम सेवकों को पदोन्नत कर की जाती है ? यदि हां, तो पदोन्नति की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशों/प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत के पात्र ग्राम सेवकों के विगत सात वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में कार्य सन्तोषजनक होने व उनके विरुद्ध किसी प्रकार की जांच विचाराधीन नहीं होने सम्बन्धी विकास अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर पदोन्नति दी जाती है । यदि हां, तो जोधपुर जिले के कौन-कौन से ग्राम सेवकों को केवल ऐसे प्रमाण-पत्रों के आधार पर पदोन्नति दी गयी ? सूची मय ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्राम सेवकों को भी पदोन्नति दी गई, जिनके विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार सम्बन्धी गम्भीर जांचें विचाराधीन होते हुए भी सम्बन्धित विकास अधिकारी ने कार्य सन्तोषजनक होने व किसी प्रकार की जांच विचाराधीन न होने का प्रमाण-पत्र जारी कर देने से उनकी पदोन्नति कर दी गयी ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम सेवकों की व किन-किन विकास अधिकारियों द्वारा ऐसे झूठे प्रमाण-पत्र जारी कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 197 का अपराध किया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या ऐसे विकास अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । पदोन्नति की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(2) जी, हां । जोधपुर जिले के निम्न सात ग्राम सेवकों को ऐसे प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिनांक 5.1.97 को पदोन्नति दी गई है । इन ग्राम सेवकों के सम्बन्ध में विकास अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों

(६)

(राज्य मंत्री ग्रामीण वि. एवं पंचायती रा.)

की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

सूची—नाम ग्राम सेवक

क्र. सं.	नाम
1.	श्री नन्द किशोर
2.	श्री भंवर लाल
3.	श्री लक्ष्मी नारायण
4.	श्री माधोसिंह
5.	श्री रामपाल
6.	श्री किशोर सिंह
7.	श्री छोटू सिंह

(3) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया हैं।

(4) इसका जवाब बिन्दु संख्या तीन में दिया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति

256. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों का पंचायतों का भुगतान लम्बे समय से नहीं हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी राशि किस–किस की भुगतान होनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पक्के कार्य एक ही प्रकृति के एवं स्वीकृतियों के अलग-अलग मानदण्ड के कारण समायोजन तथा भुगतान में भेदभाव से अनेक पंचायतें प्रभावित होकर नीचे के स्तर पर गलत तरीकों के कारण प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो जिले तथा पक्के कार्यों के अनुपात में असमानता को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि अग्रिम राशि की स्वीकृति पंचायत समितियों द्वारा देने में काफी भेदभाव तथा अलग-अलग मानदण्ड अपनाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार लुहारीकलां पंचायत के नाम एवं जिला प्रशासन द्वारा कराये नाप में तीन गुना ज्यादा कार्य को आधार मानकर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जो राहत कार्यों में हेराफेरी नाप गुणवत्ता में अलग-अलग मानदण्ड को गम्भीरता से लेकर उक्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अकाल राहत कार्यों में पंचायत समिति के अनुचित हस्तक्षेप व भेदभाव की विस्तृत जांच कराकर दोषी पंचायत समिति प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। भीलवाड़ा जिले की केवल उन्हीं पंचायतों की सामग्री राशि का भुगतान बकाया है जिन्होंने अग्रिम राशि

(राज्य मंत्री अकाल राहत)

का समायोजन नहीं कराया है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी, नहीं। पक्के कार्यों की प्रकृति के अनुसार आपेक्षित मापदण्डों के अनुरूप स्वीकृत किये गये तथा भुगतान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता। जिले में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से स्वीकृत कार्यों में कोई असमानता नहीं रखी गयी।

(3) आवश्यकतानुसार स्वीकृत कार्यों के अनुरूप ही अग्रिम राशि पंचायतों को दी गयी तथा कोई भेदभाव नहीं अपनाया गया।

(4) लुहारीकलां पंचायत के अकाल राहत कार्य का नाप कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर कराये गये निर्माण कार्य के अनुसार भुगतान किया गया। सहायक अभियन्ता, डी. आर. डी. ए द्वारा जांच व नपती करने पर भी, श्रम के मेजरमेन्ट में कोई अन्तर नहीं पाया गया। सामग्री के सम्बन्ध में सहायता विभाग के निरीक्षण दल से पंचायत समिति जहाजपुर के कार्यों की जांच कराई जा रही हैं।

(5) पंचायत समिति के अनुचित हस्तक्षेप भेदभाव के सम्बन्ध में सहायता विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

प्रश्न संख्या–257

(स्थगित)

प्रश्न संख्या–258

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

259. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1996–97 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किस-किस ग्राम के किन-किन व्यक्तियों को अग्नि से जन/धन पशु हानि हुई ? उनमें से कितने लोगों को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? सहायता प्राप्त एवं सहायता अप्राप्त व्यक्तियों के नाम पते मय देय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1996–97 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 141 व्यक्तियों के अग्निकाण्ड हुआ हैं। इनमें से 57 व्यक्तियों को सहायता विभाग के नियमों के तहत एवं 20 व्यक्तियों को झोंपड़ी बीमा योजना के तहत सहायता स्वीकृत की गयी है। विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जिन व्यक्तियों को सहायता नहीं दी गई, उनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। 15 अग्निकाण्ड प्रकरण तहसील बस्सी एवं दावा जांच अधिकारी (उप खण्ड-अधिकारी, जयपुर पूर्व एवं दक्षिण) के यहां विचाराधीन है। जिनका विवरण परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में अकाल के दौरान पशुओं के घास हेतु अनुदान

260. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल में उदयपुर जिले में पशुओं हेतु घास की व्यवस्था के लिए संस्थाओं को अधिकृत किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को ? संचालकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ स्थानों पर बिना घास पहुंचे ही प्रमाणित करके अनुदान की राशि उठा ली गयी ? यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी राशि उठायी गयी ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों द्वारा अनियमितताएं की गयी हैं, सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट "क")

(2) यह सही है कि दलित सेवा संस्थान द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होते ही जांच शुरू कर दी व 21.50 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया, जिसमें पुलिस में एफ. आई. आर दर्ज करा दी गयी है । व पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षकों को निलम्बित कर जांच कार्यवाही की जा रही है एवं तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही हेतु राजस्व मण्डल को लिखा जा चुका है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भी एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए कलक्टर को निर्देश दे दिये हैं ।

(3) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

परिवहन निगम द्वारा नई बसों का क्रय

261. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1992–93 से चालू वित्त वर्ष के दौरान वर्षवार कितनी नई बसें किस-किस श्रेणी की क्रय की गयी ?

(2) उपरोक्त अवधि में वर्षवार प्रत्येक बस पर निगम के कितने कर्मचारी निर्भर करते हैं ?

(3) उपरोक्त अवधि में वर्षवार निगम में कुल कितनी कीमत के स्पेयर पार्ट्स, डीजल आदि की चोरी हुई ?

(4) पृथक्-पृथक् डिपो की पृथक्-पृथक् जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) परिवहन निगम दारा वर्ष 1992-93 से चालू वित्त वर्ष 1996–97 (माह दिसम्बर, 1996 तक) निगम वाहन बेड़े

(राज्य मंत्री, यातायात)

में निम्न श्रेणी की नई बसें क्रय की गयी :—

वर्ष	साधारण वाहन	सुविधा वाहन	वातानु-कूलित वाहन	योग
1992-93	618	—	2	620
1993-94	951	50	3	1004
1994-95	706	8	5	719
1995-96	437	35	—	472
1996-97	155	28	4	187
(दिसम्बर, 96 तक)				
योग :	2867	121	14	3002

(2) उक्त अवधि में वर्षवार संधारित औसत बस की संख्या पर प्रति बस निगम के कर्मचारी निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	स्टाफ अनुपात प्रति बस
1992–93	6.67
1993–94	6.29
1994–95	5.75
1995–96	5.37
1996–97	5.30
(माह दिसम्बर, 1996 तक)	

(3) उक्त अवधि में निगम में हुई स्पेयर पार्टस/डीजल की निम्न राशि की चोरी हुई है :—

वर्ष	चोरी की राशि
1992-93	18,335.00 रु.
1993-94	1,04,980.00 रु.
1994-95	19,268.00 रु.
1995-96	78,000.00 रु.
1996-97	1,74,010.00 रु.
(नवम्बर, 1996 तक)	

(4) वर्ष 1992-93 से चालू वित्तीय वर्ष में हुई चोरी का आगार वार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

जिला परिवहन अधिकारी झुन्झुनूं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

262. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं के वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ गाड़ियों के ड्राइवरों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट तथा रिश्वत लेने की शिकायतें हैं ? क्या शिकायतों की जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य सामने आये ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी संदर्भ में दिनांक 4 जनवरी, 1997 को उक्त अधिकारी, उसके ड्राइवर तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा ड्राइवरों को पीटने, आदि की घटनाएं हुई और उसमें उक्त

(श्री शिवनाथ सिंह)

कर्मियों तथा अन्य लोगों की पिटाई भी हुई ?

उत्तर

(1 व 2) वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी के विरुद्ध इस आशय की एक शिकायत दिनांक 16-1-97 को विभाग में प्राप्त हुई हैं। दिनांक 4-1-97 को जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू के चैकिंग दल द्वारा अवैध रूप से संचालित जीपों की चैकिंग के समय उक्त वाहनों के संचालकों ने चैकिंग दल पर हमला कर विभाग की जीप के चालक श्री घनश्याम को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इस आपराधिक घटना की प्राथमिकी संख्या 2/97 कोतवाली झुन्झुनू में दर्ज करा दी गयी है।

ग्राम अमरसर (जयपुर) में आरक्षण व्यवस्था

263. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम अमरसर (जयपुर) में निगम की बसों की टिकट आरक्षण व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कहां ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम की बसें ग्राम अमरसर में बुकिंग स्थान पर नहीं पहुंचती हैं एवं यात्रीगण आवागमन की सुविधा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर आगार डिपो प्रबन्धक द्वारा बसों की बुकिंग स्थान (ग्राम के अन्दर) आने-जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। तथापि ग्राम अमरसर में यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए बुकिंग एजेन्ट लगाया हुआ है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। निर्देशों के अनुसरण में वर्तमान में 10 वाहन सेवाएं (5 जाने में एवं 5 आने में) अमरसर होकर संचालित की जा रही हैं।

हाड़ौती सम्भाग का नाव फिटनेस प्रकरण

264. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाड़ौती सम्भाग में सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में नाव चलाने हेतु कुल कितने फिटनेस प्रमाण-पत्र किस स्थान पर जारी किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जीवन रक्षा जेकेट के अभाव में अनेक स्थान जहां पूर्व में नावों का संचालन होता था, वहां इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह नावों का संचालन बन्द रहा तथा विभाग द्वारा कोई भी फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि नावों के संचालन नहीं होने से सम्बन्धित क्षेत्र की

(श्री भरत सिंह)

जनता को व्यापक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा मजबूर होकर बिना परमिट के संचालित नावों का सहारा लेना पड़ता है तथा इसी कारण धानाहेड़ा के यहां वर्षा ऋतु में हुई दुर्घटना में दो जनों की जान गयी थी ?

(4) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) जीवन रक्षा जेकेट का नावों में रखना अनिवार्य करने से पूर्व गत 10 वर्षों में क्या वर्षा ऋतु में हाड़ौती सम्भाग में नौका दुर्घटना में कहीं मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो कहां तथा कब व इसमें कितने व्यक्ति मरे थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1 व 2) हाड़ौती सम्भाग में वर्ष 1996–97 में एक फिटनेस (उपयुक्ता) प्रमाण-पत्र दिनांक 19.9.96 से 10.3.97 तक की अवधि के लिये जारी किया गया ।

(3) जन सुरक्षा की दृष्टि से अवैध नावों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है । धानाहेड़ा में दुर्घटनाग्रस्त हुई नाव अवैध रूप से संचालित थी, क्योंकि उक्त नाव में सुरक्षा उपस्कर एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं था ।

(4) राज्य सरकार ने नौ-चालन में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान नौ-चालन विनियमन नियम, 1957 में संशोधन किया है ।

(5) जीवन रक्षा जेकेट का नावों में रखना अनिवार्य करने से पूर्व गत 10 वर्षों में हाड़ौती सम्भाग में वर्षा ऋतु में हुई नाव दुर्घटनाओं की सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

राज्य में फर्जी कागजात से संचालित वाहन

265. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फर्जी कागजात तैयार कर राज्य में वाहन संचालित करने का मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कब और इसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये तथा कितने वाहनों के जरिये कितनी राशि की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मामले में यातायात विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ?

(3) सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस-किस वाहन के फर्जी कागज बनाये और वो वाहन कहां-कहां पर संचालित किये जा रहे हैं और उनके मालिक कौन-कौन बने हुये थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि चोरी करने का यह मामला काफी समय से चला आ रहा है ? यदि हां, तो कब से और अब

(श्री हरजीराम बुरडक)

तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या कार्यवाही की जानी हैं, जो कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 में औपचारिक रूप से विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया हैं तथापि स्थानीय समाचार-पत्र में इस आशय का एक समाचार दिनांक 19.2.97 को प्रकाशित हुआ था।

(2) प्रकाशित समाचार के आधार पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही हैं।

(3–4) जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही यह कहना सम्भव हो सकेगा कि परिवहन विभाग के कौन से कार्मिक, यदि कोई हो, कथित फर्जी पंजीयन के लिए जिम्मेदार हैं और तभी वाहनों के स्वामित्व और फर्जी पंजीयन के तौर-तरीकों के विषय में पूर्ण तथ्य दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 जनवरी, 1997)

अकाल सहायता कार्य स्वीकृति के मापदण्ड

80. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जहाजपुर व कोटड़ी पंचायत समिति में पंचायत समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव किन-किन बैठकों में पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तावित किये गये ? पंचायत समितियों की बैठकों के प्रस्तावों की कार्यवाही विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कहां-कहां से किस प्रकार से आने पर स्वीकृति के मापदण्ड निर्धारित किये गये ? यदि हां, तो क्या-क्या प्रस्ताव इन पंचायत समितियों के स्वीकृत किये गये ? प्रत्येक स्वीकृत कार्य के विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु सामग्री एवं श्रम के अनुपात के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या दोनों पंचायत समितियों तथा अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति में स्वीकृत कार्य उस दिशा निर्देश तथा श्रम सामग्री के अनुपात में कार्यवाही वही स्थिति समानता से रही थी ? यदि हां, तो हर कार्यों की जहाजपुर, कोटड़ी, भिनाय के अनुपात के विवरण सहित राशि की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही हैं कि कार्यों की सामग्री श्रम के अनुपात में भारी असमानता तथा भेदभाव अलग-अलग मापदंड बनाकर करने से कार्यों की गुणवत्ता तथा अधूरे रहने की स्थिति बनी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी विस्तृत जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96, 1996-97 में जहाजपुर, कोटड़ी पंचायत समिति के कार्य

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत किये थे। रोजगार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर कार्य स्वीकृत करने हेतु सक्षम है।

(2) संवत 2052 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध में जिला कलक्टरों को दिशा निर्देश दिनांक 19.1.96 को जारी किये गये थे। जिसके अनुसार जिला कलक्टरों को अकाल राहत कार्य कराने हेतु अधिकृत किया गया। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा राहत कार्य स्वीकृत हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित एजेंसी द्वारा भिजवाये जाने पर स्वीकृत किये गये हैं। जिनका अनुमोदन समय-समय पर परामर्श दात्री समिति से भी कराया गया है। पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में कराये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-अ,ब)

(3) जी, हां। राहत कार्यों में श्रम एवं सामग्री व्यय का अनुपात 60.40 एजेंसी वाइज निर्धारित किया गया। जिला भीलवाड़ा में कार्यों की प्रकृति यथा-कच्चा पक्का समयावधि, श्रम सीमा आदि के कारण श्रम सामग्री अनुपात के भिन्नता रही है। अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति का सामग्री व श्रम के अनुपात 35:65 रहा। हर कार्य के सामने अनुपात अंकित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-अ, ब, स)

(4) जी नहीं। कार्य स्वीकृत करने में भेदभाव व असमानता नहीं रखी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या-82

(स्थगित)

अनुपस्थिति--अनुमति

श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 07 मार्च, 1997 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत् अनुमति।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री खेत सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा ने हृदय रोग का उपचार बम्बई में करवाने के कारण दिनांक 07 मार्च, 1997 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुनति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उनके स्वास्थ्य लाभ के लिये शुभकामनाएं।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री भीमराज भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस विभाग में व्याप्त कथित अक्षमता के कारण प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को कल दिनांक 11 मार्च, 1997 को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सदन में विचार के समय प्रस्ताव की विषय वस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में गत वर्ष आयी बाढ़ से डूबी दो लड़कियों के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले के पंचायत मुख्यालय डोकून से गुढासदावर्तिया तथा देई से गुढादेवजी के मध्य सम्पर्क सड़क निर्मित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़, सज्जनगढ़ एवं घाटोल तहसीलों में संविदा पर नियुक्त अध्यापकों को राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन एवं अन्य परिलाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अन्तर्गत आने वाले जी.एस.एस. पर पावर ट्रांसफार्मर लगवा कर बिजली की आपूर्ति नियमित करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी क्षेत्र स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन की स्थिति जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित), श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बांसवाड़ा जिले में संविदा पर नियुक्त अध्यापकों को नियमानुसार वेतन एवं अन्य परिलाभ

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सचिव, जिला कर्मचारी वर्ग समिति, बांसवाड़ा के पत्र संख्या-2900 दिनांक 29.5.83 द्वारा पंचायत समिति, कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ (जिला–बांसवाड़ा) में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं होने से विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी थी। संविदा पर नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को 400/– रुपये प्रति माह दिये जाने के आदेश प्रसारित हुए थे। ये शिक्षक विगत 12 वर्षों से बांसवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

में कार्यरत हैं। इन्हें अलग-अलग पंचायत समितियों में भिन्न-भिन्न वेतन दिया जा रहा है। बांसवाड़ा के शिक्षक संगठन ने भी समान कार्य का समान वेतन को आधार मानकर निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर को ज्ञापन/पत्र भेजे। निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इन ज्ञापनों पर विचार कर 18.4.89 को आदेश जारी कर ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक की वेतन शृंखला में न्यूनतम वेतन एवं उस पर देय अन्य समस्त भत्ते दिये जाने के आदेश समस्त जिला परिषदों को दिये। राज्य की अनेक पंचायतों ने इस आदेश की पालना की, परन्तु बांसवाड़ा की घाटोल, कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पंचायत समिति के अधिकारियों ने इस आदेश की पालना अभी तक नहीं की है।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अनेक याचिकाएं इन अप्रशिक्षित अध्यापकों की ओर से दायर की गयी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने "समान काम समान वेतन" को आधार मानकर न्यूनतम वेतन एवं समस्त परिलाभ देने के निर्देश विकास विभाग को दिये। इस पर निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज ने आदेश संख्या-एफ-139 (1450) शिक्षा/ग्राविप/शिक्षा/1466, जयपुर, दिनांक 23-2-91 द्वारा स्वीकार किया कि अभी भी कुछ पंचायत समितियों ने उनके एवं उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है तथा स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं। इस पर विभाग ने 23-2-91 को ऐसी सभी पंचायत समितियों को आदेश जारी कर 16-5-88 से तृतीय वेतन शृंखला का न्यूनतम वेतन एवं समस्त परिलाभ देने के पुनः निर्देश जारी किये। इस पर सचिव, जिला परिषद, बांसवाड़ा ने अपने पत्रांक-दिनांक 16-11-91 से समस्त अधिकारियों को इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने हेतु पाबन्द किया परन्तु इस आदेश का भी कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पंचायत समितियों पर कोई असर नहीं हुआ है।

घाटोल पंचायत समिति ने तो आदेश जारी कर सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को न्यूनतम वेतन एवं समस्त लाभ देने के आदेश दिये परन्तु लेखा निरीक्षक, ऑडिट की रिपोर्ट की आड़ में यह लाभ बन्द कर दिया। और तो और ऐसे प्रत्येक अध्यापक से 5200/- रुपये की वसूली के आदेश जारी कर दिये एवं ऑडिट के समय यह पैरा बनाया कि- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से एवं गजट में प्रकाशित नहीं है अतः वसूली योग्य है। बांसवाड़ा जिले की ये अध्यापिकाएं जिला परिषद सेवा चयन आयोग, राजस्थान जयपुर से चयनित हैं, अतः यह आदेश इन पर लागू नहीं होता है।

निदेशक, विकास विभाग के आदेश से अस्थायी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को तो ये लाभ दिये जा रहे हैं परन्तु स्थायी और विभाग के जिला परिषद सेवा चयन आयोग, जयपुर के द्वारा चयनित अध्यापकों पर यह आदेश लागू नहीं होता है।

इसके पश्चात् निदेशक, पंचायती राज ने एक आदेश जारी कर दिनांक 22-2-95 से सभी आदेशों को निरस्त कर दिया एवं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पुनः स्पष्ट निर्देश जारी किये कि– "अप्रशिक्षित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से तृतीय वेतन श्रृंखला 1200–2050 में 1200/– न्यूनतम वेतन एवं भत्ते देय होंगे। उक्त अध्यापक जब तक प्रशिक्षित तथा चयनित नहीं हो जाते, ये वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं हैं। सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को माननीय न्यायालय के आदेश से ग्रीष्मावकाश का वेतन भी देने के आदेश हुए। ये सभी आदेश वित्त विभाग के आई.डी. नं.–114/वित्त/11/94 दिनांक 30-12-94 की सहमति पर जारी किया गया।

दो वर्ष व्यतीत हो गए हैं परन्तु राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के आदेश की पालना कुशलगढ़, घाटोल एवं सज्जनगढ़ पंचायत समितियों द्वारा नहीं की जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उप सचिव, राज्य विधिक सहायता एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, विधिक सहायता समिति ने अपने आदेश दिनांक 24-7-96 के पत्र के अन्त में लिखा है कि "यदि अब भी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गयी तो सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से लाभ दिलवाये जाने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन किया जायेगा।" यह टिप्पणी भी अंकित कर दी है।

अतः माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकृष्ट कर जल्दी से जल्दी इन अप्रशिक्षित संविदा अध्यापकों को समस्त लाभ दिलवाये जाने का अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल (अनुपस्थित)। श्री राधेश्याम गंगानगर (अनुपस्थित)। श्री शान्तिलाल खोईवाल।

सड़क किनारे डाली गई मार्बल स्लरी से प्रदूषण व अन्य समस्याएं

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, जिनके पास उद्योग विभाग का चार्ज भी है, का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि मार्बल स्लरी को सड़कों के किनारे डालकर वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, यह एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा।

सात तारीख को जब मैं चित्तौड़ से घोसुण्डा, घनेत कलां होते हुए सड़क से गुजर रहा था तो सड़क के दोनों किनारों पर धड़ल्ले से स्लरी के ट्रेक्टर चालित टैंकर खाली हो रहे थे और उससे सड़क के दोनों किनारे पूरे के पूरे सफेद हो रहे थे। गर्मी में जब आंधी तूफान चलेंगे उस समय वहां की हालत खराब हो जाएगी। मैंने तत्काल आठ बजे जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को टेलीफोन किया तो मुझे जानकारी दी गयी कि वे अभी सो रहे हैं। 9.30 बजे टेलीफोन किया तो कहा गया कि वे बाथ–रूम में हैं। 12 बजे टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी संवेदनहीनता के साथ इस

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इश्यू को लिया, जबकि इश्यू बहुत महत्व-पूर्ण है।

कल जब मैं वापस गांव से चित्तौड़ रेल्वे स्टेशन पर आ रहा था तब भी वहां पर इस तरह के ट्रैक्टर खाली हो रहे थे। इससे स्पष्ट है कि अधिकारीगण कितने संवेदनशील हैं।

उप मुख्य मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप जिला कलक्टर को जिम्मेदार बनाइए और उन्हें कहिए कि वे इस तरह की प्रक्रिया में ध्यान न देकर जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उस ओर ध्यान दें। जिला कलक्टर की इन्कपिटेन्सी, मैं "इन्कपिटेन्सी" वर्ड का जान-बूझकर प्रयोग कर रहा हूं, के कारण यह हो रहा है। दूसरी तरफ आपका विभाग इस तरह का आदेश निकाल रहा है कि सड़क के किनारे 500 मीटर की दूरी तक कोई भी जमीन उद्योग के लिए कन्वर्ट न करें। इसके लिए व्यवसायी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप अधिकारियों को व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराकर मार्बल स्लरी को सड़कों के किनारे डलवाना बन्द करवाइये। मैं आपसे इस बारे में आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह से मार्बल स्लरी सड़क के किनारे पर नहीं डाली जाएंगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शांतिलाल जी खोईवाल ने जो समस्या रखी है, वह वास्तव में बहुत गम्भीर है। इसके लिए अभी हमने दो-तीन तरह से प्रयास किए हैं। एक तो, जैसा उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग ने अपनी ओर से एक सर्कुलर निकालकर किसी भी सड़क के 500 मीटर के अन्दर उद्योग लगाने की इजाजत देना या उस जमीन को कन्वर्ट करने के इंस्ट्रक्शंस भविष्य के लिए जारी किए हैं। इसके अलावा पर्यावरण विभाग ने भी इस सम्बन्ध में नोटिसेज जारी किए हैं। उसके बावजूद भी वर्तमान में जो उद्योग लगे हुए हैं, उन्होंने जो स्लरी डला रखी हैं उससे निश्चित रूप से एक्सीडेंट होते हैं, गर्मियों में उड़कर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालती है तथा बरसात में जमने के बाद वह जमीन इतनी रपटीली हो जाती है कि उससे एक्सीडेंट होने की बहुत सम्भावना है। इसलिए इस सम्बन्ध में हम तत्काल जिला कलक्टर्स को यह आदेश जारी करेंगे कि वर्तमान में जो स्लरी डालने वाले हैं, उस स्लरीज की सफाई उनके माध्यम से कराई जाए और वहां भविष्य में वे डालें नहीं, इसकी व्यवस्था हम कराएंगे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन था कि सड़क की 500 मीटर की दूरी में स्लरी डालने से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए, इस पर सवाल नहीं होते।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, थोड़ा नियमों का ध्यान रखें। आपको समय दे दिया, अब आप बिराजें।

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, वित्त विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 9 (34) वित्त/कर-अनु/88-1 दिनांक 24 जनवरी, 1997, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 द्वारा राजस्थान के लिए यथानुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 की उप धारा (9) का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने सहायक महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, अजमेर को उसके पदाभिधान से अजमेर के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कलक्टर नियुक्त किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (4) एफ. डी./टैक्स/डिवि/94-पी टी दिनांक 27 जनवरी, 1997, जिसके द्वारा राजस्थान कराधान अधिकरण नियम, 1995 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(3) अधिसूचना संख्या प. 2 (12) वित्त/कर-अनु/93 दिनांक 26 फरवरी, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किए गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की नौ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

उपनिवेशन विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (27)रेव/कोल/84 दिनांक 28 जनवरी, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 (क) की उप धारा (1) के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा अनियमित हस्तान्तरणों को नियमित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 30 जून, 1997 तक बढ़ाई गयी है;

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (14) कोल/91 दिनांक 18 फरवरी, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमियों का आबंटन और विक्रय) नियम, 1972 को और संशोधित किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (6) उप 96 दिनांक 18 फरवरी, 1997 जिसके

(श्री गंगाराम चौधरी)

द्वारा अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ तथा उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ को आवंटन के अधिकार दिए गये हैं;

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (2) उप/92 दिनांक 19 फरवरी, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(5) अधिसूचना संख्या प 4 (27) राज/उप/84/पार्ट दिनांक 22 फरवरी, 1997 जिसके द्वारा उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 क (1–क) के अधीन गैर खातेदारों द्वारा किए गए अवैध हस्तान्तरणों को नियमित करने हेतु आवेदन-पत्र पेश करने की तिथि आगामी दिनांक 31.12.97 तक बढ़ाई गयी है;

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (8)कोल/96 दिनांक 26 फरवरी, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्रों की मण्डियों में भूमि का विक्रय तथा आबंटन शर्तें, 1973 में संशोधन किए गये हैं; एवं

(7) अधिसूचना संख्या प. 3 (9)उप/68-पार्ट दिनांक 1 मार्च, 1997, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 3 (9) उप/68 दिनांक 6.5.1971 में संशोधन किया गया है।

राजस्व विभाग

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (19)राज-6/92/3 दिनांक 27 जनवरी, 1997 एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 6 (19) राज-6/92/4 दिनांक 31 जनवरी, 1997 जिनके द्वारा राजस्व भू-राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किए गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या प. 6 (125) परि/कर/मु./कर/मु.93-II दिनांक 6 फरवरी, 1997, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित मंजिली वाहनों को विशेष पथकर में छूट दी गयी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन। श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

1956 की धारा 619ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। सरकारी मुख्य सचेतक, श्री महावीर प्रसाद जैन, कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि–"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 6 मार्च, 1997 के मध्यान्ह पश्चात् 12.45 बजे हुई। समिति दिनांक 10 मार्च, 1997 एवं 11 मार्च, 1997 को सदन में लिए जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1997

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार एवं पारण।

(2) राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार।

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 1997

(1) राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 पर विचार एवं पारण,

(2) राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री नरपत सिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1996–97 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 का तृतीय प्रतिवेदन

श्री नरपत सिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "क" 1996–97 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी एवं श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाय।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, यह अमेंडमेंट आया है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा निवेदन यह है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि पहले प्रस्ताव आ जाए।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधि-

(श्री गंगाराम चौधरी)

रोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोलिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि अमेंडमेंट जो आया है वह तो स्वागत योग्य है, परन्तु यह अधूरा है। वह जमीन जो कि गौशालाओं को दी गयी है, संस्थाओं को दी गयी है, शिक्षण संस्थाओं को दी गयी है, न्यासों को दी गयी है, वह तो इनकी नजर में, राजस्व विभाग की नजर में आ गया परन्तु हजारों बीघा जमीन इण्डस्ट्रियलिस्ट को भी दी गयी है। उनको केवल मात्र एक बीघा जमीन की आवश्यकता है, उन्होंने 20 बीघा ले ली और कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि जब वह उद्योग बन्द होता है चाहकर के उस उद्योग को बन्द करवाते हैं, उस उद्योग को बन्द कराने के बाद में, वह उद्योग शिफ्ट हो जाता है और फिर वह जमीन लाखों-करोड़ों रुपये में बेच दी जाती है। तो इसमें उद्योगों पर सबसे पहले यह चीज लानी चाहिए थी कि जिन उद्योगों को भूमि की आवश्यकता नहीं है, 20 बीघा जमीन 20 साल पहले उन्होंने ले ली और 20 साल के अन्दर एक बीघा जमीन से ज्यादा उपयोग नहीं कर सके और 19 बीघा को किसी न किसी अन्य काम में ले रहे हैं, लेने की इच्छा रखते हैं, भविष्य में लेंगे और उसके द्वारा करोड़ों रुपये कमायेंगे तो उस भूमि को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि मैंने अमेंडमेंट पहले प्रस्तुत नहीं किया परन्तु राजस्व मंत्री जी से आकांक्षा करूंगा कि इसी प्रकार का दूसरा विधेयक वह लायें।

मैं इस सिलसिले के अन्दर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जब जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा किये बैठे हुए हैं, वह रेगुलराइज हो जाती है क्योंकि उन पर इस तरह से एडवर्स पजेशन का मामला लग जाता है। जब 10 साल, 15 साल से पजेशन है तो स्थिति यह आएगी कि यह जो लोग हैं, इन लोगों के पास भी वही जमीन 10 वर्ष से, 20 वर्ष से 25 वर्ष से है, आप केवल मात्र इस कानून के द्वारा उनको डिस्पजेज कर देंगे। मैं समझता हूं, इस मामले के अन्दर लोग कोर्ट में जाएंगे बड़ी-बड़ी कोर्टों के अन्दर जाएंगे और केवल मात्र इस अमेंडमेंट से आपका काम नहीं चलेगा। यह ठीक तरीके से वर्डेड नहीं है, इसको ठीक तरीके से वर्डेड करके पिछले प्रभाव से और उस एडवर्ड पजेशन के मामले को भी यदि नहीं देखा जाएगा तो यह अमेंडमेंट कारगर नहीं होगा।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह सीलिंग कानून से सम्बन्धित नहीं है। उद्योगों के लिए जो जमीन दी जाती है, वह औद्योगिक प्रयोजनार्थ दी जाती है, कृषि प्रयोजनार्थ नहीं दी जाती। सीलिंग कानून केवल मात्र कृषि प्रयोजनार्थ ली जाने वाली भूमि पर ही लागू होता है। उद्योग के लिए जो भूमि दी जाती है और वह अगर उद्योग के काम में नहीं लेता है तो सरकार को अधिकार है उसे वापस लेने का भी और अगर उसने कृषि भूमि खरीद कर के उद्योग लगाया है तो वापस लौटाने का भी। वापस प्राप्त करने का भी उस उद्योगपति से अधिकार

(श्री गंगाराम चौधरी)

है। वह उससे सम्बन्धित नहीं है इसलिए वह प्रावधान इस कानून के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने लम्बे समय से कब्जे का उठाया है, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य का आशय शायद मन्दिरों की जमीन पर जो लोग लम्बे समय से काबिज उनसे है। उनको रेगुलराइज करने का अगर आशय है तो यह प्रश्न जो यह नया बिल, टीनेंसी बिल हाउस में पेश किया है और जो प्रवर समिति के विचाराधीन है, वह प्रवर समिति इस पर विचार कर रही है कि मन्दिरों की जमीनों पर लम्बे समय से जो लोग अनधिकृत रूप से काबिज हैं, या तो मन्दिर के पुजारी ने पहले अपने आपको खातेदार समझकर उनको बेच दिया जिसका उसे अधिकार नहीं था, वह लोग काबिज हैं या किसी प्रकार से ट्रेसपासर हैं और लम्बे समय से बैठे हैं। 12 साल से अधिक समय हो जाने पर एडवर्स पजेशन हो जाता है, मन्दिर का अधिकारी, पुजारी और सेवक उसको हटा नहीं पाता और वह लोग बैठे हैं। इन सभी विषयों पर प्रवर समिति विचार कर रही है और नये बिल के अन्दर प्रावधान जोड़े जाने के प्रवर समिति ने सुझाव दिये हैं, वे इस समय मैं निवेदन नहीं कर पाऊंगा, प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसमें वह सम्मिलित कर दिये जाएंगे।

इसलिए निवेदन है कि यह जो बिल मैंने पेश किया है इसका आशय बिलकुल दूसरा है, इसको पारित किया जाए।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपकी आज्ञा हो तो मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

कृषि भूमि शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं को कृषि के लिए नहीं दी गयी है। यहां तक कि गौशाला को भी कृषि के लिए नहीं दी गयी है। गौशाला बनाने के लिए, उसमें गायों को रखने के लिए दी गयी है। इसलिए यह कहना कि केवल मात्र कृषि के लिए दी गयी है, वह वापस ले रहे हैं, यह जो अमेंटमेंट आया है उससे स्पष्ट नहीं है। एक बात तो यह निवेदन करनी थी।

दूसरी बात यह निवेदन करनी थी कि इण्डस्ट्रीज के लिए भी एग्रीकल्चर की भूमि दी जाती है। एग्रीकल्चर की जो भूमि है उसको जिस आदमी से पहले लेना है वह, सरेण्डर करता है, सरेण्डर करके राज्य सरकार के पास आती है, राज्य सरकार उसको वापस अलाटमेंट कर देती है उस उद्योगपति को। इसलिए वह भूमि भी कृषि भूमि ही है और ऐसा कोई नियम मेरे देखने में नहीं आया। माननीय राजस्व मंत्री जी बता दें कि किन नियमों के तहत, किस कानून के तहत यदि वह उद्योगपति जिस प्रयोजन के लिए उनको दी गयी है, उस प्रयोजन में नहीं लेना है तो वापस ले लेंगे। इसलिए जहां एक ओर उद्योगपति इस प्रकार की भूमि को अलाट कराकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारी निगाह केवल शिक्षण संस्थाओं और गौशालाओं पर गयी है, यह उचित नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गौशालाओं को भूमि आबंटित की

(श्री गंगाराम चौधरी)

जाती है, वह खातेदारी अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते हैं, उनको वैसे बेचने का अधिकार है ही नहीं। हम जो संशोधन ला रहे हैं, वह उन संस्थाओं के लिए ला रहे हैं जिनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और बेचने का किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त है, उनके लिए है। वह अगर बेचेगा तो हम यह समझेंगे कि उनको आवश्यकता नहीं है और सीलिंग से अधिक है अतः वह सरकार में वापस ले ली जाएंगी। गौशालाओं का शब्द हमने इसमें जरूर लिखा है। गौशाला बहैसियत गैर खातेदार समझ लीजिये एक तरह से, वह उस पर काबिज है, उनको बेचने का अधिकार होता ही नहीं है और शिक्षण संस्थाओं को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि तो बहुत कम दी जाती है। ऐसा होता भी नहीं है लेकिन उन पर भी यह चीज लागू होगी। वह अगर ट्रस्ट है तो हम जो धारा 22 और 17 का संशोधन ला रहे हैं वह उन पर भी लागू होगा। उनको आवश्यकता नहीं है, वह बेचना चाहते हैं तो सरकार को वापस लेने का, रिज्यूम करने का अधिकार है। उद्योग के लिए खेती की भूमि, खातेदारी की भूमि कोई उद्योगपति खरीदता है, पहले तो खातेदारी उसमें प्राप्त होती है....

श्री रमाकान्त शर्मा : रीको अलाट करता है खरीदने का प्रश्न ही नहीं है। सरकार अलाट करती है।

श्री गंगाराम चौधरी : सरकार कृषि प्रयोजनार्थ अलाट नहीं करती, औद्योगिक प्रयोजनार्थ करती है वह वापस नहीं ली जाती है उससे। जो कृषि भूमि खरीद लेता है खातेदारी की और है खातेदार बनकर के सरेण्डर करके वापस उद्योग के लिए आबंटित करवाता है और उद्योग नहीं लगा पाता है तो खातेदारी लौटाई जाती है, यह बात सही है लेकिन सीलिंग से अबूत हो गयी तो सीलिंग कानून तो लागू ही होगा। उसको खातेदारी जरूर मिलती है। वह कानून बिलकुल दूसरा है, इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : इन सब का एक कानून बना दो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार। श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री, राज्य में विद्युत की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

सूचना

जोधपुर शहर में सीवर लाइन सफाई के दौरान हरिजन की मृत्यु

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेष सूचना देना चाहती हूं आपकी अनुमति से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी परसों के रोज जोधपुर शहर के अन्दर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

शास्त्रीनगर में सीवर लाइन साफ करते समय एक हरिजन की मृत्यु हो गयी और कल रात को एक और हरिजन की मृत्यु हो गयी। इस तरीके से होता रहे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जो हरिजन सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सीवर लाइन के अन्दर उतरते हैं उनको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध करवायी जाए और जो मृतक कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से अनुदान दिया जाए, उनके घरवालों में से किसी को सर्विस दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये, हर समय हम वहां के महापौर से निवेदन करते रहे हैं फिर भी वहां सफाई कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती जो कि सीवर लाइन में उतरते हैं। उनके पास लाखों रुपये की मशीनें होते हुए भी वहां सफाई कर्मचारियों को सीवर लाइन में सफाई बाबत उतरना पड़ता है और इस तरह से कम से कम चार मौतें हो गयी हैं। आज से साल भर पहले दो हरिजन सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के लिए नागौर भेजा था उनकी भी नागौर के अन्दर मृत्यु हो गयी। क्या नागौर के अन्दर कोई नगरपालिका नहीं है? फिर भी कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर इन सफाई कर्मचारियों के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि उनकी उचित व्यवस्था की जाए और जो यह कल रात को हरिजन सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, सिन्धियों के वास का है, यंग और मेहनती लड़का था। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि वे जवाब में कुछ अपनी बात कहें।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : मैं भी समय चाहती हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस प्रकार से इन दुर्घटनाओं में इन कर्मचारियों की मृत्यु बड़ा ही दु:ख का विषय है, हमारे लिए भी। थोड़ी सावधानी नहीं बरतने से भी ये दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन जो आप बात कह रही हैं उसके बारे में तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उनके परिवार को हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उनकी एवज में, मृतक आश्रित के रूप में उनके परिवार से सेवा में आना चाहे तो सेवा में भी उसको लगा देंगे, सेवा में ले लेंगे और जो नगर निगम आपका है, वह कोई भी आर्थिक मदद अपने स्तर पर देगा, उसके अमाउण्ट की स्वीकृति हम दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऊर्जा मंत्री महोदय।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चली आ रही ऊर्जा की कमी एवं इसको दूर करने के लिए समय समय पर किये गये प्रयासों से भली भांति परिचित हैं। इस वर्ष रबी मौसम में विद्युत की मांग लगभग 680

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

लाख यूनिट प्रतिदिन की है जो पिछले वर्ष की इसी मौसम की 600 लाख यूनिट प्रतिदिन की मांग से 13 प्रतिशत अधिक है। राजस्थान अणु विद्युत गृहों की दोनों इकाइयां अभी भी बन्द हैं। उत्तरी ग्रिड में गैस विद्युत गृहों को निर्धारित आवंटित गैस नहीं मिल रही है। उत्तरी क्षेत्र के सभी राज्यों में विद्युत मांग में वृद्धि हुई है परन्तु इसके अनुरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि न होने से पूरे उत्तरी ग्रिड में विद्युत की उपलब्धता में काफी कमी आई है जिसके कारण विद्युत तंत्र कई बार गड़बड़ा गया है जिसका असर राजस्थान में भी पड़ा है। कोटा तापीय विद्युत गृह से माह फरवरी, 1997 तक 50,720 लाख यूनिट का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष इसी अवधि में हुए विद्युत उत्पादन से 4,640 लाख यूनिट अधिक है। गैस की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण राजगढ़ को गैस व डीजल के मिश्रण से चलाया गया और फरवरी तक 775 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। उत्तरी ग्रिड में आये व्यवधान के कारण कोटा थर्मल की 210 मेगावाट की पांचवीं इकाई रोटर में खराबी आने के कारण बन्द हो गयी। प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग द्वारा माह जनवरी में बोम्बे हाई में गैस प्लेटफार्म की मरम्मत के कारण गैस आपूर्ति एक माह के लिए बन्द रही। विद्युत मण्डल ने केन्द्र सरकार से ऐसे समय में शॅट-डाउन टालने का अनुरोध किया क्योंकि कृषकों को इस समय बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता थी परन्तु इसके बावजूद उन्होंने शट-डाउन की तिथि टालने में असमर्थता व्यक्त की। इसके अलावा 28 जनवरी से उत्तर प्रदेश स्थित रिहन्द तापीय विद्युत गृह की 500 मेगावाट की इकाई बन्द होने व फरवरी माह में पंजाब में सरहिन्द कैनाल के रख-रखाव के लिए बन्द करने की वजह से भाखड़ा में विद्युत उत्पादन कम होने से प्रदेश में प्रतिदिन 125 लाख यूनिट की उपलब्धि कम हो गयी जिसकी वजह से उद्योगों पर शत-प्रतिशत तक कटौती की गयी व इसके साथ साथ शहरों में भी करीब चार घंटे प्रतिदिन की लोड-शेडिंग की गयी एवं कृषकों को मोटे रूप से प्रतिदिन सात घंटे की बिजली उपलब्ध कराई जा सकी। उद्योगों पर इतनी भारी कटौती के कारण विद्युत मंडल को करोड़ों का घाटा हुआ। माह मार्च में उपलब्धि में कुछ सुधार हुआ है जिससे कृषि क्षेत्र में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है। एक एम.वी.ए. से अधिक भार के उद्योगों पर 75 प्रतिशत विद्युत कटौती अभी भी लागू है।

राज्य सरकार के अथक प्रयत्नों के कारण नरोरा अणु विद्युत गृह से फरवरी से 30 प्रतिशत अधिक बिजली मिलना प्रारम्भ हुई तथा 160 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन ऊंचाहार विद्युत गृह से उत्तर प्रदेश के कोटे को कम करके राजस्थान को उपलब्ध कराया गया। नवम्बर माह से पंजाब राज्य से भी जितनी बिजली उपलब्ध हो सकती थी, क्रय की गई। राज्य सरकार के भरसक प्रयत्न हैं कि कृषकों को प्रतिदिन आवश्यकतानुसार विद्युत उपलब्ध कराई जा सके।

पिछले महीनों में ग्रिड में व्यवधानों एवं कई अन्य कारणों से हुई विद्युत कमी के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों को निरन्तर विद्युत देने में कोताही नहीं बरती है एवं इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाने वाली विद्युत में भारी कटौती की है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इससे विद्युत मण्डल की आय में काफी कमी आई है व इसकी बिजली खरीदने की क्षमता पर असर पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत कटौती गरीब औद्योगिक मजदूरों पर भी मार करती है। अतः उद्योगों पर अत्यधिक कटौती से श्रमिकों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है उसका हमें अहसास होना चाहिए।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि कृषि में बिजली की खपत का अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है तथा उद्योगों में बिजली की खपत का अनुपात निरन्तर कम हो रहा है। कृषि में बढ़े हुए भार के कारण अब दो पारियों में बिजली देना कठिन हो रहा है क्योंकि 50 प्रतिशत भार एक पारी में पड़ने से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है अतः अब तीन पारियों में बिजली देनी होगी ताकि एक पारी में 33 प्रतिशत भार पड़े।

राज्य में वर्ष 1995–96 के अन्त तक कुल 37124 गांवों में से 31504 को विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं जो कि 84.86 प्रतिशत है। वर्ष 1996–97 में 750 नये ग्रामों को विद्युतीकृत करने एवं 25000 नये कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य है। माह फरवरी, 1997 तक 494 गांव एवं 24,312 कुएं ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं। राज्य में विद्युतीकरण की प्रगति हेतु मण्डल से यदि कोई उपभोक्ता कनेक्शन लेने हेतु लाइन एवं सब-स्टेशन का आनुपातिक खर्चा वहन करने के लिए तैयार हो तो अविद्युतीकृत गांवों में भी कनेक्शन देने के लिए अधिकृत करने की योजना जारी है। मोटे रूप से यह राशि पांच वर्ष पश्चात् लौटा दी जाएगी। ग्रुप योजना में जहां पर्याप्त उपभोक्ता सम्मिलित हुए हैं वहां प्रति व्यक्ति आय काफी कम आई है। पूर्व कृषि नीति के अनुसार कृषि के लिए सभी कनेक्शन अत्यन्त सस्ती दरों पर दिये जाते थे। एक कृषि कनेक्शन पर करीब 60 हजार रुपये विद्युत मण्डल को व्यय करने पड़ते हैं जबकि उसमें उपभोक्ता से मण्डल करीब पांच हजार रुपये वसूल करता है। मण्डल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि सक्षम व्यक्ति यदि आउट आफ टर्न से कनेक्शन लेता है तो उनसे अतिरिक्त राशि ली जावे। यह नर्सरी योजना कृषकों में अत्यन्त लोकप्रिय हुई तथा सामान्य रूप से जहां उन्हें कनेक्शन मिलने में 12–13 वर्ष लगते, वहीं इस योजना में करीब चार माह में कनेक्शन मिल जाते हैं। अब तक इस योजना में 25000 कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा प्रति माह भारी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस योजना में जो अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई, वह गरीब कृषकों के लिए अधिक सुविधा देने में खर्च की गयी।

विद्युत मण्डल को यह अहसास है कि नर्सरी योजना आर्थिक दृष्टि से सक्षम कृषकों के लिए है एवं सभी क्षेत्रों के कृषकों विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के कृषकों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। इस कारण हाल ही में विशेष सामान्य श्रेणी योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक व्यय साधारण श्रेणी के कृषि कनेक्शन के अनुसार ही देय है। इस श्रेणी में बिजली की फ्लेट रेट की दर 75 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह लगेगी।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पंजाब एवं हरियाणा में कई वर्षों से सामान्य कृषि की फ्लेट रेट 65 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह थी। इस पूर्णरूपेण स्वैच्छिक योजना से मोटे रूप में करीब दो वर्ष प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना में जयपुर, झुंझुनूं, नागौर व सीकर जिलों को सम्मिलित नहीं किया गया है जहां पहले ही एक पोल दो पोल योजना व नर्सरी योजना में करीब 21000 कनेक्शन हुए हैं जो शेष 27 जिलों में इन्हीं श्रेणियों में हुए लगभग 18000 कनेक्शनों से काफी अधिक हैं। कृषकों की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए अब इस योजना को उन चार जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा।

अधिकतर जिलों में सामान्य श्रेणी के मार्च, 83 तक लम्बित आवेदकों को इस वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दे दिये जाएंगे जबकि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 31 मार्च, 1995 तक के लम्बित आवेदकों को इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दे दिये जाएंगे। अनुसूचित जाति में एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सभी लम्बित कृषि कनेक्शन 1997-98 में दे दिये जायेंगे तथा भविष्य में जो भी नये प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में कृषकों से प्राप्त होंगे, उन्हें हाथों–हाथ कनेक्शन दे दिया जाएगा। यानि उन्हें प्रार्थना पत्र देने के बाद कुछ महीनों का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार हाथों–हाथ कनेक्शन देने की व्यवस्था पहली बार की जा रही है।

कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत मण्डल ने विस्तृत दिशा निर्देशिका का द्वितीय संस्करण जारी किया है जिसकी प्रतियां जन प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर तक भेजी गई हैं। यह काफी लाभदायक रही हैं।

विगत में जले हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को बदलने में विभिन्न कारणों से काफी समय लगता था। जन प्रतिनिधियों एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कई शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती थीं। मण्डल द्वारा राज्य सरकार के निर्णयानुसार जले हुए ट्रांसफार्मरों को दस दिन के समय के भीतर बदलने के निर्देश की अनुपालना की जा रही है। अब हम सूचना मिलने के चार दिन में ट्रांसफार्मर बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 1995-96 में नये व मरम्मत किये हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता 37,701 रही जो वर्ष 1994-95 की उपलब्धता से लगभग 50 प्रतिशत अधिक थी। अप्रेल, 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि में 22,774 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता थी। संसाधनों की कमी के बावजूद यह प्रयास रहा कि ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता में कमी न हो।

राज्य में सन् 1996-97 के अन्तर्गत उच्च प्रसारण के लिए 220 के. वी. की 472 किलोमीटर व 132 के. वी. की 288 किलोमीटर की लाइनें बनाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत 220 के. वी. की 337.4 किलोमीटर लाइनें व 132 के. वी. की 176.7 किलोमीटर लाइनें माह जनवरी, 1997 तक बनाई जा चुकी है। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 में माह फरवरी तक 220 के. वी. के दो नये सब-स्टेशन बीकानेर व

(77)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हनुमानगढ़ का निर्माण किया जा चुका है। माह मार्च, 1997 तक 132 के. वी. के दो ग्रिड सब स्टेशनों खींवसर व पूगल रोड का निर्माण हो चुका है। वर्ष 1996–97 में ही 220 के. वी. के दो और ग्रिड सब-स्टेशन कांकरोली व नागौर और 132 के. वी. के आठ गजनेर, जोखासर, नावां, सावां, घोरीमन्ना, सायला रोड, रामपुरा ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य भी पूरा करना प्रस्तावित है। विभिन्न स्थानों पर ग्रिड सब-स्टेशन निर्मित करने की।

श्री टीकमचन्द कांत : सिवाणा लिया ही नहीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ले लेंगे, ले लेंगे।

श्री टीकमचन्द कांत : वह तो ऊपर से लाइन जा रही है, नीचे स्टेशन ही खड़ा करना है। लाइन नहीं खींचनी, इसलिए कह रहा था मैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप मांग करो तो उसे भी ले लेंगे, मांग तो करना।

विभिन्न स्थानों पर ग्रिड सब-स्टेशन निर्मित करने की मांग आती है और तकनीकी दृष्टि से आवश्यक भी है परन्तु साधनों की कमी के कारण यह कार्यक्रम बहुत तेज गति से नहीं किया जा सकता है। मोटे रूप से एक 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने पर करीब आठ करोड़ का व्यय होता है तथा 200 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन पर करीब 25 करोड़ का व्यय होता है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि निजी क्षेत्र में विद्युत गृह लगाने के प्रयत्नों में वांछित प्रगति हुई है तथा इस दिशा में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में आ गया है। तरल ईंधन, नेफ्था आधारित विद्युत गृहों के लिए 15 कम्पनियों के साथ 3,434 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृहों के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध किये जा चुके हैं। केन्द्र सरकार ने 1,415 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृहों के लिए तरल ईंधन आवंटित किया था जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने विभिन्न कम्पनियों को आबंटन की सिफारिश भेज दी है। सरकार शेष क्षमता के लिए ईंधन के आबंटन के लिए प्रयत्नशील है। सौर ऊर्जा के लिए 300 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह लगाने के आशय पत्र दिये गये थे उन में से 100 मेगावाट के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 500 मेगावाट बरसिंगसर

(12.45)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

लिग्नाइट व 600 मेगावाट जालिपा व कपूरड़ी लिग्नाइट विद्युतगृहों के लिए कम्पनियों का चयन कर लिया गया है व 500 मेगावाट सूरतगढ़ विद्युत गृह के लिए संशोधित निविदाएं मांगी गई हैं। इनमें से 500 मेगावाट बरसिंगसर योजना के लिए विद्युत क्रय अनुबंध भी हो चुका। इसके अतिरिक्त कंसोलिडेड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लिमिटेड, हांगकांग की हिरमा (उड़ीसा) में प्रस्तावित परियोजना के प्रथम चरण में राजस्थान हेतु 1200 मेगावाट विद्युत क्रय करने के लिए नेगोसिएशन चल रहे है। इसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व

78

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

गुजरात भी भाग ले रहे हैं। इस परियोजना से राजस्थान को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में विद्युत मिलने की संभावना है।

गत 50 वर्षों में राज्य में लगभग एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित हुई थी। उसके मुकाबले अगले पांच वर्षों में करीब छह हजार मेगावाट क्षमता की स्थापना संभावित है। यह वर्तमान में विद्युत उपलब्ध से एक लम्बी छलांग होगी।

विद्युत गृहों की स्थापना लागत में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप इन नये विद्युत गृहों से उत्पादन लागत अधिक होगी। राज्य विद्युत मण्डल को लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का वार्षिक भुगतान विद्युत क्रय के लिये करना होगा जो वर्तमान में इस मद में व्यय से पांच गुने से भी अधिक होगा। हाल ही में केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों को....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पैसा बहुत है अपने पास।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सामयिक भुगतान न करने वाले विद्युत मण्डलों को नकद भुगतान के आधार पर बिजली, कोयला ईंधन आदि दिया जाएगा और भुगतान में दोषी होने पर लैटर आफ क्रेडिट के द्वारा भुगतान करना पड़ेगा या फिर केन्द्रीय करों में राज्य की भागीदारी व राज्य को केन्द्र से योजना सहायता राशि से बकाया राशि काट ली जाएगी। इस निर्णय से विद्युत मण्डलों को अब उधार में विद्युत कोयला नहीं मिल सकेगा और न ही रेलवे उधार में कोयले का परिवहन करेगी तथा ऐसी कटौती राज्य की विकास योजनाओं पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

कई बार सस्ती बिजली की मांग भी की जाती है। वास्तव में बिजली सस्ती नहीं की जा सकती है। बिजली उत्पादन व वितरण पर तो वही खर्च आता है, केवल अनुदान देकर ही बिजली को सस्ती उपलब्ध कराया जा सकता है। परन्तु ऐसा अनुदान कहां तक सार्थक है इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह व्यवस्था चालू रखने पर राज्य सरकार को मण्डल की हानी की पूर्ति के लिए अनुदान में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे अपरोक्ष रूप से सिंचाई योजनाओं, सड़कों, विद्यालयों व अस्पतालों के कार्यों में कटौती करनी पड़ेगी। अतः एक मद में अनुदान देने के लिए अन्य मदों में कटौती किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। यह भी विचारणीय है कि दूरगामी परिणाम की दृष्टि से क्या उपभोक्ताओं को अनुदान देने पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाने चाहिये या यह राशि आधारभूत सुविधाओं के लिए व्यय की जानी चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है–आम खुशहाली सभी आधारभूत सुविधाओं के समन्वित विकास से आती है। जैसा कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के गंग कैनाल व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में हुआ है। ऐसे समन्वित विकास के कारण इन जिलों में शायद ही कोई गरीबी की रेखा से नीचे बचा हो।

आज उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी के बावजूद भी राजस्थान को केन्द्रीय

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

विद्युत गृहों से आवंटन व विशेष आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के पीछे राज्य की विद्युत क्रय भुगतान की सुदृढ़ स्थिति है। इसी सुदृढ़ स्थिति के कारण पिछले वर्ष बाण्ड के माध्यम से 400 करोड़ रुपये जुटाना सम्भव हुआ है। राज्य में विद्युत विकास के लिए मण्डल की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखना आवश्यक है। माननीय सदस्य इस पर विचार करें कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा कर सकता है अथवा आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त विद्युत मण्डल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की ओर भी देखकर के।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब समय आ गया है कि विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति को निरन्तर मजबूत किया जाए जिससे कि विद्युत मण्डल विद्युत क्रय के लिए भुगतान करने में सक्षम हो। विद्युत मण्डल को सक्षम बनाने का संकल्प न केवल विभिन्न कम्पनियों के फाइनेंशल क्लोजर में सहायक होगा वरन् अन्य निजी कम्पनियों को राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण व वितरण में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देगा। जितनी जल्दी हम विद्युत मण्डल को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे उतनी ही तेजी से राज्य में विद्युत विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। देश-विदेश की वित्तीय संस्थाएं विद्युत गृहों के लिए ऋण देने से पूर्व आश्वस्त होना चाहती हैं कि मण्डल करोड़ों रुपये की बिजली खरीद कर समय पर भुगतान करने में सक्षम होगा या नहीं। यदि उन्हें इसमें शंका होती है तो वे हजारों करोड़ रुपये के ऋण देने में संकोच करेंगे। अतः विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति को तत्काल सुधारना आवश्यक है, क्योंकि पावर प्लांट्स की क्रियान्वित तत्काल होनी है। अतः सुधार भी तत्काल वांछनीय है।

वितरण तंत्र में विद्युत ह्रास कम करने एवं उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए राज्य विद्युत मण्डल के भरतपुर व सवाईमाधोपुर वृत्तों के डिस्ट्रिब्यूशन तंत्र के प्रबन्धन को निजी क्षेत्र में देने और जोधपुर नगर जोधपुर जिला व पाली वृत्तों के डिस्ट्रिब्यूशन तंत्र को संयुक्त क्षेत्र (जोइंट वेंचर) में देने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में अधिकारियों व श्रमिकों की सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस व्यवस्था में डिस्ट्रिब्यूशन में आग्मेंटेशन के कार्य को विशेष गति दी जा सकेगी, जो साधनों के अभाव में अभी मण्डल नहीं कर पा रहा है।

कुल मिलाकर इससे सेवाओं में सुधार होगा जिसका सामान्य उपभोक्ता स्वागत करेंगे। मुझे विश्वास है कि योजना की सफलता से अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की जनता द्वारा मांग की जाएगी। इस व्यवस्था में विद्युत चोरी पर भी विशेष अंकुश लगने की सम्भावना है, जिसके कारण मण्डल को प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है।

राज्य में विद्युत की दीर्घकालीन आवश्यकता व उसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए ऊर्जा क्षेत्र में वांछित सुधार के लिए राजस्थान पावर सेक्टर रिफोर्म बिल को राज्य मंत्रिमण्डल

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ने स्वीकृति दे दी है। इसके अन्तर्गत विद्युत मण्डल की कार्यकुशलता में सुधार के लिए इसे कम्पनी एक्ट में एक निगम बनाया जाएगा। इस प्रकार के निगम राज्य में पूर्व में भी स्थापित हो चुके हैं जैसे रीको, आर.एस.एम.एम.एल., आर.एस.एम.डी.सी. और एस.बी.सी.सी. आदि। एक स्वतंत्र स्टेट रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाएगा जो मण्डल की विद्युत दरों का निर्धारण करेगा। इस रिफोर्म बिल की क्रियान्विति से निजी क्षेत्र के विद्युत गृहों को देश व विदेश की वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही हमें विश्व बैंक तथा जर्मनी की बैंक के.एफ.डब्ल्यू. से करीब दो हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये का ऋण मिलने की आशा है। इससे विद्युत मण्डल धीरे–धीरे अपने पांवों पर खड़ा हो सकेगा तथा वह राज्य के बजट पर भार नहीं बनेगा जैसी कि अब तक की स्थिति रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरसिंह डांगावास।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, हमारे विद्युत मण्डल के अध्यक्ष व तमाम सदस्यों को बधाई देता हूं कि इन्होंने अथक प्रयास कर राजस्थान में बिजली में सुधार लाने की चेष्टा की है, उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की चेष्टा की, बिजली की छीजत जो लाइनों में होती है उसको घटाने की चेष्टा की और, उपभोक्ताओं को कुओं पर छोटी क्षमता के ट्रांसफार्मर देकर समय–समय पर राहत दी। इन सबके लिए बधाई देता हूं और यह मानता हूं कि इस सरकार का और बोर्ड का प्रथम परम कर्तव्य है।

किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान पर भारत की आर्थिक व्यवस्था व नीति निर्भर है और उस किसान की जो मदद की है वह फर्ज से की है, कोई दान नहीं दिया, कोई उपकार नहीं किया। हमें बार-बार यह कहा जाता है कि हम अनुदान देते हैं। किसान भिखारी नहीं है, न भिखारी बनना चाहता है। मैं हमारी पार्टी का गत संसद के चुनाव के समय के घोषणा पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि हमने जनता से वायदा किया था कि किसानों के उपज की सपोर्ट प्राइस मूल्य हम दो तरीकों से निश्चित करेंगे। एक तरीका लागत को आधार मानकर और दूसरा तरीका मूल्य सूचकांक को आधार मानकर। इस घोषणा पत्र के आने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो बड़ौदा में 1994 में हुआ था, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा था और वह वहां स्वीकृत हुआ था। जब हम मानते हैं कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे प्रयत्न कीजिये कि लाभप्रद मूल्य मिले। बिजली की जितनी लागत लगती है, आप पूरा पैसा लीजिये परन्तु किसान को फसल की पूरी कीमत दीजिये। हम कोई अनुदान नहीं मांगते।

माननीय मंत्री महोदय ने जो भाषण पढ़ा, अगर आप भी पुरानी किताबें बोर्ड की पढ़ें तो उसी में से घूम-फिरकर आया है। ये भोले ब्राह्मण, और भोले तो नहीं

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

चतुर आगे ईश–ईश, अध्यक्ष महोदय के द्वारा लिखित भाषण पढ़ गये। वह भोले ब्राह्मण, इधर चतुर, वह भोले भण्डारी नहीं कह रहा हूं मैं, चतुर ईश–ईश अध्यक्ष महोदय के लिखे हुए भाषण को पढ़ गये। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने प्रयास किया। सबसे बड़ी चोट हमें हुई कि डीजल पम्प से शहरों में आज तक उत्पादन नहीं हुआ, जो दो साल पहले योजना आयी थी। अगर वह होता तो शहरों की बिजली गांवों में मिलती। उद्योगों में आप कहते हैं कि हमने पूरा प्रतिबन्ध लगाया, शत-प्रतिशत काटा है। हमने यह आर्थिक रिव्यू आया है मेरे पास जिसके पृष्ठ 108 के ऊपर, 109 के ऊपर प्रोविजनल फिगर्स हैं इन मिलियन यूनिट्स। इसमें आप देखेंगे तो अचम्भा करेंगे करीब 16 मिलियन यूनिट्स उद्योग में अब तक राजस्थान में कृषि के उपयोग से ज्यादा खर्च हुई है। अगर किसानों को पूरी बिजली दी होती तो तीन घण्टे वाली क्राइसेस नहीं आती।

मैं हमारे ऊर्जा मंत्री को इसलिये भी बधाई देता हूं कि अन्ता वाले प्लान्ट में अंडरटेकिंग देकर के और तीन रुपये पच्चीस पैसे में खरीद कर या तीन रुपये के आस-पास खरीद करके हमको बिजली उपलब्ध कराने की इन्होंने चेष्टा की। यह कोई धन्यवाद हम दे दें लेकिन यह कोई अहसान नहीं है। हम कंजूमर हैं। आपका वायदा था 8 घण्टे बिजली देंगे। जहां भी 8 घण्टे बिजली नहीं आयी, हमारे किसानों की जो फसलें बरबाद हुई हैं उनको इस सरकार से मुआवजा मिलना चाहिये परन्तु यह सरकार मुआवजा नहीं दे सकी। सरकार के पास इतना धन नहीं है कि जो किसान को मुआवजा दे सके। वह किसान जो इस पूरे भारत का पेट भरता है, तन पर पहनने के कपड़े के उत्पादन का सूत का उत्पादन करता है, खुद भूखा और तन से नंगा घूमता है, आधी रात को फसलों को पानी पिलाता है, उसको आप क्या मुआवजा दे पाएंगे? सैनिक और किसान दो ही ऐसे आदमी हैं जिनको कोई मुआवजा आप भी नहीं दे सकते, संसार में कोई आदमी नहीं दे सकता।

मैंने इससे आगे तीन-चार दफे किसानों की पीड़ा लेकर के हमारे मंत्री महोदय और बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठकें की और कुछ हित में निर्णय हुए लेकिन, माननीय सभापति महोदय, अभी तक मुझे खेद है, कोई प्रिजम्पशन लेता है अलग ढंग से और जो रुटीन में चल रहा है वह प्रिजम्पशन सही है। हमारे अध्यक्ष का प्रिजम्पशन है कि काश्तकार कुआ खुदवायेगा तो अपनी ही जमीन में पानी पिलायेगा यह इनका प्रिजम्पशन है और दूसरों को पिलायेगा तो वह व्यापार करता है। व्यापार तो हमें आता ही नहीं वरना आपको खेती कराने रख देते और हम व्यापार करते। आता नहीं किस्मत हमारी यह है। उसके ऊपर एक चोट लगी हमारे ऊपर और वह चोट इन्होंने दी नर्सरी से हमें लुभाकर। पहले तो इन्होंने ओ.टी.पी. शुरू की धन इकट्ठा करने के लिए, उस वक्त भी ये अध्यक्ष थे, आउट आफ टर्न प्रायोरिटी कनेक्शन। ये यह मानते हैं कि किसान धनवान हैं। अगर किसान धनवान होता तो मारुतियों में पेशाब करने के लिए आपके बच्चे जाते हैं, पान खाने के

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

लिए बच्चे आपके जाते हैं वैसे हमारे भी जाते।

किसान हर काम कर्ज लेकर करता है इसलिए करता है कि अगली पीढी सुखी हो सके। फिर कर्ज लेता है। मण्डियों में जाकर देखो आप, जब धान हमारा आता है तो आढ़तिया हमारा आधा धान काट लेता है और आधा धान हमारा यह बोर्ड काट लेता है। हमारे पास कुछ नहीं रहता। यह स्थिति रहती है। कुछ निर्णय जो हुए हैं मैं साथ लाया हूं। तब से लेकर आज तक मैं सतत् प्रयास कर रहा हूं, मंत्री महोदय से कर रहा हूं। निर्णय हैं, शिरोधार्य हैं। बेबसी है हमारी, इसलिये शिरोधार्य हैं। हर जगह पैसा ऐंठने का तरीका लगाया गया है कि किसान से कैसे पैसा ऐंठा जाए। जब शिफ्टिंग हो, कटे हुए कनेक्शन को वापस लेने का प्रश्न है, वहां लिखा है वापस कनेक्शन के लिए पोल दर की एक तिहाई अथवा वास्तविक व्यय इनमें जो भी अधिक होगा किया जाएगा देखिये आप, आपका व्यय लगता है उससे अधिक आप लेते हैं। हम कहते हैं वास्तविक व्यय लो। यह मैंने संशोधन दिया लेकिन आज तक स्वीकार नहीं हुआ। मीटर जल जाते हैं और करीब 10 या 12 साल से इन्होंने आज तक लाइनमैन ही अपाइंट ही नहीं किये, जी.एस.एस. के ऊपर इनके आदमी नहीं, काश्तकार पढ़ा लिखा नहीं, उसको यह ध्यान नहीं कि मीटर जलते ही दौड़कर इनको लिखकर दो और लिखकर दे तो रसीद कौन देता है और ऐसे में जले हुए मीटर की चैकिंग हो जाए तो किसान चोर कहलाता है। मैंने प्रार्थना की थी कि मीटर जल जाए, अगर कुएं की सर्विस लाइन जो अन्दर जाती है उससे जल जाए तो किसान पैसा देगा और आपकी मीटर तक लाइन आ रही है उससे जल जाए तो आप पैसा दोगे। इस पर मंत्री महोदय सहमत हुए लेकिन चोट क्या लगायी, सुनिये आप। मैं बताता हूं। मीटर की कीमत अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा कराने पर मीटर बदल दिया जाएगा। यह ठगा। 6 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी जब तक मीटर की कीमत हमसे ले लेंगे और हमने प्रार्थना की थी कि मीटर आप लगाइये, हम आपके कंज़्यूमर हैं, आपको सर्विस देनी है और उसका पैसा आप हमारे पहले बिल में जोड़ दीजिये, हम आपको पैसा देंगे। ऐसा नहीं हुआ, यह आदेश और निकला। सभापति महोदय, कितनी पाबन्दियां लग रही हैं, आप सोचना इस पर। यह कष्टदायक पाबन्दियां लगी हैं, किसानों पर ही लगती हैं, व्यापारियों पर नहीं लगती हैं, उद्योगपतियों पर नहीं लगती हैं, क्योंकि भोला भाला अनपढ़ जंगल में रहने वाला किसान है, जिसको पता नहीं है कि पाबन्दियां क्या हैं। इस बोर्ड से हरी, पीली, आसमानी ऐसी किताबें हर महीने निकल जाती हैं। उनमें क्या आदेश लिखा होता है, उस कुएं पर बैठे किसान को कुछ पता नहीं होता उसका और जो आदेश निकल गये उनकी पालना नहीं होती तो किसान दण्डित होता है। मेरा कुआ सूख गया और मेरा सारा किया हुआ इन्वेस्टमेंट खतम हो गया, मेरे पेट भरने का साधन खतम हो गया। हम कहते हैं कि हमारे कुएं का दूसरा कनेक्शन शिफ्ट कराइये तो श्रीमान् ने बहुत तगड़ी पाबन्दी लगा दी। कृषक के एक ही खेत में कुआ

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

बन्द कर दूसरे के उपयोग में लाने के लिए कनेक्शन शिफ्ट करने के आदेश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। एक ही खेत में और उस इलाके में पानी सूख गया तो उस खेत में क्या होगा ? मैंने प्रार्थना की थी कि अगर कुआ गलत शिफ्ट हुआ है तो आप रोको इसको। किसी काश्तकार का दो साल पहले का खेत लिया हुआ हो और वहां पानी हो, वह चाहे कहीं भी हो, आपके क्षेत्र में हो तो उसको शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। ऐसा नहीं किया गया।

अब अन्तिम बात है जो सबसे ज्यादा कष्टदायक है, पीड़ादायक है, किसान के अस्तित्व पर चोट है और वह है अपने कुएं से परिवार के अलावा दूसरे व्यक्तियों को पानी पिलाने को इन्होंने उद्योग माना। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में किसान की जोत इतनी छोटी हो गयी है कि ट्यूबवैल, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जिस ट्यूबवैल की लागत आज 4 लाख रुपये आती है उससे 20 बीघा में पानी पिलाकर 4 लाख का ब्याज तो दूर रहा बिजली बोर्ड का खर्चा तक नहीं निकलेगा। इसलिए जो चल रहा है 50 साल से कि जो-जो खेत आसपास में हैं उनमें पानी दे दो। कुछ खेत लेते थे, गरीब काश्तकार से वह कहते थे हमारे पास इनपुट का पैसा नहीं है, आप खेत ले लो, जो हासल है वह हमें दे दो उस काश्तकार से तय कर लेंगे खेती करना। अब ये उसको व्यापार समझते हैं। जिस मीटर से बिजली निकलती है उसकी हर मीटर की यूनिट का पैसा किसान देता है तो आप कैसे व्यापार समझते हैं ? हमने कहां चोरी की आपके विद्युत के मीटर से ? अन्दर से लेकर बिजली हमने ली और किसानों को दी और खेत को पानी दिया लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे आदेश निकाल दिये गये और आदेश निकालकर बिलकुल मिड सेशन में जब हमारे यहां पिलाई हो रही थी उस समय कनेक्शन काटने के लिए वहां पहुंच गये। अगर उसको काट दिया होता तो जितना पैसा लगा था वह गया, पैदा कुछ होती नहीं, किसान की तो हानि होती लेकिन राष्ट्र की भी हानि और होती। इस आदेश के सम्बन्ध में मैंने छोटा सा एक अमेंडमेंट निवेदन किया था वह आज तक नहीं हुआ (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आपसे बात कौन कर रहे हैं ? सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा ध्यान आकर्षित कर कहूंगा कि मंत्री महोदय मेरी बात सुनें।

श्री सभापति : आप तो खतम कीजिये, सुन रहे हैं सब।

श्री भंवरसिंह डांगावास : खतम तो मैं करूंगा ही।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, आपकी एक-एक बात नोट कर रहा हूं, एक-एक बात का जवाब दूंगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : धन्यवाद। अभी आदेश दिये है कि यदि कृषि कनेक्शन मीटर प्रणाली से हो और मीटर चालू हों तो कृषक अपने कनेक्शन से अपने परिवार के सदस्यों की जमीन में जल पहुंचा सकता है बशर्ते वह जमीन उससे जुड़ी हुई हो। गांवों में बापौती की जमीनें अलग-अलग होती हैं, कोई पूर्व में और कोई पश्चिम में और फिर अलग-अलग टुकड़े होते हैं।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

इसको दरगुजर करें हम। मैंने यह निवेदन किया था कि अगर वह कुएं वाला उस खेत को इजारे में ले, मुकाते में ले, खेती करे और आपके मीटर के माध्यम से बिजली लें तो उसको व्यापार न माना जाए। मंत्री महोदय, इसको व्यापार नहीं, खेती मानकर उसी दर में जिस दर में आज तक देते थे उसी दर से दी जाए।

अब आता हूं मैं नर्सरी पर। मेरा विषय है यह। दो ही तो विषय हैं मेरे पास।

श्री सभापति : आपने यह कहा था कि मैं अन्तिम बात कह रहा हूं। अभी आपने कहा कि अन्तिम बात है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : किसान के पास दो ही विषय हैं। एक तो मेरी नौकरी का विषय जब आएगा तो बोलूंगा और बाकी मेरा खेती का विषय है। दो विषय हैं, मुझे बोलने दीजिये। नर्सरी के कनेक्शन देने से पहले रेट की दर मुकर्रर की थी एक रुपये चालीस पैसे और चुपचाप बोर्ड ने उसके अन्दर फ्युअल चार्जेज लगाकर एक रुपये सत्तर पैसे किया, आज तक लोगों से पैसे लिये, किसानों से तीस पैसे प्रति यूनिट इस बोर्ड ने लाखों नहीं, करोड़ों रुपये लिये हैं। मंत्री महोदय, आप यह जवाब दें तो मुझे बता दें कि यह गलत है तो मैं दुरुस्त हो जाऊंगा वरना आज आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि एक रुपये चालीस पैसे से अधिक नहीं लिया जाएगा और जो लिया है वह वापस लौटाया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, योजनाएं बनती हैं, लुभाने के लिए आज एक नयी योजना आयी है, मंत्री महोदय ने घोषणा की, कुछ अखबार में भी आया था, पचहत्तर पैसे प्रति हार्स पावर से कनेक्शन। पहले नागौर का अलग रख दिया।

एक माननीय सदस्य : पचहत्तर रुपये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, सॉरी पचहत्तर रुपये। कोई अलग नहीं है, ज्यादा नहीं है। अगर 8 घण्टे पूरी बिजली दें। और प्रति हार्स पावर अगर पचहत्तर रुपये ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बिजली कितनी दोगे, कितनी कम दोगे और उसमें से कितनी रिबेट दोगे, उससे उसकी फसल की पैदा का कितना नुकसान होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी गारंटी है कि हम पैसा देंगे, नहीं देंगे तो उसको डिस्कनेक्ट कर दें। आपकी भी कोई गारंटी होनी चाहिये। किसानों को हानि हुई उन तीन घण्टों के समय में मंत्री महोदय ने बहुत चेष्टा की, मैं मानता हूं। दो दफा मैं मिला हूं इनसे इन्होंने कहा कि जहां कहीं से बिजली मिलेगा मैं लाऊंगा, भंवरसिंह जी। बात सही थी बात गलत नहीं है। लेकिन वे असहाय थे। उपलब्धता नहीं हुई और उस एक महीने में कितना नुकसान मेरे जिले में और राजस्थान में हुआ, उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। सभापति महोदय, हमारे तो राज भी पीछे पड़ा है और राम भी पीछे पड़ा हुआ है। राम तो ऐसे पड़ा था कि हमारी हर फसल के ऊपर प्रकृति का प्रकोप होता है। सावनू पर होता है, उनाली पर होता है, बादल आ जाए तो छाजिया हो जाता है, मै हो जाता है। इस राज को, जो हमारे हाथ में है, इसको तो हम ठीक करें। राम को तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस राज से

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

निवेदन है कि यह जो चीजें आपने की है आप गारंटी करें कि जितने आवर्स बिजली मिलेगी उसी हिसाब से, पचहत्तर रुपये के हिसाब से आप रेट कम करें वरना तो कोई काम आएगी नहीं वह।

एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनाकर देते हैं। इन नक्शों में आता है कि इतने गांव हमने विद्युतीकृत कर दिये। कौनसे गांव विद्युतीकृत किये ? आपकी लिस्ट ली जाए। मंत्री महोदय आपके अध्यक्ष महोदय को साथ लेकर मैं चलूं और आपको बताऊं सब थोथे आंकड़े हैं, बहुत थोथे आंकड़े है। 5 पर्सेंट वह गांव जिनके अन्दर जी. एस. एस. लगा हुआ है उस गांव की तो मैं कहता नहीं। 95 प्रतिशत उन गांवों में जिन गांवों की लाइन कृषि कनेक्शनों के साथ आती है सिर्फ उसी समय उजाला होता है। वह उजाला हमारे क्षेत्र में अधिकतर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है। जब हम सो जाते हैं। उठते हैं तो लाइट गायब हो जाती है। बच्चे हमारे खाना खाते हैं उस वक्त अंधेरा होता है। वापस उठकर पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त लाइट नहीं होती। गांवों की यह दशा नहीं है और राजस्थान की यही दशा है। शहरों में 5 मिनट लाइट जाते ही हल्ला होता है। अभी ए.सी. नहीं चल रहा था तो कई माननीय सदस्य बोल रहे थे गर्मी लग रही है। माननीय सदस्य गर्मी, सर्दी, बरसात को ढोने वाले, 24 घण्टे सहन करने वाले उस किसान की ओर भी देखें। मैं सत्य कहता हूं, परसों मैं मेरे खेत के कुएं पर जाकर आया। जीरे की हालत देखी। बहुत दुःख हुआ। मैंने कहा कि 20 बीघा में जीरा है। भंवरसिंह के उपज का आराम हो जाएगा। पड़ गया मैला अंदर। 30 पर्सेंट डाउन हो गया। यह तो प्रकोप भगवान का है लेकिन आप भी तो दूसरे रूप में कम से कम राज राम हैं, आप तो कम से कम हमारे ऊपर ऐसा मत करो।

मैं दो घोषणाएं चाहूंगा आज की तारीख में बाकी तो मसला हम हल कर लेंगे एक तो काश्तकार अपने पड़ोस के खेतों को, हम लिखकर देंगे आपको, पड़ोस के खेतों में पानी पिलाएंगा तो उसके ऊपर आर्डनरी चार्ज होगा, फ्लेट रेट से नहीं पिलाएंगा, मीटर लगायेगा और मीटर से जितनी बिजली कंज़्यूम होगी उसका पूरा चार्ज हम देंगे। पहली चीज तो मैं यह चाहूंगा। दूसरी, विजिलेंस के अन्दर अभी कुछ ऐसे हादसे हुए, बच्चे अन्दर सो रहे थे, किसान बाहर था। कूद कर मकानों में आदमी घुसे। हम डकैत नहीं हैं, हम आदतन क्रिमिनल नहीं हैं, हेबिचुअल आफेंडर नहीं है। आप बैठ जाइये बाहर गया किसान अपने आप आएगा। बुलाइये उसको, बुलाकर उस पर जो भी कार्यवाही करनी है, करिये। यह तो विजिलेंस का हव्वा बना रखा है, इसको शांत करें वरना ऐसी घटनाओं के साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती है।

एक और नहले पर दहला हो गया। आज तक तो बोर्ड ही था, हमारा नियंत्रण भी था। उसे हम बोल सकते थे, कह सकते थे। अब निगम बनाना चाह रहे हैं, कम्पनी। जो भी कॉर्पोरेशन कम्पनी, निगल, जो कुछ भी हो। यह कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं– सड़क, पानी, बिजली यह देना आपका परम कर्त्तव्य है, सरकार का खुद का धर्म है कि हमको बिजली दें, हम-

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

को सड़क दें, हमें स्कूल दें, हमको स्वास्थ्य के लिये अस्पताल दें। यह आपने बोर्ड को निरंकुश कर दिया, ये पहले ही निरंकुश है और पूर्णतः निरंकुश कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहता हूं कि फिर आपके पास पोर्टफोलियो रखने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है ऊर्जा मंत्री की यहां। हम देख रहे हैं आर. एफ. सी. के मेले। जितने भी कॉ-आपरेशंस हैं हम उनके मेले देख रहे हैं। यह मेरे दिल की पीड़ा है इसलिए आप बुरा नहीं माने। एक तो यह काम आप करके देंगे। दूसरा, मीटर को ठीक होने पर हमारे पहले बिल में लगाकर पैसे देंगे। तीसरा, मीटर खराब हो उस टाइम पर चैकिंग नहीं करेंगे। आप हमारे किसानों को यह सूचनाएं, जो कंजूमर बनता है, उसके साथ किताब दें और हर महीने आप किताब निकालते हैं। अभी एक किताब और पढ़ी थी। किताबें ही किताबें निकली हुई है– लाल-पीली-हरी। हर महीने निकल जाती हैं। अब इसको मै ही नहीं पढ़ पाता पूरी। एक पढ़ता हूं इधर दूसरी आ जाती है। किसान को हिदायतें लिखकर कनेक्शन देते समय और ज्यों-ज्यों इसमें तर्मीम हो, ऐसी 15–20 किताबें पड़ी हैं।

मान्यवर, मीटर के लिए निवेदन किया, पानी पिलाने के लिए निवेदन किया, नर्सरी के लिये फ्यूल चार्जेज के लिये निवेदन किया और मुझे विश्वास है कि ये हो जाएंगे। मैं पूर्व में धन्यवाद देता हूं कि ये मेरी बातें आप मानेंगे और राजस्थान के पूरे किसानों के ऊपर आपकी छाप लगेगी। किसान आपको आशीर्वाद देगा (व्यवधान)। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि राजस्थान में बिजली का संकट है और किसान और आम आदमी उससे परेशान है। परन्तु बिजली का संकट क्यों हुआ, इसके लिये जिम्मेदार कौन है, इस पर भी मैं चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की नीति अपना रखी थी और आज भी है कि केवल मात्र 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना राज्य सरकार के पास थी उससे ऊपर की परियोजनाओं का अधिकार केन्द्र सरकार ने ले रखा था और इस एक साल केमध्य माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने प्रयास किया और उसके आधार पर 400 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति राज्य सरकार को दिलवाई, उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देऊंगा।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि बिजली का संकट क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है? 1990 से पूर्व राजस्थान को कितनी बिजली चाहिये थी, उस समय राजस्थान को 400 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता थी और बिजली मिलती थी केवल 325 लाख यूनिट। उस समय भी बिजली की भारी कमी थी और परियोजनाओं के लिए राजस्थान ने कई बार प्रयास किये। कांग्रेस की सरकार

(श्री श्रोमप्रकाश शर्मा)

राजस्थान में भी थी श्रौर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी। परन्तु यहां के मुख्य मंत्री, यहां की कांग्रेस की सरकार अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं रही, राजस्थान की जनता के प्रति जागरूक न रही श्रौर वह दिल्ली से परियोजनाश्रों की स्वीकृति नहीं ला पायी। राजस्थान में 1990 से पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसानों पर जो संकट आया हुआ है, आज आम आदमी पर संकट आया हुआ है, वह सारा का सारा संकट कांग्रेस की देन है। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, जब से श्री भैरोंसिहजी शेखावत मुख्य मंत्री बने हैं श्रौर वर्तमान में श्री रघुवीर सिंह जी कौशल ऊर्जा मंत्री बने हैं, उन्होंने परियोजनाओं का अम्बार लगा दिया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में 685 लाख यूनिट की आवश्यकता है लेकिन केवल 550 लाख यूनिट ही बिजली मिल पा रही है। इसके लिये राज्य सरकार ने जैसे, ऊंचाहार से 160 मेगावाट बिजली शेयर से अधिक प्राप्त की तथा राजस्थान की जनता को अधिक बिजली मिले इसका प्रयास किया। इसी प्रकार नरोरा से 132 मेगावाट बिजली अधिक प्राप्त की। यह भी शेयर से अधिक है। कोटा इकाई ने 1990 के बाद 210 मेगावाट बिजली पैदा की, यह भी 1990 के बाद की देन है। राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान की जनता को सुख-सुविधा मिले, इसीलिये ये प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकार जैसलमेर का गैस प्लांट है, वहां से 38.5 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। ये सारी की सारी योजनाएं हैं। इसके साथ ही कुछ योजनाएं जैसे-धौलपुर की योजना थी, चित्तौड़गढ़ की योजना थी, वहां पर अब जाकर स्वीकृतियां दी गयी हैं और जब वह स्वीकृतियां दी गयी हैं तो अभी कुछ दिनों पहले, शायद 5 या 6 तारीख को हमारे मुख्य मंत्रीजी श्रौर ऊर्जा मंत्रीजी ने वहां जाकर उसका शिलान्यास किया है।

मेरा निवेदन करना यह है कि उस समय जब राज्य में कांग्रेस की राज्य सरकार थी श्रौर दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, उनका आपस में तालमेल होता तो निश्चित रूप से राजस्थान को बिजली की कमी नहीं होती। परन्तु उस समय न तो राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस श्रोर ध्यान दिया श्रौर न ही केन्द्रीय सरकार ने ध्यान दिया। अब राजस्थान को विकास की गति देने के लिये, राजस्थान में अधिक से अधिक बिजली पैदा करने के लिये हमारी राज्य सरकार, मुख्य मंत्रीजी श्रौर ऊर्जा मंत्रीजी प्रयास कर रहे हैं, इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ ही अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान बूंदी जिले की श्रोर दिलाना चाहूंगा। बूंदी जिले में आर. एफ. सी. की एक योजना है, वह बोर्ड में रखी हुई है। उस योजना को लागू करने से बूंदी सिटी सीधे कोटा से जुड़ती है। इससे बूंदी नगर श्रौर बीच में आने वाले श्रौद्योगिक क्षेत्र, जहां पर लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, उन सबको इसकी सुविधा होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को तत्काल लागू कराएं श्रौर बोर्ड से निकलवा कर इसकी स्वीकृति प्रदान कराएं।

(श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा)

इसी प्रकार बूंदी नगर में 132 जी. एस. एस. के अन्दर केवल 6 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर है इसको 15 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर किया जाए, जिससे बूंदी में जो बिजली की कमी हैं ग्रौर जो ग्रव्यवस्था होती है वह ग्रव्यवस्था ठीक हो जाए। इसी प्रकार मांगली नदी, ग्रल्फा नगर में 33 के. वी. का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसी प्रकार केशोरायपाटन, जो बूंदी जिले में है, वहां पापड़ी नामक स्थान पर यदि 33 के. वी. का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो उससे किसानों को राहत मिल पाएगी।

मैं एक निवेदन ग्रौर करना चाहूंगा कि इस समय जहां पर नहर का पानी नहीं है, वहां पर किसानों को ग्रधिक बिजली दी जाए। ग्राज किसान को खेतों में पानी की ग्रावश्यकता है। गेहूं की फसल पकने जा रही है, ग्रगर उनको वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वे फसलें सूख जाएगी। इसलिए मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों को, जहां पानी नहीं है ग्रौर कुएं लगे हुए हैं, उनको ग्रधिक से ग्रधिक बिजली दी जाए।

इसके साथ ही 13 तारीख से विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जहां परीक्षा केन्द्र हैं, जहां दसवीं, ग्यारहवीं के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहां परीक्षाएं शुरू होंगी उन सबको बिजली मुहैया करायी जाए। ग्राज केवल शाम को 6 बजे से एक फेस बिजली देते हैं. जहां 2 फेस या 3 फेस देनी चाहिए वहां पर केवल एक फेस मिलती है, इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत ग्राती है। जहां बोर्ड की परीक्षाएं हैं वहां लड़के-लड़कियां बहुत परेशान हैं। हम राजस्थान के हर जिले को साक्षर बनाने में सहयोग देने की बात कर रहे हैं। इसलिए जब परीक्षाएं नजदीक हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले।

इसी प्रकार अभी कुछ योजनाएं विद्युत मंत्रीजी ने बतायी थीं कि किसानों को किस प्रकार राहत देंगे। बूंदी जिले में जो गांव विद्युतीकृत नहीं हो पाए हैं उनको भी विद्युतीकृत किया जाए। ग्रापने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा कि मैंने जो निवेदन किया है उस पर मंत्री महोदय ग्रवश्य विचार करेंगे ग्रौर पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्मानीय सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ग्रौर विद्युत मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब पूरे भारत वर्ष में बिजली का संकट चल रहा है, उस संकट की घड़ी में इन्होंने ग्रपनी सूझबूझ ग्रौर कुशल कार्यक्षमता के कारण राजस्थान के किसानों की फसल को जिस मुस्तैदी से बचाने में योगदान दिया है, राजस्थान के किसान ग्रापके इस प्रयास को कभी भूला नहीं पाएंगे।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(13.29)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने किसानों को चाहे नर्सरी योजना में कनेक्शन दिये हों, चाहे किसी भी योजना में दिये हों, किसान आपकी सारी बातों को स्वीकार करता हुआ आपको इस बात के लिये बधाई देता है कि आपने समय पर बिजली दी। वास्तव में इनको एक दिन में ज्यादा घण्टे बिजली मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं दी फिर भी आपने जो वायदा किया, उतनी बिजली आपने समय पर दी, इसके लिये ये किसान आपके बहुत बहुत आभारी हैं।

इसके साथ ही आम किसानों के सामने जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वे मैं आपके सामने मेरी ओर से रखना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको स्वीकार करके आज ही घोषणाएं करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, ये दूर कर दी जाएंगी, क्योंकि जब आप इतने भारी संकट से उभर सकते हैं तो ये आपके लिये छोटी-मोटी समस्याएं हैं, कोई बड़ी समस्याएं नहीं है। मुझे आशा है कि आज आप घोषणा करके किसानों को राहत देंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डार्क-ज़ोन एरिये में जहां पहले वाटर टेबल नीचे चला गया था या वाटर टेबल बिलकुल नहीं रहा था, किसानों ने वहां 5-6 साल पहले स्वैच्छा से कनेक्शन कटवा लिये थे। उन किसानों ने अब पुनः चाहे भूजल विभाग की तरफ से ट्यूबवैल करवा करके, अभी जो एनीकट्स बनाए गये हैं, गत तीन सालों में जिस प्रकार से पानी को रोकने से कुओं में जल स्तर ऊपर आया है, उसकी वजह से काश्तकार अपने कुओं पर कनेक्शन पुनः लेना चाहते हैं। उनकी लाइनें वहां ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, खम्भे खड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे काश्तकारों से नर्सरी योजना के तहत 9 हजार रुपये प्रति पोल का वसूल करना कतई न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको सामान्य श्रेणी के कृषक मानकर कनेक्शन दिये जाएं। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। इससे हजारों काश्तकारों को फायदा होगा और वे पुनः अपनी फसल ले सकेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वन पोल, टू पोल स्कीम की जो घोषणा आपने की थी वन पोल और टू पोल के तहत जिन कृषकों ने एक-एक हजार रुपया जमा करवा दिये और उस दौड़ के अन्दर अपना नाम उन्होंने लिखवा लिया लेकिन किन्हीं कारणों से राजस्थान के कई किसान हजार रुपया जमा कराने के बाद में वह कनेक्शन नहीं ले सकें। ऐसे जिन-जिन काश्तकारों ने हजार रुपये जमा करवा दिये हैं, उनको पुनः कनेक्शन देने के आदेश जारी करें। दूसरी जो बड़ी परेशानी किसानों के सामने आती है, एक ट्रांसफार्मर 25 एच. पी. का है और उस पर पांच काश्तकार कनेक्शन लेने वाले हैं। चार काश्तकारों को आपने जो डिमाण्ड नोट जारी किया, उस डिमाण्ड नोट की राशि के पैसे आपने बराबर ले लिये और जो पांचवा व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहता है तो वह बी. आर. बैठता नहीं है और ओवर लोड होता है तो उसे अकेले काश्तकार से आप 1500 रुपये प्रति एच पी. चार्जेज लेते हैं, यह ठीक नहीं है।

90

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह बी. आर. की जो समस्या है, यह बी. आर. की जो बीमारी है, चाहे आप प्रति काश्तकार कुछ चार्ज बढ़ा दें लेकिन इस बी. आर. की वजह से आज रिश्वतखोरी भी बढ़ती है। आज हर काश्तकार को बी. आर. का एक बहाना बनाकर सारे अधिकारी/कर्मचारी उसे गुमराह करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह बी. आर. की जो बीमारी है, इसको जड़मूल से ही अगर नष्ट कर दिया जाए चाहे सारे काश्तकारों पर आप दस-दस, बीस-बीस रुपये अलग से रख सकते हैं लेकिन बी. आर. को बिलकुल समाप्त करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि नर्सरी योजना के तहत, काश्तकार इतना खर्चा देने के बाद में, लाख-लाख, दो-दो लाख, पचास-पचास, साठ-साठ, अस्सी-अस्सी हजार रुपये देने के बाद वह कुछ बोलता नहीं है। फिर भी वह अपनी आत्मा से इतना दुःखी है कि जब बिल आता है, तो कई काश्तकार तो अपना कनेक्शन कटाने पर मजबूर हो जाते है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सरी योजना के तहत जो बिल आते हैं, उन नर्सरी योजना वालों पर आपको राजस्थान में फ्लेट रेट लागू कर देनी चाहिये। राजस्थान के किसान आपके तहेदिल से बहुत बहुत आभारी होंगे।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि विशेष योजना, जिसकी पूरे राजस्थान में आपने घोषणा की थी, जयपुर जिला और बाकी जिले बच गये थे, उनके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। विद्युत आवेदन-पत्र में जो अभी ढाई हजार रुपये अग्रिम आप ले रहे हैं जबकि आवेदन पत्र पर 25 रु. लेने का ही अधिकार है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह ढाई हजार रुपये समाप्त किये जाएं। काश्तकारों से अग्रिम ढाई हजार रुपये नहीं लिये जाने चाहिये। फ्यूल चार्जेज की जो राशि अलग से ली जाती है, माननीय भंवरसिंहजी ने भी इसके बारे में आपको याद दिलाया, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फ्यूल चार्ज की जो राशि है, उसको समाप्त किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केपेसिटर और मीटर बिजली बोर्ड के द्वारा ही लगाये जाने चाहिये। जब केपेसिटर की राशि बोर्ड द्वारा ले ली जाती है, मीटर किसान से लाने के लिये यह कहते हैं। अब किसान उसको बाजार लेने जाएगा, वहां आकर के फिर बोर्ड में टैस्ट करवाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें काफी समय लगता है इसलिये बोर्ड मीटर की राशि वसूल कर ले, टैस्टेड मीटर आपके पास पहले से रखे हुए होने चाहिये ताकि काश्तकार को जब आवश्यकता पड़े तो मीटर लगवाये जा सकें। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि एच. टी. से जो लाइनें एल. टी. में हों, उनको एल. टी. करने के लिये जो चार्जेज किसानों से लिये जाते हैं, क्योंकि आज से दस साल पहले किसान की अपनी लाइनें खींची हुई है, आज एल. टी. से एच. टी. करवाने के लिये उनसे अलग से चार्जेज लिया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनसे यह चार्जेज नहीं लिया जाना चाहिये। बोर्ड स्वयं। इसको भुगते।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो गांव विद्युतीकृत योजना के तहत नगरीय सीमा में आ गये हैं। जयपुर जिले में जैसे करीब 300 गांव हैं, जो नगरीय सीमा में आ गये हैं और वहां पर सामान्य श्रेणी का एक भी कनेक्शन नहीं देने के लिये पूरी पाबन्दी लगा दी गयी है। जिन लोगों ने आज दस साल से आवेदन कर रखा था और वे गांव नगरीय सीमा में आ गये हैं, उन सबको यह कह दिया गया है कि नर्सरी के अलावा कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। यह उनके साथ न्याय नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांव नगरीय सीमा में आ गये हैं, उनके काश्तकारों को भी, न उनको 24 घण्टे बिजली दी जाती है जब कि वायदा यह किया जाता है कि नगरीय सीमा 24 घण्टे बिजली दी जाती है, उनको भी जिस प्रकार से अन्य गांवों में, रूरल एरियाज में दी जाती है, वह ही नगरीय क्षेत्र में उनको बिजली मिल रही है। इसके बावजूद भी वहां पर नर्सरी योजना के अलावा कोई कनेक्शन उनको नहीं दिया जा रहा है इसलिये उनको भी 24 घण्टे बिजली दी जाए। अन्यथा आज से दस साल पहले उन्होंने सामान्य श्रेणी में नम्बर लगा रखा है, उनको कनेक्शन दिया जाना चाहिये।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो रिजर्व कोटा तय कर रखा था, जो विकलांग थे, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये थे या जो जीवनधारा के तहत कुएं बनवाये गये थे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये आपने जो तय कर रखा था। रिजर्व कोटे को इसमें बिलकुल एकदम समाप्त कर दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके लिये पुनः यह प्रणाली चालू की जाए, जिससे उन लोगों को प्राथमिकता से सामान्य श्रेणी में कनेक्शन मिल सकें।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि डिमाण्ड नोट जमा होने के बाद में, जिस दिन डिमाण्ड नोट जमा हो जाता है, जमा होने के दिन से ही उसका चार्जेज शुरू हो जाता है, चाहे वह फ्लेट रेट में हो, चाहे नर्सरी योजना में हो। मेरा निवेदन करना है डिमाण्ड नोट जिस दिन जमा होता है, उस दिन से चार्जेज नहीं लिये जाएं। दूसरा, वन पोल या टू पोल या कोई सा भी कनेक्शन जहां दस मीटर की डोरी लगती है तो एक पोल और टू पोल 200 मीटर मान लेते हैं लेकिन दस मीटर की जो डोरी लगती है, डोरी का चार्ज आप चाहे किसान से ले सकते हैं लेकिन उनसे भी वहीं 9,000 रुपये चार्ज करते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो दस मीटर की डोरी, जिसको एक पोल माना जाता है, इसको समाप्त किया जाए और किसान से मात्र दस मीटर की डोरी का ही चार्ज लिया जाए। इसके अलावा कोई राशि उनसे वसूल नहीं की जानी चाहिये।

विद्युतीकृत गांवों में ट्रांसफार्मर रखने की आपने घोषणा की थी। जो गांव विद्युतीकृत हो गये हैं, उन गांवों में आज वहां पर लाइन खींच कर ट्रांसफार्मर रखकर और दो कुओं पर कनेक्शन देना तो दूर रहा बल्कि विद्युतीकृत गांवों में न लाइन खींची गयी है, न ट्रांसफार्मर रखे गये हैं बल्कि यह कहा गया है कि जब तक नर्सरी योजना में

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

वे कनेक्शन नहीं लेंगे तब तक वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाएंगे तो उन गांवों को विद्युतीकृत करने का क्या औचित्य है ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि उस गांव तक कम से कम पोल लाइन पहुंचाये और ट्रांसफार्मर वहां पर रखा जाए। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू सीमा से जो तार की लाइन जा रही है, उसके नीचे जो गांव आते हैं, उन गांवों को वैसे ही विद्युतीकृत मान लिया जाना चाहिये क्योंकि वहां पर जब एक पोल या दो पोल काम में आते हैं। आपने पूर्व में घोषणा की थी कि दस पोल तक जो गांव अगर लाइन से दूर रह जाएगा उनको भी विद्युतीकृत या नर्सरी योजना में कनेक्शन दिया जाएगा, वहां तक लाइन बोर्ड देगा। कहना चाहूंगा कि आज भी वहां ऐसे गांवों को न तो विद्युतीकृत ही घोषित किया गया है और उनमें जो दस पोल लगाये जाने चाहिये थे वे भी समाप्त कर दिये गये हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अविद्युतीकृत गांवों को जो दस पोल तक भी दूर हो, उनको एक पोल लाइन दी जाए जिससे वे लोग नर्सरी योजना में अपना कनेक्शन ले सकें।

साथ ही मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो किसान अपनी फसल को निकालने के लिये थ्रेशर लगाता है, उनको बोर्ड ने आदेश दिया है कि वह अलग से कनेक्शन ले और अलग से कनेक्शन लेने के बाद में उसकी थ्रेशर चालू की जाएगी। जैसे 10 एच. पी. तक तीन हजार और 15 एच. पी. तक चार हजार पांच सौ रुपये भुगतान करना पड़ेगा। किसी काश्तकार को अगर चार बीघा में पैदावार हुई है, आप देखते हैं कि आठ घंटे या सात घंटे जो बिजली मिली है, कितनी पैदावार उस किसान की होगी और उसके लिये वह तीन हजार या चार हजार पांच सौ रुपये दे, अलग से जमा करवाये। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि किसान पर जो थ्रेशर के लिये अलग से कनेक्शन लेने के लिये पाबन्दी लगायी गयी है उसको हटाया जाए। किसान अपने कुएं के कनेक्शन से उसको कनेक्शन देकर के अनाज निकाल सके थ्रेशर चलाने के लिये ऐसी घोषणा आप आज करेंगे, मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एन. टी. पी. सी. द्वारा किसानों, क्योंकि किसान के मालिक हैं आप और एन.टी.पी. सी. के द्वारा आज जो नीचे उनके बाग–बगीचे या पेड़–पौधे या उनकी फसल में से एन. टी. पी. सी. की लाइनें खींची जाती हैं उसका मुआवजा उसी प्रकार से उनको दिया जाना चाहिये, वह मुआवजा उनको नहीं दिया जाता है और बिना मुआवजा दिये ही उनके यहां से लाइनें निकाल दी जाती है और उनकी फसल को नष्ट कर दिया जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एन. टी. पी. सी. वालों को भी आप इस मामले में पाबन्द करें। किसानों की जो विद्युत लाइन आप खींचे उसका किसानों को पूरा मुआवजा पहले दें और उसके बाद में आप कनेक्शन जारी करें।

इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जटवाड़ा में 33 के.वी.जी.एस.एस. के लिए

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

पूर्व में भी निवेदन किया था। वहां के एस. ई. और एक्सई.एन. साहब ने भी मौका देख लिया है और पंचायत के द्वारा जमीन भी दी जा चुकी है इसके बाद भी आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। दौसा से जो लाइन आती है उसकी वजह से यहां की सात–आठ ग्राम पंचायत के गांवों में बार-बार ट्रिपिंग आती है और आज 8 घंटे बिजली देते हुए भी उनको नुकसान भुगतना पड़ता है बार-बार उनके कूएं की मोटरें जल जाती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जटवाड़ा गांव में 33 के. वी. जी.एस. एस. की घोषणा आज ही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही तुंगा, कोटखावदा और चाकसू क्षेत्र के गांव के काश्तकार पूर्व में भी आपसे डेपुटेशन के रूप में मिले थे। चाकसू क्षेत्र में जिसमें तुंगा, कोटखावदा और लालसोट का कुछ एरिया है, बार बार किसानों ने धरना भी दिया। पिछली साल भी इन्होंने धरना दिया था, इस बार भी वहां लोगों ने धरना दिया। इसलिए 132 के. जी. जी. एस. एस. चाकसू के अन्दर स्वीकृत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र फागी, बस्सी, सांगानेर और लालसोट, इन चारों विधान सभा क्षेत्रों को मध्य में रखने के लिए चीफ इंजीनियर और एस. ई. ने मौका भी देख लिया था उसके बावजूद भी 132 के. वी. जी. एस. एस. की चाकसू के लिए घोषणा नहीं की गयी। इसमें चारों विधान सभा क्षेत्र के किसान है। इसमें खर्चा भी कम पड़ेगा, क्योंकि पास से लाइन आ रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 132 जी.एस.एस. की चाकसू में घोषणा करें। यह इन चारों विधान सभा क्षेत्रों के सारे कृषकों की मांग है। हर साल धरना दिया जाता है। जिस प्रकार का धरना अब की बार दिया गया है, गयी बार भी दिया गया था। मुझे आशा है कि इसकी इस बार घोषणा की जाएगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए आमेर में सहायक अभियन्ता कार्यालय है वहां नायला और कानौता के काश्तकार 25 किलोमीटर दूर से सहायक अभियन्ता कार्यालय में अपने बिलों के बारे में और अन्य कार्यों के लिए आना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक कानौता में और एक तुंगा में, उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए दोनों जगह एक-एक सहायक अभियन्ता कार्यालय की घोषणा की जाए एवं कार्यालय खोला जाए जिससे कार्य का निपटारा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण किसान।

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में रेनवाल में एक ए.ईएन. आफिस है। इसमें 26 हजार उपभोक्ता हैं। इन 26 हजार उपभोक्ताओं को वहां के ए.ईएन. से मिलने का समय भी नहीं मिलता। ए.ईएन. को एक छोटासा व्हीकल भी उपलब्ध नहीं होता। किसानों को कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी से रेनवाल

(श्री रामनारायण किसान)

जाना पड़ता है। इसलिये ग्राम जोबनेर में एक ए. ईएन. आफिस खोलने की कृपा करें।

दूसरा, निवेदन यह है कि करीब 13 कुएं ऐसे हैं जो जलदाय विभाग द्वारा इसी साल स्वीकृत किये गये हैं, विभाग द्वारा सिक्योरिटी भी जमा करायी हुई है फिर भी करीब 6 महीने से आज तक उनमें कनेक्शन नहीं दिया गया। किसानों में, ग्रामीणों में और गरीबों में यह असन्तोष व्याप्त है कि वहां पीने के पानी के लिए त्राहि–त्राहि करते रहते हैं और विद्युत विभाग ध्यान नहीं देता। इसमें तुरन्त कनेक्शन किये जाने की कृपा करें।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन जी.एस.एस. ऐसे हैं जिनकी हालत खराब पड़ी हुई है, जिनमें वोल्टेज कम रहती हैं, इनके ट्रांसमीटर्स जले हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय से बार बार निवेदन करने के बाद भी वहां कोई सुनवाई नहीं करते हैं। उन ट्रांसमीटर्स को चेंज कर के भारी क्षमता वाले ट्रांसमीटर रखे जाएं, जिससे लाइंस ओवर लोड नहीं हो और ग्राम लूणीयावास, खेजड़ावास और तिबारिया में 33 के.वी. के जी.एस.एस. नये स्वीकृत किये जाएं जिससे किसानों को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत लम्बा भाषण दिया। मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य जानते हैं कि मंत्री महोदय के हृदय के अन्दर कितनी चिन्ता है। प्रति क्षण मंत्री महोदय किसानों के बारे में चिंतित रहते हैं। कोई यह कहे कि किसान ही चिंतित रहते हैं या किसान का एक व्यक्ति प्रतिनिधि है दूसरा नहीं है, चाहे माननीय मुख्य मंत्री हों, चाहे माननीय मंत्री महोदय हों, चाहे बाहर से नकद पैसे देकर राजस्थान में बिजली खरीदने की बात हो, चाहे उन पर प्रभाव डालकर बिजली लेने की बात हो, चाहे नये–नये पावर हाउस लगाने की बात हो सारे मामले के अन्दर अत्यन्त चिंतित हैं। परन्तु परेशानी कहां हैं? परेशानी इस बात में नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय को कम चिंता है या माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कम कोशिशें इस सबके लिए की हैं, बिजली बोर्ड में जो अव्यवस्था है उसके बारे में चिंता है। किसान बहुत अच्छी तरह से समझता है, जानता है कि बिजली की कमी है। यदि बिजली समान रूप से सबको मिलती रहे, जितनी बात कही जाए चार घंटे, पांच घंटे, जो समय कहा जाए, जिस वोल्टेज में कहा जाए उसमें बिजली मिलती रहे, उसमें अव्यवस्था नहीं हो, तो किसान परेशान नहीं होगा। किसान बहुत अच्छी तरह से समझता है इस बात को।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देकर निवेदन करना चाहूंगा। थानागाजी में मेरे एक भाग को बिजली आती है माधोगढ़ से, एक भाग को बिजली आती है बानसूर, कोटपूतली से, एक भाग प्रतापगढ़ को रायसर से। अब गांव बराबर-बराबर हैं। एक जगह तीन घंटे आ

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रही है। और एक जगह आठ घंटे आ रही है। वहां का किसान देख कर आता है कि थानागाजी में तो आठ घंटे बिजली आ रही है, नारायणपुर में क्या हो गया ? यहां दो घंटे ही क्यों आ रही है ? एक जगह बराबर बिजली आ रही है और एक जगह 15-15 दिन तक बिजली नहीं है। नारायणपुर के अन्दर लॉग बुक मंगा कर देखें, 15 दिन तक बिजली नहीं थी। 15 दिन तक लोग पानी के बिना प्यासे मरते रहे। जहां पर बिजली के द्वारा पानी का इन्तजाम है, दूसरा हैंडपम्प भी नहीं हैं, कुएं भी सब बन्द हो गये हैं वहां लोगों की क्या स्थिति होती है इसका आप अंदाज लगा लें। ऐसे स्थान पर जो लोग बैठे हैं उनकी संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां 15-20 दिन तक ध्यान नहीं दिया गया। लोग चिल्ला रहे हैं और एक्स.ईएन. कहते हैं कि जे.ईएन. ने रिपोर्ट नहीं दी है, चीफ इंजीनियर कहते हैं मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं आयी। यदि रिपोर्ट नहीं आयी है तो ये करते क्या हैं ? यह मामला अव्यवस्था के कारण है।

मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। हमारे यहां बिजली आती थी कल-परसों तक कोटपूतली से वाया चतरपुर। अब चतरपुर का जो जे.ईएन. है वो वहां के लोकल किसानों के दबाव में आता है। ज्यों ही बिजली का लोड बढ़ता है वह वहां से काट देता है और काट देने पर पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर हजारों बीघा जमीन है उसमें बिजली मिलती ही नहीं है। वहां के ए.ईएन; एक्स.ईएन को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि चतरपुर पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार जो नियंत्रण का मामला है और जगह-जगह पर स्थिति को देखने का मामला है उस अव्यवस्था के कारण किसान ज्यादा परेशान हैं।

इस समय यह जो अव्यवस्था है, संक्षिप्त काल का तो मैंने निवेदन किया, परन्तु दीर्घकालीन जो व्यवस्था है उसके अन्दर भी बहुत सारी खराबियां हैं। लोगों को वोल्टेज नहीं मिलता है। बिजली चार घंटे मिल रही है पर वोल्टेज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वोल्टेज ? 33 के. वी. की बिजली की लाइन का कायदा है कि उस लाइन को आप 25 किलोमीटर से ज्यादा लम्बी नहीं रख सकते। आप 33 के. वी. स्टेशन से 25 किलोमीटर के बजाय यदि वह लाइन 50 किलोमीटर जा रही है तो निश्चित ही उसके अन्दर वोल्टेज ड्रॉप होगा आपके आदेश देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परन्तु किसी ने इस बात पर चिंता नहीं की। इसी तरह से जहां तीन 33 के.वी.ए. के स्टेशन हो जाएं उन पर फीड करने के लिए 132 के.वी.ए. का स्टेशन होना चाहिये। यह बिजली का कायदा है। यह टैक्निकल कायदा है। संयोग से मैं इंजीनियर हूं। जो बिजली के कानून-कायदे हैं वह आपके घर के बनाये हुए कानून-कायदों से प्रभावित नहीं होते हैं, उनके कायदों से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ आप कंस्ट्रेक्टिव सुझाव ही दें।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, मैं सुझाव ही दे रहा हूं। 33 के.वी. के कहीं तीन स्टेशन हैं तो वहां 132 के.वी. का स्टेशन होना जरूरी है।....(व्यवधान)

९४

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जो सुझाव दे रहे हो वह इंजीनियरों की समझ की बात है।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं--नहीं, प्रत्येक व्यक्ति समझता है। यदि नॉन इंजीनियर बिजली बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है और उसके समझ में आ जाता है तो फिर दूसरे के समझ में क्यों नहीं आएगा। 11 के.वी. की जो लाइन है, मैं कई जगह बता सकता हूं कि 35किलोमीटर तक 11 के.वी. की लाइन जा रही है। उसमें वोल्टेज कहां मिलेगा। 11 के.वी. की लाइन कभी भी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह कायदा है। सिम्पल केलकुलेशन है। इसमें कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है।

मेरा निवेदन यह है जो ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कम्प्लीली एडहॉक बेसिस पर अबरप्ट बेसिस पर और नॉन टैक्नीकल बेसिस पर जो आये जहां पर लगा दिया है उससे सारे राजस्थान का जो सिस्टम है वह खराब हो चुका है। अब मुझे दुःख है कि जब यहां पर एक तरफ प्रयास हो रहे हैं, अनेक प्रकार के जनरेटिंग सिस्टम कायम हो रहे हैं, अनेक प्रकार के पॉवर हाउसेज कायम होने जा रहे हैं और जैसा आश्वासन दिया जा रहा है कि तीन, चार, पांच साल के बाद में बिजली प्रचुर मात्रा में होगी परन्तु आपका जो इस समय ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे किसान को चार वर्ष बाद भी वही की वही तकलीफ मुनस्सर होगी। आपके केवल मात्र बिजली पैदा कर देने से उसके पास डिफेक्टिव ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा बिजली नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आज ही आगाह कर देना चाहता हूं बिजली बोर्ड के कर्मचारी हों या कोई भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों उनको अपने कैरियर से आगे नहीं दिखाई देता। वह कभी आगे की बात नहीं सोचेगा।

मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा यही पॉवर हाउस के चेयरमैन, इसी बिजली बोर्ड के चेयरमैन यदि कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट या किसान अपनी बिजली पैदा करता तो उसके ऊपर टैक्स लगाते थे, ड्यूटी लगाते थे, उसको इजाजत नहीं देते थे। किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट को इजाजत नहीं दी जाती थी। उसका परिणाम यह है कि आज बिजली की कमी है। यदि उस समय उन लोगों को इजाजत दे दी जाती तो आज प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों होती। परन्तु वही स्थिति अब आगे आने वाली है चार वर्षों के बाद में कि आपके पास पॉवर हाउसेज होंगे, आपके पास पॉवर जनरेशन होगा परन्तु जो किसान है, उसको तो लो-वोल्टेज ही मिलेगा। आप चाहे कितनी ही मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर लीजिएगा, परन्तु जिस लाइन पर जाने वाली बिजली है उस लाइन के अन्दर यदि लोसेज होते हैं तो उस किसान को तो लो-वोल्टेज मिलेगा और इससे उसकी मोटर जलेंगी, वहां पर उसके ट्रांसफार्मर्स जलेंगे। इसलिए यदि अभी से इन साइमल्टेनियस चीजों का ख्याल नहीं रखा गया और केवल मात्र जनरेशन की तरफ ध्यान दिया गया तो किसान की तकलीफ चार वर्ष बाद भी दूर होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से आगे किसान को तो तकलीफ होगी ही होगी। यह कहा जाता है कि हमारा जो बिजली बोर्ड है यह बहुत ज्यादा नुकसान के अन्दर है। यह

(श्री रमाकांत शर्मा)

भी इस ट्रांसमिशन की देन है। आज यह बताते हैं कि मेनिप्युलेटेड फीगर्स 26-27 पर्सेण्ट के लाइन लोसेज हैं। इनके 38 पर्सेण्ट के लाइन लोसेज हैं। यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल ऑडिटर को इनके ऊपर बिठा दें और फिर अच्छी तरह से देख ले कि इनके लाइन लोसेज कितने हैं। 38 पर्सेण्ट बिजली जहां आसमान के अन्दर बेकार जा रही हो, छीजत हो रही हो तो किसान को बिजली कहां से मिलेगी ? आप 100 मेगावाट बाहर से ले लीजिएगा, 500 मेगावाट बाहर से ले लीजिएगा परन्तु वह छीजत के अन्दर उड़ जाएगी। किसान तक पहुंचने वाली नहीं है।

यह जो बिजली की लाइन्स लम्बी कर दी जाती है। जैसे मैंने निवेदन किया 11 के. वी. की मान लीजिए 10 किलोमीटर से ज्यादा लम्बी लाइन कर दी तो वह लाइन इतनी संवेदनशील हो जाती है कि जरा-सी चिड़िया भी छू देगी तो फाल्ट हो जाएगा किसान की बिजली बन्द हो जाएगी। दूसरी, अव्यवस्था है वहां पर जो जूनियर इंजीनियर बैठा हुआ है, लाइनमैन बैठा हुआ है वह तो कभी देखने वाला ही नहीं है कि फाल्ट हो गया। रात को एक ग्रुप के किसानों को बिजली मिली ही नहीं। यह जो अव्यवस्थित स्थिति है इस अव्यवस्थित स्थिति के अन्दर लाइन फाल्ट का मौका बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर लाइन फाल्ट हो रही है। मैं ऐसी स्थिति में बताना चाहूंगा कि हमारी जो मैन पावर है बिजली बोर्ड के अन्दर, वह बड़ी अव्यवस्थित है। जगह-जगह डिप्टी चीफ इन्जीनियर तो न जाने कितने बना दिये, जो जी. एस. एस. है, जो छोटे-छोटे स्टेशन्स हैं वहां पर रात को जाकर देखें तो लाइनमैन एक भी नहीं। जहां किसी जमाने में वहां 10-10, 15-15 लाइनमैन हुआ करते थे, कोई मर गया उसकी जगह किसी आदमी को रखा ही नहीं गया, यदि और कुछ बात हो गयी है तो उसकी जगह नहीं रखा गया। जहां नीचे से किसान को बिजली मिलती है, जहां किसान की अप्रोच है, किसान कौन-से डिप्टी चीफ इन्जीनियर के पास जाएगा, किसान कौन से सुपरिटेंडेंट इन्जीनियर के पास जाएगा, किसान तो जहां उसको बिजली मिलने वाली है वहां जाएगा और वहां कोई आपका आदमी मिलने वाला है नहीं।

पिछले वर्षों के अन्दर बिजली बोर्ड ने कभी भी यह नहीं सोचा कि जो अपने लोग हैं उनका जो स्किल है, उस स्किल के अन्दर इम्प्रूवमेंट करे। आज बिजली बोर्ड के अन्दर जिस तरह के लाइनमैन हैं, जिस तरह के लोग हैं, उनके स्किल में इतनी शून्यता है, इतनी न्यूनता है कि वह ठीक प्रकार से किसी चीज को समझ नहीं सकते, किसी प्रकार से उस चीज को कर नहीं सकते। इनके जो खुद के काम करने वाले हैं उनमें तो स्किल है ही नहीं। परन्तु जिन्होंने उनको कांट्रेक्टर्स अपाइन्ट किए हुए हैं वह कांट्रेक्टर्स भी कम्प्लीटली अनस्किल्ड हैं, बिजली के बारे में समझते ही नहीं।

मैं अलवर की एक मीटिंग के अन्दर वहां के डिप्टी चीफ इन्जीनियर से प्रश्न कर रहा था कि जो आप यह खम्भा खड़ा करते हैं यह झुका हुआ है। कोई 45 डिग्री झुका हुआ है, कोई 30 डिग्री झुका हुआ है यह आपके और जर्मनी के स्टेण्डर्डस में कुछ

(श्री रमाकांत शर्मा)

फर्क है क्या ? जर्मनी का खम्भा क्यों नहीं झुकता, आपका खम्भा क्यों झुक जाता है ? क्या आप उसके अन्दर सीमेंट, क्रांकीट नहीं भरते हैं या आप उसके अन्दर जो गहराई है उस गहराई के अन्दर फर्क रखते हैं ? आपके स्टेण्डर्ड डिफरेंट हैं क्या ? उन्होंने कहा स्टेण्डर्ड डिफरेन्ट नहीं हैं जिन कांट्रेक्टर्स ने, जिनमें स्किल नहीं है, जिनको समझ नहीं है, जिस तरह से खम्भे खड़े किए हैं आज सारे राजस्थान में कहीं पर चले जाइएगा, हरेक खम्भा आपको सलामत नहीं मिलेगा और हरेक लाइन इतनी नीचे जा रही है कि उसके नीचे से अक्सर देखते हैं कभी किसी ऊंट गाड़ी वाले को जाना है इसके पास बांस है और बांस से तार ऊंचा कर के जा रहा है। मैन जो सड़कें हैं उनके ऊपर ट्रक वाले बांसों के ऊपर लकड़ी लगाकर लाइन को ऊंचा करके जा रहे हैं। यह एक जगह की बात नहीं है। पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की अव्यवस्था है। इस चीज को जब तक नहीं देखेंगे, यह ठीक नहीं होगी।

फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका इतना पुअर है, सामान मंगा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। क्यों मंगाते हैं सामान यदि पैसे नहीं देते हैं तो ? अब होता क्या है सामान मंगा लिया और आपने पैसे समय पर दिये नहीं तो नतीजा क्या होगा कि अगली बार वह सामान खराब देगा और सामान की कीमत भी ज्यादा चार्ज करेगा। जो चीज हजार रुपये में आनी चाहिए वह इनको पांच हजार में मिलती है क्योंकि उसको पैसे नहीं देते। यदि शुरू के अन्दर यह तय हो जाए कि हम आपसे खम्भे लेंगे, हम आपसे तार लेंगे और पैसे हम आपको आठ महीने में देंगे तो कायदे का ब्याज लगाकर वह ले लेगा। परन्तु यदि उसको आपने बताया नहीं साल के बजाय डेढ़ साल में देंगे, दो साल में देंगे, तीन साल में देंगे। उसको अनिश्चितता है तो सामान खराब आएगा, मंहगा आएगा आपको लोसेज होंगे और फिर बता दिया जाएगा कि किसान की वजह से लोसेज हो रहा है, क्योंकि किसान को हम सस्ती सेट पर बिजली दे रहे हैं। किसान को सस्ती बिजली तो सब जगह मिलती है।

अभी जिक्र चल रहा था, मैं अमरीका के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर यदि किसान को चाहे राम की वजह से, चाहे राज की वजह से पिछले तीन सालों के अन्दर जो अच्छी उपज है उसके उत्पादन में यदि किसी प्रकार की कमी होती है तो उसके घर में अपने आप चैक आ जाता है। पिछले साल यदि 60 क्विंटल पर हैक्टेयर गेहूं पैदा किया था, इस साल 40 क्विंटल पर हैक्टेयर पैदा हुआ है, 20 क्विंटल पर हैक्टेयर की यदि कमी है तो 20 क्विंटल का उसको मुआवजा मिल जाता है। वहां इस तरह की बात नहीं होती। यहां पर बात कर दी जाती है। बिजली की रेट भी सारी दुनिया में कम है।

मैं आपको और बताऊं मिस मैनेजमेंट का, मिस-मैनेजमेंट का नतीजा क्या होता है ? आज के चार साल पहले के आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। अलवर की बात कर रहा हूं, राजस्थान के अन्दर भी एप्लीकेबल है कि ढाई पर्सेण्ट से ज्यादा ट्रांसफार्मर नहीं जला करते थे। आज 16 पर्सेण्ट ट्रांसफार्मर जल रहे हैं क्यों जल रहे

(श्री रमाकांत शर्मा)

हैं ? गलत आदमियों से ट्रांसफार्मर लिये जा रहे हैं। वह ट्रांसफार्मर सब-स्टेण्डर्ड है। वह काम के नहीं हैं वहां पर। कड़वी और बेल चढ़ी। एक तरफ तो आपका वोल्टेज सिस्टम बड़ा पूअर है, ट्रांसमिशन सिस्टम पूअर है और जब ट्रांसफार्मर को इनपुट साइड के अन्दर यदि प्रोपर वोल्टेज नहीं मिलता है तो आबवियसली करंट बढ़ जाता है, आबवियसली वह जल जाता है परन्तु यदि डिफेक्टिव लगा दिया तो वह और जलता हैं हमने कभी सुना ही नहीं था कि हमारे थानागाजी क्षेत्र के अन्दर साल भर में कोई एक ट्रांसफार्मर जल गया तो बात दूसरी है। अब तो रोज चार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। यह सारा का सारा जो डिफेक्टिव मैटीरियल लिया जा रहा है उस डिफेक्टिव मैटीरियल के कारण इस तरह की चीज हो रही है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न माननीय ऊर्जा मंत्री जी से करना चाहूंगा आखिरकार यह स्टेडी तो करवाये, क्या वजह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हिन्दुस्तान के जितने साउथ और वेस्टर्न के बिजली बोर्ड हैं वह तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश के बिजली बोर्ड में नुकसान हो रहा है। आखिरकार रेट में बहुत ज्यादा फर्क है या दूसरी कोई बात है। कोई न कोई तो कॉमन फैक्टर है। मैं नहीं समझता कि मैं सदन का लम्बा चौड़ा समय लेऊं इस मामले के अन्दर परन्तु एक स्टेडी करवाने वाली बात है। आपको किसी इन्जीनियर को भेजना चाहिए कि तमिलनाडु के अन्दर, क्या वजह है कि वहां बिजली बोर्ड की स्थिति बहुत अच्छी है। नजदीक के अन्दर हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थिति अच्छी है और हमारे बिजली बोर्ड की स्थिति खराब है और हम उड़ीसा, बिहार और उत्तरप्रदेश के साथ ब्रेकेट हो रहे हैं। इन सब चीजों को आप देखें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार भी माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की थी कि डीजल और नेफ्था के आधार पर यहां बहुत सारे सौ–सौ मेगावाट के स्टेशन्स लगने वाले हैं, लगा तो एक भी नहीं और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वह लगेंगे। जिन लोगों ने सोचा था वह किसी दूसरी स्थिति में सोचा था कि दस–दस करोड़ रुपया पांच–सात आदमी इधर–उधर से प्रोफिटिंग कम्पनी से लेकर के यहां पर लगा देंगे और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टैक्स इरेजन हो जाएगा, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उन परिस्थितियों में बदलाव आ गया है। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि वह लगेंगे परन्तु मैं टैक्निकली आगाह करना चाहता हूं कि नेफ्था से चलने वाले संसार के अन्दर जितने भी जनरेटिंग स्टेशन्स हैं वे सारे आब्सोलिट हो चुके हैं। नेफ्था के आधार पर जो इंजन लगेगा, जो जनरेटिंग सैट लगेगा वह जनरेटिंग सैट आठ–नौ वर्ष से ज्यादा चल ही नहीं सकता टैक्निकली। और जितने आप लाने जा रहे हैं, हमारे यहां स्टेशन्स के लिये जितने भी सैट लाने जा रहे हैं, एक भी नया नहीं लाने जा रहे हैं। सारे अधिकारी लोग यह नोट कर लें कि नया एक भी नहीं आ रहा है। यूरोप के अन्दर पांच साल, छह साल जो काम कर चुके हैं, जो डिस्कार्ड हो चुके हैं, वह डैड आ रहे हैं और वे यहां पर दो

100

(श्री रमाकांत शर्मा)

वर्ष के अन्दर खतम हो जाएंगे । एक तरफ तो हम यह कहेंगे कि 100–100 मेगावाट के आठ स्टेशन्स, दस स्टेशन्स लगा दिये हैं और दूसरी तरफ दो वर्ष के अन्दर किसानों की हालत वह की वह हो जाएगी क्योंकि नेफ्था से चलने वाले डीजल जनरेटिंग सेट की लाइफ नहीं हैं, उसकी टैक्नोलोजी डिफरेन्ट है । नेफ्था यदि टैक्नोलोजी वाला होता, आज यहां पर आखिरकार उसकी स्थिति पैट्रोलियम पदार्थों के अन्दर डीजल से बैटर है,तो हमारे सब जगहों पर जो डीजल और पैट्रोल के स्टेशन्स लगे हुए हैं उनकी जगह पर नेफ्था के स्टेशन्स होते और हमारी डीजल से चलने वाली जो कारें हैं वे डीजल के बजाय वह नेफ्था से चलने वाली कारें होतीं । परन्तु ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि नेफ्था से वह इंजन खराब हो जाता है, ज्यादा दिन चल नहीं सकता । इस टैक्नोलोजी को डिस्कार्ड कर दिया बाहर के लोगों ने । उस डिस्कार्डड टैक्नोलोजी पर यदि हमने परम प्रसन्न होकर नेफ्था के आधार पर बड़े-बड़े 100 मेगावाट के स्टेशन लगा दिये तो उनकी लाइफ नहीं होगी और फिर दुबारा इस देश के अन्दर, हमारे राजस्थान के अन्दर किसानों के प्रति क्राइसिस पैदा हो जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन बातें कहकर के अपनी बात खतम करना चाहता हूं । एक बात तो नर्सरी योजना के सम्बन्ध में है । यह बार-बार कहा जाता है कि बड़ा किसान जो पैसे देने वाला है वह पैसे दे सकता है तो उसको बिजली क्यों नहीं दी जाए । इसमें एक छोटी सी बात है, साइक्लोजिकल बात है, बड़ी बात तो मैं बाद में कहूंगा । जब आप यह कहते हैं कि ज्यादा पैसा दे दो तो बड़े किसानों को बिजली दे देगें, तो साधारण, बिना पढ़े–लिखे किसान के मन में यह बात आती है कि बिजली तो इनके पास है लेकिन वह पैसे वाले को मिल सकती है । वह जो एक बात बताना चाहते हैं कि बिजली का हमारे पास जनरेशन नहीं है, बिजली की हमारे पास कमी है वह हम समझा नहीं सकते किसानों को । किसान कहता है कि नर्सरी के अन्दर एक लाख रुपया दें तो बिजली मिल जाती है तो फिर बिजली तो है आप-के पास में । यह एक छोटी सी बात है जो उसके समझ में नहीं आती ।

दूसरी बात यह है कि आखिरकार आप एक हजार रुपये के पोल का दो हजार रुपये या पांच हजार रुपये, जो भी इस किताब के अन्दर लिखा है, वह आप चार्ज करना चाहते हैं । तो जब आपने वह खम्भा खरीदा है एक हजार रुपये के अन्दर और आप जब चार हजार रुपये लेते हैं तो आप अपने अकाउण्ट्स के अन्दर क्या दिखाते होंगे, मेरी तो यह समझ में नहीं आता । उसमें प्रोफिट दिखाते हैं या क्या चीज दिखाते हैं ? कैसे एस्टीमेट बनाते हैं आप ? आप कहते हैं कि उसका पैसा गरीबों के काम में लेते हैं । मैं तो समझता हूं कि इसका अकाउंटिंग ही प्रोपर नहीं होगा, अकाउंटिंग ही डिफेक्टिव होगा जो इस तरह के पैसे लिये जाते हैं । आपके जब पैसे लगे हुए हैं, आपका सुपरवीजन चार्जेज हो, आपका स्टोरेज चार्जेज हो वह जोड़कर के पैसा किया जाए तो उसका प्रपोर अकाउंटिंग हो जाएगा । यह जो अनप्रपोरशनेट–डिसप्रपोरशनेट आप पैसा

(श्री रमाकांत शर्मा)

ले लेते हैं इसका तो अकाउण्टिंग ही गड़बड़ होगा। इसको गरीबों के अन्दर लगाने का प्रश्न ही क्या उठता है। फिर बोर्ड की स्थिति खराब है इस कारण से आप किसानों में बंटवारा करना चाहते है? गरीब किसान और मालदार किसान में भेद करना चाहते हैं? जो मालदार किसान होगा, वह तो बिजली ले लेगा। नतीजा क्या होगा, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, मालदार जगह है तो वहां तो हर घर के अन्दर हर किसान के हर कुएं पर बिजली होगी और थानागाजी में तो अगले सौ साल में भी बिजली नहीं होने वाली है। क्योंकि वहां बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। तो वह इस असंतुलन के अन्दर आ जाएगे। आपकी यह छोटी सी बात, बहकाने की बात है। बात यह है कि बिजली बोर्ड के अधिकारी सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हमने इतना और ज्यादा पैसा प्राप्त कर लिया। यदि वह अच्छी तरह काम करना चाहते हैं तो जो लाइन लोसेज 38 पर्सेण्ट हो रहा है उसको कम करे, अपनी व्यवस्था को ठीक करे। इस प्रकार से किसानों को बांटकर के, किसानों से पैसा लेकर के नर्सरी योजना चलाना चाहते हैं। वह नर्सरी योजना किसानों के मन के अन्दर अभी नहीं उतरी है। जिस किसान ने ले लिया है वह तो ले लिया परन्तु साधारण किसान इस योजना से प्रसन्न नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाहता हूं। सौभाग्य होना चाहिए कि हम सेंक्चुअरी के पास बसे हुए हैं, हम सरिस्का सेंक्चुअरी के चारों तरफ बसे हुए हैं परन्तु थानागाजी क्षेत्र के लिए सेंक्चुअरी दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, वहां के जन-जीवन को इतनी परेशानी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके आस-पास के गांवों के अन्दर बिजली नहीं दी जा सकती क्योंकि वन विभाग कहता है कि यहां पर बिजली नहीं लग सकती। मैंने सारे के सारे कानून पढ़े हैं, मैंने नियम पढ़े हैं, मैंने नियमों को लोगों को बताया है। उन नियमों के अन्दर राज्य सरकार को पावर है कि छोटी जो बिजली है वह दी जा सकती है। केवल मात्र 220 या 132 का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए रुकावट है, परन्तु डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिये नहीं है। असंवेदनशील लोग बैठे हुए हैं और फिर इस बात को ऊपर तक कोई सुनने वाला नहीं है। विद्युतीकरण को सेंक्शन हुए पांच–पांच वर्ष हो गये। आपके पास ताकत है तो आप उन गांवों को वहां से निकाल दीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : दोनों विभाग एक ही जगह हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मुझे कोई एतराज नहीं है। वहां से उन गांवों को हटा दीजिये और दूसरी जगह बसा दीजिये। मैं भी आपके साथ हूं। परन्तु गांव वहां पर रहें, वहां पर हैण्ड पम्प नहीं लग सकें और न उनके गांवों के अन्दर बिजली पहुंच सके, कौनसे पाषाण युग के अन्दर रखना चाहते हैं आप, कौनसे कानून के अन्दर रखना चाहते हैं आप उन लोगों को? बीसियों गांव ऐसे हैं जहां के लोग परेशान हैं, तरस रहे हैं कि हमारे आस-पास बिजली है। हमें बिजली

/102

(श्री रमाकांत शर्मा)

(व्यवधान)....सुन लिया, मुझे पता है आप ज्ञानवर्धन क्यों कर रहे हैं, तुच्छ ज्ञान तो मुझे है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बात को गम्भीरता से लेने का प्रश्न है, इस बात से चारों तरफ के लोग परेशान हैं कि उन लोगों को बिजली दी जाए नांगलहेड़ी के अन्दर 12 लाख रुपये आर.एस.ई.बी. ने लगाकर वहां बिजली की लाइनें डाल दीं, बिजली वहां पहुंच चुकी । वन विभाग का एक छोटा सा, अघना सा अधिकारी (फिरवाल) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को चिट्ठी लिखता है कि इन लोगों को कनेक्शन नहीं दिये जाएं और वह एक्स.ईएन. मेरे पास चिट्ठी भेज देते हैं, चूंकि मेरे को फिरवाल ने चिट्ठी लिखी हुई है इसलिये बिजली पर 12 लाख खर्च कर दिये गये हैं वह तो फोकट में आये थे, किसी दूसरी दुनिया से आये थे, हमारे देश के अन्दर उस इकोनामी का कोई अन्तर नहीं है, अब हम वहां के लोगों को कनेक्शन नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास यह चिट्ठी आयी है । चिट्ठी लिखने से पहले उस एक्स.ईएन. को अपने चीफ इंजिनियर से पूछना चाहिये, अपने चेयरमैन से पूछना चाहिये और अपने मंत्री से पूछना चाहिये कि इस विषय के अन्दर रुपया खर्च हो गया अब क्या करना है और इसकी क्या पालिसी होनी चाहिए। इस पालिसी के अभाव के अन्दर लोग परेशान हैं ।

मैं, अन्त में, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि करीब छह माह पहले प्रतापगढ़ में गये थे और वहां इन्होंने घोषणा की थी कि थानागाजी के अन्दर 132 के. वी. ए. स्टेशन का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाएगा । पोलिटिकल घोषणा नहीं थी, डिप्टी चीफ इंजीनियर पास में बैठे हुए थे, उनसे राय ली थी और उन्होंने कहा था कि हां कर दीजिये । तब घोषणा की गयी थी । बिजली बोर्ड में सुरसुराहट ही नहीं है, कागज ही नहीं चला है छह-आठ महीने तक तो । ऐसी तालियां बजवाने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है? आखिरकार माननीय मंत्री महोदय कहीं पर घोषणा करते हैं तो चेयरमैन का कर्तव्य था कि उसी दिन आकर आपसे बात करते और आपसे कहते कि आपने घोषणा की है तो मुझे अब क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी करना चाहिए और इसका कार्यक्रम क्या होना चाहिए । माननीय मंत्री की घोषणा मायने रखती है हर जगह पर । परन्तु जो अधिकारी वर्ग है वह कोई चिन्ता नहीं करता इस बात की और नतीजा यह होता है कि गांवों के अन्दर हम लोगों की अनपापुलरिटी होती है और सरकार की अनपापुलरिटी इस मामले के अन्दर होती है । तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन चीजों पर गहराई से चिन्तन किया जाए । आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है । सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पहले तो धन्यवाद दे दो फिर खिंचाई करो।

श्री रामप्रताप कासनियां :....जिन्होंने यह ऊर्जा विभाग संभालने के बाद काफी कुछ प्रयास किया है, सुधार भी किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये डबल रोल में हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : डबल रोल नहीं है, जो सही सिचुएशन है, ग्राम गांव के अन्दर जो चर्चा है वह एक है मंत्रीजी के बारे में कि मंत्रीजी तो बहुत भले आदमी हैं। यह चर्चा आम काश्तकार जो खेतों में बैठा है। वह कर रहा हैं, परन्तु इनको तो भोले भण्डारी ले बैठे। यह एक चर्चा है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) मंत्रीजी तो अच्छे हैं। मंत्रीजी की थोड़े ही बुराई कर रहे हैं, मंत्रीजी बुरे नहीं हैं ये तो भोले ब्राह्मण हैं, इनके ऊपर तो भण्डारी जी का प्रकोप है। कहने का तात्पर्य यह है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कौनसी बीमारी है।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मोटे मुद्दों पर तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से चर्चा की है परन्तु जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। गांव और शहर में जो बिजली सप्लाई का भेद है यह खतम होना चाहिए। रात को गांव में 9 बजे लाइट आती है, कभी 11 बजे आती है और सुबह चार बजे से पहले चली जाती हैं और कई–कई गांवों में तो यह हालत है कि दस–दस दिन तक लाइट बिलकुल भी नहीं आती है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के कनेक्शन लेने के लिये ऐसी कठिन प्रक्रिया है कि कोई गांव का सीधा–सादा आदमी कनेक्शन ले ही नहीं सकता। अब एक घर का कनेक्शन लेने के लिये एक आदमी को कम से कम दस बार ए.ईएन.,एक्स.ईएन. के चक्कर लगाने पड़ते है और जे.ईएन.,ए.ईएन. जो बैठे हैं वह ऐसे उदारवादी नहीं हैं कि वह उनको कनेक्शन दे दें। आखिर में गांव के लोग परेशान होकर ऊर्जा विभाग के जो लाइनमैन, हैल्पर हैं उनको ठेके पर देते हैं, गांवों के अन्दर वह ठेका करते हैं घरों के कनेक्शन का। उनको सौ–दो सौ रुपये दिये बिना वह कनेक्शन हो नहीं सकता। यह तो एक आम परम्परा हो गयी, क्योंकि गांव का आदमी एक बार दफ्तर जाता है, दो बार दफ्तर जाता हैं, आखिर उसको वहां कोई न्याय नहीं मिलता तो फिर मजबूरी में उस हैल्पर को वह कनेक्शन ठेके पर देता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कागजों में तो यह बात लागू हो गयी कि गांवों में कैम्प लगाकर कनेक्शन दिया जाय, परन्तु आज तक मैंने इस तरह के कैम्प लगते हुए देखे नहीं। गांवों में कहीं भी कैम्प लगाकर कोई कनेक्शन नहीं दिये। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बड़ा अधिकारी गया हो, दो-चार–पांच कनेक्शन अगर भूल–चूक से छह महीने में कहीं दे दिये हों तो मुझे पता नहीं। परन्तु इस तरह की व्यवस्था अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं हुई है। इसमें विभाग का कोई ज्यादा खर्चा होने वाली बात भी नहीं है। अगर किसी गांव में सौ–पचास कनेक्शन करने हों और गांवों

(श्री रामप्रताप कासनियां)

में जाकर ही लोगों से पैसे जमा करवाकर हाथों-हाथ कनेक्शन आदेश जारी कर दिए जायं तो इसमें कोई विभाग का खर्चा बढ़ने वाली बात नहीं है उल्टा फायदा ही होगा। परन्तु कनेक्शन के अन्दर भी बार बार चक्कर लगवाना, लटकाना, यह बात मैं इस सदन में कई बार निवेदन कर चुका हूं।

दूसरी एक व्यवस्था और है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जे.ईएन. की जब तक मर्जी नहीं हो तब तक गांव का आदमी कनेक्शन ले ही नहीं सकता। जो स्कीम बनती है उसमें घूमा-फिराकर कह देते हैं कि आपके तो दो पोल लगेंगे, लगे चाहे एक पोल ही। वह जो सर्वे वगैरह करते हैं उसमें ज्यादा पोल दिखा देते हैं, तो उनकी नीयत नहीं हो तो कनेक्शन ले ही नहीं सकते। आखिर में वह बात वही उस लाइनमैन के पास जाती है। प्रति कनेक्शन दो सौ, तीन सौ रुपये तय हो जाएं तब जाकर वह ग्रुप स्कीम बनती है। तब जाकर वह काम चलता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में अभी ऊर्जा विभाग ने जो मीटर लगाये हैं उनके बारे में एक चर्चा है और मैंने स्वयं भी देखा है कि या तो पूर्व में ऊर्जा विभाग ने जो मीटर लगा रखे थे उनकी गति कम थी और या अब जो मीटर लगाये हैं उनकी स्पीड तेज है। दोनों में से एक बात जरूर है। अब हर घर में कहीं भी जाकर पूछो तो पहले एक महीने में चालीस रुपये, तीस रुपये, बीस रुपये जिन लोगों का बिल आता था आज उनकी हालत यह है कि डेढ़ सौ से दो सौ रुपये बिल आता है। उन्होंने कोई अलग पाइंट नहीं लगाया, अलग कोई बिजली का खर्चा नहीं बढ़ाया। वही पाइंट हैं, पूर्व में जिस तरह के बल्ब, ट्यूब-लाइट वगैरह लगी हुई थीं वही लगे हुए हैं फ्रिज,कूलर लेने की तो जरूरत ही कहां है यह तो शहर वालों के काम की चीजें हैं। फ्रिज, कूलर गांव के आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिस्टम में गड़बड़ है और बहुत ज्यादा बिल आता है, तो इसको भी दिखवाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग में ऐसे कानून-कायदे बने हुए हैं कि जिनके रहते हुए कोई काम करवा ही नहीं सकता, उदाहरण के तौर पर गांव के अन्दर किसी मकान के ऊपर से लाइन निकल रही है और उस मकान का मालिक जाकर ए.ईएन के यहां एप्लीकेशन दे कि मकान के ऊपर से यह लाइन हटाकर दूसरी साइड में जो गली पड़ी है वहां लगवा दो तो विभाग कहता है कि लाइन शिफ्ट करने का खर्चा आपको जमा करवाना पड़ेगा और जब वह आदमी पूछता है कि कितना खर्चा लगेगा, तो उसको उत्तर मिलता है कि आपको महीने-दो महीने बाद बता दिया जाएगा। अब पोल शिफ्टिंग का खर्चा भी गांव के लोगों से वसूल किया जाता है, यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरदारगढ़ गांव मेरे क्षेत्र में है। ग्यारह हजार वोल्टेज की लाइन उस गांव के अन्दर से निकल रही है। गांव वालों की कोई भी गलती नहीं है यह गलती विभाग की है और विभाग ने जान-बूझकर बाहर जगह होते

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हुए भी गांव के अन्दर से लाइन निकाली। उस लाइन से दो-तीन तो आदमी मर गये और कम से कम तीस-पैंतीस पशु मर गये। कई बार लाइन टूटकर तार नीचे गिर गये तो गांव में बहुत नुकसान हुआ। गांव में लकड़ियां जल गयीं, इंसान मर गये, पशु भी मर गये और मैं सात साल से ए.ईएन; जे.ईएन; एक्स.ईएन. को चिट्ठी लिख रहा हूं और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी जाकर कोशिश कर ली। उत्तर एक ही मिलता है कि इसमें शिफ्टिंग का जो खर्चा है वह गांव वाले जमा करवाएंगे तो हम कर सकते हैं नहीं तो हम तो करने में असमर्थ हैं। यह इस तरह के जो कानून हैं यह सरकार को फायदा देने वाले कानून नहीं हैं। पोल, तार की कोई लागत नहीं बढ़ रही है। कई स्थान तो ऐसे हैं कि उसी एक पोल से उसी एक तार से वह लाइन शिफ्ट की जा सकती है और गांव के लोग सहायता भी देने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जब विद्युतीकरण होता है तो विभाग के तो एक दो आदमी ही होते हैं और बाकी का सारा का सारा काम तो गांव के लोग करते हैं और वो ही दिशा-निर्देश देते हैं कि पोल ऐसे गाड़ो यह करो, वह करो। काम तो सारा गांव के लोग करते हैं। पोल, तार और सारा सामान अपने ट्रेक्टर से उठाकर साइड पर ले जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी ट्रांसफार्मर की चर्चा हुई। माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे थे कि हम चार दिन में ट्रांसफार्मर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरदारपुरा का एक गांव है जहां 33 के.वी.ए. जी,एस.एस. का सब स्टेशन है, उसका ट्रांसफार्मर जल गया और 15–16 दिन तक ट्रांसफार्मर वहां नहीं लगा। वहां ट्रांसफार्मर लगा तो वहां विभाग के अधिकारियों का कोई झगड़ा हुआ, मुझे वास्तविक स्थिति का पता नहीं है, उस ट्रांसफार्मर के अन्दर जो तेल था उसके अन्दर पानी मिलाया हुआ बताया। जे.ईएन. ने तो वह ट्रांसफार्मर लाकर रख दिया और ए.ईएन. मौके पर गये और उन्होंने कह दिया कि इसके अन्दर पानी है। फिर जयपुर से कोई विभाग का आदमी गया और उसको रिफाइन किया और क्या किया, दुबारा से ट्रांसफार्मर का तेल डाल-कर कम से कम बीस दिन बाद 33 के.वी. ए. जी.एस.एस का सब स्टेशन वहां चालू हुआ तो इस तरह की व्यवस्था है। गांव के अन्दर ट्रांसफार्मर जल जाए, मंत्री महो-दय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चार दिन तो बहुत बड़ी बात है अगर एक हफ्ते में भी सुनवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गांवों के अन्दर यह हालत है कि ऊर्जा विभाग के जो हैल्पर लगे हुए हैं वह इतने बड़े खुदा हैं कि कहीं पर भी कोई फाल्ट आ जाए, कोई ट्रेजडी हो जाए तो ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से तो कुछ करवाया जा सकता है परन्तु हैल्पर अपनी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं चलता। वह चाहे तो फ्यूज लगाये, चाहे तो लाइन का फाल्ट ठीक करे, नहीं तो नहीं करे। हम जब ऊपर शिकायत करते हैं एक्स.ईएन. एस.ई. को तो वह कहते हैं, क्या करें हम मजबूर हैं, इनकी यूनियन हैं। इनकी

106

(श्री रामप्रताप कासनियां)

यूनियन किसी को तबाह करने के लिए नहीं है। इनकी यूनियन अपने हितों की रक्षा करने के लिए है। गांव के अन्दर उनके जिम्मे को सौंपा है वह काम नहीं करने के लिए इन्होंने यूनियन नहीं बनायी। यूनियन तो अपने हितों की रक्षा के लिए बनायी है। तो दो टूक जवाब देना की इनकी यूनियन हैं, हम तो इनको कुछ कह ही नहीं सकते यह तो चाहे कुछ भी करें। यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की। नौ हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से वसूल करके जो कनेक्शन दिये जाते हैं, क्यों न इस तरह का सिस्टम उद्योग विभाग में कर दिया जाए। करोड़ों रुपये उद्योग विभाग से वसूल होंगे। अगर सरकार का लक्ष्य पैसा वसूल करना है तो मैं तो इस राय का हूं कि इसी तरह से यह सिस्टम उद्योग विभाग में भी लागू होना चाहिए ताकि करोड़ों रुपये वसूल हो सकें। नौ हजार रुपये वह सिस्टम जो पहले लागू है उसका मुझे पता है पर इस कृषि कनेक्शन के बनिस्बत बहुत कम है उपाध्यक्ष महोदय, इस कनेक्शन से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है गरीब आदमी को ऊपर उठाना। गरीब आदमी आज कनेक्शन लेने से वंचित है, वर्षों से लाइन में लगा हुआ है और पैसे वाले लोग कनेक्शन लिये जा रहे हैं। गरीब लाइन में ही खड़ा है। हम उन्हीं लोगों को फायदा दे रहे हैं जो पैसे वाले हैं। काश्तकारों में सब एक श्रेणी के काश्तकार नहीं हैं, गरीब भी हैं। 5-5, 6–6 बीघा, 10-10 बीघा के काश्तकार हैं। पैसे जमा करवा कर कनेक्शन वही लोग ले सकते हैं जो समर्थ हैं, जिनके पास भूमि ज्यादा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी और छोटी–छोटी त्रुटियां हैं। एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाने पर जो प्रतिबन्ध हैं यह भी बहुत गलत बात है। इस कानून को तुरन्त हटाया जाना चाहिये। एक काश्तकार के पास तीन–चार टुकड़ों में भूमि है। कहीं पांच बीघा हैं, कहीं चार बीघा है। वह अपनी भूमि सिंचित करने के लिये जिस पांच बीघा के टुकड़े में ट्यूबवैल लगा हुआ है वहां से दूसरे टुकड़े में पानी ले जाना चाहे तो उसके चार्ज भी एक्स्ट्रा होते हैं, पाबन्दी है। यह इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल का कनेक्शन काश्तकार ने ले रखा है, मीटर लगा हुआ है वहां उसी कनेक्शन पर अगर अनाज निकालने के लिए थ्रेसर लगाता है तो उस पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। मीटर में रीडिंग आती है, बिजली का खर्चा वह सरकार को जमा करवाता है। अब टैम्प्रेरी 15–20 दिन के लिये अलग से एक कनेक्शन तो ले नहीं सकता तो इस व्यवस्था पर भी सरकार कोई न कोई विचार करके इस तरह के आदेश दे कि थ्रेसर लगाने पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। आज भी लोग थ्रेसर लगा रहे हैं परन्तु वह चोरी से लगा रहे हैं, वह चोरी मानी जाती है। विभाग के आदमी जे.ईएन और हैल्पर वगैरह मिल कर लगाते हैं तो इससे अच्छा तो यही है कि सरकार क्यों न इस तरह का आदेश जारी कर दे जिससे काश्तकार के सर पर जो यह तलवार लटक रही है यह हट जाए।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बिल जमा करवाने वाली दिक्कत आ रही है हर जगह उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस गांव में जिस बैंक की शाखा है वहां पर पैसा जमा करवाने की छूट होनी चाहिये। इस तरह की बात हम करते हैं तो एक ही उत्तर मिलता है कि फलां बैंक में हमारा खाता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, खाता खुलवाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। खाता तो हर बैंक में खुलवाया जा सकता है। मान लो किसी गांव में पंजाब नेशनल बैंक है, कहीं राजस्थान बैंक है, कहीं दूसरी बैंक है तो इस पर भी सरकार का कोई खर्चा नहीं लगेगा, यह छूट गांव के लोगों को होनी चाहिये कि जहां पर बैंक है, चाहे को-आपरेटिव बैंक है, चाहे राजस्थान बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, कोई बैंक हो वहां पैसा जमा करवाने की छूट होनी चाहिये और विभाग अपना खाता जिस गांव में जो भी बैंक है वहां खुलवाये। इसके अलावा जिस गांव में बैंक की सुविधा नहीं है वहां हर महीने एक दिन या दो दिन विभाग का आदमी जा कर वहीं मौके पर पैसा जमा करवा ले। उससे भी सरकार को ज्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं है। इससे गांव के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में छोड़ गया, सप्लाई के अन्दर जो भेद-भाव की बात मैंने की, एक बात तो मैं मानता हूं कि शहर के अन्दर जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, उतनी गांव के वातावरण में आवश्यकता नहीं है। परन्तु फिर भी शहर के अन्दर 24 घंटे लाइट मिले तो गांव के अन्दर भी कम से कम 18–20 घंटे लाइट मिलनी चाहिये। हम कोई हर वक्त थ्री फेस लाइट नहीं मांग रहे हैं। हमारे घरों में पंखे, बल्ब और ट्यूबलाइट जल जाए इस तरह इतनी हमें बिजली देने में कोई दिक्कत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक सबसे बड़ी कमी है, मैं इस हाउस में कई बार निवेदन कर चुका हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो भी लाइनें हैं उनके तार हवा में झूल रहे हैं। ऊंट पर बैठा हुआ आदमी उस लाइन के नीचे से निकले और ध्यान नहीं रखे तो उसकी मौत हो सकती है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर नयी लाइन खींचते वक्त टूटे हुए पोल लगा देते हैं, पांच-छह फीट ऊपर से टूटे हुए पोल मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारपुरा खरता एक गांव है, उस गांव से ठेठार गांव को लाइन जाती है। 10 पोल मैन लाइन के तेज आंधी चलने से टूट गये। उन पोलों को मैनलाइन से उखाड़ करके और गांव में जो पोल लगे हुए थे वह पोल तो लगा दिये मैन लाइन में और वह टूटे हुए पोल उस सरदारपुरा खरता गांव के अन्दर आज भी मौजूद हैं। उसकी फोटो भी मेरे पास उपलब्ध है। मैंने यूं हाथ करके, मैं तारों के नजदीक तो गया नहीं, मरने से डर लगता था परन्तु मेरा हाथ उन तारों से ऊंचा निकल गया। इसके अलावा पीलीबंगा एक मंडी है उसमें भी 8-9 पोल टूटे हुए हैं और हालत यह है कि वहां नीचे से कोई ट्रक नहीं निकल सकता। तो यह छोटी-छोटी बातें हैं जिन

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पर खर्चा भी ज्यादा नहीं है। विभाग का एक-दो आदमी गांव में चला जाए तो गांव के लोग भी मरने से डरते हैं, वह लाइन खिचवाने में भी विभाग का सहयोग कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे पोल की लम्बाई होनी चाहिए 20 फीट और पोल मौके पर लगा हुआ हैं 12 फीट ही, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है। नुकसान होता है, आदमी मरते हैं, पशु मरते हैं परन्तु इस चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमने कई बैठकों में, यह बात जिला बैठक में निवेदन करदी, यहां विधान सभा में भी कई बार निवेदन कर दिया कि आप नयी लाइनें खींचने की बात कर रहे हैं, पुरानी जो लाइनें खींची हुई हैं उनकी तो व्यवस्था ठीक ढंग से सम्भाल ही नहीं सकते और नयी लाइनें खींच रहे हैं। पिछले 40 वर्ष पहले की लाइन खींची हुई है उसके तार जमीन पर लटक रहे हैं, कोई सम्भालने वाला ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण करने की बात आयी। आंकड़े तो बढ़ा-चढ़ा कर दिये जा रहे हैं परन्तु पिछले वर्ष जितने गांवों का लक्ष्य रखा गया था उतने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ। यह कागजों में जो विद्युतीकरण हुआ है वह पैसा जमा करवा कर विद्युतीकरण हुआ है गांवों का। जिन गांवों के नजदीक से लाइन निकल रही थी और गांव में कोई चार-पांच पैसे वाले आदमी थे उन्होंने पैसा जमा करवा कर गांव का विद्युतीकरण करवाया है। परन्तु सरकार का जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से पैसा जमा करवा कर, वह एक अलग बात है कि आंकड़े पेश कर दिये गये कि इतने गांवों का विद्युतीकरण हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, कई गांव ऐसे भी डेजर्ट हैं, जहां लोगों के पास खाने के लिये अनाज नहीं, पीने के लिये पानी नहीं। वहां के लोग पैसा जमा करवा कर अपने गांवों का विद्युतीकरण नहीं करवा सकते। यह जो नीति है, वह भी कोई ज्यादा सही नहीं है। जैसे हमारे गंगानगर जिले की बात है। गंगानगर जिले को इतना साधन सम्पन्न मानते हैं बिजली बोर्ड वाले जिसकी कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कभी पधारे हुए होंगे, पल्लू की तरफ गये होंगे। पल्लू गंगानगर जिले में ही सम्मिलित है। पल्लू क्षेत्र में जो गांव हैं वह पैसा जमा करवा कर गांव का विद्युतीकरण नहीं करवा सकते। इसी तरह सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र का एरिया डेजर्ट है, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र का काफी एरिया डेजर्ट है तो सबको एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय में तो यह हालत थी कि यह जो अकाल घोषित करते हैं उसमें गंगानगर जिले में एक फूटी कोडी भी अकाल राहत में नहीं लगती थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान सरकार को कि हमारे इन गांवों को देखकर अकाल में सम्मिलित तो किया। हमारी बात को माना भी। यह गंगानगर जिला सारा साधन सम्पन्न नहीं है। इसमें बहुत भूखे हैं, भिखारी हैं। सब कुछ है। इसमें सारे करोड़पति नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, और ज्यादा बात मैं अब रिपीट करूं तो अच्छा नहीं होगा।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मैंने छोटे रूप में जो निवेदन किया है मंत्रीजी उस पर ध्यान देंगे । मैं इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद दे रहा हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर आज चर्चा हो रही है और ऐसे समय कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को इस सदन में मौजूद रहना चाहिए था और सदन में मौजूद रह कर राजस्थान के किसानों की, प्रमुख रूप से राजस्थान के बिजली के संकट की मांग और उसकी चर्चा अगर विपक्ष यहां पर करता तो बहुत ही अच्छा होता और उसका कुछ रास्ता भी निकलता । लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया और सदन का बहिष्कार ही नहीं किया, मैं तो कहना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं से उन्होंने मुंह मोड़ा, किसानों की समस्या को सदन में उठाना नहीं चाहा और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य का पालन करने में, जो प्रतिपक्ष का कर्तव्य है उसका पालन करने में विफल रही है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कि उन्होंने किसानों की मांगों और बिजली की समस्या के बारे में पूरा पक्ष यहां रखा है और एक तरह से उन्होंने डबल रोल किया है ।

अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि पहले तो मुझे धन्यवाद देते हैं और फिर मुझे खींचते हैं । धन्यवाद तो आपको इसलिये देते हैं कि आपने बहुत ही तरीके से काम करके इस भयंकर संकट में राजस्थान के किसानों को बचाने का प्रयत्न किया और खींचते आपको इसलिये हैं कि बाकी जो किसानों की समस्याएं बची हुई हैं उनका ईमानदारी से निराकरण कराना चाहिए । इसमें कोई राजनीति नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां से चली गयी तो बहस का जरा मजा कम आ रहा है । अगर वह होते, "उल्फत का जब मजा कि वो भी हों बेकरार, दोनों तरफ से हो आग बराबर लगी", लेकिन वह बिल्कुल बेकरार नहीं, वह अपना करार भूल गये हैं, अपना करार छोड़ कर बाहर चले गये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस बात में इस समय नहीं पड़ना चाहता हूं कि बिजली की भारत की स्थिति क्या है ? राजस्थान की स्थिति क्या है ? हम कितने प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं ? मंत्री महोदय, मुझे तो सुनकर आश्चर्य होता है कि कई बार तो हम शेखचिल्ली की सी बात करने लग जाते हैं । कई बार हमारे अधिकारी कहते हैं, स्टेटमेंट आ गये कि बिजली सरप्लस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे ? राजस्थान में 40 पर्सेंट बिजली की कमी हैं । हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट आया है कि बिजली सरप्लस हो जाएगी । इसमें चिन्ता की क्या बात थी ? अगर सरप्लस हो जाएगी तो 3 रुपये यूनिट की हम बिजली खरीद रहे हैं 4 रुपये यूनिट में हम बेच देंगे दूसरों को । बिजली हमको मिलनी चाहिये इस बात की चिन्ता है । इस बात की चिन्ता करते समय मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा बिजली की कमी केवल राजस्थान में नहीं है, सारे देश भर में बिजली की कमी है ।

110

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

23 पर्सेंट से लेकर 25 पर्सेंट तक सारे हिन्दुस्तान में बिजली की कमी है और राजस्थान प्रान्त में 40 पर्सेंट बिजली की कमी है। यह समस्या है, शार्टेज है इसका हमको पता है इसको हमें पूरा करना है, इसका हमको रास्ता निकालना है। सारी दुनिया भर में सबसे कम प्रति व्यक्ति यूनिट बिजली का खर्च करने वाला देश भारत है। सिर्फ 314 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हमारे यहां पर खर्च होती है। यह स्थिति जिस देश की हो उसमें विद्युत का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। विद्युत का उत्पादन बढ़ाये बिना काम नहीं चलेगा लेकिन यहां पर दो विचारधाराओं का टकराव है। किसान जब बिजली की बात करता है तो उसके मन में यह बात आती है कि बिजली देना सरकार का कर्तव्य है, पोल लगाना सरकार का कर्तव्य है, लाइन खींचना सरकार का कर्तव्य है, मीटर लगाना सरकार का कर्तव्य है और अनाज का उत्पादन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बिजली बोर्ड में जो चिन्तन की एक धारा बदली है सारे देश में, उस देश का असर हमारे ऊपर भी है। अब यह कह रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जायेगा जो सारे देश में किसानों की बिजली की कीमत तय करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज आप बिजली देने के लिए रुपये लेना चाहते हैं, आज आप किसी गांव को ऊर्जीकृत करने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, यह भेदभाव किसके लिए? आपने राजस्थान के 31,000 गांवों को बिजली दी उस समय गांव को ऊर्जीकृत करने के लिए पैसा नहीं लिया गया, आज बचे हुए 6,000 गांवों को ऊर्जीकृत करने के लिए आप क्यों पैसे लेंगे? पहले तो वह इन्तजार करते रहे, 40 वर्षों तक लाइन में खड़े इंतजार करते रहे कि हमारे बिजली लगेगी, हमारे बिजली लगेगी, आज हम कहें बिजली लगाना है तो पैसा जमा कराओ। पैसे तो उनके पास कहां है? उनके गांव में बिजली नहीं पहुंची, खेत में कनेक्शन नहीं हुआ, पैसे उनके पास आएंगे कहां से? एक तो गरीबी से पीड़ित, एक वह गांव इतने सालों से पीड़ित हैं इसलिये, ऊर्जा मंत्री महोदय, वह पीड़ित रहा क्योंकि हमने उसको बिजली नहीं पहुंचायी।

ऊर्जा मंत्री महोदय, मैं पहला आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विचारधारा को आप त्याग दीजिये। अब यह बात जरूर है कि बिजली बोर्ड के चिन्तन में, मैं अभी गड़बड़ नहीं मानता। वह कहते हैं कि भई, हमारे तो दो, ढाई, तीन करोड़ रुपये रोज का नुकसान हो रहा है, हम पैसे कहां से लायेंगे? तो मैं, पहले भी इस सदन में मांग कर चुका हूं, मैं फिर मांग कर रहा हूं कि जब डंकल प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी उसमें हमने एक मूल बात उठायी कि किसानों को जो सब्सिड़ी दीजाती हैं इस गेट के प्रस्ताव से, डंकल प्रस्ताव से वह सब्सिडी समाप्त हो जाएगी और इसलिये हमने उसका विरोध किया था। हमने तर्क दिया कि विदेशों के अन्दर किसान को इस बात के लिए सब्सीडी दी जाती है कि वह अपने खेत को खाली रखे, गेहूं, अनाज पैदा नहीं करें, इस बात की सब्सीडी दी जाती है। इस देश में जहां दस रुपये और पन्द्रह रुपये किलो गेहूं बिकने जा रहा है उस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देश में बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए और बिजली को चलाने के लिए किसान को क्या सब्सीडी नहीं दी जा सकती? उसको दी जानी चाहिये, हर हाल में दी जानी चाहिये। उस पर एहसान नहीं। यह 95 करोड़ लोगों का देश है और 95 करोड़ के देश को किसान ने इस हालत में पहुंचा दिया कि आप गेहूं का निर्यात कर सको, चावल का निर्यात कर सको। इस भूमि को शस्य श्यामला बना दिया किसान ने। उस किसान से आज क्या नहीं हुआ? उससे आज सरसों पैदा हुई, कपास पैदा हुआ, गन्ना पैदा हुआ, चीनी बनी, तेल बना, जीरे बने, मसाले बने, कॉटन बनी, मिलों में गयी, मिलका उत्पादन बढ़ा, कारखाने लगे, ग्रोथ बढ़ा, सारा सैल्स टैक्स आया, मंडी टैक्स आया, आपके हजार प्रकार के टैक्स आये और टैक्स आने के बाद में सारे देश की वेल्थ बढ़ी। उसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें नहरों का योगदान है, उसमें बिजली का योगदान है, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है, सिद्धान्त भी है कि किसान को चाहे यूरिया पर सब्सीडी मिल रही हो, किसान को चाहे बिजली पर सब्सीडी मिल रही हो, किसान को सब्सीडी दी जानी चाहिये, अनुदान दिया जाना चाहिये और हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को किसान का प्रोटेक्शन करना चाहिये। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट को मजबूत करना चाहती है और राष्ट्र जब ही मजबूत होगा जब भारत का किसान मजबूत होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है इसलिये इस पर हमको चलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है यहां पर एक भेदभाव किया जाता है अमीर किसान, गरीब किसान में। यह कहां की डेफिनेशन आ गयी इस देश में? कौनसा किसान अमीर है यहां? यहां पर तो किसान वह अमीर है....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं तो हूं। मैं हूं। मैं तो सात पीढ़ी से हूं। अब मेरी इस जलन का तो कि आप जलते रहो, मंत्री होकर मेरे बराबर तो नहीं आ सकते, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं इस देश में अमीर किसान हैं कौन? इस देश में अमीर किसान इसलिये नहीं है कि यहां कितनी जोत बची है किसान के पास? आपने सीलिंग कानून लागू कर दिया, आपने सारे कानून लागू कर दिये कृषि के और आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जहां आज़ाद हुए थे, 33 करोड़ इसी ज़मीन पर रह रहे थे आज 95 करोड़ आदमी उसी जमीन पर रह रहे हैं। 70 पर्सेण्ट आदमी गांवों में रह रहे हैं। उनकी खेती का कितना विभाजन हो गया? कौन किसान मजबूत है? अब तो वही किसान मजबूत है जिसने अपनी फैक्ट्री का दो नम्बर का पैसा एक नम्बर का करने के लिए खेत बना रखे हैं, उसके अलावा कोई किसान पैसे वाला नहीं है। इसलिये फिर यह तर्क, मुझे बड़ा दुःख होता है और मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह मांग भी कर रहा हूं, फिर यह तर्क दिया जाता है कि हमने नर्सरी योजना निकाली तो किसान ऊपर से ऊपर पड़ने लगे, पैसे दे दिये, देखो, सब लोग बिजली लेना चाहते हैं, यह नहीं है। इसका दूसरा पहलू सोचिये, 1983 में जो किसान बिजली मांग रहा था उस किसान को आज 1997 में भी कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं हो, आगे आने वाले पांच साल तक भी उसको कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं हो और आपने एक योजना निकाल दी। उसने अपना जेवर बेचा होगा, अपने किसी रिश्तेदार से पैसा लिया होगा और जमीन को गिरवी रखकर, उसने सोचा 25 बीघा जमीन है 3 बीघा जमीन बेचूं और फिर पैसा लाऊं, कनेक्शन लग जाएगा तो दस आदमी परिवार के पेट भर सकेंगे इसलिये उसने बिजली का कनेक्शन लिया है। वह अमीर है इसलिये उसने नहीं लिया है। अगर वह अमीर होता तो पहले ही ले लेता। आपने योजना निकाली, यह नर्सरी योजना क्या थी? कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या थी यह नर्सरी योजना? भारतीय जनता पार्टी को दोष क्यों दिया जा रहा है? नर्सरी योजना की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी और उस समय पर इस योजना में इतना व्यापक भ्रष्टाचार था। पहले जाओ वन विभाग के पास, उनसे लाओ प्रमाण पत्र या एन.ओ.सी. कि यह किसान नर्सरी लगाना चाहता है फिर उसके पास जाओ, उससे प्रमाण पत्र लाओ और घूमते–घूमते 10–20 हजार रुपये जब तक उनके घर में नहीं पहुंचा देता था तब तक वह नर्सरी योजना के लायक नहीं होता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस सिस्टम को तो खतम कर दिया। लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक गांव में दो भाई थे। एक ने 10 वर्ष पहले कनेक्शन ले लिया और वह आपकी 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली कंजूम कर रहा है। उसी का दूसरा भाई अलग हो गया, दूसरा कुआ बना लिया, कनेक्शन नहीं हुआ। किसी न किसी तरह आपको रुपया जमा कराया और कनेक्शन ले लिया। एक खेत में दो कुएं हैं। एक से आप एक रुपया चालीस पैसे प्रति यूनिट का चार्ज करते हैं और एक से पचास पैसे प्रति यूनिट का चार्ज करोगे। यह कैसे चलेगा? कितना उसका कलेजा जलता है, कितनी उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, इसको आप समझो।

मैं आपकी एक बात तो समझ गया कि आपने 9 हजार रुपये प्रति पोल के ले लिये, आपने ले लिये और उसका कनेक्शन कर दिया। यहां तक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं एक मांग आपसे करना चाहता हूं आज के दिन कि यह जो भेदभाव पैसे लेने में है इसको तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिटे। इससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है। कितने किसान हैं इसके? आपने जो स्पेशल योजना, विशिष्ट योजना चालू की है, 75 रुपये प्रति हार्स पावर, प्रति व्यक्ति, मैं मांग करता हूं कि नर्सरी योजना का सारा का सारा जो चार्ज है वह खतम किया जाए और 75 रुपये की आपने जो योजना लागू कि है, सब किसानों पर 75 रुपया प्रति हार्स पावर का नर्सरी वाला

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो किसान है उससे आप पैसा वसूल करिये और नर्सरी का चार्ज उससे तुरन्त समाप्त करें। यह हम आपसे चाहते हैं। उसको समाप्त किया जाए।

एक यह फ्लेट रेट की मांग कर रहा हूं। सब किसानों की जो फ्लेट रेट है उस की मांग नहीं कर रहा हूं। जिस किसान को पहले फ्लेट रेट है उसमें चेंज करने की बात नहीं कह रहा हूं। आज जो नर्सरी वाला किसान है उसको फ्लेट रेट 75 रुपया हार्स पावर जो आपने स्पेशल योजना में लागू की है, वह जो भी योजना है वह लागू की जानी चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि आप सारे राजस्थान के किसानों के सामने एक बिजली का खाका रखें। आप बिजली का खाका रखिये कि हरियाणा में बिजली की क्या पोजिशन है, खाका रखें कि मध्यप्रदेश में बिजली की क्या पोजिशन है, उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या पोजिशन है, वहां किस प्रकार चार्ज किया जा रहा है, यहां पर किस प्रकार चार्ज हो रहा है। इस बात को आपको रखना पड़ेगा। मैं सदन के माध्यम से किसानों को भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार घोषणा कर दी कि हम पांच हार्स पावर तक की बिजली फ्री दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फिर क्या हुआ, फ्री बिजली नहीं दी। फिर उन्होंने एक कानून बनाया और बिजली की बकाया की वसूली का अधिकार उन्होंने पुलिस को दिया और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों से पुलिस के बल पर पैसा वसूल किया, उनको मुर्गा बना-बनाकर वसूल किया। ऐसा शर्मनाक कार्य मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विनम्र किसान, हमारे विनम्र प्रधान मंत्री हैं। एकदम ह्म्बल फार्मर हैं। वह कर्नाटक से आते हैं। उन्होंने कर्नाटक में एक साथ 30 पर्सेण्ट बिजली के ऊपर पैसे बढ़ाये हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया है और यहां कहते हैं कि फ्री करो। पंजाब की और राजस्थान की परिस्थिति बहुत भिन्न है। पंजाब हमको बिजली तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचता है। पंजाब के पास बिजली सरप्लस है। पंजाब के पास नदियों को पानी है। पंजाब की जमीन में सेम पैदा हो रही है, बिजली उनकी काम नहीं आ रही है। पंजाब बिजली में जो नीति अपनाता है वह राजस्थान में नहीं अपनायी जा सकती। राजस्थान में हमारी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां है। कोयला हमारे पास नहीं है। पैट्रोल का तो हमारे पास कोई सवाल ही नहीं है। हमारे पास हाइडल पावर नहीं है। आर. ए. पी. पी. की यूनिट हमारी बन्द हो रही है। यह हमारी स्थिति है। लेकिन मैं, ऊर्जा मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो बिजली उत्पादन का कार्य राजस्थान सरकार ने किया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उसमें थोड़ी सी कमी रही है और वह कमी यह रह गयी कि हमको थोड़ा उसमें विलम्ब हो गया। अगर वह काम आज से 12 महीने पहले प्रारम्भ हो जाता तो इस सीजन में यह जो विद्युत की कमी आयी है वह कमी नहीं आती। और भंडारी जी के खिलाफ जो नारे लगे हैं वह पक्ष में नारे लग जाते।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्योंकि अगर 50 मेगावाट और 100 मेगावाट के जो डीजल से और नेफ्था से चलने वाले प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे अगर वह लग जाते तो हमारे पास इस समय बिजली की कमी नहीं होती। बिजली के लिये हमने क्या नहीं किया। बिजली के सोर्स पर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बिजली कहां से लाओगे ? बिजली कहां से लायेंगे, हमारी सरकार ने दिखाया है कि हम किसान के लिये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो, उपाध्यक्ष महोदय, अनुभव नहीं है शायद आपको अनुभव हो या ऊर्जा मंत्री जी को अनुभव हो, कई बार हम फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई प्रेमी जो होता है वह प्रेमिका को कहता है कि मैं तुम्हारे लिये आकाश के तारे तोड़कर ला दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिल्म देखता ही नहीं हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको अनुभव नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिल्म नहीं देखता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको अनुभव भी नहीं होगा। रघुवीरसिंह जी कौशल को तो है। और उन्होंने करके दिखाया है। कांग्रेस ने कहा कि कहां से लाओगे बिजली ? तो यह किसानों के प्रेमी आदमी हैं। कृषि पंडित भी इनको कहते हैं। इन्होंने कहा कि कोई प्रेमी प्रेमिका के लिये आकाश के तारे तोड़कर लाये कि नहीं लाये मैं किसान का प्रेमी हूं इसलिये आकाश से बिजली किसान के लिये लाऊंगा और सोलर एनर्जी। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का काम उन्होंने किया है और उसका उद्घाटन कराया है। और क्या कर सकता है आदमी। किसी भी काम को करना होता है तो कहते हैं कि यह आदमी आकाश–पाताल एक कर रहा है, इस काम के लिये। पाताल से बिजली लाने का काम भी प्रारम्भ कर दिया। रामगढ़ और जैसलमेर में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने का काम प्रारम्भ किया है। फिर पवन, हवा को बांधने का भी काम किया है। पवन से बिजली लेने का काम भी किया है। आज मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं कि जो सरकार, जो ऊर्जा मंत्री उनकी समस्या का समाधान करने के लिये अकाश–पाताल एक कर रहे हैं तो वह निश्चित रूप से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या का, बिजली की समस्या का समाधान करेगी। वह आकाश पाताल तो एक कर रहे हैं लेकिन काम में अगर थोड़ा विलम्ब हुआ तो लोग कह देंगे कि आकाश–पाताल ही एक करते हैं काम नहीं करते हैं। इसलिये इस काम को उनको टाइम पर परवान चढ़ाने का काम भी करना है। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगले दिसम्बर तक ऊर्जा मंत्री जी इस बात मे आश्वस्त हों, इस बात की व्यवस्था करें कि कम से कम अगली सर्दी के पहले एक हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली हमको प्राप्त हो सके। अगर एक हजार मेगावाट बिजली प्राप्त कर लें तो अगली फसल में किसानों को इस प्रकार की समस्या का सामान नहीं करना पड़ेगा। यह राजस्थान की सरकार से मैं कहना चाहता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दो–तीन बहुत ही ज्वलंत बातें रखना चाहता हूं। ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपसे नाराज हूं। अभी आपने एक बात कही कि जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और नागौर जिलों में किसानों ने सबसे अधिक कनेक्शन लिये हैं। यह कहते हैं कि 21 हजार कनेक्शन उन्होंने नर्सरी में ले लिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप पैदा हुए हो चम्बल के एरिया में, आपके यहां चम्बल का पानी आता है नहरों के द्वारा। कई जगह इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है। यह जो जिले हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनूं नागौर कोई नहरों का पानी नहीं हैं। कोई बांध का पानी नहीं है। कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। उनकी तो लाइफ लाइन बिजली है। इसलिए 21 हजार बिजली के कनेक्शन ले लिये। अब आपने उन चारों को पहले स्पेशल स्कीम से अलग रख दिया। आज आपने उनको स्पेशल स्कीम से जोड़ने की घोषणा की है, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि यह दो साल का जो जम्प है, यह नहीं चलेगा। इस जम्प को आप 1990 तक ले जाए। आखिर 5–7 साल का इंतजार तो किसान करेगा लेकिन 15–15 वर्ष का तो नहीं करेगा। इसलिये इस जम्प को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है और 1990 तक के किसानों को आप लीजिये।

मैं आपको इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को मांगते ही बिजली देने का आश्वासन दिया है। राजस्थान इस बात में बहुत श्रेष्ठ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को मांगते ही बिजली दी जाए। हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला राज्य होगा जिसने इस प्रकार की योजना लागू की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं और बोर्ड भी इसके लिये धन्यवाद का पात्र है। इस प्रकार कार्यवाही तुरन्त जारी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा दो-तीन बातें। एक बात की बड़ी तकलीफ है, मैं चाहूंगा, मंत्रीजी, इसमें आप घोषणा करें। कुछ किसानों के पानी की कमी के कारण से, बिल जमा नहीं होने के कारण से कनेक्शन कट गये। कनेक्शन कट गये, कभी 6 महीने, कभी 2 साल का टाइम हो गया, फिर जब वह बिजली का कनेक्शन लेने जाता है तो कहते हैं कि पहले नौ हजार रुपये प्रति पोल का जमा कराओ और नर्सरी के अंतर्गत कनेक्शन लो। लाइन खड़ी है, तार उतर गये या लगे हुए हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि जिसने पहले कनेक्शन ले लिया, पानी सूख गया, खेती नहीं कर पाया इसलिये बिजली नहीं ली, भगवान की दया से दो साल में खूब पानी हुआ, कुओं में पानी आ गया, अब वह कनेक्शन लेना चाहता है तो उस किसान पर नर्सरी समाप्त कर दी जाए। नियमानुसार जितना खर्चा आपका लगता है उतना खर्चा ले लिया जाए और उसको कनेक्शन दे दिया जाए। एक तो उसके पास चार साल तक कनेक्शन नहीं था, एक तो चार साल तक उसके उत्पादन नहीं हुआ, चार साल तक उसकी आय नहीं हुई फिर आप उसमें बाद में छुरी क्यों करना चाहते

116

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं ? इसलिये मैं चाहूंगा कि उन किसानों के साथ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

एक यह सीमा तो यहां बैठे–बैठे बढ़ा दी। यह हमारे नगर की सीमा बढ़ गयी, यह जयपुर नगर की सीमा बढ़ गयी, यह अलवर नगर की सीमा बढ़ गयी, यह झुंझुनूं की सीमा बढ़ गयी, यह नागौर की सीमा बढ़ गयी, यह म्युनिसिपल एरिये की सीमा बढ़ गयी। सीमा तो यहां पर सेक्रेटेरिएट में बैठकर नोटिफिकेशन के द्वारा जारी हो जाती है। उस सीमा के बढ़ते ही जो किसान उस सीमा क्षेत्र में आ गया उस किसान से कहा जाता है कि आपको नर्सरी में ही कनेक्शन लेना पड़ेगा। यह क्यों ? यह किसलिए ? यह बिलकुल समाप्त किया जाना चाहिये। सीमा तो आपने बढ़ायी, किसान ने नहीं बढ़ायी। किसान का खेत सरक नहीं सकता, वह खेत तो वहीं रहेगा। उस किसान को नर्सरी में लेने का कोई मतलब नहीं है। उस किसान को भी अन्य किसानों की तरह बिजली का कनेक्शन दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वोल्टेज रेगूलेशन, वी.आर; वी.आर वाला मामला चला। नर्सरी योजना में वी.आर. बैठ जाता है और वन पोल–टू पोल में वी.आर. नहीं बैठता है। क्यों ? यह अभी भंवरसिंहजी डांगावास भी कह रहे थे, उसको भी जरा आप सुन लीजिए। इतनी अधिक आपकी सूचनाएं निकल रही हैं, वह किसान तो समझें कि नहीं समझें, आपके अधिकारी भी नहीं समझेंगे। इतने नोटिफिकेशन, इतनी सूचनाओं पर सूचना, इतने आर्डर पर आर्डर निकलते हैं कि उनको इंजीनियर नहीं समझते और इसके हम भुगतभोगी हैं। लोकसभा के चुनाव के टाइम पर एडिशनल सिक्योरिटी लेने का एक आदेश निकला बोर्ड में। वह आदेश कैंसिल हो गया। सब जानते हैं। लेकिन उस आदेश के अन्तर्गत आमेर, चौमूं, जमुवारामगढ़ में किसानों को घर–घर जाकर नोटिस बांट दिये गये। जिनके 20 वर्ष पहले कनेक्शन थे, 30 वर्ष पहले कनेक्शन थे, 40 वर्ष पहले कनेक्शन लिया हुआ था उनको कहा कि आपको एडिशनल सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, मंत्रीजी, आपके विद्युत मण्डल के अधिकारियों ने सांठ–गांठ करके जयपुर जिले में इस प्रकार के बीस हजार किसानों के घरों पर किराये की गाड़ियां करके पहुंचाये थे चुनाव के दो दिन पहले। मैंने प्रेस कांफ्रेंस करके उनका खण्डन किया, किसानों से कहा इनको फाड़ कर फैंक दो। बिजली बोर्ड की गाड़ियां किन लोगों ने चलायीं, वे नोटिस गांवों में किस बात के लिए पहुंचाये गये ? इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : पैसे वसूल हो गये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पैसे नहीं वसूल हुए। सब फाड़ दिये नोटिस। एक भी पैसा वसूल नहीं होने दिया, कोई पैसा वसूल नहीं हुआ, एक भी एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा जमा नहीं है। मैं धन्यवाद देऊंगा कि मंत्रीजी ने चुनाव के वक्त जो भी नोटिस निकले, जिन लोगों ने किया, बोर्ड को भी धन्यवाद देता हूं कि उनको सस्पैण्ड कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया। वे सस्पैण्ड हो गये, बात ठीक है लेकिन ऊपर से नीचे तक जो साजिश थी उस साजिश में कौन लोग थे, उसका भंडाफोड़ भी किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए वह कार्यवाही की गयी और हमको उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो इस मामले में आपको ध्यान देने की जरूरत है। रोज-रोज आप यह बैठे-बैठे साइक्लो स्टाइल निकालते हो और वह भी अंग्रेजी में निकालते हो। यहां हालत खराब हो रही है, लोग जानते नहीं हिन्दी और आप निकालते हो अंग्रेजी में। बोर्ड की कार्य प्रणाली बदलिये जरा। अंग्रेजी वालों को जरा कम करिये, हिन्दी पढ़े लिखे लोगों को जरा भेजिये। वे जाएंगे, बात करेंगे। चिकनी-चुपड़ी किताबों से कुछ नहीं होने वाला है। जरा आप हिन्दी जानने वालों को उसमें करिये। किसान अंग्रेजी नहीं जानता है।....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : किसान के लिए तो किताब हिन्दी में ही छपवायी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं जानते, वह भी नहीं जानते। उसको किताबों की ज्यादा जरूरत नहीं है उसको तो आप छोटी मोटी बात समझा दीजिये।

थ्रेसर और इनके बारे में किसानों की जो मांग आयी है वह आप खुद जानते हैं। क्यों बेइमान बनाना चाहते हो? यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब फसल पकती है तब थ्रेसर चलते हैं, अनाज निकालते हैं। यह साफ-साफ करें कि किसान चलाये उसको और काम हो। यह बात मैंने आपको उस दिन भी कही थी।

अब मैं एक बात और कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिजली के बारे में आपको एक बात और भी सोचनी पड़ेगी और कुछ बातें हमको, किसानों को, आप लोगों को सोचनी पड़ेगी कि बार-बार एक बात कही जाती है कि साहब, ये, शहरों कि बिजली नहीं काटते हैं। मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बार किसानों को बिजली देने के लिए शहरों की बिजली भी काटी। लेकिन उसका दूसरा पहलू है उस पर भी विचार करिये। फैक्टरीज में जो लोग काम करते हैं वे शहर के लोग नहीं हैं, वे भी गांवों से आये लोग हैं और इन फैक्टरीज में काम करते हैं। एक सेठजी के या एक उद्योगपति के या इन्डस्ट्रीज चलाने वाले आदमी के यदि 10 दिन बिजली नहीं आएगी तो उसके पैसे का कोई असर नहीं पड़ने वाला है लेकिन 10 दिन का अगर वेतन उस मजदूर का कट गया तो उसके बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

दूसरी बात, मैं एक और कहना चाहता हूं। एस. एम. एस. हॉस्पिटल है या अन्य हास्पिटल है उनमें गांवों के लोग भी आकर के एडमिट होते हैं और उनके आपरेशन के समय अगर बिजली कट हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, वह भी हमको देखना पड़ेगा। शहरों में पेयजल की सप्लाई है उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। कुछ हमको हमारे चिन्तन और स्वभाव में भी फर्क करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत से देश हैं जिन्होंने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया कि सात बजे बाद दुकानें नहीं खुलेंगी, शो-रूम नहीं

118

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चलेंगे। यह हम प्रकृति से लड़ाई कर रहे हैं। अभी माननीय भंवरसिंहजी कह रहे थे कि यहां पर गर्मी लग रही है तो लोगों ने कहा कि ए.सी. चलाओ, ए.सी. चलाओ? क्यों? यह चारों तरफ से बन्द है यहां पर गर्मी लगेगी। गांव में रहने वाला जो आदमी है या तो किसान गांव में रहता है वहां पर हवा आती है, चाहे गर्म आवे, वह उसका अभ्यस्त होता है, तो उसको वहां गर्मी नहीं लगेगी। अब तो शहरों में मकान भी इस तरह के बनाने लग गये कि दिन में बिना लाइट के काम नहीं हो सकता। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी के वहां मैं गया था, उनके कमरे बने हुए हैं वह भी ऐसे हैं कि उनमें दिन में भी लाइट चाहिये। पी डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से मैं कह रहा हूं कि दूसरे जो मकान बन रहे हैं उनमें आप यह व्यवस्था करवाइये कि कम से कम दिन में लाइट लेने की आवश्यकता नहीं हो, दिन में भी बिना बिजली के काम हो।....

श्री भंवरसिंह डांगावास : आजकल तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकान बनते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चाहे आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से करिये परन्तु मैं कहना चाहता हूं इसको आप बदलिये।

इसी प्रकार से शहरों में चकाचौंध रातें होती हैं। लोगों को जलन होती है, वह इस बात की होती है कि वे वहां आते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसमें कितनी बिजली खर्च होती है। शादियां जो शहरों में होती है, शान-शौकत पर बिजली का खर्चा हो रहा है, डेकोरेशन पर, शान-शौकत पर फालतू बिजली का खर्चा हो रहा है और उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसमें भी 90 पर्सेंट चोरी होती है। डायरेक्ट तार पर डाल कर डेकोरेशन करते हैं। लाइट हो रही है, शादियों का डेकोरेशन हो रहा है। बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं। यह जो फालतू की शान–शौकत है इस शान–शौकत के खर्चे पर भी प्रतिबंध होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सारा पता है है कि बोर्ड का घाटा बढ़ रहा है, बोर्ड में यह हो रहा है। लेकिन जो नये-नये कानून बना रहा हैं, कारपोरेशन बना देंगे, कम्पनी बना देंगे, रेगूलेटिंग बोर्ड बना देंगे, यह फलानां काम कर देंगे, यह क्या चिन्तन हो रहा है? यह चिन्तन बदल कहां से रहा है? हमारी लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना है और लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना है तो उस गरीब आदमी को अन्त्योदय योजना से नीचे से उपर उठाने की कल्पना करते हैं। यह व्यापारिक काम कहां से आ गया? व्यापारिक काम करना है तो इण्डस्ट्री से पूरा पैसा वसूल करिये, शहरी घरों से भी पूरा पैसा वसूल करना चाहिये लेकिन एग्रीकल्चर पर व्यापारिक काम नहीं चलने वाला है, किसी भी कीमत पर नहीं चलने वाला है। जिन देशों ने यह किया वे डूब गये। इसलिए कम्पनी कारपोरेशन और रेगूलेटिंग बोर्ड बनाना और भारत सरकार अगर बनाना चाहती है तो राजस्थान सरकार को इस बात का विरोध करना चाहिये। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की नीति के हिसाब से हमको काम करना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी गांवों को मजबूत करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहती है, किसान को मजबूत करना चाहती है इसलिये उस नीति पर चलने का आपको प्रयत्न करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तंत्र सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। रमाकांतजी बता रहे थे वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बिजली देते हो। बिजली का बीच में क्षरण होता है और क्षरण होकर किसान तक कम बिजली पहुंचती है। पिछले वर्षों में राजस्थान विद्युत बोर्ड ने तंत्र सुधार का जो काम किया है वह बहुत महत्वपूर्ण था। भूरि-भूरि प्रशंसा करने में मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तंत्र सुधार में जिस प्रकार का काम बिजली बोर्ड ने पिछले 3-4 वर्षों में किया है वह अनुकरणीय है लेकिन आगे इसमें और अधिक काम करना है।

अंत में, आपको एक बात और कह कर मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी आपने आर.ए.पी.पी. की बात कही। आर.ए.पी.पी के बारे में जरा आपस्पष्ट करिये कि क्या राजस्थान के वैज्ञानिकों ने या राजस्थान में काम करने वालों ने इस प्रकार का कोई रास्ता निकाला है कि आर ए.पी.पी. की दोनों यूनिट्स निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी और उनसे उत्पादन हो सकेगा? यह हमको बताइये। सूरतगढ़ का आने वाला है वह कब आएगा? कोटा की एक यूनिट है और वह कब आने वाली है? अगली सर्दी तक, रबी की फसल तक कौन-कौन सी विद्युत आप और प्राप्त करेंगे?

अब एक बात माननीय मंत्रीजी जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं कहना चाहता हूं, कि आंकड़े देकर आप हमको संतुष्ट मत कीजिये कि पिछली बार इतने मिलियन यूनिट बिजली दी और इस बार इतने मिलियन यूनिट बिजली दे रहे हैं। यह बात सही है कि पिछली बार से अधिक दे रहे हैं, लेकिन यह बात भी साथ-साथ सही है कि पिछले साल हर किसान को 8 घण्टे रेगूलर बिजली मिली थी, इस बार 7 घण्टे से कम बिजली सब किसानों को निश्चित रूप से मिली है। बिजली तो ज्यादा है लेकिन आपके आंकड़े कह रहे हैं कि प्रति वर्ष घरेलू, एग्रीकल्चर, इण्डस्ट्री के सब कनेक्शन मिलाकर 2 लाख कनेक्शन प्रतिवर्ष हो रहे हैं तो बिजली की खपत भी बढ़ रही है और कुल कहा जाये तो प्रति यूनिट बिजली की इस बार कम बिजली राजस्थान के किसानों को या उपभोक्ताओं को मिली है, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते। लेकिन आपको यह भी धन्यवाद कि आपने पंजाब से खरीदी, आपने अंता वाला बहुत पैसे में चालू करवाया, आपने नोर्थ ग्रिड से खरीदी, सारा काम किया और किसानों की फसल को बचाने का प्रयत्न किया।

इस समय मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं। कोई इनको भोले बता रहे थे, भोले नहीं हैं, होशियार हैं। अगर भोले होते तो हमको इतना ही कह कर पार कर दिया कि फसल नहीं जलने दूंगा। मैंने भी कहा कि घण्टे बताओ, मंत्रीजी घण्टे नहीं बता रहे हैं, फसल नहीं जलने दूंगा, यह भोलेपन का काम नहीं है, चतुराई का काम है।

आज करीब 25 दिन, 28 दिन या 20 दिन बचे हुए हैं फसल के, इस फसल में आप हमको कम से कम जितने घण्टे का

१२०

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लोस शुरू-शुरू में एक महीने में हुआ है, उतने घण्टे की पूर्ति अगर आप कर देंगे, इस समय बीज पड़ रहा है, इस समय दाना पड़ रहा है, दाना मोटा हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, इस समय सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, दाना पक रहा है और इस समय पर मंत्री महोदय आप यह घोषणा करिये, आपने कहा है कि राजस्थान के किसानों की मैं फसल नहीं जलने दूंगा, आप कम से कम घोषणा करिये, इस समय जिस पर भी कटौती कर सकते हो करिये, इस समय जहां से बिजली महंगी ले सकते हो, लीजिये और राजस्थान के किसान को 10 घण्टे बिजली उपलब्ध कराइये। 25 दिन तक किसानों को बिजली का जितना नुकसान हुआ है उसकी 75 प्रतिशत पूर्ति हो जाएगी और लोग आपको धन्यवाद देंगे। मैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)....कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं, करेंगे ना मंत्रीजी, इनको तैयार तो करो, पहले थपथपी देकर, और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी कर सकते हैं।

लोग भण्डारीजी की बहुत आलोचना करते हैं, मैं उनका आलोचक नहीं हूं। बहुत पहले से मैं उनका प्रशंसक भी हूं। बिजली का आन्दोलन भी इन्होंने ही करवाया, सीकर में जो बिजली का आंदोलन हुआ वह इन्होंने ही करवाया। सबसे पहले इन्होंने सीकर में 5 हजार कुएं बना दिए, 5 हजार कुओं पर कनेक्शन हो गया, अब वे सब के सब बिजली मांगने के लिए आ गये, इस बिजली आन्दोलन के जनक भी ये ही हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कुएं भी खुदवा दिये, आपने आंदोलन करा दिया, अब कम से कम उनकी जो फसल है उसको बचाने की व्यवस्था भी कराइये। मंत्रीजी की इच्छाशक्ति पूरी है, अगर बोर्ड पूरी इच्छाशक्ति दिखा देगा और रात-दिन मेहनत करके और एक्स्ट्रा बिजली प्राप्त कर लेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान की फसल को बचाने में हम भागीदार बनेंगे, आज की डिबेट का अर्थ भी निकलेगा और लोग समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहे बाहर रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी विचार नहीं रखे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं के बारे में विचार रखें, सरकार ने सुना और सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी पूरा बहिष्कार करके चली जाए और चाहे कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव भी न लड़े तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं का समाधान कर देगी, यह मैसेज आज के दिन दे देना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता और संक्षेप में एक ही बात कहकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के किसान की फसल इस बचे हुए काल में नहीं सूखे, उसे पूरी विद्युत उपलब्ध हो जाए इसकी हम व्यवस्था करें और जो छोटी-मोटी बातें हैं उनको समाप्त करें।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आपकी सहायता के लिए कि आप राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य, 5-7

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सदस्य जिनका बिजली के बारे में अनुभव है, खंगारसिंहजी, वी.पी. सिंहजी भी हमारे बीच में हैं, हमारे ज्ञानी आदमी हैं, बोलेंगे, वे सब लोग हैं, उनमें से छांट कर, विपक्ष के माननीय सदस्य भी हों, बिजली की जो डे–टू–डे की समस्या है, उस समस्या के बारे में 5–7 माननीय सदस्यों की एक समिति बनाकर, वह आपको महीने-बीस दिन में रिपोर्ट दे दे, उस रिपोर्ट के आधार पर आप बोर्ड के अधिकारियों से बात-चीत करके इसका समाधान कर दें तो यह जो प्रशासनिक तंत्र के कारण से किसानों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी होगा।

अन्तिम एक बात और कहते हुए कि एक इस प्रकार की समिति भी राजस्थान में बनायी जाए जिसमें किसान भी हों, व्यापारी भी हों, उद्योगपति भी हों, बिजली के विशेषज्ञ भी हों और उनके सामने सरकार अपनी पूरी बात रखे और पूरी बात रखने के बाद इस बिजली की समस्या का समाधान करे।

एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि बिजली बोर्ड राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नियमों में संशोधन करके कंपनी बनायें, न बनायें आप लेकिन जिस प्रकार से भारत में रेलवे का बजट पृथक से प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार से नियमों में संशोधन करके बिजली बोर्ड का पृथक से बजट बने, बजट बनकर राजस्थान की विधान सभा में पेश हो, उस पर विचार-विमर्श हो और यहां पर पास हो। आप उसको पूर्ण स्वायत्तता देने की बात करते हैं और मैं चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के क्रिया-कलापों को, कार्यक्रमों को आप देखिये, साढ़े पांच लाख कनेक्शन हैं और हम कनेक्शन पूरे कर दें तो 10 लाख कनेक्शन हो जाएंगे और 10 लाख कनेक्शन बिजली के हो जाएंगे। एक कुएं पर 10 आदमी भी सोचें तो 1 करोड़ लोग बिजली से अपना पेट भरेंगे, इस पर आश्रित हो जाएंगे। अगर राजस्थान की 20 प्रतिशत जनसंख्या बिजली पर आश्रित होती जा रही है, तो उस बिजली के बजट पर हम यहां डिस्कस करें, उसमें सरकार कितना अनुदान दे वह भी तय करें। आज हम बिजली बोर्ड पर ही सारा डालते जा रहे हैं, वह जरूरी नहीं है, सरकार को जो हिस्सा देना है, सरकार को जो अनुदान देना है, सरकार को जो सहायता देनी है वह भी तय होनी चाहिए। इसके लिए सरकार बिजली पर कोई टैक्स लगाये तो टैक्स लगाने की बात भी होनी चाहिए, बिना टैक्स के तो काम नही चलेगा। इसलिए इन सारी बातों पर विचार करने के लिए इस बजट को चेंज करने के लिए, इसकी प्रक्रिया को चेंज करने के लिए अलग से एक कमेटी बनायी जाये और डे-टू-डे की किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए अलग से कमेटी बनायी जाए। मैं चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ऊर्जा मंत्रीजी आप अपने श्रीमुख से कुछ फरमायेंगे तो आपका आकाश-पाताल एक करना ठीक होगा, आप असली प्रेमी होंगे, नहीं तो आपको असली प्रेमी नहीं माना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद, घनश्यामजी। श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बिजली की समस्या और समाधान विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं मेरी बात इस वर्तमान कलयुग से शुरू करूंगा। कलयुग के दो अर्थ हैं। माननीय घनश्यामजी ने भी यह बात कही और हमारे रमाकांतजी ने भी यह बात कही। इस कलयुग में बिजली के लिए कितनी डिमाण्ड है और हम इस पर कितने आश्रित हो गये हैं, यह चर्चा की बात है।

परन्तु बिजली विभाग या मण्डल की जहां तक बात है, इसके कलपुर्जे, मेरा कहना है कि घिसते-घिसते इतने मौटें हो गये हैं, शब्द बोल रहा हूं अन्यथा नहीं लें, उनको धार देने की जरूरत है। हमारे चेयरमैन साहब भागादौड़ी कर रहे हैं इसके लिए मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्रीजी का भी करता हूं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि बिजली का जितना हम विस्तार कर रहे हैं उस विस्तार के साथ ही जो आवश्यक पद हैं, उनका सृजन हो रहा है या नहीं, जो पद खाली चल रहे हैं उन पदों को भरने के लिए मण्डल क्या कर रहा है, इस पर भी हमें चिंतन करना होगा। आज स्थिति यह है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे क्षेत्र का ही कि मेरे यहां कोटड़ा और गोगुन्दा में मात्र 16 लाइनमैन 2 तहसीलों को सम्भाल रहे हैं। जहां तक जे. ईएन. का सवाल है, कोटड़ा में काफी वर्षों की मांग के बाद अभी पहली बार एक जे. ईएन. लगाया है, बाकी गोगुन्दा से ही उसकी मोनीटरिंग होती थी। बिजली आ रही है सिरोही से, स्थिति यह हो रही है कि हमारे पास सीधा कंट्रोल नहीं है तो उसकी देख-रेख कैसे हो सकेगी? मैं यह चाहूंगा कि जितने पद नियमों के हिसाब से आवश्यक हैं उन पदों का सृजन करके उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। एक डिमाण्ड मैंने पिछली बार भी की थी और इस बार भी कर रहा हूं कि जितने गांव आंकड़ों में बिना एक भी कनेक्शन दिए विद्युतीकृत घोषित कर दिए हैं उन गांवों में आप कब तक कनेक्शन दे देंगे, इसकी भी घोषणा माननीय मंत्रीजी कर दें तो मुझे खुशी होगी। विशेष रूप से मेरा जो क्षेत्र है उसकी बड़ी दुर्गति है। एक कोटड़ा तहसील का उदाहरण मैं बार-बार देता हूं, जिसमें 304 गांव हैं। विद्युत विभाग ने आंकड़ों में 175 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया है, लेकिन वास्तव में वहां सिर्फ 57 गांवों में ही बिजली है। बाकी गांव कैसे विद्युतीकृत हुए, आज की तारीख तक तो लाइन देखी नहीं, चार-पांच साल से मैं भी घूम रहा हूं वहां, तो वह लाइन कहां गयी, उस लाइन को कौन ले गया, कोई चुरा ले गया, इसका क्या हुआ, केस दर्ज हुआ या नहीं हुआ। आप उस पर भी चिंतन करके एक ऐसी घोषणा कर दें कि हम इतने दिनों में विद्युतीकृत कर देंगे और इसके लिए मण्डल विज्ञप्ति जारी कर दे कि गांवों में कोई विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है तो हम कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं।

मैं जनजाति क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जनजाति विकास विभाग का धन्यवाद है, क्योंकि उसका फण्ड केन्द्र सरकार से आ रहा है और उसके द्वारा प्रतिवर्ष एक-दो गांव इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। बाकी मण्डल की ओर से कोई कार्यवाही हो रही हो, ऐसा हमें अभी तक दिखा नहीं। हम विभाग का, मण्डल का आभार तो प्रकट करते हैं कि आपने जिला स्तर पर, सब

(श्री महावीर भगोरा)

डिवीजन और एक्स. ईएन. स्तर पर कमेटी का गठन तो कर दिया। कभी-कभी बैठक भी होती है। अधिकारी बैठक तो करते हैं, चाहे उसकी सूचना जन-प्रतिनिधियों को दें या न दें। उसकी तारीख भी तय नहीं है, मर्जी आये तब निकाल देते हैं, मीटिंग हो जाती है, उसके बाद सूचना मिलती है। हम किसी मीटिंग में जाते हैं और उसमें हमारी समस्या रखते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या हुआ उसकी जानकारी अगली बैठक में नहीं मिलती है। इसलिए इसको मोनीटर करने वाला कोई जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। जहां तक अधिकारियों का सवाल है, छह महीने में अधिकारी बदल जाते हैं। एक आदमी जब तक हमारे क्षेत्र को समझता है तब तक वह बदल जाता है। यह परिपाटी हम तीन-चार साल से देख रहे हैं। जब तक आप स्थायी तौर पर अधिकारी नहीं रखेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप किसी भी अधिकारी को कम से कम दो वर्ष तक उस क्षेत्र में रहने दें ताकि उस क्षेत्र को वह समझ सके और काम कर सके।

दूसरा, अभी वन विभाग की बात की गयी थी। हमारा जो ट्राइबल एरिया है वह 60 से 75 प्रतिशत वन क्षेत्र से भरा हुआ है। अब यदि वन विभाग कहीं न कहीं लाइन खींचने या पोल गाडने में आड़ा आ जाए तो हमारे यहां कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि कोटड़ा में आज तक 57 गांवों के अलावा 304 गांवों में कनेक्शन नहीं हुए। लड़-झगड़ कर और प्रयास करके कनेक्शन की बात तय हुई तो अब टेंडर नहीं हो रहे हैं। टेंडर इनके विभाग की समस्या है। इन्होंने किस तरह की परिपाटी विभाग में विकसित की है कि कोई ठेकेदार टेंडर देने को ही तैयार नहीं है। इन परिस्थितियों के ऊपर हमें विचार करके इनमें परिवर्तन करने की जरूरत है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि गांवों में जो बिलिंग सिस्टम है वह कम्प्यूटर से होता है। गांवों में एक-घर में 18-18 हजार रुपयों का बिल आ रहा है। जब उपभोक्ता विभाग में जाता है तो वहां कोई जवाब देने वाला ही नहीं मिलता है। यदि मिल भी जाए तो वह एक बार लड़ने झगड़ने के बाद करेक्शन कर भी देता है तो दूसरी बार वही गलती रिपीट हो रही है। ऐसा एक बार नहीं, पांच-पांच, छह-छह बार होता है। मेरा निवेदन है कि इसमें भी कोई सुधार करें ताकि उसमें दुबारा कोई गलती नहीं रहे और बिलिंग सही हो जाए ताकि समय पर पैसा भी जमा हो जाए।

अभी माननीय घनश्यामजी ने विद्युत कनेक्शन की बात कही। निश्चित रूप से आपके बिजली विभाग के कारण ही कनेक्शन कटते हैं। कटने के बाद मौके पर फारमर मौजूद है, लेकिन दुबारा उनसे पूरी राशि वसूल की जाती है। निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए ताकि उपभोक्ता दुबारा कनेक्शन लेकर जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसका उपयोग कर सके।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की बात आ रही है और उसमें कटौती की बात आ रही है। अभी सबने कहा कि 10 बजे के

(श्री महावीर भगोरा)

बाद गांवों में बिजली देते हैं। गांव का किसान अनाज पैदा करके शहरी क्षेत्रों में या हम सभी लोगों को अनाज पैदा करके सप्लाई करता है। अगर उसको समय पर बिजली नहीं मिली तो वह किस आधार पर अनाज पैदा करेगा। अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो हमें मंहगे भाव पर बाहर से अनाज का आयात करना पड़ेगा। उसी का परिणाम यह हुआ कि बीच में गेहूं के भाव 12 रुपये तक पहुंच गए थे और यह समस्या आगे भी पैदा हो सकती है।

अभी जैसे चर्चा में यह बात आई कि इस समय दाना पड़ रहा है और दाना मोटा हो रहा है। अगर ऐसे समय में बिजली की सप्लाई कम हुई तो निश्चित रूप से किसान को भारी नुकसान होगा और हम सब लोग, जो उपभोक्ता हैं हमको भी नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि चाहे शहरी क्षेत्र में उद्योग भी बन्द करने पड़े, लेकिन अभी जो सप्लाई दी जाए वह किसानों को दी जाए ताकि कम से कम हम अनाज तो पैदा कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जनजाति क्षेत्र के लोग हैं। हमारे यहां फ्रिज, कूलर या पंखे चलाने के लिए बिजली की डिमाण्ड नहीं है। आजादी के 48 वर्षों के बाद हम कम से कम एक लट्टू तो अपने घर में जलाना चाहते हैं।

आपने कुटीर ज्योति योजना लागू की, लेकिन उसका आज क्या हश्र हुआ? यदि आपने मौके पर जाकर देखा हो और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को आमन्त्रण देना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में आएं। मंत्री बनने के बाद तीन वर्षों में आप मात्र दो बार उदयपुर संभाग में आए और वन विभाग में एक छोटा–मोटा कार्यक्रम करके पधार आए। जनजाति क्षेत्र की समास्या अलग है। वैसे आप कोटा जिले के रहने वाले हैं और आप पहाड़ी क्षेत्र से वाकिफ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपको निरन्तर आमन्त्रित कर रहे हैं....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने कभी आमन्त्रित ही नहीं किया।

श्री महावीर भगोरा : हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपको हमारी पार्टी का संभाग का प्रभारी बना दिया है। आप अबकी बार जो बैठक करें वह संभाग मुख्यालय पर ही करें तो कम से कम आप उन परिस्थितियों को समाप्त कर पाएंगे कि किस तरह से आदिवासी उस क्षेत्र में रह रहे हैं और वे किस चीज की अपेक्षा शासन से करते हैं इसका पता चलेगा। इसके लिए आप वहां आकर मौके पर इन चीजों को देखेंगे और एक बार आप यदि विभागीय कार्यक्रमों की मोनीटरिंग करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। आपके सामने हम लोग अपना पक्ष रख पाएंगे और उपभोक्ता भी अपना पक्ष रख पाएंगे। मैं अधिक बात न कह कर यहीं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य क्षेत्रों की बनिस्पत जनजातीय क्षेत्रों के लिए बिजली कनेक्शन के जो नोर्म्स हैं उनमें विशेष छूट देकर, शिथिलता देकर अन्य साधन मुहैया कराकर, कम से कम एक लट्टू तो हमारे घर में लगा दें, यही विनती करते हुए मैं

12558

(श्री महावीर भगोरा)

अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन जिस विषय पर चर्चा कर रहा है वह काफी गम्भीर विषय है और जब–जब इस पर चर्चा हुई है, मैंने इस बात को सदैव कहा है कि जैसे शरीर में रक्त काम करता है उसी तरह आज के जीवन में, आर्थिक जीवन में सबसे बड़ा महत्व किसी का है तो वह बिजली का है। यदि रक्त का अभाव हो तो शरीर जीवित नहीं रहता। धमनियों में, शिराओं में, कोशिकाओं में होकर रक्त बहता है और शरीर को प्रखर रखता है। इसी प्रकार से विभिन्न तारों के माध्यम से, चाहे वह औद्योगिक जगत हो, चाहे कृषि जगत हो, चाहे मेरे घर का मकान हो, चाहे दुकान हो, सभी जगह बिजली के प्रभाव को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। मैं इस बात के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परिस्थितियां अनुकूल रहें या प्रतिकूल रहें, चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन सभी परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने बिजली की सप्लाई को राजस्थान में पूरा करने का अपनी शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा प्रयास किया है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कई राज्यों से हम निश्चित रूप से पीछे हैं, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के कई राज्यों से हमारी स्थिति ठीक भी है। लेकिन जिन परिस्थितियों से होकर बिजली के क्षेत्र में हम चल रहे हैं और जिन परिस्थितियों का बिजली मंत्री जी ने और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुकाबला किया है उसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा। मैं कोई भाट नहीं हूं, कोई चारण नहीं हूं, कोई बारहठ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो वास्तविकता है उसको कहने के लिए मुखरित या प्रखारित होना पड़ता है तो उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है।

जैसा इन्होंने कहा था कि पहले तो हम गुणगान करते हैं और बाद में खिंचाई करते हैं। यदि किसी आदमी में कोई कमी भी है तो उसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

आज मैं यहां केवल एक विषय को लेकर खड़ा हुआ हूं और वह विषय मेरे क्षेत्र का है। मैं मेरे क्षेत्र के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज राजस्थान में मेरे खयाल से बिजली का प्रोडक्शन 1100 मेगावाट का है। राजस्थान के कुल प्रोडक्शन में 850 मेगावाट बिजली अकेला कोटा पैदा कर रहा है। यानि राजस्थान के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 85 प्रतिशत बिजली का उत्पादन आज कोटा कर रहा है। लेकिन आज कोटा को बिजली के कारण कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, परन्तु कोई भी सुविधा इस कारण से आज कोटा को नहीं मिलती है। मैं सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूंगा, जैसा अभी माननीय घनश्याम जी ने कहा। आज कोटा की परिसीमा में मेरे क्षेत्र के, विशेषकर कुछ ऐसे गांव आ गये हैं जो पहले नगर परिषद में भी थे और आज निगम बनने के उपरान्त उसके वार्डों में भी आ गये हैं। 15 साल से, 20 सालों से वह किसान जो आसपास के इलाकों में गांवों में रहते हैं

(श्री अर्जुनदास मदान)

और वह मिनिमम चार्जेज 50 पैसे यूनिट देते थे, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के उन के ऊपर नर्सरी के चार्जेज लगा दिये। मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि कोई भी एक सुविधा का विस्तार नहीं कर सकते, उसका विकास नहीं कर सकते, यदि आप कुछ अधिक नहीं दे सकते तो किसी से छीनने का आपको क्या अधिकार हैं ? वंचित क्यों होने देते हैं आप ? आप वह किसान जो 50 पैसे प्रति यूनिट पर किसान होने के नाते मूली उगाते हैं, गाजर उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं और आज उनके ऊपर बिना किसी कारण से आपने नर्सरी के चार्जेज लगा दिये जबकि पूर्व में लगातार 20 वर्षों से 50 पैसे प्रति यूनिट देते चले आ रहे हैं और एकाएक आपने एक +++ निकाल दिया कि आप एक रुपया 40 पैसे प्रति यूनिट दोगे। क्यों दें ? उनका क्या दोष है इसमें ?

केवल मात्र एक निवेदन और करूं, मान्यवर, वर्ष में तीन महीने तो लगभग बरसात रहती है जिसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं होती। तीन महीने कोटा एक ऐसी जगह है जहां नहरों से पानी उन लोगों को मिल जाता है। 6 महीने तो आपको मिनिमम चार्जेज देते ही रहते हैं, उपयोग तो वे करते हैं केवल मात्र 6 महीने ही। उन 6 महीनों के लिए आप 12 महीनों के पैसे लेते ही हो। लेकिन आज आप मिनिमम चार्जेज किसान पर एक रुपया 40 पैसे नर्सरी के चार्जेज कर रहे हैं। कारण यह कि साहब आप कोटा शहर में आ गये, आपको अधिक बिजली मिलती है। जो सुविधा जिसको मिलती है, अगर कोटा में चम्बल बहती है तो वहां पर मैं ही नहाऊंगा, कोई जैसलमेर का आदमी जाकर थोड़े ही नहायेगा। किसी भी सुविधा का, जिस जगह आदमी बैठा है वह उसका उपयोग करता है। अपने अधिकारों में मिलने वाली किसी भी वस्तु का चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वह उसका उपयोग करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।

मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं, जैसे सरदारों के यहां कड़ा प्रसाद बंटता है, आपने देखा होगा, गुरजंट सिंह जी बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाई जब कड़ा प्रसाद बांट देता है तो उंगलियों पर घी लग जाता है तो उससे दाढ़ी मूंछ तो चौपड़ता ही है। अब उसमें उसका क्या दोष हैं वह मुझे बताइये। आज आप चूंकि कोटा नगर में आ गये हैं इसलिए आप नर्सरी का चार्जेज देंगे। तो पहला तो मेरा निवेदन यह है कि 15-20 वर्ष से मिलने वाली सुविधा से आप उसको वंचित क्यों होने दे रहे हैं ? दूसरा, यह कि उस सीमांकन को किन लोगों ने किया ? किया तो आपने ही नगर निगम सीमा में उन किसानों ने तो नहीं बनायी। मेरा आपसे निवेदन एक यह भी है कि जब उनसे पूछा गया तो मुझे उत्तर मिला कि ज्यादा घंटे बिजली मिलती है इसलिए हम ज्यादा चार्जेज ले रहे हैं। तो यह बड़ी विडम्बना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अर्जुनदास मदान)

का विषय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और चूंकि सौभाग्य से चेयरमैन साहब भी यहां पर विराजें हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा रेट छोड़ दें।

दूसरी बात और है कि प्रारम्भ से लेकर के आज तक, जब से उनके पूर्वज भी, मैंने जैसे पहले आपसे निवेदन किया कि जो लाभ ले रहे थे उससे एकाएक वंचित नहीं होने दें। वहां पर बिल आये हैं, मैंने उन लोगों को, मेरे क्षेत्र के विशेष कर, क्योंकि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोटा नगर के चारों तरफ लाडपुरा का क्षेत्र आता है। मेरे क्षेत्र के कुछ गांवों की 16 पंचायतें आती हैं और कोटा नगर निगम के 25 वार्ड भी आते हैं। उन 16 पंचायतों के क्षेत्र में पड़ने वाले और कुछ ऐसे गांव जो शहर के, निगम के क्षेत्र में तो आते हैं लेकिन हैं गांव की संज्ञा में। उनसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उस पर विचार करें। मैंने कह दिया है कि मैं इस बात को निश्चित रूप से सदन में रखूंगा और उन लोगों से कहा है कि आप बिल का तब तक भुगतान नहीं करें और करें भी अगर कोई विवशता आ जाए तो आप एक विरोध स्वरूप लैटर के साथ उसका भुगतान करें। इसके ऊपर निर्णय जब तक सरकार नहीं लेती, हमें उसके लिए कोई विरोध भी प्रकट करना पड़ा तो चूंकि हम तो संगठन के सिपाही हैं, निश्चित रूप से अपनी मर्यादाओं में जीते हैं और उन मर्यादाओं के बीच में अपनी कोई भी उनसे आज्ञा लेने के उपरान्त अगर कोई आन्दोलन भी करना पड़ा, मान्यवर, तो मैं उसमें किसी तरह से नहीं हिचकिचाऊंगा। कारण केवल मात्र इतना कि जो सुविधा मिल रही है किसी व्यक्ति विशेष को तो उससे उसको कभी भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा, मान्यवर, मैं कोटा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से विशेषकर आग्रह करूंगा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि टोटल राजस्थान का प्रोडक्शन आज 1100 मेगावाट है, 850 मेगावाट

श्री उपाध्यक्ष : कोटा के ही मंत्री हैं, कोटा के ही माननीय विधायक।

श्री अर्जुनदास मदान : लेकिन वह हमारी सुनते नहीं। मैं आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं। मैं तो, मान्यवर, निवेदन करूं, मैं भगवान राम की उपासना करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, पहले हनुमानजी की आराधना करता हूं इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं कि मेरी बात पहुंचायें और उसको स्वीकार करने के लिए आप भी योगदान दें।

एक दूसरा निवेदन करता हूं। आज कोटा के अन्दर, जैसा मैंने आपसे कहा, कम से कम 4 रैक पूरे कोयला रोज खर्च होता है और एक रैक में 40 डिब्बे होते हैं। आप कल्पना कीजिये, 4 × 4 = 16, 150 डिब्बे कोयला के प्रतिदिन होते हैं, उनसे कण भी निकलते हैं, राख भी निकलती है, उसको हम लोग इन्हेल करते हैं, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और राजस्थान के खातिर हम उसको भी बरदाश्त करने को तैयार हैं लेकिन ये हमको चुंगी नहीं देते वहां पर। मैं छोटा सा निवेदन करता हूं कि क्यों नहीं दे रहे हो

128

(श्री अर्जुनदास मदान)

चुंगी। जब कोई भी चीज आज नगर सीमा में आती है, आप उस चुंगी से क्यों वंचित हो? छोटा सा अगर एक कारण, अगर थोड़ा सा उत्पादन बढ़ता है तो आज कोटा के औद्योगिक नगर धीरे धीरे पिसते चले जा रहे हैं। कोई आमदनी का जरिया नहीं है। आप विश्वास कीजिये, जो नगर निगम की आमदनी एक करोड़ रुपये प्रति-दिन थी, जहां डी.सी.एम. से, जे.के. से रोज कम से कम 65 लाख रुपये आया करते थे चुंगी के उद्योगों से, वह घटकर के आज 30 लाख रुपये रह गयी है। 40 लाख रुपये की तो वह कटौती हो गयी। हम कोयला आपकी खातिर खायें, हम झाड़ू सफाई उस कोयले की करवायें और 160 रैक आप खर्च करें। बिजली हम उत्पादन करें और आप उस बिजली उत्पादन करने का कोटा को कोई लाभ भी नहीं दें और उसके साथ-साथ आप चुंगी भी नहीं दे। मान्यवर, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोटा के नाते, कोटा के प्रति आपके मन में टीस है वेदना है, पीड़ा है और इसी कारण से मैं आपसे याचना और प्रार्थना करता हूं कि आप इसके ऊपर विचार करें और जो नहीं मिलने वाली चुंगी है चाहे किसी कारण से, मुख्य मंत्री महोदय को भी कहना पड़े तो आपको पुर-जोर शब्दों में कहना चाहिए कि एक आदमी की सुविधा दूसरे की जिन्दगी में दुविधा कभी बननी नहीं चाहिए और यदि बनती है तो उसके ऊपर विरोध होना चाहिए।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आज बात की जाती है कि किसानों को बिजली, किसान भी आते हैं, आपने देखा होगा, मैं तो याद करता हूं, एक बहुत बड़ा निवेदन है, बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि किसान आप किसको कहेंगे। क्या चंदनमल जी बैद को किसान कहेंगे? क्या परसराम जी मदेरणा को कहेंगे? क्या भाटी साहब को कहेंगे? मेरी दृष्टि में किसान, मान्यवर, चार प्रकार के होते हैं। मैं किसान तो नहीं हूं लेकिन किसान के बारे में थोड़ा बहुत जो समझता हूं उस नाते से आपसे निवेदन करता हूं कि उसके ऊपर सदन में निश्चित रूप से विचार करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आज किसान के नाते उनकी बहुत बड़ी आमदनी है, 50 पैसे प्रति यूनिट देते हैं, जब बवाल मचता है कि साहब पैसे बढ़ाये जाएं तो सरकार के सामने चिन्ता आती है कि साहब आन्दोलन होगा, लोग आयेंगे, यहां घेराव करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मान्यवर, मैं तो इतना निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि यदि सूरज और चांद आसमान में आयेंगे तो उनको ग्रहण तो लगेगा ही। यदि वह ग्रस्त हो जायं तो न तो राहू पकड़ेगा और न केतु पकड़ेगा और यदि सामने आना है तो आपको आभाषित होना है, प्रकाशित होना है, अपने आपको दिखाना है। तो किसी जिम्मेदारी को ओढ़ना है तो उन जिम्मेदारियों के लिए किन्हीं कठिनाइयों को भी यदि झेलना पड़े तो मन और तन से आदमी को तैयार रहना चाहिए।

एक छोटी सी बात निवेदन करता हूं कि यहां के लोग लेकर चले आते हैं उस

(श्री प्रभु दयाल मदान):

किसान को। एक वह किसान, जो आज नहरों से पानी लेता है, एक वह किसान जिसके खेत में बिजली और बिजली से पानी लेता है, तीसरा वह किसान जो आज डीजल के इंजन को चलाकर के पानी लेता है, चौथा वह किसान, जो गांव की दूर तलहटी में बैठा हुआ अपना बैल जोतकर खेती करता है, वह भी किसान है। लेकिन होता क्या है? दुर्भाग्यवश जब भी बिजली के पैसे बढ़ाने की बात आती है, लोग कहते हैं किसान इससे लाभान्वित है, किसान आन्दोलन करेंगे। मान्यवर, मुझे अपना बचपन याद आता है और आपको भी याद आयेगा यदि आप स्मरण करें तो, जब हम सिनेमा देखने जाते थे तो कभी कभी लाइट चली जाती थी और लाइट जब चली जाती थी तो बालकनी में बैठा हुआ आदमी, बाक्स में बैठा हुआ आदमी सीटी नहीं बजाता था, वह सीटी बजाता था, चवन्नी में, थर्ड क्लास की टिकट लेकर आता था, सैकण्ड क्लास की टिकट लेकर आता था वह। वह मेज थपथपाता था। कष्ट तो वह उठाता था और आनन्द लेता था वह बालकनी का आदमी। अब परिस्थिति ठीक वही है। आज जब भी बिजली की बात करते हैं, उसके पास तो ट्रेक्टर भी नहीं है, बड़े बड़े किसान ट्रेक्टर से, ट्रोलियों से, ट्रकों से उस किसान, मजदूर को लाते हैं यहां पर और उसको कोई लाभ भी नहीं मिलता। दुर्भाग्य से आज उस किसान की बात या दूर तलहटी में किसी गांव की तलहटी में गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है उसको बिजली देने की चिन्ता आज न तो मैं कर रहा हूं ईमानदारी से, न यह सदन कर रहा है (व्यवधान) ईमानदारी से। मान्यवर, क्या कारण है?

एक छोटा सा निवेदन करूं। आज उसके पास तो पैसा है, वह पैसे के आधार पर नर्सरी के चार्जेज लेता है और लाइन में वह 10 साल से खड़ा है मुझे तो वही लगता है कि जैसे पतंग टूटती है तो, मान्यवर, बहुत बच्चे उस पतंग को लूटने के लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जिसके हाथ में झाड़ होता है वह धागे को ऊपर से लपेटता है और वह पतंग लेकर चला जाता है। पैदल चलने वाला आदमी हें-हें करके रह जाता है, उसके हाथ में कभी भी पतंग नहीं आती है। ठीक वही स्थिति, जिस आदमी के पास पैसा है, जिस किसान के पास पैसा है, यह बिजली की पतंग जो लूटने के लिए आदमी जाता है, लेने के लिए आदमी जाता है, जिसके पास आर्थिक साधन होते हैं, वह तो उस धागे को लपेटकर चल देता है और जो बेचारा अभावों की जिन्दगी जीता है, वह उस पतंग को प्राप्त करने के लिए जिन्दगी भर भटकता रहता है, छटकता रहता है लेकिन उसको यह पतंग नहीं मिल पाती। उस गरीब के बारे में कौन चिन्ता करेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम वह आदमी, वह दुःखी आदमी, जो आज किसान तो है वह आदमी केवल एक फसल करता है और दूसरा आदमी नहरों से पानी लेकर तीन फसल करता है। गेहूं का भाव उसको भी वही मिलता है बाजार में। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं जब बिकने आता है तो पूछा जाता है कि ये गरीब का गेहूं है। या अमीर का गेहूं ठीक है, आज तो भाव बहुत बढ़ गये लेकिन फसल के टाइम पर अगर 500 रुपये

130

(श्री अर्जुनदास मदान)

क्विंटल भी होगा तो किसान वह जो केवल मात्र खेती, केवल मात्र बड़ी मजबूरी में पैदा करता है और इतनी ही पैदा कर पाता है कि 2–4 बोरी बड़ी मुश्किल से बेच पाता है, उसको भी 500 रुपये मिलते हैं और वह बड़ा किसान जो 3–3 फसल लेता है उसको भी वही भाव मिलते हैं।

आज अगर हम समाजवाद की बात करते हैं और यह सोचते हैं कि गरीब और अमीर के बीच का अन्तर दूर होना चाहिए तो, मान्यवर, हमें पहाड़ों की मिट्टी को हटाकर खाइयों में भरना पड़ेगा और यदि हमने खाइयों की मिट्टी को हटाकर पहाड़ों पर डालना चालू कर दिया तो यह समाजवाद की खाई और ज्यादा बढ़ जायेगी। पूंजीवाद और गरीब और अमीर के बीच की खाई है, वह और अधिक बढ़ती चली जाएगी और यदि इसमें समानता लाने का प्रयास करना है तो आज इस सदन को पूरी ईमानदारी और गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि एक उस किसान के लिए जो बेचारा गरीबी में जीता है, एक फसल लेता है उसको और एक उस किसान को जो नहरों से पानी लेता है या बिजली से पानी लेता है और तीन–तीन फसल उठाता है, आज उन दोनों के ऊपर बिजली के चार्जेज क्यों एक जैसे हैं? इसलिए. मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि सारा सदन इस पर विचार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिजली की समस्या पर चर्चा चल रही है, मैं भी इसमें अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

मैं जयपुर शहर से विधायक हूं इसलिए ज्यादा लम्बा–चौड़ा नहीं बोलकर जयपुर के निवासियों की जो समस्याएं बिजली से सम्बन्धित आ रही हैं, उनके बारे में ही बात करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 जुलाई, 1996 को आर.एस.ई.बी ने एक निर्णय लिया कि कृषि भूमि पर बनी आवासीय कालोनीज के निवासियों से विद्युत विकास शुल्क के नाम पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल की जाए। जब यह समाचार–पत्रों में पढ़ा तो मैंने गत बजट सत्र में 17 जुलाई को इस मामले को शून्यकाल में उठाया और मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि आर.एस.ई.बी. ने इस प्रकार का निर्णय लिया है, यह गलत है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्रीजी ने, जब मैंने यह मामला उठाया और उसके बाद 7–8 सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि निश्चित रूप से यह विद्युत विकास शुल्क वापस लेना चाहिए तो सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय मंत्रीजी श्री रघुवीर सिंह जी ने सदन में यह कहा कि माननीय सदस्यों ने यह जो चिन्ता व्यक्त की है, यह 15 प्रतिशत विकास शुल्क बढ़ा दिया गया है, इसकी मैं जानकारी लूंगा कि यदि यह सच है कि 15 प्रतिशत राशि विकास शुल्क के नाम पर कालोनीज में बढ़ाई गयी है तो मैं बोर्ड को निर्देश दूंगा कि इसे वापस लिया जाए। इसके बाद सब निश्चिन्त हो गये परन्तु नवम्बर, 1996 में आर.एस.ई.बी. की डब्लू.टी.एम. की मीटिंग

(श्री कालीचरण सराफ)

हुई और उसमें उन्होंने मंत्रीजी के निर्देश की अवहेलना करते हुए विधान सभा में जो आश्वासन मंत्रीजी ने दिया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहे, बातें न करें।

श्री कालीचरण सराफ : उसकी अवहेलना करते हुए आर.एस.ई.बी. ने यह निर्णय किया कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियों की कालोनीज बनी हुई हैं उनके निवासियों से पांच हजार रुपये प्रति

(15.35)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

प्लाट होल्डर, चाहे 100 गज का किसी का प्लाट हो, चाहे 200 गज का प्लाट हो और चाहे 500 गज का प्लाट हो, पांच हजार रुपये प्रति प्लाट होल्डर से वसूल करेंगे और यह जो पांच हजार रुपये, उसमें से ढाई हजार रुपये तो सर्विस कनेक्शन चार्जेज और ढाई हजार रुपये एडिशनल सिक्योरिटी चार्जेज। जो पांच हजार जमा करायेगा वही व्यक्ति डोमेस्टिक लाइट लेने के लिए अधिकृत होगा। यह इस प्रकार का निर्णय आर.एस.ई.बी. की डब्लू.टी एम. की मीटिंग में लिया और उसके बाद जो वहां के चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर बी.आर. गुप्ता, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया सब एक्स.ईएन. और ए.ईएन्स. को कि इस प्रसार से राशि वसूल की जाए। इसमें मजेदार बात यह है कि अभी तक आर.एस.ई.बी. ने कोई इस बारे में आदेश नहीं निकाला। परन्तु जो प्लाट होल्डर्स हैं उनसे पांच-पांच हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा के इस सदन में कोई बात माननीय सदस्य उठाते हैं और उसके बारे में माननीय मंत्रीजी यहां आश्वासन देते हैं, क्या उसकी कोई सेंक्टिटी है ? माननीय मंत्रीजी ने आदेश दिया और उन्होंने यहां यह कहा कि मैं बोर्ड को इस प्रकार के आदेश दूंगा कि वह यह विकास शुल्क वापस ले। अब विकास शुल्क का नाम बदलकर, इसमें पांच हजार रुपये एडिशनल सिक्योरिटी चार्जेज और सर्विस कनेक्शन चार्जेज के नाम से वसूल कर रहे हैं। यह जयपुर शहर की जनता के साथ अन्याय है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि जब वे अपना जवाब दें तो इसके बारे में निश्चित रूप से बतायें।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में लगभग चार लाख इस प्रकार के परिवार हैं जो कृषि भूमि पर बनी कालोनीज में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं और उनके साथ कलेक्ट्रेट रूपान्तरण शुल्क के नाम पर, जे.डी.ए. विकास शुल्क के नाम पर और नगर निगम गृह कर के नाम पर लाखों रुपये वसूल कर रहे हैं। आज से 16 साल पहले, 1981 में रूपान्तरण शुल्क के नाम पर 28 करोड़ रुपये गृह निर्माण सहकारी समितियों की जो कालोनीज बनी हुई हैं उनसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वसूल किये और आज तक उनका नियमन नहीं हुआ। विकास शुल्क जे.डी.ए. ले रही है और गृह कर नगर निगम ले रही है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो लूट ये तीनों विभाग कर रहे हैं, आर.एस.ई.बी. भी इसमें शरीक होना चाहती है। आखिर गृह निर्माण सहकारी समितियों की कालोनीज में जो

(श्री कालीचरण सराफ)

लोग रहते हैं क्या वे इतने पैसे वाले हैं कि उनसे इस प्रकार से मनमानी राशि वसूल की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अपने जवाब में इस बात का निश्चित रूप से जिक्र करे।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में कई कालोनीज इस प्रकार की बनी हुई हैं जहां हाई टेंशन लाइन उन कालोनीज के ऊपर से जा रही है। अब हाई टेंशन लाइन जिस बस्ती के ऊपर से जा रही है वहां वह एक मंजिल से ज्यादा बना नहीं सकता। दूसरी मंजिल बनायेंगे तो हाई टेंशन लाइन से बच्चों के करंट लगने से, उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम कई बार यह कह चुके हैं कि इस प्रकार की बस्ती हैं उनमें से हाई टेंशन लाइन शिफ्ट होनी चाहिए। अब जब आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन से इस बारे में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि जे.डी.ए. इसका पैसा जमा कराये, नगर निगम इसका पैसा जमा कराये तो हम शिफ्ट कर देंगे। मजेदार बात यह है कि जब जे.डी.ए. के कमिश्नर थे आदरणीय भण्डारी साहब, उस समय जब हम यह कहते कि आर.एस.ई.बी. पैसा वसूल कर रहा है और वह कह रहा है कि जे.डी.ए. पैसा जमा कराये, तो हमारे चेयरमैन, श्री भण्डारीजी उस समय यह बोलते थे कि नहीं, जे.डी.ए. क्यों पैसे जमा कराये, यह आर.एस.ई.बी. का काम है, आर.एस.ई.बी. करे। अब यह सौभाग्य से वे आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन हो गये। अब यह कहते हैं कि जे.डी.ए. पैसा जमा कराये तो जे.डी.ए. और आर.एस.ई.बी. की लड़ाई में, नगर निगम और आर.एस. ई.बी. की लड़ाई में जनता बड़ी त्रस्त है। कई इस प्रकार की कालोनीज जयपुर शहर में हैं, सैकड़ों कालोनीज इस प्रकार की हैं जहां हाई टेंशन लाइन उनके मकानों के ऊपर से जा रही है, एप्रूव्ड कालोनीज हैं, जे.डी.ए. द्वारा अलाटेड कालोनीज हैं, नगर निगम से एप्रूव्ड कालोनीज हैं, अलाटेड कालोनीज हैं उनमें जनता को इस प्रकार की दिक्कत आ रही हैं जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, करंट लगने से लोगों की मौत होती है। इसके बारे में आर.एस.ई.बी. निश्चित रूप से सोचे और इसका कोई रास्ता निकाले।

तीसरी समस्या जयपुर शहर के नागरिकों के समक्ष आ रही है कि इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र जो पहले ही पंचायत के अन्तर्गत आते थे और अब नगर निगम बनने से वह शहरी क्षेत्र में आ गये और वहां सारे नियम-कानून ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। अब जयपुर शहर में जब नगर निगम क्षेत्र में आ गये, शहरी क्षेत्र में आ गये, वहां कालोनीज बन गयी, वहां पर अब खेत है नहीं। आज शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाती है, उनको वह बिजली नहीं दी जाती है। कहीं पर 8 घंटे, कहीं पर 7 घंटे जैसे खेतों में बिजली दी जाती है, उस प्रकार से बिजली दी जा रही है। जब वह शहरी क्षेत्र में आ गये तो उनको शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करना चाहिए और रूरल फीडर से उनको बिजली दी जा रही है उसको अरबन फीडर में कनेक्ट किया जाए और उनको जिस प्रकार और कालोनीज में 24 घंटे बिजली मिलती है, उस प्रकार से बिजली मिले। ये तीन बातें मैं रखना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से अपेक्षा करूंगा

(श्री कालीचरण सराफ)

कि जब वे जवाब दें तो इनके बारे में निश्चित रूप से बतायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री वी. पी. सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, बिजली की समस्या, विद्युत के ऊपर चर्चा हो रही है, मैं भी आपके माध्यम से, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ तो धन्यवाद भी मंत्रीजी को दिया कुछ आपत्तियां और जो शिकायतें हैं वह भी कीं। मैं भी अपने आप को सोचता रहूं कि पहले तो धन्यवाद दे दूं और फिर खिचाई न करके मेरे सुझाव उनके सामने रखना चाहता हूं और कुछ कंसट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही मैं आपके सामने रखूंगा। काफी बातें आई। बिजली की आज इतनी जरूरत है कि पहले जो लक्जरी थी, कुछ ही घरों के अन्दर बिजली होती थी, आज सबको जरूरत है और दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा महत्व और इम्पोर्टेंस मान लें, या जरूरत आज बिजली की है। आज कोई भी चीज देख लें आप, ट्रेंस भी आजकल बिजली से चलने लग गयी और किसान भी आज बिजली के बिना उपज नहीं कर सकता। इसलिए बिजली के महत्व पर ज्यादा नहीं कह कर मैं तो यही कहूंगा कि आज जो समस्या हमारे पास आ गयी है, और डिमाण्ड व सप्लाई की बात मैं जो सामने रखना चाहता हूं, पहले इतनी डिमाण्ड नहीं थी, सप्लाई भी कम थी। यह तो खुशी की बात है कि आज यह एक जागृति जो आई है और सब ने, और किसान जो हमारे 80 प्रतिशत हैं उनकी जो समस्या है और वह समझने लग गये हैं कि बिजली के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा विकास नहीं हो सकता, हमारा उत्थान नहीं हो सकता, तो वह जो जानकारी आ गयी है उसी के कारण सप्लाई बढ़ गयी।

अब मैं विच हंटिंग तो नहीं करना चाहता हूं कि किसकी गलती रह गयी और किस कारण से हम पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, यह जरूर यहां पर मैं कहूंगा कि जो पहले चालीस वर्ष तक नेहरूवियन माडल हमने खड़ा किया था और पीएसयूज (पब्लिक सैक्टर यूनिट्स) जो हमने खड़े किए थे उसी के अनुरूप हमने जो आर.एस.ई. बीज का एक ढांचा खड़ा किया था, एस.ई. बीज और सब स्टेट के अन्दर एस.ई. बीज के ही, उनके द्वारा ही हम जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और सैन्टर भी करती थी जैसे एन.टी.पी.सी. है, हाइडल पावर कारपोरेशन है, वह भी करती थी। आज एक जो नई जागृति आई है, जो इनोवेशन आया है और मनमोहन सिंहजी ने जो चार साल पहले ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया या बजट पेश किया उसके कारण हमने सब चीज खोल दी और जो नये लिबरलाइजेशन के तहत हमने जो पालिसी बनाई है प्राइवेट सैक्टर को यह दे दी है, पहले एस.ई. बीज, ही करती थी, उसके अनुरूप अब जो प्रोब्लम सामने आ रही है कि हमें अब इतनी बिजली चाहिए कि पांच साल के अन्दर हमें हिंदुस्तान के अन्दर, हिन्दुस्तान की बात तो नहीं करूंगा, मैं तो राजस्थान की ही बात कहूंगा, दस हजार करोड़ रु. हमें चाहिये पांच साल में।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अब आप जानते हैं कि एस.ई. बीज. के पास इतना पैसा है नहीं, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, वह देखता है कि अगर इसमें मलाई है तो आयें, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए सब जने तैयार बैठे हैं, दुनिया की आंखें हिन्दुस्तान और राजस्थान पर भी है और पैसा लगाना चाहते हैं पर वह रिटर्न्स देखते हैं कि आज हमने हजार करोड़, पांच करोड़, हजार दस हजार करोड़ रु. लगाये तो हमें क्या रिटर्न्स मिलेगी और यह एस.ई. बीज. से हमें पैसा मिलेगा क्या, यह तो पहले ही सिक है, और सिक होती जा रही हैं। पांच सौ, सात सौ करोड़ रुपये हर वर्ष हम लोग लोस में और हो जाते हैं तो कौन इनवेस्ट करेगा। यह समस्या जो हमारे सामने आ रही है।

अब मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि किसकी गलती रही,क्या रही पर तीन साल के अन्दर जो करना चाहिये था, राजस्थान गवर्नमेंट और आपकी गलती नहीं है मंत्रीजी, गलती जो है सेंटर की है। सेंटर ने जितनी भी, मनमोहनसिंहजी ने तो लिबरलाइजेशन सामने रख दिया कि प्राइवेट सेक्टर से आप ले लो, जो एट्थ प्लान के अन्दर उन्होंने कहा कि हमें तीस हजार मेगावाट की जरूरत है, आपकी डिमाण्ड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, तो तीस हजार मेगावाट की जगह कितना आया,मार्च में आपका एट्थ प्लान खतम हो रहा है तीस हजार मेगावाट की जगह आपको कितना आया, 1500 या 2000 के करीब मेगावाट ही जनरेशन हुआ है, तो 28 हजार मेगावाट तो कम रह गया और नाइन्थ प्लान के अन्दर डिमाण्ड और बढ़ गयी, तो क्या होगा। इसके लिए आपको जो वर्ल्ड बैंक, मानिटरी फण्ड और यह जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, एक ही आपके, जितने भी आठ फास्ट ट्रेक, जितनी आपकी यूनिट्स आने वाली थीं, उनमें से खाली एनरान ही रास्ते पर चल रही है, उसने भी अब कितनी मुसीबतें देखीं, आप जानते हैं और वह दो साल के अन्दर जनरेशन शुरू कर देगा, बाकी का क्या हुआ।

राजस्थान की बात करें, मैं आपको कहता हूं.. (व्यवधान). अभी तो धन्यवाद दे रहा हूं, अभी शुरू नहीं किया है मैंने खिचाई का काम तो या सुझाव का, सही कहता हूं कि यह तीन साल के अन्दर जितना काम आपकी मिनिस्ट्री ने, आर.एस. ई.बी. ने इस दिशा में किया, कभी पचास वर्ष में नहीं किया। जितने आशय पत्र एम. ओ. यू. से लगाकर, पी.पी.ए. से फाइनेंशल क्लोजर तक इतना लम्बा काम है और ऊपर जो बैठे हुए हैं सेन्टर के अन्दर सी.ई. ए. और उनकी जो पालिसीज हैं, इतनी नेगेटिव पालिसीज हैं, वहां से कुछ कराना बड़ा मुश्किल काम है, पर उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं सुझाव भी साथ–साथ देता रहता हूं, मेरा सुझाव इसके अन्दर यह है कि आपने जो एक गलती की, गलती यह की कि आपने इन्टरनेशनल बिड मांग लिये, आपकी स्कीम्स तैयार नहीं। अगर आपकी स्कीम्स तैयार होतीं, आप सी.ई.ए. से पहले से ही सब कुछ एन.ओ.सीज ले लेते, क्योंकि 17 एन.ओ.सीज तो वहां से लेनी पड़ती है, 6 यहां से लेनी पड़ती है, जमीन को आपको बताना पड़ता है कि यह जमीन आपको मिलेगी, यह पानी आपको चाहिए तो यह

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

हम पानी आपको दे रहे हैं, यह बहुत लम्बा समय लगता है और फिर काम शुरू होता है, फिर जस्टेशन में तीन, चार या पांच साल लगते हैं। तो इसके लिए आपको जो करना चाहिए था, सब स्कीम्स तैयार करके एक बाण्ड बनाकर कि साहब, लिग्नाईट पर हमारी यह तीन-चार स्कीम्स हैं, बरसिंहसर है, जालीपा है, कपूरड़ी है, इतनी है। फिर जो आपकी दूसरी डीजल जनरेटिंग वाली है, नेप्था बेस पर, जैसे आप उस पर बात कर रहे थे, जैसे आपकी सूरतगढ़ वाली है, जैसे आपकी धौलपुर है, यह सब बना देते, फिर इन्टरनेशनल बिडिंग करते तो बहुत जल्दी काम हो जाता, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाता। तो एक तो गलती आपने जो कर दी तो कर दी, अगली जो भी स्कीम्स आप बनायें, पहले आप क्लियरेंस लें और फिर इन्टरनेशनल बिडिंग करें, मेरा एक सुझाव है।

मैंने आपकी तारीफ भी की और यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी गलती नहीं, सेन्टर की जो गलतियां हैं उसके अन्दर आपने सुझाव दिये या नहीं दिये, कितनी आपकी वहां पर चलती है मुझे भी पता नहीं, पर मुख्य मंत्रीजी की तो अच्छी चलती है और वहां पर सी.ई.ए. की आज जरूरत क्या है, बीच के अन्दर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, सी. ई. ए. क्यों रूकावट डालता है। अब तो क्या कहते हैं, इनवेस्टमेंट भी वह क्या कहते हैं, टेक्निकल वायबिलिटी, वह कहते हैं कि इतना पैसा लगा रहे हैं इसका क्या रेशो होगा, इसकी जरूरत कहां है, आप को तो यही बात रखनी है कि आप इनवेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें बिजली आप जो देंगे वह दो रुपये बीस पैसे या दो रुपये दस पैसे, यही तो आपको तय करना है। पैसा वह लगा रहे हैं, आपका तो इनवेस्टमेंट है नहीं। जैसे कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतना पैसा वह लगा रहे हैं, सैकण्ड हैण्ड में लगा रहे हैं, बहुत अच्छा पाइंट आपने रेज किया था, पर उनकी झंझट तो तो वह है, सैकण्ड हैण्ड लगायें या नया लगायें, हम तो इनवेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। हमें अगर वह बिजली देंगे तो हम लेंगे, और नहीं देंगे तो उनकी गलती है, उन्होंने जो इनवेस्टमेंट किया है वह भोगें।

मेरा और सुझाव है कि अब एक बात नयी आयी और आज चर्चा इसी रेगुलेटरी बॉडी पर है। अगर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी तो आई.एम.एफ; वर्ल्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। अब रेगुलेटरी बॉडी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी यह है कि हम तो राजनीति में हैं, कांग्रेस हो या बी.जे.पी. हो, 10 पैसा बढ़ा और हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है किसान की ओर से कि साहब आपने पैसा बढ़ा दिया, कांग्रेस होती तो नहीं बढ़ाती, बी.जे.पी. ने बढ़ा दिया। कांग्रेस आएगी तो नहीं और अगर आ भी जाएगी 20-25 साल के बाद तो उनके लिए भी यही समस्या खड़ी हो जाएगी और हम जाकर वहां धरना दे देंगे कि आपने कैसे बढ़ा दिया। रेगुलेटरी बॉडी वह है कि हम सब जने तो अलग हो जाए एक दूसरी बॉडी हो वो ही देखे, वो ही वायबिलिटी तय करे और वो ही कहे कि साहब लोस हो रहा है इसलिए बढ़ाना जरूरी है, यह काम हम करना चाहते हैं। हमारे

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

ऊपर यह समस्या ग्रौर यह आरोप नहीं नहीं ग्राना चाहिए। मेरा इस पर निवेदन यह है कि ग्राप निगम बनायें या कुछ भी करें, पर इसमें बहुत सतर्कता से ग्रौर एक कमेटी बनाकर विचार करके चलें, क्योंकि यह थ्योरिटिकली तो बहुत ग्रच्छा, लग रहा है कि ऐसा होने से हमें वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे देगा ग्रौर प्राइवेट सेक्टर भी पैसा दे देगा, पर मैं नहीं सोचता कि यह सही है। इसमें ग्राप थोड़ा सा विचार करें। रेगुलेटरी बॉडी हो जायेगी तो समस्या यह ग्राएगी कि ग्राप ग्राज टेण्डर ट्रांसमिशन के लिए कर रहे हैं और डिस्ट्रिब्यूशन के लिए भी टेण्डर्स कर रहे हैं। ग्राप विचार करिये अभी तो खाली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच बात हो रही है अब तीसरी पार्टी ग्रौर ग्रा गयी जो डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं उनसे पैसा मिलेगा ग्रार. एस. ई. बी. को और आर. एस. ई. बी. देगी जनरेटिंग कम्पनीज को। तीन बॉडी हो गयी तो विश्वसनीयता तो कम होगी।

इस पर भी क्या ग्रापने विचार किया कि ग्राज ग्रगर उनको पैसा नहीं मिला ग्रार. एस. ई. बी. नहीं दे सके तो गवर्नमेंट के लिये कह देते हैं कि साहब गवर्नमेंट दे देगी पैसा, कुछ विश्वसनीयता तो रही। तीसरी पार्टी डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी एक ग्रोर खड़ी हो गयी। उसे पैसा लेकर ग्रार. एस. ई. बी. को देना है, ग्रार. एस. ई. बी. जनरेटिंग कम्पनी को देगी ग्रौर वो पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? एक छोटा सा मुद्दा मैंने सामने रखा है।

ग्रब बात ग्राती है कि किसान ग्रौर पैसा बढ़ जायेगा उसका क्या करेंगे? मैं उनका भी पक्ष रखना चाहता हूं ग्रौर मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि ग्राज दुनिया के ग्रन्दर, जर्मनी के ग्रन्दर, अमेरिका के ग्रन्दर सब जगह सब्सिडी होती है। किसान को सब्सिडाइज्ड तो करना ही पड़ता है। ग्रब ग्राप विचार करें जो एक बीमारी आ गयी थी इग्लैंड में, नाम सुना होगा ग्रापने बी. एस. ई. की। कितने ही कैटल को मारना पड़ा, खतम करना पड़ा। गवर्नमेंट अगर उनको सब्सिडाइज्ड न करे तो पूरी इण्डस्ट्री ही खतम हो जाएगी। सब्सिडाइज्ड तो करना ही पड़ेगा। कैसे करें? एक बेलेंस बना कर रखना पड़ेगा कि विश्वसनीयता भी रहे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एफ. डी. ग्राई. बी. यहां पर ग्राये ग्रौर तीसरा भी किसान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं इस पर भी ग्राप विचार करें।

मुझे यह तो कहने की जरूरत नहीं है कि एक जो बड़ी समस्या हमारे ऊपर ग्राएगी, वह भी सेंट्रल क्रियेटेड है, वह है फ्यूग्रल लिकेज। ग्रापने ग्राशय पत्र तो साइन कर दिये ग्रौर नेफ्था बहुत लिमिटेड है। ग्रापने नेफ्था मांगा तीन हजार मेगावाट के लिए और ग्रापको मिला है करीब 15 सौ मेगावाट के लिये ग्रौर 15 सौ मेगावाट का भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। ग्रापने ग्रागे अलॉट भी कर दिया। अगर ग्रापको ज्यादा नेफ्था नहीं मिलेगा तो 15 सौ मेगावाट का ग्राशय पत्र तो ग्राप बाद में साइन कर लेना। ग्रापने दो हजार छह पचास मेगावाट पर साइन कर लिया ग्रौर 15 सौ मेगावाट का ग्रापको नेफ्था

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लिंकेज मिला है। आगे क्या होगा ? और वो भी क्या श्योरिटी है कि आपको पन्द्रह सौ मेगावाट मिले जो वी. ओ. पी. पॉजिशन आपकी चल रही है। वह तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या होगा ? इससे तो ज्यादा अच्छा है (व्यवधान) बोलना जरा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह नेपथा आपको मिल गया। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पार्टीज को अलॉट कर दिया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अलॉट तो आपने किया है, आपको तो अलॉट किया है उन्होंने।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उन्होंने हमको किया है, उन्होंने कन्सेंट दे दी तो यह हो गया है और यह भी आपके मन में बहुत पीड़ा है, यह भी बता दूं कि पूरे देश में केवल राजस्थान ने ही यह अलॉटमेंट किया है और किसी भी प्रदेश ने अभी तक नहीं किया है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो बहुत खुशी की बात है। मेरा एक और निवेदन है कि जो चीज जल्दी अपन को दिखायी दे रही है आप खुद सूरतगढ़ कितनी बार गये हैं देखने के लिए ? आपने कहा था कि सूरतगढ़ वाला प्लांट इस साल चालू हो जाएगा, मार्च में होने वाला था उसका क्या हुआ ? चार सौ करोड़ रुपये जो आपको बांडस में मिले और आपको जितने भी दूसरों को पेमेंट्स करने थे, सूरतगढ़ के नाम पर पैसे लिए और दूसरों को पेमेंट कर दिया। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कि यह फर्स्ट फेज 250 मेगावाट आपको मिल जाना चाहिये था, मतलब कमिशंड हो जाना चाहिये था। वह क्यों नहीं हुआ ? आप कितनी बार सूरतगढ़ खुद देखने के लिए गये कि कैसा काम चल रहा है ?

मेरा निवेदन है कि एक नया मिडलमैन सिड्रोम भी आप क्रियेट कर रहे हैं यह निगम बनाकर। एक जनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट सेक्टर की जनरेट करेगी, आपकी ट्रांसमिशन आप किसी दूसरे को दे देंगे या ट्रांसमिशन अपने पास रख लेंगे और आपको वर्ल्ड बैंक दे देगी। डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी तीसरी। अभी तो एक ही बॉडी प्राफिट बना रही है आर. एस. ई. बी. फिर तीन जने प्राफिट बनायेंगे। पहले तो जनरेटिंग कम्पनी प्राफिट बनायेगी, ट्रांसमिशन जिसको दिया है वो प्राफिट बनायेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्ल्ड बैंक से आये हैं या किसी से, डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आपने अगर गोयनका को दे दी, वो भी प्रोफिट बनायेंगे। नुकसान किसको होगा ? किसान को होगा कि नहीं ? बतायें आप। मैं ज्यादा तो किसान की बात कर रहा हूं। क्या इस पर भी आपने विचार किया ? इसका भी कोई जवाब है आपके पास ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तीन कम्पनियां अलग-अलग नहीं बना रहे हैं। कम्पनी एक ही रहेगी। न जनरेशन की अलग होगी, न डिस्ट्रिब्यूशन की अलग होगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्राइवेट सेक्टर को आप जनरेशन नहीं देंगे ?

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)

ट्रांसमिशन ग्रार. एस. ई. बी. ने नहीं किया ग्रौर तीसरी डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी अगर ग्रापने एनरॉन को दे दिया तो तीन कम्पनी नहीं हो गयी ? तीन ग्रलग–ग्रलग मिडल-मैन सिंड्रोम नहीं हो गयी ?

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीन साल के ग्रपने कार्यकाल के ग्रन्दर जितने ग्राशय पत्र, जितने लिग्नाइट पर ग्रापने ग्राशय पत्र, ग्रौर डीजल जनरेटिंग सेट के ग्राशय पत्र ग्रौर फाइनेंसिल क्लोजर तक ग्राप जो पहुंच गये हैं उससे ग्रगले 5 वर्षों के अन्दर तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी नहीं ग्रानी चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदय, ग्रापने मेरा नाम पुकारा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नाम पहले 7वें नम्बर पर था ग्रब 12वें नम्बर पर ग्राया। माननीय सभापति महोदय, मैं बैठे-बैठे परेशान तो नहीं हुग्रा पर उन खाली बेंचों को देखकर थोड़ा मनन करने लग गया था कि जो लोग बार-बार यह कहते थे कि हम बिजली की समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें सूख रही हैं ग्रौर ग्राज जब बिजली की चर्चा हो रही है तो मेरी समझ में नहीं ग्राया कि वे उन किसानों की समस्याग्रों के प्रति वाकई हम दर्दी भी रखते हैं या नहीं रखते हैं, चिन्तित भी हैं या नहीं ग्रौर वे ग्राज बाहर क्यों गये ? मैं बैठा–बैठा सोच रहा था कि वे बिजली की समस्या के लिए गये या उस चीर हरण के दृश्य को जायज ठहराने के लिए गये या राज्यपाल महोदय के साथ जो घटना घटी उसको जायज ठहराने के लिये गये। मुझे समझ में नहीं ग्राता कि वे प्रतिष्ठा का प्रश्न किस बात को लेकर बना रहे हैं ? बिजली की समस्या को लेकर बना रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बना रहे हैं या जो +++ उन्होंने इस सदन में किया है उसके पश्चाताप पर पर्दा डालने के लिए, किसानों की ओट लेकर जिसको देशी भाषा में कहते हैं+++ बहाना किसानों का, दर्द तो पेट में है बता सिर का रहे हैं, समझ में नहीं ग्राता है। ग्रभी वी. पी. सिंह जी कह रहे थे कि चिन्तन करें कि बिजली की कमी क्यों है। वैसे मैं इस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, इसीलिए ग्रापने इतनी देर से मेरा नाम पुकारा इसमें डिमाण्ड ग्रौर सप्लाई का गैप है।

माननीय सभापति महोदय, 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शासन सम्भाला तब 1980 तक के कनेक्शन पैंडिंग थे। 1980 से 1990 तक तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस वालों ने या कांग्रेस की सरकारों ने 1980 से 1990 तक के कनेक्शन क्यों पैंडिंग रखे ? यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। डिमाण्ड ग्रौर सप्लाई के बारे में जैसा वी. पी. सिंह जी कह रहे थे, इसमें मेरा तो यह कहना है,

+++ शब्द/ग्रभिव्यक्ति ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गयी।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

यह 5 साल की बात कह रहे हैं कि 50 साल बाद कितनी बिजली चाहियेगी इसकी योजना बनाकर अभी से नहीं चलेंगे और कारखानें नहीं लगायेंगे, बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आज हमें कितनी बिजली चाहिए इस पर हम चिन्तन करेंगे, दो साल बाद बिजली की डिमाण्ड बढ़ जाएगी, वही की वही कमी रहेगी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आप घर में रसोई एक हजार आदमियों की करते हैं और जीमने वाले तीन हजार आ गये तो आप कैसे जिमाओगे? अब इन्होंने 40 साल राज किया और और इन्होंने कारखाने ही नहीं लगाये कि 10 साल बाद कितनी बिजली चाहियेगी, दो साल में कितनी चाहियेगी, 1997 में कितनी बिजली चाहियेगी तो बिजली आएगी कहां से, इसलिए आज यदि बिजली की कमी राजस्थान में है तो उसका दोषी कोई है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें हैं, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की कमी के कारण जैसा बता रहे थे कितने ही एम. ओ. यू., क्या बोलते हैं इसको उस भाषा में, टैक्निकल आदमी नहीं हूं, तो जो कम्पनियों में लगाने के लिए समझौते किये हैं, जो केन्द्र सरकार की नीतियां हैं, कमी पर्यावरण का मामला उठा रही हैं। अब सूरतगढ़ का शुरू किया, सूरतगढ़ का पूर्ण होने वाला है, धौलपुर का कितना है। हमारे माण्डलगढ़ से ही पूज्य माननीय शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री हुआ करते थे, वे कहते थे कई वर्षों पहले धौलपुर में लगा रहा हूं, चित्तौड़गढ़ में लगा रहा हूं पर उसका उद्घाटन माननीय रघुवीर सिंह जी ने ही किया है। यह केन्द्र सरकार की जो नीति है, आज बिजली की कमी का यह भी एक कारण है।

माननीय सभापति महोदय, सारा विषय तो विशेषज्ञों ने रखा ही है, मैं तो कुछ बातें जो मुझे लगती हैं वही कहना चाहूंगा। जैसे एक बात यहां वी. आर. की उठी, वोल्टेज रेगुलेशन की। बात बहुत सही है। माननीय सभापति महोदय, बिजली के खम्भे की लाइनें कई किलोमीटर लम्बी हैं। जब किसान कनेक्शन के लिए जाता है तो फाइल पर लिख दिया जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन नहीं बैठता इसलिए कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब उसके लिए क्या किसान जिम्मेदार है? इतनी लम्बी लाइन है उसकी और उस हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं लगाओगे जो उस वोल्टेज को मेंटेन कर सके तो वह वोल्टेज रेगुलेशन की तो कमी रहेगी और उसका परिणाम होता है कि जो मोटरें आलरेडी चल रही हैं, जो किसान का कनेक्शन कुएं पर है उनकी ट्रिप मारी जाएगी और उनकी मोटरें भी सही नहीं चलेंगी। मेरा निवेदन यह है कि इस पर आप गम्भीरता से ध्यान दें कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए पूरा सर्वे करवाकर ट्रांसफार्मर जहां–जहां लगाने हों, लगवाएं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक कासोला क्षेत्र है, जहां करीब 40 किलोमीटर लम्बी लाइन है और मानपुरा से सप्लाई होती है। 40 का लगा हुआ था और उससे 60 किलोमीटर की सप्लाई तथा 33 के.वी.

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

का ग्रिड स्टेशन उन्होंने स्वीकृत किया। स्वीकृत करने के बाद आप ताज्जुब करेंगे, माननीय सभापति महोदय, 4 महीने में वह 33 के. वी. का ग्रिड स्टेशन बनकर कम्पलीट हुआ और इस वर्ष जहां उनके मोटरें चलती नहीं थी, इस वर्ष मोटरें बहुत अच्छी चलीं, पिलाई बहुत अच्छी हुई तो ये कमियां दूर करनी पड़ेंगी। हालांकि जहां एक लगा था वहां 12 लगाये, 220 के. वी. के साथ। मुझे पूरा स्मरण नहीं है, उसमें अपने को गति लानी पड़ेगी।

दूसरा कारण और है, माननीय सभापति महोदय, आज बिजली विभाग की जो लाइनें हैं, 1980 से पहले लाइनमैनों की भर्ती नहीं हुई बिजली विभाग वहां काम कराता है तो मैन डेज तय कर लेता है। मैन डेज में स्थिति यह होती है कि राजस्थान में रेट एक फिक्स की जाती है, अलग-अलग जगह ही अलग-अलग स्थितियां हैं कहीं मजदूर आपको सस्ते में ही मिल जाते हैं, कहीं मंहगे मिलते हैं। उन लाइनमैन की लाइनों की हालत यह है कि उनके कभी जम्पर नहीं बदले गये, 20–20 साल हो गये, तार लूज हैं, हवा चलती है, आपस में टकराते हैं, उससे फ्यूज उड़ जाते हैं। मैं आपको एक बहुत पीड़ादायक बात बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, लाइनमैन की कमी की वजह से बिजली में बहुत व्यवधान आता है। मेरे यहां बिजोलिया में ए. ईएन. का आफिस है और दो ग्रिड स्टेशन हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे कि 12 लाइनमैन हैं और 4–4 तो दोनों पर ड्यूटी पर रह जाते हैं, 245 करीब गांव हैं जो विद्युतीकृत और जिनमें कनेक्शन्स हैं। अब 4 लाइनमैन उन 245 गांवों को कैसे सम्भालते होंगे। परन्तु मुझे दुःख है, माननीय सभापति महोदय, कई बार मैंने आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन से निवेदन किया, मंत्री महोदय को निवेदन किया। इनके जो नियम बना रखे हैं 79 या 80 लोग, एक ए. ईएन. आफिस में रखते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने भी कई बार बिजली बोर्ड को लिखा और उसकी कॉपियां भी मेरे पास आयीं। उन 12 में से दुर्भाग्य से एक का असामयिक निधन हो गया तो वह 11 ही रह गये। पिछले दो साल से एक और कम हो गया। यह जो सारी कमियां हैं उन पर चिन्तन करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, अगर हम चिन्तन नहीं करेंगे तो स्थिति को सुधार नहीं पायेंगे।

ऐसी ही एक छोटी-सी बात है। जैसे माननीय घनश्यामजी वाटर वर्क्स की जो लाइनें हैं, उनकी समस्या बता रहे थे। मैं आपको बताऊं, माननीय सभापति महोदय, कि मेरे यहां बिजौलिया में वाटर वर्क्स ने अपनी अलग-अलग लाइन बिछाने के लिए डिमाण्ड जमा करा दिये। डिमाण्ड जमा करा दिया पर लाइन ही नहीं बिछा रहे हैं। उसके सामने भी सबसे बड़ी समस्या रहती है सप्लाई की, डायरेक्ट मोटरें चलाकर पानी की सप्लाई में व्यवधान डालते हैं तो वाटर वर्क्स चाहता है कि हमारी लाइनें अलग हो जाएं। ताकि जिस समय सप्लाई तो तो पानी की सप्लाई एक घण्टे तक सही हो जाए यह सारी स्थितियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के बिल घरेलू उपभोक्ता के दो सौ रुपये के आ रहे हैं, सौ रुपये आ रहे हैं, मार्च में आते-आते वह दो सौ के दो हजार, 10 हजार हो जाते हैं। यह मुझे समझ में नहीं आया। कारण बताते हैं कि आपकी मीटर की सील टूटी हुई है, 10 साल से टूटी हुई है। एक डिमाण्ड फिक्स कर देंगे उसमें 10 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार ऐसे बिल आ जाते हैं, तो 10 साल से आपका रीडिंग लेने वाला वहां क्या कर रहा था, उसको पता नहीं लगा कि 10 साल से सील टूटी हुई है उस मीटर की। परन्तु एक्चुअल में यह बात नहीं है, माननीय समापति महोदय, उस ग्रिड से, जहां से मुख्य सप्लाई होती है उस पर जो सप्लाई बिजली की होती है उसकी यूनिट और वहां से जो सप्लाई की जाती है और मीटरों की रीडिंग की यूनिट, उसमें बिजली की छीजत का और बिजली की चोरी का गैप होता है उसको पूरा करने के लिये किसानों पर भार डाल दिया जाता है और बता दिया जाता है कि जितनी हमारे पास आयी उतना हमने कलेक्शन कर लिया और उसका परिणाम है कि लाखों रुपये आज तक बिजली बोर्ड के किसानों में बकाया है। यह बहुत बड़ी समस्या है कि एक किसान हर महीने तो वह 200 रुपये जमा करा रहा है, 50 रुपये जमा करा रहा है, 300 रुपये जमा करा रहा है और मार्च आते-आते उसके पास बिल आ जाता है 20 हजार का, 30 हजार का, 40 हजार का। कभी यहां जयपुर से विजिलेंस वाले आ जाते हैं वो बिल बना जाते हैं। यह सारी समस्या है। माननीय समापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी स्थिति में बताया है पर मैं बिजली की कमी के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों को दोषी मानते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद।

श्री समापति : धन्यवाद। माननीय श्री खंगारसिंह चौधरी।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : समापति महोदय, आज किसानों की विद्युत की समस्या के लिये चर्चा चल रही है। आप जानते हैं कि एक जमाना था आज से सौ साल पहले गौ को माता कहकर गौ माता मानी थी। उस समय गौ वंश के सिवाय खेती करना हमारे लिये दुर्लभ था। आज यह बिजली का युग है। बिजली के सिवाय खेती हो नहीं सकती। इसलिये आज विधान सभा में इस पर चर्चा की जरूरत पड़ी है। आप जानते हैं उस समय पानी की कमी नहीं थी। पशुधन के आधार से खेती होती थी, खेती का आधार पशुधन ही था और अपने पूर्वजों ने गौ माता को, गौ वंश को पूजनीय इसलिए बनाया था। आज वो ही पूजनीय माता कटने जा रही है। क्योंकि कारण ऐसा है, अब बैल की जरूरत रही नहीं। पानी निकालना पड़ता नहीं, ट्रैक्टर हो गये, नये-नये साधन हो गये। उस समय पानी 15-20 फीट पर था, तब काश्तकार खेत तैयार करके, बीज छांट करके और कुएं खोद कर पिलाई कर लेते थे। अब वो जमाना बीत गया। आज ट्यूबवैल लगे हैं। डेढ़, दो-सौ, तीन सौ फीट की गहराई तक पानी है। जो कुएं 20-25 फीट पर चलते थे वो आज सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ फीट गहराई पर चलते है इसलिए अब बैलों से पानी निकाला नहीं

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

जा सकता। आज आबादी इतनी बढ़ गयी, उस समय आबादी बहुत कम थी और दबाव भी कम था। आज ज्यादा आबादी बढ़ने के कारण से पानी का लेवल भी दिनों-दिन, सालों-साल, हर साल 10 फीट नीचे चला जा रहा है। आपके पी. एच. ई. डी. मंत्री जी भी यह बात जानते है और आपके सेक्रेटरी भी जानते हैं कि उनके यहां भी पानी की पिलाई जो गांवों में करते हैं तो उससे ट्यूबवैलों का पानी हर साल 10–15 फीट नीचे चला जाता है और काश्तकारों के कुओं का पानी भी इसी लेवल के हिसाब से दिनों-दिन, ज्यादा बरसात होने पर भी उसका स्टोरेज नहीं होता है और पानी नीचे जाने की वजह से काश्तकार बहुत दुःखी है।

इस साल भण्डारी जी आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से ही कहूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने नियमों में हर साल तीन या चार बार परिवर्तन करता है। नियमों में बार-बार परिवर्तनों के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पाली जिले के अन्दर सात हजार कनेक्शन पुराने ड्यू हैं। पुराने कनेक्शन 1982 से लेकर आज तक ड्यू हैं। गांवों में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों और बनियों की है। काश्तकार होने के नाते यह हमें भी कहते हैं कि यह सरकार जो जयपुर में बैठी है, वो पूंजीपतियों की सरकार है, किसान के हित की सरकार नहीं है। इसलिए किसानों को कर्जदार करने की नीति से यह नर्सरी योजना चलाई और नर्सरी योजना को आधार मान कर किसानों की बहुत अनाप-शनाप लुटाई की गयी। आप जानते हैं कि 50 पैसा यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है और नर्सरी योजना के अन्दर 1.40 रुपया और डिमाण्ड जब निकलती है तो लाख और डेढ़ लाख रुपया भरना पड़ता है। 1982–83 का काश्तकार सामान्य योजना के तहत पीछे रहा। उनको भी इस साल कुछ कनेक्शन देने के आदेश दिये हैं और आदेश के अन्दर यह शर्त रखी है कि जो सामान्य कृषक है, जो पहले वन पोल स्कीम यानि एक हार्स पावर के पीछे एक को फ्री दिया जाता था, 1982-83 के पहले वाले हिसाब में, उस समय ग्रुप सिस्टम था और ग्रुप सिस्टम के आधार मे एक ट्रांसफार्मर लगाने पर 5–6 कुएं इलेक्ट्रिफाइड हो जाते थे। इन लोगों ने उस योजना में अब परिवर्तन किया है। और सामान्य योजना को बदनाम करने की नियत से यह आदेश निकाला है। किसानों को 60–60, 50–50 कनेक्शन पुराने जो 1982–83 से बकाया है, उनको हम दे रहे हैं। उसके अन्दर बड़ा भारी जाल है। इन लोगों ने पैसे बटोरने की नीयत से आगे क्या रखा है, फ्लेट रेट से ये उनको कनेक्शन देंगे। फ्लेट रेट के आधार पर क्या है? फ्लेट रेट लगाते हैं 75 रुपये पर हार्स पावर। 75 रुपये पर हार्स पावर ये लेंगे। जबकि पुरानी फ्लेट रेट साढ़े सैंतीस रुपये है। आज भी उन लोगों को, जो पीछे रह गये, हजारों रुपये देने पड़ते हैं और देने के बावजूद भी जो पुरानी फ्लेट रेट है उसे लागू नहीं करके ये लोग नई फ्लेट रेट को आधार मान कर किसानों की लुटाई पर्दे के पीछे कर रहे हैं। यह कारण है इस बोर्ड का।

मैं यह समझता हूं कि आज सरकार को सब्सीडी किसानों को देती है, वह कोई

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

बड़ी बात नहीं है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर बाहर से जो अनाज आ रहा है, वह 8,000 रुपये टन के हिसाब से आ रहा है और किसानों से यही सरकार 4,000 रुपये टन के हिसाब से लुटाई कर रही है। कहां रही किसानों को राहत? यह सब्सिडी जो पहले ही हमारी यह सरकार खा रही है। किसानों की लुटाई कर रही है। हिन्दुस्तान का 80 पर्सेंट किसान हमेशा से लुटता आ रहा है। यह गरीब किसान पर ही राज करने वाला शासन है और हमेशा से करता आया है। हम यहां पर चुनकर आये हैं। इनमें 80 पर्सेंट गांवों के रहने वाले लोग हैं, हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं हैं जिससे हम जानकारी कर सकें। आप यह जानते हैं, पुराना जमाना था उस समय भी अक्ल वाले ही राज करते थे। अब भी वो ही चीज है। गांव में किसान बैठा है उसके लिये कोई आधार नहीं है। जिस समय किसान इस बात को जान लेगा तब यह हालात करीब-करीब चेंज हो जाएंगे। मैं यह सोचता हूं कि इन सालों में कुछ कनेक्शन्स नर्सरी योजना के तहत भी दिये गये हैं। उन पर भी आपकी जो पुरानी फ्लेट रेट है वह लागू की जाए और जो सामान्य कनेक्शन आप इस साल दे रहे हैं वह 1990 तक के पूरे किये जाएं तो भी आपके 7 साल बकाया रहेंगे। पिछले जो 14 सालों से बाकी पड़े हैं, आज 15 साल होने आये हैं, उनमें भी 1990 तक की जो फाइलें पेंडिंग पड़ी है उनको क्लियर किया जाएं।

लाइन लासेज का हिसाब 25 और 30 पर्सेंट यहां बैठता है, उसका कारण भी यही है। सभापति महोदय, गांवों के अन्दर आपने जो लाइन लोसेज का कहा था उसका यही कारण है कि इनकी लाइनें बराबर सही नहीं हैं और जो भी ट्रांसफार्मर गांवों के अन्दर लगे हुए हैं उनमें अर्थिंग भी बराबर नहीं है, उनकी तेल की संभाल बराबर नहीं होती और भी कई कारण हैं। इसके अलावा जो बिल दिये जाते हैं वह पहले तो हाथ से बनाकर दिये जाते थे अब यह कम्प्यूटर से बनाकर दिये जाते हैं। उनके अन्दर इतनी लुटाई हो रही है, उसका तो भगवान ही मालिक है। आज कभी विजिलेंस वाले आ जाते हैं तो वे कहते हैं कि साहब, आपकी तो 1990 की बकाया चल रही है। जब गवर्नमेंट के बोर्ड के पास हिसाब है तो क्यों नहीं वो साल भर में उस चीज को निबटाये कि आपके ऊपर इतनी बकाया है। इस प्रकार से विजिलेंस वाले आकर के मीटर पर जो सील लगी होती है उसमें भी बे-ईमानी करके, इधर-उधर चेंज करके उनसे पैसा वसूल करते हैं और मुकदमा बना देते हैं। यह भी बिलकुल सही बात है और इसका भी कुछ निवारण होना चाहिए।

मैंने वन पोल का तो आपको बताया कि एक पोल पहले सामान्य योजना के तहत फ्री दिया जाता था और अब जो सामान्य योजना इन्होंने लागू की है कि पीछे वालों को कनेक्शन देना है उस पर 50 हजार का, साढ़े सात की मोटर की डिमाण्ड निकलती है। इसके अन्दर छोटी लाइन का बिल आज काश्तकार का होना चाहिए, क्योंकि 11 के वी. लाइन जो पीछे से लाकर ट्रांसफार्मर लगाकर देते हैं तो ट्रांसफार्मर का खर्चा तथा 11 के.वी. लाइन और छोटी लाइन, पूरी वसूली उसके बिल

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

के अन्दर जोड़ी जाती है। यह बड़ा अन्याय है। इसके अलावा जो सामान्य श्रेणी ग्रुप पहले था इन्होंने उस ग्रुप को बंद कर दिया है, क्योंकि 4–5 कुओं वाले साथ में लेते थे तो वह सस्ता पड़ता था और आज भी सस्ता पड़ता है। इसलिए डिमाण्ड इस हिसाब से निकालना चाहिए। अगर ग्रुप सिस्टम बनता है तो ग्रुप के हिसाब से देना चाहिए, बहुत जरूरी है। अतः इस ग्रुप सिस्टम को भी लागू किया जाए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, अभी बहुत वक्ता हैं।

श्री खंगारसिंह चौधरी : हां, कर रहा हूं, श्रीमान्। विशिष्ट सामान्य श्रेणी में मीटर लगाने का जो प्रावधान है, मैंने आपको बताया कि यह 75 रुपये चार्ज करने का प्रावधान है, वह नहीं किया जाए और जो पुरानी फ्लेट रेट है, जो पुराने कुओं पर लगायी है, वह लागू की जाए तथा 75 नहीं लगाकर के साढ़े सैंतीस रुपये पर हार्स–पावर लगाये जाएं। यह भी काश्तकारों के फायदे की बात होगी। सतर्कता विभाग द्वारा भोले किसानों को लूटना और एच.पी. ज्यादा बताकर पैसे वसूलना भी एक भारी समस्या है। मीटर के टर्मिनल सील होने के कारण भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लूट होती है। इसके लिये भी कोई न कोई सुधार होना चाहिए। 1987–88 के पुराने पैसे बकाया निकालते हैं कि आपका मीटर ठीक नहीं था, किसी कारणवश कोई बकाया है, पर ये लाखों रुपये की बकाया पाली जिले में निकाल रहे हैं। उनकी जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक गांव का मेनेजमेंट नहीं सुधरेगा और बिजली बोर्ड वाले सतर्क नहीं रहेंगे तब तक लाइन लासेज का खर्चा वहां पर कम होने वाला नहीं है। लाइनों को सही करके खींचना चाहिए, खींच करके उसका मेंटीनेंस अगर सही होती है, उसकी अर्थिंग वगैरह सही होती है, तेल की देखभाल की जाती है तो आगे जाकर वोल्टेज भी सही मिलेगा और किसान को कुछ फायदा भी हो जाएगा।

इसके अलावा मेरे पाली एरिये में 132 के.वी. का सब स्टेशन देसूरी, नाडोल और राणी के बीच में गये साल बजट नाडोल के अन्दर प्रस्तावित था। इस साल उसको काटकर राणी के अन्दर लगा दिया। नाडोल सेंटर में पहला है, देसूरी जाने में और राणी जाने में भी वहां सुविधा होती है और बाली में जो 132 के.वी. का स्टेशन बनेगा तो उस लम्बाई में भी फर्क पड़ेगा। यह काश्तकारों के हित की बात होगी। मेरे यहां कोलर में और धामड़ी में भी 33 के.वी. के सब स्टेशन बन रहे हैं। उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए तथा नयी योजना के तहत खिवाणा में भी एक 33 के.वी. का सब स्टेशन कायम किया जाए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय सभापति महोदय, कृषि उत्पादन में जो मुख्य साधन विद्युत है, उसके ऊपर आज चर्चा है। जैसे माननीय सदस्य श्री भंवरसिंह डांगावास ने बताया था कि इस

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

देश की रीड की हड्डी किसान है । मैं यह भी कहूंगा कि किसान की रीड विद्युत है । विद्युत के बिना किसान अधूरा है । आज जितना भी काम है, चाहे सिंचाई का काम हो, फसल निराई का काम हो, निकलायी का काम हो, सारे काम विद्युत के माध्यम से होते हैं । इस विद्युत के लिये समय-समय पर किसान आन्दोलन करता है, प्रदर्शन करता है और धरने देता है । प्रत्यक्षतः तो ऐसा लगता है कि किसान अपने फायदे के लिये कर रहा है । लेकिन इसमें केवल किसान का हित नहीं है, हम सभी प्रदेश-वासियों का हित निहित है । किसान प्रदेश के लिये अन्न पैदा करता है जिसमें इस विद्युत की काफी अहम भूमिका है ।

इस वर्ष किसानों को विद्युत समस्या से काफी रू–ब–रू होना पड़ा । जैसा कि हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं कि यह विद्युत समस्या केवल प्रदेश में ही व्याप्त नहीं थी, बल्कि सम्पूर्ण देश में इसका प्रभाव था और ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व और विद्युत अधिकारियों की तत्परता से हम इस गम्भीर समस्या को वहन करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन किसानों को फिर भी कम बिजली मिल रही है । मेरा मंत्रीजी से और अधिकारियों से यही आग्रह है कि किसानों की फसल अब लगभग पकने को है और किसानों के लिये जितने प्रयास विद्युत आपूर्ति के लिये कर सकें, वे करें ।

अब मैं, मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा । मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में एक सब-डिवीजन सुमेल है, जिसको विद्युत सप्लाई भवानीमण्डी 132 के.वी. जी.एस.एस. से होती है । लेकिन भवानीमण्डी जी.एस.एस. में बैठने वाले अधिकारी, जे.ईएन. या ए.ई एन., जब चाहे हमारे सब डिवीजन की बिजली काट कर बैठ जाते हैं । हम कितनी ही बार एक्स.ईएन. से शिकायत कर चुके, एस.ई. से शिकायत कर चुके हैं । हमारे जे.ईएन. और ए.ईएन. खुद शिकायत कर चुके लेकिन वे जे.ईएन. और ए.ईएन. जो जी.एस.एस. पर बैठते हैं, वे अपना रवैया ठीक नहीं कर रहे हैं और आज तक किसानों को उसी तरह से परेशान कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्रीजी से और चेयरमैन साहब से कहूंगा कि भवानीमण्डी जी.एस.एस. ऑफिस में जो जे.ईएन. और ए.ईएन. बैठते हैं, या तो वे अपना रवैया सुधारें या उन्हें वहां से हटा दें ताकि किसानों के हित में यह जी.एस.एस. काम कर सके ।

मैं मंत्री महोदय को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में छह 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत हुए थे, जिनमें से चार जी.एस.एस. आपने अपने प्रयत्न से मुझे सामान दिलवाकर शुरू करवा दिये । इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तथा साथ ही अपेक्षा करूंगा कि जो जी.एस.एस. जो शेष रहे हैं, उनमें भी सामान की आपूर्ति करवाकर शीघ्र चालू करवायें ।

श्री सभापति : धन्यवाद, श्री कमल कोली (अनुपस्थित) विराजिए,हो गया अब ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : नहीं, साहब, थोड़ा–सा और है ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 50-60 गांवों में एम.

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

पी. से बिजली मिलती है। एम.पी. से जो बिजली आती है उसमें बिलकुल लो-वोल्टेज आता है। इससे किसानों की मोटर नहीं चलती है तथा आए दिन किसानों की मोटरें जलती हैं। मैने मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि इस क्षेत्र के लिये एक 132 के.वी.ए. का जी एस.एस. हमें दिया जाय ताकि एम.पी. से जो आपूर्ति है उसमें सुधार किया जा सके, जिसके लिये प्रपोजल भी यहां पर विभाग को भिजवाए हुए हैं।

साथ ही पिड़ावा में एक सब डिवीजन और खोलने के लिये प्रपोजल भिजवाया हुआ है। हमारा पिडावा क्षेत्र काफी लम्बा चौड़ा है और एक सब–डिवीजन से पूरे क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। मेरे क्षेत्र में सुमेल चौदह पन्द्रह हजार की आबादी वाला कस्बा है और सुमेल सब–डिवीजन से जो विभिन्न सैक्टर निकल रहे हैं वे सारे सैक्टर सुमेल की बस्ती के ऊपर से निकल रहे हैं। हमने एक प्रपोजल तैयार किया है सुमेल से एक किलोमीटर दूर एक जी.एस.एस. बनाया जाए, हालांकि वहां से ट्रांसफार्मर वगैरह अन्य सब साधन तो वहां से शिफ्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नया देने की जरूरत नहीं है, केवल जी.एस.एस. तैयार कर दिया जाए और सारे फिडर वहां से निकाल दिये जाए तो सुमेल में मकानों के ऊपर से जो तार आज निकल रहे हैं और जिनसे रात-दिन खतरा बना रहता है, वह खतरा टल जाएगा। प्रपोजल वहां से भिजवाया हुआ है। मैं मंत्री महोदय से और चेयरमैन विद्युत मण्डल से चाहूंगा कि इस जी.एस.एस. को स्वीकृति प्रदान करें।

अन्त में, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों की ओर से हमारे माननीय सदस्यों का हमेशा सरकार से यह आग्रह रहा है कि किसानों को टेम्प्रेरी कनेक्शन दिया जाए, सीजनल कनेक्शन दिये जाएं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे किसी किसान के कुएं के सामने से विद्युत जा रही है तो निश्चित रूप से वह चाहे चोरी से लेनी पड़े, चाहे कैसे भी ले लेकिन वह उस विद्युत का उपयोग करेगा ही। यदि किसी के घर के सामने से नदी कोई बह रही है तो वह प्यासा नहीं रहेगा। किसान तो चाहे चोरी से लेना पड़े, चाहे कैसे भी लेकिन विद्युत का उपयोग कर रहा है और सरकार रेवेन्यू से वंचित रह रही है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम टेम्प्रेरी कनेक्शन किसानों को दे दें तो विद्युत मण्डल का जो घाटा है, उस घाटे की पूर्ति में यह टेम्प्रेरी कनेक्शन काफी सहायक होंगे। जहां लाइन उपलब्ध है या जिस ट्रांसफार्मर में कैपेसिटी है, कम से कम उस जगह तो हमको टेम्प्रेरी कनेक्शन चालू कर दिये जाने चाहिये। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री अमरचन्द मिड्ढा।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी को और अधिकारीगण को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक्स.ईएन. का आफिस खोला, दो ए.ईएन. दफ्तर खोले परन्तु दुःख की बात यह है कि सारे राजस्थान के अन्दर छह हजार गांव गैर-बिजली के हैं उसमें तीन हजार गांव सिर्फ गंगानगर जिले के अन्दर हैं। उनमें से

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

800 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। 1985 से जो गांव विद्युतीकृत हुए हैं उनमें बिजली आज तक नहीं आयी। सवा तीन साल में सिर्फ सात गांवों को बिजली दी गयी है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे देखें कि जब बिजली स्वीकृत हो गयी थी तो उन गांवों में बिजली क्यों नहीं सप्लाई की गयी। रोज गांव वाले आकर हमारे पास बैठ जाते हैं कि हमारे यहां बिजली मंजूर हुई है, फाइलें भी भरी हुई हैं तो भी हमको बिजली नहीं मिल रही है इसलिए, मेहरबानी करके दिखवाइये आप, आफिस में दिखाइये और जो गांव मंजूर हुए हैं अगर उनको दुबारा भी मंजूर करना पड़े तो यह दस–पन्द्रह गांव हैं, उनको दुबारा मंजूर कर दिया जाए। बाकी जो बिजली हम जानते हैं कि काफी पैसा लगता है अगर दो हजार गांव हो, हजार गांव हो, पांच हजार गांव हो तो उनको उस रेश्यो से गांव में बिजली देनी चाहिये, जिस रेश्यो से गांव वाले रह रहे हैं।

अब हमारे करणपुर क्षेत्र हैं, पदमपुर क्षेत्र है, गंगानगर, यहां तो कोई गांव बाकी ही नहीं है, जो बिना बिजली रहा हो। रायसिंहनगर, पीलीबंगा और सूरतगढ़ तीन विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बिजली के गांव रह गये हैं, क्योंकि एक नया एरिया डवलपमेंट हुआ है। इस वास्ते यहां गांवों में बिजली नहीं है इसलिये कृपा करके इनमें बिजली आप सप्लाई करवाये। और बिजली रेश्यो से बांटते हैं तो गांव रह जाते हैं।

दूसरा, आपने हमारे यहां पर एक नाराबाली के अन्दर 33 के.वी. का सबस्टेशन मंजूर हुआ है, आप लोगों से प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें। कई जगह अधिकारी नहीं है इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। इस वास्ते, जहां पर पोस्ट खाली है, वहां अधिकारी लगाये जाएं जैसे अनूपगढ़ है, वहां पर एक्स.ईएन. सब डिवीजन खुला हुआ है। वहां सिर्फ एक जे.ईएन. है, वहां पर एक जे.ईएन. और बढ़ाया जाए ताकि एक गांव को सम्भाल लें और एक शहर को सम्भाल लें। इसमें दो मंडिया आती हैं, एक अनूपगढ़, दूसरी रामसिंह पुरा है। इस वास्ते इसको भी आप ध्यान करके करवायें और हमारे से सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। जो भी गांव आइन्दा विद्युतीकृत किये जाए, पहले उनको किया जाए जो गांव पहले हुए है, 1985 में उनकी फाइलें जमा हैं, उनको दुबारा विद्युतीकृत करके उनमें बिजली पहुंचायी जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके, तीन साल के कार्यकाल में राजस्थान के अन्दर जिस तरह से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से और वितरण की दृष्टि से जो विकास कार्य हुए हैं, वे बहुत ही प्रशंसनीय हैं। ज्यादा मैं समय नहीं लेते हुए, क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं, मैं तो मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले 132 के.वी. का जी. एस. एस. का निर्माण रामपुरा डाबड़ी में

(श्री गोपीराम जाट)

शुरू किया गया है। मुझे अधिकारियों से जानकारी मिली है कि 31 मार्च तक अर्थात् एक महीने में ही इस जी.एस.एस. का निर्माण करके मेरे क्षेत्र के किसानों की जो बिजली की वोल्टेज की समस्या थी, उसका निराकरण हो जाएगा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी के साथ यह 132 के.वी. जी.एस.एस. बनाने के बाद वितरण की दृष्टि से दो-तीन जी एस.एस 33 के.वी. के बनाने की और आवश्यकता है जिसमें जाहोता, अनोपुरा और सिलसिली है। आज भी वहां वोल्टेज की समस्या है। पुनाणा और विजयपुरा के मध्य एक जी.एस.एस. और घटवाड़ा मानपुरा और बिलौंची में तीन जी.एस.एस. के निर्माण की बहुत ही अति आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा कि इनका भी निर्माण करवाकर किसानों को जो समस्या वोल्टेज की रही है, उसका निराकरण कर पायेंगे।

दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयपुर जिले को एल.टी. लेस सिस्टम में आपने शामिल किया और काफी प्रभावी कार्य भी उसमें हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत-सा एरिया ऐसा बचा हुआ है जहां पर एल.टी. लैस सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप काफी वर्षों पुरानी जो लाइनें हैं, बड़े-बड़े 100 हार्स पावर्स के ट्रांसफार्मर्स हैं, आज उनकी जगह 25 हार्स पावर और 40 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर्स लग जाएंगे तो किसान के कुएं तक वोल्टेज सही पहुंच पाएगा। पुरानी लाइनें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक खेत में किसान के दो नौजवान लड़के काम करते हुए, बिजली के तार टूट जाने से नांगल सिरसी के अन्दर, दोनों एक साथ खत्म हो गये। इस तरह की जो घटनाएं जो आये दिन घटती रहती हैं, लम्बी लाइनों के तार टूट जाते हैं तो उससे एल.टी. लैस सिस्टम के काम को जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा, जल्दी काम कर लिया जाएगा तो इस समस्या का निराकरण हो पाएगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किया है कि ट्रैपिंग कनेक्शन के अन्दर जहां पर दस या पन्द्रह मीटर का तार लगता है, किसान से नौ हजार रुपये पोल का चार्ज किया जाता है तो इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का इसमें कोई खर्चा नहीं होता केवल एक दस मीटर केबल लगती है और उसमें किसान को नौ हजार रुपये भरने पड़ते हैं तो यह किसान के लिये काफी मुश्किल काम होता है।

दूसरा, इसके साथ में जो काश्तकार कुओं में पानी सूख जाने की वजह से कनेक्शन कटा लेता है और दो साल के भीतर कनेक्शन के लिये फिर एप्लाई करता है, उससे 33 प्रतिशत पोल का चार्ज किया जाता है जबकि वहां पर लाइन आलरेडी पहुंची हुई है, पोल खड़े हुए हैं, तार बिछे हुए हैं पर 33 प्रतिशत लेकर उसको कनेक्शन दुबारा दिया जाता है, तो यह भी उसके साथ एक तरह का अन्याय होता है। मैं यह चाहता हूं इस तरह का जो आदेश है, उसको भी वापस लिया जाए।

तीसरा, नर्सरी श्रेणी के अन्दर जो

(श्री गोपीराम जाट)

कनेक्शन दिए जा रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सरी श्रेणी कोई आज हमारी सरकार की देन नहीं है। पूर्व सर-कार के समय में नर्सरी योजना चालू की गयी थी और बीच में, गत सत्र के अन्दर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों और हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जब मुख्य मंत्रीजी घोषणा करने जा रहे थे कि मैं इसको खतम करता हूं, उस वक्त प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही थी कि नर्सरी योजना को चालू रखा जाना चाहिए। यह उचित भी है, क्योंकि एक उद्योगपति टाटा, बिरला और गांव का एक किसान एक ही विण्डों से कनेक्शन लेता है, बिलकुल उसमें भिन्नता होनी चाहिये। जो भी सक्षम होगा, आज एक फार्म हाउस का मालिक पांच बीघा जमीन उसकी है और उसके अन्दर कनेक्शन लेने के लिये वह सामान्य श्रेणी के किसान के साथ जाता है तो वह न्याय की बात नहीं है। लेकिन जिन किसानों ने अपने भरण-पोषण के लिए, कहीं से कर्ज लेकर नर्सरी योजना में कनेक्शन लिया है तो इसकी जो टैरिफ, इसका जो चार्जेज है, वह चार्जेज निश्चित रूप से कम किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक किसान का बेटा पचास पैसे यूनिट देता हो और दूसरा एक रुपये चालीस पैसे यूनिट देता हो तो उसकी आत्मा में कितनी वेदना होती है, इस वेदना को महसूस किया जाना चाहिये, इस तरह का जो आदेश है, उसको वापस लिया जाना चाहिये और उसकी जो दर है, उसमें कमी की जानी चाहिये।

(16.40)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन चार जिलों को स्पेशल स्कीम के अन्दर शामिल किया गया है, उसमें जयपुर जिले को भी शामिल किया गया है, उससे हमारे किसानों को काफी लाभ होगा और 1990 तक के कने-क्शन को यदि इसमें लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरे एरिया के अन्दर कोई भी किसी तरह का कनेक्शन नहीं बचेगा, जिसके लिये किसान आगे इन्तजार करे। जिस तरह से मंत्री महोदय ने अपने तीन साल के कार्यकाल में बिजली के उत्पादन और वितरण में बहुत ही शानदार तरीके से और क्रांति के रूप में लेकर किसानों को राहत पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों में आता है। शहरी एरिया में जो नगर निगम का क्षेत्र है उसमें सामान्य श्रेणी के किसान जो 10-10 साल से इन्त-जार कर रहे हैं उनको भी नर्सरी में लिया जा रहा है। यह कोई न्यायोचित बात नहीं है, क्योंकि इसका सीमांकन बाद में हुआ है, प्रशासनिक दृष्टि से हुआ है। लेकिन किसान के पास तो वो ही खेती करने के लिए आठ-दस बीघा जमीन होती है और आठ-दस बीघा जमीन वाला किसान अपने खेत में उतने ही समय में पिलाई कर पाएगा चाहे बिजली 24 घंटे वहां क्यों नहीं उप-लब्ध हो। खेत में जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उसी से उसकी पूर्ति हो जायेगी तो उसके हिसाब से नर्सरी श्रेणी में

(श्री गोपीराम जाट)

जो सामान्य श्रेणी के लोगों को कनेक्शन दिया जा रहा है वह उनके लिए न्यायोचित नहीं है।

दूसरा, जो कृषि भूमि पर बने हुए मकान हैं उनके कनेक्शन के लिए जिस तरह से जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जे.डी.ए. विकास शुल्क ले रहा है और राजस्व वाले परिवर्तन शुल्क ले रहे हैं, नगर निगम कैम्प लगा कर हाउसिंग टैक्स ले रहा है तो ऐसी स्थिति में कौनसी श्रेणी उस जमीन की बच जाती है कि उन लोगों से पांच-पांच हजार रुपये लेकर उनको विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। मेरा आग्रह है कि इस तरह के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा है और बिजली पर चर्चा करते हुए मैं यह बात कहने में गौरव महसूस करती हूं कि पिछले तीन-चार सालों में सरकार ने राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयास किये हैं, जिस प्रकार से समझौते किये हैं, जगह-जगह पर उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कारखाने लगाये हैं उससे निश्चित रूप से आने वाले चार-पांच वर्षों के बाद राजस्थान में बिजली का संकट कतई नहीं रहेगा बल्कि हमारे पास सरप्लस बिजली होगी और हम और किसी को भी बिजली देने में सक्षम होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे कांग्रेस के बंधु और अन्य माननीय सदस्य धरने पर बाहर बैठे हुए हैं। मैं समझती हूं कि यदि बिजली की इस चर्चा को गम्भीरता से वे लेते तो किसी भी प्रकार से आज अन्दर बैठते और इस चर्चा में भाग लेते। क्योंकि पिछले तीन-चार वर्षों में सरकार ने जितना बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है अगर यही प्रयास आज से 20-30 साल पहले कांग्रेस सरकार ने किये होते तो आज बिजली के मामले में हम इतने पीछे नहीं होते। बिजली बोर्ड भी इस प्रकार घाटे में नहीं चलता और हम बिजली के मामले में बहुत मजबूत होते। लेकिन पिछली सरकारों ने कोई कोई प्रयास नहीं किये, उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं लेकिन देर-आयद दुरुस्त-आयद, सरकार ने समझ लिया है कि बिजली के बिना कुछ भी नहीं और बिजली की फुर्ती की तरह ही हमारे विद्युत मंत्रीजी ने बहुत प्रयास किये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत प्रयास किये, उसका नतीजा हमें जल्दी दिखने लगेगा और मैं समझती हूं राजस्थान बिजली के मामले में थोड़े ही सालों में अग्रणी माना जाएगा।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं। प्रायः इस विधान सभा में यह चर्चा आयी कि ट्रांसफार्मर मांगने मे किसानों को बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो काश्तकार पैसा देकर, रिश्वत देकर भी ट्रांसफार्मर लाने का प्रयास करते थे लेकिन पिछले एक वर्ष से आप अब किसी भी बिजली के आफिस में देखेंगे, ट्रांसफार्मर की वहां पर बहुत अच्छी स्टोरेज है। ट्रांसफार्मर के मामले में कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां पर कोई तकलीफ हो या ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद वहां बदलने में कोई तकलीफ आये, क्योंकि ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था की है उससे काश्तकारों को तुरन्त ही उसकी सुविधा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मिल जाती है। इसके लिए भी मैं विद्युत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं। हमारे पास बिजली कम है, कम देते हैं। निश्चित रूप से जितने घंटे काश्तकार बिजली चाहता है या उद्योगपति चाहता है, उद्योगपति को भी बिजली नहीं मिलती है, काश्तकार को भी नहीं मिलती है लेकिन जितने भी घंटे बिजली मिलती है उस सब में हमारी गृहणियों को बहुत तकलीफ है। शाम को सात से दस बजे तक घरों में बिजली नहीं होती, उससे गांवों में बच्चे पढ़ नहीं पाते और कुछ अच्छे कार्यक्रम जो शहर वाले बड़े ठाठ से दिन भर टी.वी. पर देखते हैं, गांव वालों को तो शाम को ही देखने को मिलता है। न तो बच्चों की पढ़ाई होती है, टी.वी. की तो बहुत दूर की बात है। महिलाओं के रोटी बनाने का समय होता है उस समय बिजली गुल हो जाती है और जब रोटी बनाने के बाद सोने का वक्त होता है तब बिजली मिलती है इसलिए उसका उपयोग नहीं। मैं बिजली मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि कम से कम यह बात सुनिश्चित कर लें कि गांवों में शाम को सात बजे से दस बजे तक बिजली जरूरी तौर दें। एक तरफ तो हम ग्रामीण इकाई को ही विकास की धुरी मान कर चलते हैं, सारे ही काम हम ग्राम पंचायत स्तर पर करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलें खोली जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर हास्पिटल खोले जा रहे हैं। सड़कें भी ग्राम पंचायत के मुख्यालय से जोड़ने की बात है तो गांवों में बिजली नहीं दोगे तो इस विकास का क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे ? एक तरफ बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं दूसरी तरफ बिजली की तकलीफ से बच्चों की पढ़ाई में बहुत समस्या आती है। जब हम ए.ईएन., जे.ईएन. से बात करते हैं कि गांवों में सात बजे से दस बजे तक बिजली नहीं मिलती तो उनका एक ही उत्तर होता है कि लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। साहब, आप कैपेसिटर लगाने वालों को नहीं रोक सकते तो दूसरे उपभोक्ता का नुकसान कैसे रोकेंगे ? आप पकड़िये उन लोगों को जो कैपेसिटर लगा कर आपकी बिजली खींच लेते हैं। कोई ए.ईएन., जे.ईएन. से काश्तकार अपरिचित थोड़े होता है। ए.ईएन., जे.ईएन. को सब पता रहता है कि बिजली कौन चोरी करता है। लेकिन जो घरों की बिजली है डोमेस्टिक कार्यों के लिए, उसको काटने से बहुत नुकसान हो रहा है और सही मायने में, उपाध्यक्ष महोदय, आप मानें तो जब भी हम गांवों में जाते हैं तो महिलाएं बहुत उलाहने देती हैं कि आपने तो हमारी बिजली खतम करा दी। इसलिए इस बात को तो किसी भी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। आप कैपेसिटर लगाने वालों को रोकिये, चोरी करने वालों को रोकिये लेकिन घरों में शाम को सात बजे से दस बजे तक बिजली बहुत ही जरूरी है।

इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगी। एनर्जी विभाग से एक जिला स्तर पर इंस्पेक्टर या ऐसी कोई पोस्ट रहती है जिसका काम होता है कि बिजली की लाइनें ढीली पड़ जाएं, गिर जाएं, टूट जाएं तो उनको ठीक करे। लेकिन ऐसा कोई अधिकारी हमने नहीं देखा। किसी का काम समझ में नहीं आया। बिजली की लाइनें ढीली पड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट में पशु भी मारे जाते हैं, लोगों को भी नुकसान होता है, फसलें जल जाती हैं, खेतों में आग लग जाती है लेकिन लाइनों को ठीक करने वाला इंस्पेक्टर कभी भी मुस्तैदी से काम करता दिखता नहीं है। इसकी भी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि यदि किसी लाइन के ढीली होने या गिर जाने से कहीं पर कोई नुकसान हुआ है तो उसका जिम्मेदार जो इंस्पेक्टर है उसको बनाया जाए और उसके बारे में भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में भी पिछली बार बजट में घोषणा की गयी थी कि सिरोही जिले में 100 मेगावाट का एक बिजली उत्पादन का कारखाना खोलेंगे। मैं समझती हूं कि पूरे राजस्थान में यह प्रयास किया गया है, सब जगह बिजली उत्पादन के लिए किसी न किसी तरह के एम.ओ.यू. या समझौते या तो बाउण्ड किये गये हैं और काम शुरू हुआ है लेकिन अभी मेरे जिले में यह काम शुरू नहीं हुआ। मैं विद्युत मंत्रीजी को याद दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान पूरा देख लिया पर कभी-कभी राजस्थान का अंतिम छोर भी देख लिया कीजिये। उसके आगे तो गुजरात है।। माउण्ट आबू जैसा हमारे पास पर्यटन स्थल है, आबू रोड बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा पिंडवाड़ा, शिवगंज सभी बड़े इण्डस्ट्रियल एरिया हैं। लेकिन बिजली की कमी से हमको बहुत तकलीफ होती है। जैसा कि बजट में घोषणा की, आपका मानस भी है और पूर्व में भी मैं धन्यवाद दे चुकी हूं, एक बार और आपको धन्यवाद दे दूं कि आप मेरे यहां जल्दी से जल्दी बिजली का कारखाना स्थापित करने के बारे में पहल करें और आपको यह काम करने के लिए मैं जनता की ओर से एक बार और धन्यवाद देती हूं। मुझे लगता है कि इस बार जल्दी काम शुरू हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मांग और है। हमारे यहां बहुत वर्षों से कैलाश नगर में 132 के.वी. की मांग की जा रही है। बिजली मंत्रीजी ने पत्र दिया है–मैं इसको दिखवा रहा हूं। मैं समझती हूं अब देख भी लिया होगा। क्योंकि पत्र आये आज चार-पांच महीने हो गये तो उसको देख लिया होगा। 132 के.वी. की हमारी मांग है आप जैसा उचित समझें, बनायें। परन्तु कैलाश नगर लाइन के लिये एक सेपरेट जी.एस.एस. बनायें और उसके साथ-साथ उस पर एक ए.ईएन. भी अलग होना चाहिये। ए.ईएन. की व्यवस्था नहीं कर पायें तो जे.ईएन. की एक पोस्ट तो आप बढ़ा दें। पूरी की पूरी कैलाश नगर की जो पट्टी है वहां पर लोगों को बहुत तकलीफ होती है, फाल्ट होते हैं तो ठीक होते नहीं। अन्तिम सिरा होने से लोगों के पास बिजली पहुंचती भी नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं कि आप हमारे यहां 132 के.वी. या जैसा आप उचित समझें आपके टैक्नीकल लोग, आपके चीफ इंजीनियर्स जो सजेस्ट करें, पर मेरे यहां जरूर इस इकाई को स्थापित करें। इसके साथ-साथ आपने जो बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम बढ़ाने का मानस बनाया है, काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपारामजी।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन की आज्ञा से सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया गया।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या और समाधान पर चर्चा में मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिस तरह से बिजली की समस्या पर काफी माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं, समस्या पर जो उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्य किसानों के हित में तो हैं। इधर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और जो उधर बैठते हैं और अभी नहीं बैठे हुए हैं वह भी एक ही आवाज में बोलते हैं कि किसानों को समय पर बिजली ज्यादा दो, अच्छा वोल्टेज दें तथा बिजली के अभाव में उनकी फसल को मत जलने दो उधर और इधर जब आवाज एक ही है तो फिर समस्या किस बात की है। लेकिन, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, हो सकता है मुझे इस सदन में बोलनी चाहिये या नहीं बोलनी चाहिये ऐसी बातें, लेकिन, जो मेरे विचार हैं मुझे लगता है कि कुछ लोग केवल कथनी ही करते हैं उनकी करनी में फर्क है। अगर दोनों ही तरफ से यह विचार हैं, चीज एक है। देने वाले दो हैं, दोनों ही सहमत हैं और लेने वाला चिल्ला रहा है तो फिर तकलीफ किस बात की है। क्या सिर्फ एक मंत्रीजी की वजह से बिजली नहीं मिल रही है? यह केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों के बारे में हम जोर से चिल्ला-चिल्लाकर दोनों तरफ के 200 माननीय सदस्य एक ही बात कहते रहते हैं कि किसानो की समस्या है, समाधान करो। मेरे हिसाब से किसानों के बारे में इसलिए कहा जाता है कि वह सीधे-सादे, अनपढ़ और गांव के रहने वाले लोग हैं। हम उनको सिर्फ इसलिये बताते हैं यह बातें कि हम उनका मन जीत सकें, हम उनको असत्य बातें बता सकें। आज किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि उद्योगों को बिजली दो क्योंकि उद्योगपति पढ़े-लिखे होते हैं। उनको पता है कि असत्य कहने वाले हैं, यह बिजली देने वाले नहीं हैं केवल किसानों के बारे में कहा जाता है। इसलिये मैंने मेरे विचार रखे हैं। मैं समय कम लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है समय कम है और डॉक्टर ने मुझे बोलना मना भी किया है।

नई नीतियां बनती हैं, नई योजनाएं बनती हैं लेकिन नीतियों के साथ में जब तक नीयत नहीं सुधरेगी इस बिजली विभाग की तो फिर इसमें नई नीतियां और नई योजनाएं बनाने का औचित्य क्या है? इस बारे में मैंने दो लाइनें भी लिखी हैं। भण्डारी जी भी बैठे हैं। बोर्ड के बारे में कहूंगा। भण्डारी जी और मंत्रीजी का यह

(श्री रूपाराम)

प्रयास तो रहता है कि बोर्ड किसी न किसी तरह उभरे, लाभ में आये । नई-नई योजना बनाते हैं । इन योजनाओं के बारे में हमारे माननीय सदस्य मदान जी ने काफी लम्बा-चौड़ा कहा । मदान जी ने यही कहा कि सदन गम्भीर है किसानों की बिजली की समस्या के बारे में तो उनकी समस्या है ही नहीं तो इन योजनाओं के बारे में जो नई नीतियां बनाते हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं । नीतियां नई हों तो क्या नीयत तो पुरानी है । जब तक किसी कार्य को करने के लिये किसी नियम को, किसी कानून को करने के लिये अगर हम हृदय से, आत्मा से अंगीकार नहीं करते हैं तो हमारी उसके प्रति नीयत सही नही है तो वह कार्य कभी सुचारू रूप से पूरा नहीं होगा चाहे तरह–तरह के नियम बना लो, चाहे तरह–तरह की योजना बना लो, चाहे तरह–तरह की नीतियां बना लो । लाइनें इस प्रकार हैं :–

'नीतियां नई हों तो क्या
नीयत तो पुरानी है ।
नीयत न बदले सुधरने का दावा बेमानी है ।
माननीय मंत्री जी, आप सुनो
यह रूपा की जुबानी है ।
कुछ ऐतिहासिक कर गुजरो,
वरना कुर्सी तो आनी और जानी है ।
कुर्सी ही नहीं, इस तरह चला,
तो बोर्ड भी बुलबुला पानी है ।
कुर्सी ही नहीं,
अगर इसी तरह माहौल चला
तो इस बिजली बोर्ड की
जिन्दगी भी बुलबुला पानी है ।'

मैं दो–चार छोटे-से उदाहरण दूंगा । क्योंकि बिजली की नीतियों के बारे में या नियमों के बारे में, योजनाओं के बारे में बड़े लम्बे-चौड़े विस्तार से माननीय सदस्यों ने बता दिया है । अब मैं बता रहा हूं, हमारे भण्डारी जी बैठे हैं । तीन–साढ़े तीन महीने पहले अजमेर में एक संभागीय मीटिंग रखी बिजली की समस्या और समाधान पर । मैं सवेरे जल्दी-जल्दी उठकर नहा-धोकर, दाढ़ी बना कर तैयार होकर गया कि इस बार किसानों की समस्या का समाधान हो ही जाएगा, चलो अजमेर चलते हैं । मैंने इनकी स्लाइड़ें देखीं । यह एक–एक करके स्लाइडे दिखा रहे थे कि गुजरात में इस यूनिट पर इतने पैसे लगते हैं, किसानों को इस आधार पर देते हैं, आसाम में यह दे रहे हैं, पंजाब में यह दे रहे हैं, और राजस्थान में यह दे रहे हैं । हम राजस्थान में किसानों पर अहसान कर रहे हैं । हम राजस्थान के किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और हमारा बोर्ड तो दिवालिया हो रहा है । हम क्या करे ? मैंने इनसे निवेदन किया आप गम्भीर आदमी हैं, आप पर कभी कोई आरोप नहीं लगा । यहां जन प्रतिनिधि बैठे हैं । आप अपने बोर्ड का दिवाला होने की बात कह रहे हैं । अगर कोई सेठ दिवालिया हो जाता है और अगर सड़क पर आकर कहता है कि मैं दिवालिया हो गया, अब दिवालिया हो गया तो इसमें हमारी जिम्मेदारी कहां है ? किसानों को क्या जिम्मेदारी है ? मैं कम से कम ढाई घण्टे बैठा । मैंने भण्डारी जी को कहा कि आपने हमारा समय बरबाद कर दिया अगर हमें यह आशा होती कि आप केवल स्लाइडें दिखाएंगे और यह कहेंगे कि देखो, हम घाटे में जा रहे हैं । क्या हम विधायकों

(श्री रूपाराम)

ने बिजली चोर ली, क्या हम विधायकों की वजह से बिजली चोरी हो गयी, क्या हमारी जेब में बिजली चली गयी? एक सबसे बड़ी शर्मनाक घटना हुई उस मीटिंग में, इनको मालूम है। मैं पहली–दूसरी बार मिला होऊंगा, ये अच्छे आदमी होंगे।...

श्री उपाध्यक्ष : आप यहां मंत्री जी से बात करें। मंत्री जी को सम्बोधन करें।

श्री रूपाराम : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कह रहा हूं, उस मीटिंग के बारे में बता रहा हूं .. (व्यवधान) किशनगढ़ के एक व्यापारी आये हुए थे। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि किशनगढ़ में जो जी.एस.एस. बना रहे हैं वह कब तक बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही बना देंगे। व्यापारी ने कहा कि फिक्स तारीख बता दो। बड़े आराम से, घर के से राजा की तरह बोलता है कि फिक्स तारीख बता दो। मैं विश्वास नहीं करता। मैंने कहा फिक्स तारीख, आप विश्वास नहीं करते हैं। यहां कलक्टर बैठे हैं, संभागीय आयुक्त बैठे हैं, माननीय सदस्य बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं। मैंने खड़े होकर कहा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं उस मीटिंग में कहा कि अध्यक्ष महोदय आप गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इन्होंने कहा आपको पता नहीं, मेरे कार्य करने की शैली क्या है। हो सकता है आपके कार्य करने की शैली हो लेकिन आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान भी नहीं कर सकते। आप फिक्स तारीख इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जी.एस.एस. कब बनेगा, आपके बिल की डेट फिक्स होने के बाद में दूसरे दिन पैनेल्टी क्यों लग जाती है, वह फिक्स डेट पक्की क्यों हो जाती है? उसके बाद में इनको पता है एक ग्रामीण सरपंच उठा पगड़ी वाला और अंग्रेजी में बोलने लगा और वह क्या बोला, वह पता है। मैं कह रहा हूं कि केवल आपके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को देखो। किसानों पर इस तरह से अंकुश मत लगाओ, किसानों को इतना बदनाम और बेइमान मत समझो, बिजली के उपभोक्ताओं पर केवल दोष मत लगाओ। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है वह बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का है और वह भ्रष्टाचार मिट जाए तो भ्रष्टाचार है कहां? उपाध्यक्ष महोदय, एक परिवार के सदस्य में दुर्गुण ज्यादा हों या निम्न स्तर के हैं या घटिया प्रवृत्ति के हैं तो हम पड़ोसियों पर इस तरह का आरोप लगाएंगे कि आपकी वजह से हमारा परिवार बिगड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से यह सारा भ्रष्टाचार फैल रहा है। एक योजना, एक ही सूत्र अपना लो। अपने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बारे में आप अच्छे स्ट्रिक्ट नियम बना लो, उनकी जिम्मेदारी ठहराओ। केवल पैसे लेना और सबूत होना ही अपराध नहीं है। उपभोक्ताओं की कितनी बेइज्जती होती है वहां। मुझे मालूम है पगड़ी वाला और धोती वाला तो देखना ही चाहिए, कहां से आया, क्यों आया? बिजली देना तो दूर रहा, उनकी बेइज्जती तो मत करो।

मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने परसों ही एस.ई. से बात की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, पांच दिन

(श्री रूपाराम)

पहले दो लड़के आए उन्होंने कहा कि हम डेढ़ महीने से चक्कर लगा रहे हैं। वे थे प्रभुराम और हेमाराम। मैंने कहा, क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब, एक कनेक्शन आलरेडी, जहां एक ट्रांसफार्मर है, पच्चीस का, पन्द्रह-पन्द्रह के दो कनेक्शन हो चुके हैं और हमसे सिटी ए.ईएन. कह रहा है कि इस पर कनेक्शन दस–दस के ही हैं तो कहा कि नहीं 15-15 एच. पी के हैं। उसकी लापरवाही सबसे बड़ी देखिये, जो नया उपभोक्ता बनने जा रहा है उसको कह रहा है कि अगली पार्टी से बिल लेकर आओ कि उसके कनेक्शन कितने हैं। बाद में मैंने फोन किया कि आपके आफिस में नहीं है क्या कि कितने कनेक्शन हुए हैं, इसका लेखा–जोखा आपके कार्यालय में नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि साहब, हमारी गलती हो गयी। तो केवल इसलिये उनको परेशान किया, यह हकीकत है फिर मैं झल्लाकर क्या करता, मैं अपना सर फोड़ता या उससे लड़ता। मुझे मालूम है एक बार लड़ा हुआ हूं, 353 का मुकदमा लगता है जिसमें गिरफ्तारी होती है, जमानत नहीं होती। मैंने एस. ई.को फोन किया। एक्स. ई.एन. से बात की कि यह क्या हो रहा है कि एक आदमी जो नया कनेक्शन चाह रहा है 25 का कनेक्शन है। पहले भी 15-15 के दो दे चुके हैं, पांच एच.पी. पहले से कम पड़ रहा है और उसी ट्रांसफार्मर से 15 के कनेक्शन और दे रहे हैं उसको कह रहे हैं कि अब कनेक्शन और ले लो उसके बाद थोड़े दिनों में नया ट्रांसफार्मर रख देंगे। मैंने कहा कि पैसे कितने दिये। कहा कि साहब, मांग रहे हैं, यह हालत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि विधायकों को ज्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलती।। मेरे दस हजार रुपये तो टेलीफोन पर ही चले जाते हैं। एस.ई. ने कहा कि आप लिखकर दे दो, मैं कार्यवाही करूंगा, जांच करवा लूंगा। +++ क्या जांच होनी वाली है?

इस आशा के साथ केवल मुझे बोलना चाहिए था इसलिए बोला हूं, सुधार आने की मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है। इस पूरे कुए में ही भांग पड़ी हुई है। हो सकता है मैं इमोशनल आदमी हूं, मेरी इस मामले में ज्यादा रूचि भी नहीं रही है। हमारा जमीर मरता है क्योंकि बार-बार बोलने के बावजूद भी कुछ होता ही नहीं है। अधिकारी जवाब देते ही नहीं हैं। मैंने जोगेश्वरजी को कहा कि आपकी चिट्ठी का जवाब आया क्या? चिट्ठियां लिखते–लिखते, लैटर पैड छपाते–छपाते थक गये। इसी आशा के साथ में कि मंत्रीजी और कुछ ऐतिहासिक कर गुजरेंगे तो ही कुछ होने वाला है अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। समय दिया इसलिये धन्यवाद। नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष : डा० मूलसिंह जी।

डा० मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का संकट राजस्थान में पूर्व कांग्रेस की सरकारें और केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज तक चला आ रहा। यह अभूतपूर्व संकट है जो पूरे भारतवर्ष को ही ग्रसित कर रहा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. मूलसिंह शेखावत)

है और हमारा राज्य भी उससे अछूता नहीं है। पिछले तीन वर्षों में बिजली की समस्या बहुत अच्छे ढंग से हल हुई है और अब ऊर्जा मंत्री महोदय ने जो क्रांतिकारी योजना बनायी है उसके माध्यम से इस सदी के अन्त तक राजस्थान में बिजली पूरी तरह से बनने लग जाएगी और हम दूसरे राज्यों को भी बिजली दे सकेंगे। इसके लिये ऊर्जा मंत्री महोदय विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

अभी कुछ सदस्यों ने यह बात भी बतायी कि नेफ्था आधारित जो कारखाने हैं वह थोड़े कम समय ही चलेंगे लेकिन आखिर चलेंगे और हम यह आशा करेंगे कि बिजली का संकट इस सदी में पूरी तरह से राजस्थान में मिट जाए। यदि बिजली संकट मिट जाता है तो जिस तरह से भागीरथ का नाम गंगा के साथ अमर है उसी तरह माननीय कौशलजी का नाम भी बिजली के साथ हमेशा राजस्थान में लिया जाएगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : सामने वाले बैठे ही नहीं हैं जो एतराज करें।

डा. मूलसिंह शेखावत : मैं मंत्री महोदय को विशेष रूप से झुन्झुनूं की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा जहां उन्होंने काफी बिजली का संकट होते हुए भी बड़े उद्योगों से बिजली की कटौती करके हमारे किसानों को बहुत राहत पहुंचायी और वहां पर बिजली समस्या जैसी कोई चीज महसूस नहीं हुई हालांकि थोड़ी कमी अवश्य थी लेकिन संकट को आपने हल कर दिया, इसके लिये आप विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बिन्दुओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। बच्चों की पढ़ाई के बाबत शाम को सिंगल फेज में बिजली ग्रामीण इलाकों में दी जाती है, परन्तु कुछ लोग कैपेसिटर लगाकर बिजली से कुएं चलाते हैं उससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में नुकसान होता है। अतः ऐसे लोगों पर उचित कार्यवाही हो या पढ़ाई के लिये अलग से कोई लाइन की व्यवस्था हो। झुन्झुनूं जिले में कुछ वार्ड हैं जो कि म्यूनिसिपल एरिया तो हैं लेकिन उनका कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र से है। उनमें भी विद्युत सप्लाई जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में दी जाती है उसी तरह से दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गरीब किसानों के बिजली के बिल जमा न करवाने के कारण से कनेक्शन कट जाते हैं फिर वह लोग जब पैसे का इन्तजाम करके बिल जमा कराने जाते हैं तो उन्हें नर्सरी योजना में कनेक्शन देने को बाध्य किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाए और इस तरफ ध्यान दिया जाए। झुन्झुनूं जिले में बहुत से ग्रामीण इलाकों में खास तौर से हरिजन बस्तियों के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइनें निकलती हैं और वहां तार टूटने से दुर्घटनाएं होती रहती है। इस तरह की लाइनों का सर्वे करवाकर जनहित में बिजली बोर्ड के खर्चे से उनको वहां से हटवाया जाए। झुन्झुनूं में 33 के.वी. और जी.एस.एस. बन रहे है उन्हें शीघ्र कार्यवाही करवाकर बनवाया जाए। नर्सरी योजनाओं की कमियों के बारे में, अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट और असह-

(डा. मूलसिंह शेखावत)

योगात्मक रवैये की चर्चाएं तो काफी हो चुकी हैं। इस विषय पर जो कुछ मुझे कहना था वह अन्य माननीय सदस्य कह चुके हैं। मुझे आशा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र निदान कर झुन्झुनूं की जनता को कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा आज हम उस मांग के साथ भी कर रहे है कि किसान जो बिजली का कष्ट भोग रहे हैं उसकी राजस्थान विधान सभा के अन्दर यह चर्चा भी होनी चाहिए। बहुत गम्भीर रूप से इस प्रश्न को कांग्रेस ने उठाया भी था। समाचार-पत्रों से लगाकर बाहर पत्रकार सम्मेलनों में भी उन्होंने कहा लेकिन आज जब वास्तविक स्थिति आयी, बिजली पर चर्चा करने को उस समय किसानों के नाम पर बिजली पर चर्चा कराने की मांग करने वाला प्रतिपक्ष आज विधान सभा में उपस्थित नहीं है, उसने बहिष्कार किया है। आज की चर्चा करने के बाद में बहिष्कार कर लेता तो हम यह मानते कि उनकी मांग के अन्दर ईमानदारी है, किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति है। किसानों के प्रति उनके मन के अन्दर कुछ भाव हैं, पीड़ाएं हैं लेकिन आज उनके बहिष्कार से यह लगता है कि यह उनका सिर्फ राजनीतिक स्टण्ट है और वह वास्तव में इस मामले में गम्भीर नहीं है।

बिजली वैसे कोई सामान्य चीज नहीं है। बिजली पर सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था आधारित है। आज इस संसार को आगे बढ़ना है तो उसको बिजली चाहिए। आज इस विश्व के अन्दर जो राष्ट्र ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत करते हैं, वह विकसित राष्ट्र हैं, जो थोड़ी कम मात्रा में करते हैं वह विकासशील राष्ट्र हैं और जिनके यहां बिजली बहुत ही कम खर्च होती है वह अविकसित राष्ट्र हैं, पिछड़े राष्ट्र हैं। आज बिजली की चर्चाओं पर नहीं इस बिजली के कारण सरकारें जाती हैं, पार्टियां जाती हैं। बिजली की अगर व्यवस्था अच्छी है तो उस पार्टी को वोट मिलते हैं और यदि बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं। इस बिजली पर आधारित बहुत सी सरकारों का आना जाना रहा है। इसी बिजली पर सरकारें और राजनीति आधारित है। अभी अन्दोलन चल रहे थे। कौशल साहब किसानों के साथ चर्चा भी कर रहे थे, लाल झण्डे वाली पार्टी थी। जिसका जनता में कोई आधार नहीं है। वर्षों से देख रहा हूं एक आदमी चुनकर आता है उसका लेकिन बिजली का आधार लेकर वह राजस्थान के अन्दर लोकप्रिय होकर जनाधार कायम करना चाहती है। बिजली अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली पर कांग्रेस पार्टी आज सदन में चर्चा नहीं कर रही है। शायद कांग्रेस पार्टी इस बहिष्कार के माध्यम से, उन दोषों और अपराधों को छिपाना चाहती है जो उसने 20, 21 और 22 तारीख को इस विधान सभा के अन्दर किये हैं। हम यहां लड़ने के लिए नहीं आते हैं, हम यहां बाहुबल बताने के लिए नहीं आते हैं, हम यहां चर्चा करने के लिए आते हैं, राजस्थान की पूरी पंचायती करने के

(श्री टीकमचन्द कान्त)

लिए आते हैं। हम अगर हिंसक हो जाएं, आपस में लड़ लें, सदन सर्वोपरि है, यहां आने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठा वाला है। फिर हम जो दंभ भरते हैं इस प्रकार का, हम लोगों के अन्दर जाकर पंचायती करने की बात करते हैं। यहां हमारे चरित्र उजागर होते हैं कि यहां आकर हम लड़–मरते हैं, हिंसक वातावरण खड़ा कर देते हैं। अगर हिंसा से ही सरकारें बदलनी होती है तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या आवश्यकता है वोट करवाने की ? खड़े हो जाएं कुछ लोग, आपस में लड़ लें। शारीरिक बल के आधार पर जो जीत जाए वह एम.एल.ए. बनकर यहां आ जाए। यहां फिर आपस में लड़ लें, जो सबको गिरा दे वह मुख्य मंत्री बन जाए, थोड़े बहुत दूसरे नम्बर पर आएं वह सरकार में बैठ जाएं या उधर बैठ जाएं। यहां तो कांग्रेस ने जो बाहुबल का प्रयोग करना चाहा उस बाहुबल के प्रयोग को पूरे हिन्दुस्तान के मीडिया ने, पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों ने कहा कि ऐसा, संसदीय इतिहास में, प्रजातंत्र में कहीं किसी विधान सभा में ऐसा नहीं हुआ जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस ने इस राजस्थान की विधान सभा में किया है। शायद उसी पापको छिपाने के लिए आज वह बहिष्कार करके बैठे हैं और इस महत्वपूर्ण बिजली की चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोपीचन्द जी गुर्जर, हमारी पार्टी के सदस्य हैं। हम लोगों ने कह दिया यह लायक नहीं हैं। कांग्रेस का तो अपना सौ वर्षों से भी अधिक का इतिहास है। वह पार्टी जिसने जनतन्त्र क्या होना चाहिये, इस देश को बताया है, उस पार्टी का नेता गोपीचन्द गुर्जर बन जाए। मैंने कहा था, मेरे कहने का मतलब उनके प्रति और कुछ कहने का नहीं है, हमारा रिजेक्टेड आदमी उसका नेता बन जाए और उसके सहारे से हिंसक वातावरण खड़ा करके, गुजरात का उदाहरण देकर, ऊपर से आकाओं का, दिल्ली से भी शायद कोई उनको संकेत मिला हो, यह राजस्थान की सरकार को हम पलट दें, इस प्रकार का कार्य करने वाली कांग्रेस आज किसानों के साथ भी विद्रोह कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। इस बिजली के ऊपर अगर चर्चा होती, उसके अंदर अगर कांग्रेस भी बैठकर पूरी तरह चर्चा करती तो इस राजस्थान की जनता के साथ उनका किया गया उचित कार्य होता। लेकिन आज कांग्रेस चर्चा नहीं कर रही है और लेकिन सदन के अन्दर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक पूर्णतया चर्चा में भाग ले रहे हैं। एक एक बात को समक्ष रख रहे हैं। बिजली के अन्दर हमें क्या कठिनाइयां आ रही हैं, किसान क्या सोच रहा है, शायद कांग्रेस से अधिक प्रभावी ढंग से हमारे लोग इस बात को कह रहे हैं और मैं सोचता हूं कि उनकी अनुपस्थिति में भी होने वाली आज की यह बिजली की चर्चा पूर्ण चर्चा है और इससे राजस्थान के विद्युत मण्डल को और ऊर्जा मंत्री जी को भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं। अभी वास्तव में पिछले तीन चार वर्षों के अन्दर जो प्रयास हमने किये है उनसे बिजली की स्थिति सुधरी है, बेशक सुधरी है। बिजली की खपत बढ़ी है। मांग

(श्री टीकमचन्द कान्त)

ज्यादा होने की वजह से यह जरूर है कि हिस्से में कम आ रही है। खपत बढ़ी है, कई प्रकार से हमने कोशिश की। आज से बारह वर्ष पूर्व अगर ढंग से इस राजस्थान की योजना बनायी होती, बारह वर्ष पूर्व परियोजनाएं लागू कर दी गयी होती, तो आज हम जो कष्ट देख रहे हैं वह कष्ट नहीं देखते। वह भी हमारे हिस्से में आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हिस्से में आया। 1990 में हमारे आने के बाद सोच शुरू हुई कि शीघ्रातिशीघ्र इन परि–योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, प्रारम्भ किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में इस राजस्थान को बिजली के अन्दर आत्म निर्भर किया जा सके। आज हमारे जो प्रयास प्रारम्भ हुए हैं, अभी जैसा कहा कि आकाश और पाताल एक कर रहे हैं उस आकाश और पाताल को एक करने की कार्यवाही अभी तक जो चल रही है उसके सम्बन्ध में आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इक्कीसवीं सदी के अन्दर हमारा भविष्य सुनहरा होगा, और हम आशा करते हैं कि हमारे ये प्रयत्न अगर हम बराबर करते रहे तो उम्मीद है, यह आशा है कि राजस्थान अपनी खपत के लिए जितनी उसकी मांग है उतनी बिजली वह प्राप्त कर लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो दो–तीन चीजें और कहनी हैं। बहुत सा कष्ट, हम इसलिए सह रहे हैं कि व्यवस्था के अन्दर सुधार नहीं है और व्यवस्था में सुधार नहीं होने की वजह से भी हम काफी सारे कष्ट इस बिजली के मामले में भोग रहे हैं। इसको आपने सिस्टम इम्प्रूवमेंट कहा था। लम्बी-लम्बी लाइनें होने के कारण, वी. आर. ज्यादा होने के कारण जहां अन्तिम स्टेज पर बल्ब जो जलते थे या बिजली वहां पहुंचती थी वह मात्र 150 और 200 तक ही मुश्किल से पहुंच पाती थी जिसके कारण वहां न तो इंजन चल पाते थे, न मोटरें चल पाती थीं यह हालत थी इस राजस्थान की। सबसे बड़ा कार्य यह किया है कि जगह–जगह इन्होंने जी.एस.एस., ग्रिड सब-स्टेशन्स खड़े किये है। 220, 132, 33, 11 की यह लाइनें बनाकर, जी.एस.एस. बनाये हैं। इस कार्य से हमारा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। बाड़मेर जिले के अन्दर भी हमें काफी जी.एस.एस. मिले। 1990 के अन्दर प्लान में लिये गये जी.एस.एस. अगर आज से तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि वह आज पूरे नहीं होते। यह हालत हैं।

अब मैं आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट सतत् चालू रहना चाहिये। आज आपके वक्तव्य के अन्दर कई सारे जी एस एस. वगैरहा की बातें आयी थीं। मैंने कहा था सिवाना के अन्दर जी. एस.एस. आपने नहीं किया। नाम ही नहीं लिया आपने। इन्होंने कहा यह मांग करो। सिवाना के अन्दर 132 के.वी. की लाइन सिवाना के ऊपर से जा रही है। लाइन नई खींचने की आवश्यकता नहीं, नया खर्चा कोई करने की जरूरत नहीं। बालोतरा के अन्दर 220 आ गया। अब वहां नीचे से सिर्फ ढांचा खड़ा करने की बात आती है। पैसा तो उसके अन्दर लगेगा। मण्डल के पास तो पैसा नहीं है, प्रश्न सबसे पहले आता है, बिलकुल ठीक बात है। लेकिन यह सौदा भी बड़ा सस्ता है। सिवाना के अन्दर 132 के.वी. का जी.एस.एस. इस

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सिस्टम इम्प्रूवमेंट के तहत खड़ा किया जाए ताकि आज जो कष्ट भोग रहा है वह क्षेत्र, उससे उसको राहत मिलेगी।

मण्डल की सक्षमता का प्रश्न भी आया। मण्डल सक्षम कैसे हो सीधी बात है। (व्यवधान) राजस्थान विद्युत मण्डल, मण्डल आयोग नहीं। राजस्थान विद्युत मण्डल कैसे सक्षम हो। अगर मण्डल ज्यादा सक्षम हो गया तो राजस्थान की ज्यादा सेवा हो पायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में जब बिजली की बात आयी, देश का और प्रदेश का किसान बिजली ले और बिजली से मोटर चलाये। प्रारम्भ में किसान ने मना कर दिया था कि बिजली से मोटर नहीं चलायेंगे। उसको बड़ा प्रोत्साहित करना पड़ा था कि जैसे तैसे भी बिजली से कार्य प्रारम्भ करे ताकि उत्पादन बढ़े, इस प्रदेश का उत्पादन बढ़े ताकि हमें बाहर से अनाज नहीं लाना पड़े, बाहर से यह चीजें नहीं लानी पड़े। यह प्रदेश की समृद्धि के लिये आवश्यक था और तब हमने उसको सस्ते में बिजली देना प्रारम्भ किया। आज विश्व के देश जैसा करते हैं, धनधान्य के उत्पादन करने वाले किसान को इसलिये सब्सिडी देते हैं ताकि उसका उत्पादन खर्च कम आये। उत्पादन खर्च कम आने की वजह से यह होगा कि उसको जो फसल है वह ठीक भाव में बिके और सामान्य जन को ठीक भाव में अनाज मिले यह दृष्टिकोण भी इसके अन्दर रहा है। अगर हम सब्सिडी नहीं दे पाये, आज सब्सिडी का बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। हम आज डब्ल्यू. टी. ओ. के मेम्बर बने हैं। जो देश डब्ल्यू. टी. ओ. के अन्दर है, और डब्ल्यू. टी. ओ. मेरा ख्याल है सबका हित सम्भालता होगा। लेकिन डब्ल्यू टी. ओ. कभी यह नहीं चाहेगा कि देश-प्रदेश किसानों वगैरह को सब्सिडी दे ताकि सब्सिडी देकर उनका उत्पादन खर्च कम आ जाए क्योंकि उत्पादन लागत कम आएगी तो विश्व मार्केट के अन्दर वे हमारे सामने कम्पीटिशन करके आगे आ जाएंगे। फिर धीरे-धीरे विश्व ट्रेड ओर्गेनाइजेशन बिलकुल आपके ऊपर यह दबाव डालेगा कि सब्सिडी नहीं दीजिए।

माननीय घनश्यामजी ने कहा था कि गैट का विरोध हम क्यों करते हैं, इसलिये ही करते हैं कि वह कहता है कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिये। यह बिलकुल पहला मुद्दा है। अगर उत्पादन खर्च उनका कम होगा और उत्पादन की लागत कम आ गयी तो विश्व के बाजार के अन्दर उनका उत्पादन हमारे उत्पादन के ऊपर आ जाएगा। इसलिये किसी न किसी बहाने से सब्सिडी कम की जाए। बिलकु सत्य बात है, हिन्दुस्तान के अन्दर भी यही बात आयी, राजस्थान के अन्दर भी यही बात आयी। हमें विश्व बैंक और उनकी सबकी मदद वगैरह कहीं चाहिये तो हम सब्सिडी कितनी कम दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं यह देखें और पूर्ण लागत जो हमारी आ रही है उतना पैसा लोगों से प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बात पहले सामने आती है। आज राजस्थान के अन्दर यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मण्डल सक्षम इसलिये नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आज उसको उसकी लागत का पैसा बिजली का नहीं मिल पा रहा है और यही बार-बार मण्डल का

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कहना है कि हम बिजली नहीं दे सकते, हम सस्ती नहीं दे सकते, हम इसके अन्दर पैसा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस भाव से बिजली ले रहे रहे हैं उतना पैसा वापस हमको मिलता नहीं। मण्डल घाटे में जा रहा है। लेकिन इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। जिस प्रकार की मांग है, जिस प्रकार की आवश्यकता है। अब इस घाटे की पूर्ति सरकार करे या कोई अन्य टैक्स लगा कर भले ही करे लेकिन बिजली के दृष्टिकोण से इस मण्डल को भी सक्षम बनाना पड़ेगा और किसानों को भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। यह जरूरी है।

अभी रूपारामजी कह रहे थे कि ऐसी मीटिंग जोधपुर में हुई थी। वहां जरूर किसानों ने कहा कि आठ आने का रुपया कर दें पर हमको बिजली ज्यादा दें। उन्होंने ठीक कहा था कि बिजली ज्यादा मिल गयी तो, हमारी रेट्स भी बढ़ गयी तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पूरा कर लायेंगे। क्योंकि 12 घंटे और 24 घंटे बिजली अगर देते हो और उसके बाद में आप बिजली के भाव बढ़ाते हो तो उसको हम बराबर कर लेंगे। लेकिन यह कोई न कोई थ्योरिटी दे इस बात की। हालांकि किसान यह भी कहते हैं कि आठ आने बिलकुल ठीक बात है। आठ आना हमारे लिये तो राजनैतिक मामला हो गया। वी. पी. सिंहजी कह रहे थे कौन बढ़ाये 10 पैसा, कौन करे आठ आने का रुपया, किसमें हिम्मत है? भा. ज. पा. करने जाएं तो आज बहिष्कार करके बैठे हैं कल गांवों के अन्दर वही जाएंगे वोटों की राजनीति के लिये तो कहेंगे कि देखो आठ आने का रुपया इन्होंने किया। नहीं कर सकते हम हिम्मत। क्योंकि बहुत सारे कार्य करने हैं, इसके कारण से लड़कर वोट लेकर वापस आना भी है। कांग्रेस भी यह हिम्मत नहीं कर सकती बढ़ाने की।

अब प्रश्न यह है कि इसके लिये कोई न कोई रास्ता खोजा जाए मेरी तो यह मांग है। मैंने एक बार मण्डल अध्यक्ष जी से भी बात की। मैंने कहा था आप किसानों की सभाएं बुलाओ तो सही। आप उनसे कहो कि आठ आने का रुपया करने पर आपको यह राहत दे सकते हैं। इन किसानों के मुंह से ही कहलवाओ। वह तो तैयार बैठा है। आप अगर बिजली के अन्दर कुछ फायदा कर सकते हैं तो किसान आठ आने का रुपया देने को तैयार है। आज सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, पर मुझे तो लगता नहीं है। अब रेगुलरिटीज बॉडी वाली बात आप कर रहे थे। अब वह आधार बन जाए, यह बात अलग है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह बाड़मेर जिले के अन्दर आपके एस. ई. एक्स. ईएन., ए. ईएन. जो हैं वह मेरा ऐसा ख्याल है कि यहां के रिजेक्टेड लोग हैं उन्हेंही वहां भेजते हैं। जो कहीं नहीं खप सकते उनको बाड़मेर भेज देते हो। (व्यवधान) वहां भेजते हैं। अब ताराजी का बाद में जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शब्दों के प्रयोग का ध्यान रखिये। सुन्दर ढंग से करिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : सुन्दर ढंग से

(श्री टीकमचन्द कान्त)

ही कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक बार ऊर्जा मंत्रीजी आप मण्डल अध्यक्षजी से भी बात-चीत करके कम से कम वहां से वे रिजेक्टेड लोग तो हटा दें और थोड़े अच्छे लोग दें तो हमारे जो कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिये थे, हमने आपसे फोन करवाया कि जी. एस. एस. तैयार होने चाहिये। हमने लिख कर दे दिया मण्डल के अन्दर कि जी. एस. एस. तैयार होने चाहिये। उन लोगों को आप रवाना कीजिये ताकि वहां क्षेत्र के काम हो सकें और जो रिटायर्ड हो चुके उनको एक्सटेंशन मत दीजिये। जोधपुर कोई एक्सटेंशन देने वालों के लिये मत रखो मेहरबानी करो।

मेरा निवेदन है कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र पर भी और विशेष ध्यान दीजिये वहां पानी के लिये बिजली आवश्यक है। पानी का कनेक्शन मांग लिया, डिमाण्ड नोट आया उसके पैसे वगैरह भर दिये, सारा सब कुछ कर दिया। प्रायोरिटी पर है इनके। बोर्डर की लाइन और यह पानी यह सब प्रायोरिटी पर है लेकिन फिर भी बहुत सारे कनेक्शन ऐसे पड़े हैं, कुआ तैयार है, पी. एच. ई. डी तैयार बैठी है और कनेक्शन का इन्तजार कर रही है, कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर दीजिये।

शेष आपने जो सुनहरी भविष्य 21 वीं सदी में राजस्थान का बताया इस बिजली के विषय मे, भगवान करे वह पूर्ण हो, राजस्थान आगे बढ़े, बिजली के अन्दर आत्मनिर्भर हो और कांग्रेस की जो कल्पना है वह कल्पना उनकी ऐसी की ऐसी धरी रह जाए। इतना कह कर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान) आप इधर देख कर बोलिये डाक्टर साहिबा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच रही थी कि आप मुझे लिख कर दो तो मैं बोलूं। यह कहते हैं कि मैं आपकी श्रद्धांजलि पढ़ना चाहता हूं इसी विधान सभा में। यह कहते हैं मुझे चार पन्ने की लिख कर दो। अब मैं सोच रही हूं कि मैं क्या करूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अन आफिशियल बातें हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यक्तिगत बात नहीं है। दुनिया जानती है इस बात को कि ये चाहते हैं कि मैं कल जिन्दा नहीं रहूं, यह श्रद्धांजलि पढ़ें। यह मौका इन्हें नहीं मिलेगा। फिर इस विधान सभा में तो नहीं मिलेगा। आगे की कहती नहीं हूं।

मान्यवर, मैं जयपुर शहर में रहती हूं और ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं। लगता नहीं बिजली की कोई कमी है। दिन में भी बिजली जलती है। आप सड़कों पर निकल जाएं मैं कोई गलत बोल नहीं रही हूं, एक शब्द गलत नहीं बोलती हूं। कहीं भी कमी नजर नहीं आती, कमी आती है गांवों में जहां लड़ना पड़ता है कि 5 घण्टे बिजली अगर तय करी है तो 5 घण्टे दो, 7 घण्टे तय करी है तो 7 घण्टे दो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोगों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

को यह कष्ट पहुंचाने के लिए आप यहां जयपुर में बिजली क्यों जलाते हो? आप तो ऐसा करें कि काफी दूर-दूर तक के खम्भों की मर्करियों के तार निकलवा दें। दूर-दूर पर जहां बिजली की रोशनी करें। चाहिये उतनी रोशनी यहां तो लगता है रोजाना ही दीवाली है और वहां लगता है पता नहीं क्या अपराध करके आये हैं जो अंधेरे ही अंधेरे में रह रहे हैं। अनावश्यक बिजली जलती है।

मैं आपसे आग्रह करती हूं कि मेरे साथ चलें आप नाहरगढ़ किले के ऊपर वहां एक छत है, वहां से खड़े होकर देखें शहर जगमगा रहा है और गांव की तरफ अंधकार ही अंधकार है। इस पर कुछ चिन्तन करें। अगर बिजली नहीं है तो थोड़ी कटौती यहां भी करें और बिजली है तो खूब जगमगाये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहूंगी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा 13 तारीख से है और ग्रामीण क्षेत्र में इस समय सिंगल फेस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह किस प्रकार बर्दाश्त किया जाए या किस तरह व्यवस्था करायी जाए, यह दोनों बातें मैं कहना चाहती हूं। यह व्यवस्था आप कराइये। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। साक्षरता और सज्ञानता बढ़े। स्कूल भी हमने खोल दिये लेकिन रात को पढ़ाई नहीं, बहुत दिक्कत की बात है।

माननीय, मंत्री महोदय, अपने जवाब में मुझे बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की विद्युत के अलावा रोशनी के लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं? मेरे गांव में जब मैं देखती हूं हर तीसरे, चौथे दिन, आठवें, दसवें दिन यह खबर आती है कि सुमेर से तार चोरी चले गये। अब बिजली लगे हुए खम्भों पर सामान्य आदमी नहीं चढ़ सकता है। मानपुरकलां में तार चोरी चले गये, सुमेर में तार चले गये, तार चोरी कैसे जाते हैं? यदि कर्मचारी तार चोरी नहीं करें तो तार चोरी नहीं हो सकते। आप इस पर निगरानी रखें, इन व्यवस्थाओं को भी आप देखें। दूसरी ओर ट्रांसफार्मर चोरी हो गये। ट्रांसफार्मर कोई गेंद नहीं, कोई बताशा नहीं, इतने बड़े ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं कोई निगरानी नहीं है। आप इन व्यवस्थाओं को देखकर चलें, हमें बार-बार दिक्कत होती है इन सभी की व्यवस्था कराने में। क्या ट्रांसफार्मर हमारे पास होंगे तब लगा देंगे, अभी नहीं है? मैं यह निवेदन करना चाहूंगी बिजली की चोरी हो रही है। अभी मैंने जयपुर में एक जगह बिजली लगवाना चाहा, उसके लिए बधाई देती हूं, ऋषि गालव नगर, कच्ची बस्ती, गणेशपुरी में, वहां मैंने 80 कुंदे देखे, 80 कुंदे मैंने वहां से प्राप्त किये। चोरी से बिजली ले रहे थे। आपने तो व्यवस्था कर दी अब चोरी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया लेकिन यही हाल गांवों में है तार डालकर ले लेते हैं। आपके लीकेज है उसको रोकिए। आपका पैसा पड़ा हुआ है उसको वसूल कीजिए। पैसे की आपके पास कमी नहीं है। अगर विभाग को, आपको पैसे की आवश्यकता है, बार-बार यह कहा जाता है कि पैसे की कमी है हम बिजली कहां से देंगे? इन व्यवस्थाओं को सुचारू करके आप बिजली की व्यवस्था करें। अब जहां देखो तार ढीले पड़े रहते हैं, नीचे से पशु निकल रहे हैं और तारों से पशु मर जाते हैं मैंने कहा, भैंस मर गयी पैसे दो। बोले हमने तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आज तक नहीं दिये, कैसे देंगे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी की, बावजूद इसके विभाग ने एक पैसा नहीं दिया। यह खेल नहीं है। इन तारों को खिचवाइये। आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं वह क्या करते हैं? आप निश्चित रूप से सर्वे कराइये और देखिये कि कहां–कहां आपके तार ढीले हैं, उन तारों को ठीक करें, सुचारू और व्यवस्थित कीजिये। आदमी भी बचे, आपका काम भी सही हो....(व्यवधान) आप हंस रहे हैं? मैं समझती हूं बहुत गलत बात है, यहां मैं व्यवस्था की बात कर रही हूं आपको हंसी आ रही है। मैं दिमाग की कुण्डलिनी के लिए नहीं कह रही हूं तार के लिए कह रही हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले एक यह सूचनाएं मिलीं कि वन पोल दे देंगे। फिर मालूम पड़ा कि टू पोल दे देंगे। यह जान बूझकर बोल रही हूं, एक खम्भा, दो खम्भा बोलती हूं वैसे तो। लेकिन वह योजनाएं आगे अब नर्सरी योजना में आपने परिवर्तित कर दीं। आपको इसमें सफलता नहीं मिली। न गांव वालों के पास इतना पैसा है और न वह दे पाएंगे।

मैं निवेदन करूंगी जयसिंहपुरा खोर आदि नगर निगम में आ गये। आपके विभाग के कुछ कर्मचारी गये बोले कि हम पहले दे देते आपको फ्लेट रेट पर, आप ऐसा करो हम वही रेट लेंगे लेकिन आप मीटर लगवा लो, उन्होंने मीटर लगवा लिया। उन 32 आदमियों ने क्या बिगाड़ा उनसे तो आप पूरे पैसे वसूल कर रहे हो बाकी ने नहीं लगवाया, वह समझ गये, यह दुष्फल जब तक चले, चलाओ। मेरा निवेदन है कि न तो उनकी जमीन बढ़ी, न उनकी उपज की कोई किस्म परिवर्तित की गयी, उन पर यह बिजली नहीं बनती जिस तरह आप वसूल कर रहे हैं। मैं आपके अधिकारियों से मिली लेकिन उसका अभी तक हल नहीं निकला। आप यह देखें, इसमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है।

अब मैं एक बात पूछना चाहती हूं, मुद्दत से जमवारामगढ़ डार्क जोन में चल रहा है, जयपुर जिले में भी काफी डार्क जोन है, अब इसको हटाइये ना। जितनी स्कीम निकलती हैं उनका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। आपकी कुटिर ज्योति हैं; पता नहीं काहे काहे के ऋण हो सकते हैं लेकिन हमारे ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं है। एक–दो बार तो जमवारामगढ़ में बांध का पैंदा तक दिख गया। जितने हैंड पम्प लगवाये हैं, उनकी आज सर्वे करा लो आप, पानी नहीं है वहां पर। जयपुर में जरूर पानी दे रहे हैं लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि वहां आपकी योजना क्यों काम में नहीं ली जा रही है? आप कागजों में जाइए कोटा में डार्क जोन कीजिए। हमको आप माफ करें, हमें अंधेरा अच्छा नहीं लगता, हमारे नाम के अनुरूप भी नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ये 2–4 बातें आपसे कहनी थी, इच्छा तो मेरी थी लम्बा बोलने की, सारी बातें लिखकर भी बैठी थी, परन्तु बहुत सी बातें आ गयीं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती। मेहरबानी करके जो मैंने आपको सुझाव दिये हैं इन पर भी अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आपके विभाग

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की यशस्विता बढ़ेगी । मैं, आशीर्वाद देती हूं आप काम करें और हमारी जनता को सुख दें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्री भवानी जोशी ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज बिजली के मामले में चर्चा हो रही है, काफी बातें इसमें आ गयी हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने गहरे संकट में भी हमारे ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान प्रदेश को जो बिजली दे रहे हैं उसके लिये हम उनके बहुत–बहुत आभारी हैं । लेकिन छोटी–छोटी बातों में हमें कई बातों का सामना करना पड़ता है । मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां से माननीय श्री हरिदेव जोशी चुनकर आया करते थे । और आज वहां के लोग यह कहते हैं कि जब तक हरिदेव जोशी थे तो बांसवाड़ा में कोई पावर कटौती नहीं होती थी । जबकि बांसवाड़ा में पावर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बांसवाड़ा में पावर की कटौती नहीं होनी चाहिये थी । पिछले समय में माननीय भण्डारी जी बांसवाड़ा पधारे थे । उनके सामने भी यह बात आयी थी। उन्होंने तो अपनी बात को गोल–मोल करके जन–प्रतिनिधियों को समझा दिया कि न तो आज की तारीख में मुख्य मंत्रीजी मोजूद हैं और न ही उस समय के चेयरमैन ही मौजूद हैं । अब उस समय क्या बात हुई थी यह मेरी जानकारी में नहीं है । लेकिन हम लोगों को इस बात के लिये काफी परेशान होना पड़ता है । बार–बार यह बात आती है कि हमारे यहां बांसवाड़ा में बिजली की कटौती होती है ।

एक निवेदन यह था कि गांवों में सभी ने बताया है फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में शाम को सात बजे या छह बजे बिजली की कटौती की जाती है । उस समय घर में पशुओं के आने का समय होता है, दूध निकालने का समय होता है और बच्चों की पढ़ाई का समय होता है । उपाध्यक्षजी मेरा निवेदन है कि शाम को बिजली की कटौती न करें । कोई और समय निश्चित किया जाय जिस समय बिजली की कटौती की जाए । बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र है और ट्राइबल फण्ड से आर. एस.ई.बी. को कई प्रकार से फाइनेंस कर रखा है गांवों को बिजली से जोड़ने के लिये जगह पैसा लेने के बावजूद भी वह अब तक भी अपने टार्गेट पूरे नहीं कर पाता है । कई बार हमने इनके अधिकारियों से निवेदन किया कि ट्राइबल फण्ड से पैसे आपको दे दिये गये हैं लेकिन पिछले वर्ष के भी टार्गेट आपने पूरे नहीं किये हैं । इन्हें जल्दी से जल्दी करें लेकिन वहां के अधिकारी बात को नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं । माननीय भण्डारी जी को भी कहा था कि ए.ईएन; या जे.ईएन. के स्थानान्तरण के लिये कोई नीति का निर्धारण करें । 20-20 साल से वहां ए.ईएन. बैठा है, जे.ईएन बैठा है । वहां उसका एकछत्र शासन होता है । इसलिये राज्य सरकार कोई ऐसी नीति बनाये कि दो साल में या तीन साल में उनके ट्रांसफर होते रहे ताकि उनका एकछत्र शासन नहीं होवे और जन-प्रतिनिधियों की बातों को सुना जा सके ।

पिछली सरकार ने कई गांवों में जब विद्युतीकरण किये तो उन्होंने किसी प्रकार

(श्री भवानी जोशी)

का पैसा नहीं लिया। हमारा क्षेत्र अधिकांशतया आदिवासी, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। वह पैसा देकर बिजली ले नहीं पाते हैं। उनके लिये कोई ऐसी योजना बनायी जाए कि वे सस्ती दर पर बिजली प्राप्त कर सकें। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलीचन्द।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की चर्चा पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं राजस्थान के विषय में तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मेरे, बांसवाड़ा क्षेत्र में जो आदिवासी भाई हमारे निवास करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक लाइन ऐसी है जो 85 किलोमीटर में बिछी हुई है और उसके बीच में कोई जी.एस.एस. नहीं, कुछ नहीं है। अगर वह लाइन फाल्ट होती है तो उसको पांच–सात दिन सुधारने में लग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो बांसवाड़ा से दानपुर होती हुई जो लाइन गयी है वह माही डैम की वजह से बहुत घूमकर गयी है, करीब–करीब 85 किलोमीटर उसके बीच में कहीं एक जी.एस.एस. बना दिया जाए ताकि उसका कण्ट्रोलिंग हो और कोई फाल्ट हो तो वह तत्काल पकड़ में आ जाए। क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां आवागमन के रास्ते नहीं हैं। 10–10 किलोमीटर लाइन मैन पैदल–पैदल जाएगा, उस लाइन को पकड़ेगा तो उसमें बहुत समय लग जाता है इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस लाइन के लिये एक जी.एस.एस. बनाये जाने की अगर सोचें तो बहुत ही मेहरबानी होगी।

दूसरा मेरा, निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 95 प्रतिशत ट्राइबल निवास करते हैं और मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि उसमें से करीब-करीब 40 पर्सेंट गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकृत घोषित हुए हैं। पिछली सरकार ने भी किये हैं, अब भी हुए हैं लेकिन उन 40 प्रतिशत गांवों में से 20 प्रतिशत गांवों में आज तक भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है विद्युतीकृत जरूर घोषित हो चुके है, आंकड़ों में आ गये हैं लेकिन लाइन का आज तक पता नहीं है बिजली का कनेक्शन करना तो दूर की बात हुई वहां खंभा ही नहीं आया है तो कैसे अपेक्षा करें कि हमें उसकी लाइन मिलेगी। मंत्री महोदय, ट्राइबल एरिया, जहां अनुसूचित जनजाति या जाति के लोग निवास करते हैं, वह खेतीहर मजदूर हैं और उनके कोई लंबी-चौड़ी खेती नहीं है। वे आज भी डीजल पम्पों से किसी प्रकार खेती करते हैं उससे उनको बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि हमारे दूरदराज के इलाकों में डीजल लाने के लिये उनको एक दिन लग जाता है तब जाकर वह डीजल ला पाते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे 60 पर्सेंट गांव ऐसे बसे हैं उनको मेहरबानी करके विद्युतीकृत किया जाए। और किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण के आधार पर बताना चाहूंगा कि मेरा

(श्री देलीचन्द)

खुद का गांव है। मैं आज एम.एल.ए. हूं और इस हाउस में बोल रहा हूं। मैं दूसरों की सिफारिश कर रहा हूं लेकिन आज की तारीख में मेरे घर पर कनेक्शन नहीं हुआ है। हमारे जनजातीय क्षेत्रीय विभाग मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल मैंने इनसे आग्रह किया तो इन्होंने जनजाति विभाग से कुछ पैसा दिया और उस गांव को विद्युतिकृत कराया। अभी उसमें लाइन ही खींची है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे गांव हैं। अभी हमारे भवानी जी बोल रहे थे कि बस्ती विद्युतीकृत करने के लिये हमारे ट्राइबल विभाग ने काफी पैसा दिया। विद्युत मण्डल ने वह पैसा लेने के बावजूद आज तक बस्ती विद्युतीकृत करने के नाम से वहां पर कोई कनेक्शन नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि ट्राइबल एरिये को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई नीति बनायी जाए ताकि उन किसानों को बिजली मिले और वह उस बिजली का उपयोग कर सकें।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जिन गांवों में बिजली है, लेकिन जैसा अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि डिपार्टमेंट के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वह अनावश्यक बिल पुटअप करते हैं। कितने यूनिट बिजली जली उसका अता-पता नहीं होता है। इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि या तो ट्राइबल लोगों के घरों का जो कनेक्शन हैं, उनका फिक्स क्राइटेरिया बना दिया जाए, एक घर का कनेक्शन देने में 25 रुपये या 30 रुपये पर-मन्थ फिक्स कर दिया जाए ताकि मीटर रीडिंग का सारा लफड़ा खतम हो जाए। वहां एक बत्ती या दो बत्ती से ज्यादा कोई जलाता नहीं है। उसको अगर फिक्स कर दिया जाए ताकि उसको यह मालूम रहे कि उसे 25 रुपये, 30 रुपये मन्थली भरना है तो वह आसानी से भर सकते हैं। ऐसी कोई ट्राइबल क्षेत्र के लिये नीति बना दी जाए तो ही ट्राइबल लोगों को बिजली मिल सकती है, वरना मीटर के आधार पर बिजली, तो वहां पर बिजली मिल नहीं सकती। हमारे यहां बहुत सारे लोगों ने डिमाण्ड भर दी, कनेक्शंस नहीं हुए लेकिन उनके घरों पर बिल पहुंच गये कि आपका यह बिल आ गया है। जबकि उनके घरों के कनेक्शंस ही नहीं हुए उस कुएं में कनेक्शन नहीं हुए। ऐसे कई मैं उदाहरण बता सकता हूं। इस तरह की लापरवाही इस मण्डल की रही है। इस व्यवस्था को सुधारा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माही का बांध बना हुआ है, आप सब जानते हैं। उसके आजू-बाजू कम से कम 70-80 गांव ऐसे हैं जो डीपवाटर में आते हैं। किसी गांव में 100 बीघा, किसी गांव में 50 बीघा, किसी गांव में 30 बीघा या किसी गांव में 20 बीघा जमीन डूब में आयी है लेकिन वे आंशिक रूप से ही डूब में मानी हुई हैं। जब इन गांवों को विद्युतीकृत करने की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा यह डूब का एरिया है इस-लिये हम वहां बिजली नहीं पहुंचाएंगे। 70-80 गांव ऐसे हैं जो उस एरिये के करीब हैं वे बिजली से वंचित थोड़े ही रह सकते हैं। इन्हीं गांवों में किनारे-किनारे माही का पानी लगा हुआ है। अगर वहां

(श्री दलीचन्द)

बिजली मिल जाती है तो वहां एक लिफ्ट लग सकती है और लिफ्ट के द्वारा वह किसान खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह विद्युतीकृत नहीं होने की वजह से काश्तकारों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इसका अध्ययन करें कि उस गांव में कितने लोग बसे हुए हैं, कितने बीघा जमीन है रेवेन्यू रिकार्ड में, उसमें से वहां कितने लोग मौजूद है और कितने खेती कर रहे हैं ताकि पता लग जाए कि इतने लोग बसे हुए हैं, इतनी खेती हो रही है और वह गांव डूब में नहीं है। इस तरह की नीति बनाये ताकि हमारे 60–70 गांवों में ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होगी कि उनके किनारे पर पानी पड़ा है और वह पानी खेती में ले जाने के लिये तरस रहे हों। उनके पास कोई साधन नहीं हैं।

मान्यवर, आटा-चक्की को उद्योग का दर्जा दिया गया है। हमारे यहां दूरदराज के इलाके में टोटल ट्राइबल लोग रहने वाले हैं और वहां किसी के घरेलू चक्की नहीं है। अगर कोई आदमी चयनित परिवार का है और चयनित परिवार के आधार पर उसको आई.आर.डी.पी. के मार्फत चक्की लगाने के लिये लोन मिल जाता है, चक्की उसको उपलब्ध हो जाती है लेकिन विद्युत कनेक्शन उद्योग का दर्जा होने की वजह से 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार उसकी डिमाण्ड आती है, तो वह आदमी उस चक्की का कनेक्शन कैसे ले पाएगा। मैं सारे राजस्थान की बात नहीं करता हूं। लेकिन जो ट्राइबल इलाका है, उस ट्राइबल इलाके में अगर यह नीति अपनाएंगे तो वहां का किसान, वहां के जो हमारी माताएं बहिनें हैं जो आज तक हाथ से पीस रही है, जिन्दगी भर वही पीसती रहेंगी लेकिन उनको साधन उपलब्ध नहीं हो सकेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस नीति के लिये आप कोई न कोई रास्ता अपनाएं ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। कोई भी चयनित चक्की ले रहा है और 50 हजार या 60 हजार रुपये उसकी डिमांड आती है तो वह डिमांड किस आधार पर भरेगा। बहुत सारे ऐसे बैंकों में केस पड़े है लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर उस ट्राइबल एरिये को ध्यान में रखते हुए यही निवेदन करूंगा कि किसानों के जो कुओं के कनेक्शन्स हैं, हमारे यहां केवल 7 महीने फसल होती है, बाकी हमारे इलाके में पानी उपलब्ध नहीं होता है इसलिये वह कनेक्शन ले नहीं रहे हैं लेकिन उनके 12 महीने का बिल आता है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि बिल की राशि फिक्स कर देनी चाहिये कि सात महीने का इतनी, कितनी बीघा है, कुआं है, कितने बीघे में खेती करता है। उसके हिसाब से एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाए कि इस कुएं पर कनेक्शन कराने से इतने फिक्स एरिये में 7 महीने या 5 महीने का बिल बनाकर दे दिया जाएं ताकि काश्तकार का भला हो सके। बाकी यह जो नर्सरी सिस्टम है वह हमारे यहां तो लागू हो नहीं सकता। हमारे यहां लोग ले भी नहीं सकते, क्योंकि वहां ऐसी स्थिति नहीं है, जमीन नहीं है। किसी के पास पांच बीघा है, किसी के पास दो बीघा है की खेती करने वाले हैं। उनकी

(श्री दलीचन्द)

नर्सरी का कनेक्शन लेने की हैसियत नहीं है, जो इतना कर सके ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ट्राइबल एरिया को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई नीति बनाये ताकि उन आदिवासी गरीब किसानों को लाभ मिल सके । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत की चर्चा समाप्त होने और माननीय मंत्री महोदय के जवाब तक सदन का समय बढ़ाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ाया गया ।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की समस्या एवं समाधान के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको भी सम्मिलित करता हूँ और जो विचार दिन भर की चर्चा में आ गये उनको ही अगर मैं रिपीट करूंगा तो ठीक नहीं होगा । इसलिये आपके माध्यम से सीधे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बागोट में आज से एक डेढ़ साल पहले पधारे थे और किसान सम्मेलन में 132 के.वी., जी.एस.एस. की घोषणा की थी । समय गुजरता जा रहा है, डेढ़ साल निकल गया और वह 132 के.वी., जी.एस.एस. आपके विभाग में कागजों में ही चल रहा है । फिर अभी कुछ दिनों पहले लोक सभा के चुनाव में आप पधारे थे तब आपने कहा था कि पहले जो घोषणा मैं कर चुका हूं वह घोषणा तो अभी वापस क्या करूं, मैं इसी बजट सत्र में आपकी यह स्वीकृति दे दूंगा । माननीय मंत्री महोदय, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी की हुई घोषणा पर कार्यवाही तुरत-फुरत की जाती है । इसलिए इस घोषणा को मद्द नजर रखते हुए इसी बजट सत्र में 132 के.वी., जी.एस.एस. को ग्राम बागोट में स्वीकृति दिलवाने की कृपा करें और साथ ही उसका कार्य भी अतिशीघ्र करवायें । कई बार स्वीकृति भी हो जाती है, परन्तु एक साल तक वह काम भी शुरू नहीं होता है तो उसका फायदा किसानों को कम मिलता है ।

एक माननीय सदस्य : अपना काम तो ऐसे ही होता है ।

श्री राकेश मेघवाल : अपना काम इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा गया वह करना, वह होगा, ऐसा जनता का विश्वास है, ऐसा ग्राम किसान का मानना और भरोसा है ।

(श्री राकेश मेघवाल)

क्योंकि बी. जे. पी. का कोई भी मंत्री जो कह कर गया है वे विकास कार्य होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात पर कहना चाहूंगा, हमारे एरिया में 33 के.वी. के 10 जी.एस.एस. हैं और वे सभी ओवर लोडेड चल रहे हैं। इसी लाइन से औद्योगिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है और मकराना से 132 के.वी. की लाइन जाती है। जब डायमण्ड मशीन चलती है मार्बल की तो ट्रिप हो जाती है। लाइन कहां से कटी तो कहा जाता है कि फुलेरा से कटी है। फुलेरा टेलीफोन करते हैं तो कहते हैं जयपुर से कटी है। वह किसान खेत में से इस बल्ब की तरफ देखता है कि फुलेरा से और जयपुर से कटी हुई लाइन से बिजली कब आएगी। कम से कम किसान को हमारी सरकार आठ घण्टे बिजली देने की बात कहती है, तो उस किसान को यह भरोसा होना चाहिये कि चार घण्टे जो दिन की शिफ्ट में दे रहे हैं वह चार घण्टे लाइट कभी भी ट्रिप नहीं होगी, कभी भी कटेगी नहीं। बिजली अगर आप किसान को आठ घण्टे देते हैं तो किसान आठ घण्टे में अपने खेत की सिंचाई कर सकता है लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि एक मिनट में लाइट चली जाएगी। थोड़ा सा डायमण्ड की मशीन पर अगर स्पीड से दाब लगा दी तो ट्रिप हो जाएगा। इस तरह 10 जी.एस.एस. 33 के.वी. के हैं जो मंगलाना, परतबसर, बागोट, भादवा, बूलर, बड़ू, हरनावां, गच्छीपुरा, बिबयाड और पीलवा में हैं, वे सभी ओवर लोडेड चल रहे हैं। इन सब पर भारी ट्रांसफार्मर रखवाये जाएं, 3.15 के ट्रांसफार्मर रखवाये जाएं जो 3150 के.वी. के होते हैं। सभी जी.एस.एस. के ट्रांसफार्मर्स और कुछ जी.एस.एस. के प्रपोजल्स आपके विभाग में लम्बित हैं। एक्स.ईएन. और एस.ई. के स्तर से यह प्रपोजल्स बन कर आपके विभाग में आ गये हैं, इसलिये तुरन्त ट्रांसफार्मर लगाने की घोषणा की जाए और मैं तो यही चाहूंगा कि आज ही इसी चर्चा के उपलक्ष में आप जब जवाब दें तो यह कहें कि मेरे यहां 3.15 के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वे लगवा दिये जाएंगे। क्योंकि नागौर जिले में अब की बार चुनावों का भारी दौर चला। चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, और बार बार जनता के बीच में जाना पड़ा और इस बार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करीब–करीब सभी माननीय मंत्रीगण ने एक-एक गांव का दौरा किया। हर कहीं किसानों ने एक ही मांग रखी थी कि हमारे यहां तो बिजली की कमी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस नागौर जिले में 40 साल पुराना कांग्रेस का रिकार्ड तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिया है इसलिये इस नागौर जिले पर आप विशेष गौर कीजिये। नागौर जिले की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और बी.बी.सी. बुलाने वाले "बाबा" नाथूराम जी मिर्धा के पुत्र भानुप्रकाश मिर्धा बी.जे.पी. की सीट पर जीत कर आये हैं। इसलिये इस जिले पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री महोदय, आप खुद नागौर जिले के प्रभारी थे। मेरे क्षेत्र में पूरे दिन घूमे थे और लास्ट में किसानों ने कहा कि बिजली देओ मंत्रीजी, नहीं तो आज आपको जाने नहीं देंगे। आप धीरे से खिसक गये और कहा कि वोट देना, वोट के बाद मैं आपको बिजली देऊंगा। उन

(श्री राकेश मेघवाल)

लोगों ने आपको सहयोग किया और जिता कर भेज दिया।

मान्यवर, जब हम 8 तारीख को एरिये में गये माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए तो लोगों ने फिर कहा कि हमने आपको वोट दे दिया है अब इन पर ट्रांसफार्मर रखवा दीजिये, यह आप घोषणा करके जाइये। माननीय मंत्रीजी, मैं आपके विश्वास से, आपके आशीर्वाद से 8 तारीख को उन किसानों को पूरा भरोसा दिला कर आया हूं कि सभी जी.एस.एस. पर 3.15 के ट्रांसफार्मर रखवा दिये जाएंगे। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की तरफ से उनका छोटा सा भाई एक एम.एल.ए. होने के नाते यह घोषणा करता हूं कि सब ट्रांसफार्मर 3.15 के रख दिये जाएंगे।

एक थोड़ी सी और समस्या है। माननीय मंत्रीजी, जावला और रोमड़ी में 33 के.वी., जी.एस.एस. स्वीकृत हैं लेकिन वह कागजों में ही स्वीकृत हैं। सामान एक रुपये का भी नहीं पहुंचा। वहां कम से कम जल्द से जल्द सामान दिलवाइये और उनका कार्य चालू करवाये। एक ग्राम पीलवा है उसमें 45 गांव आसपास में लगते हैं और उन 45 गांवों में बिजली जाती है। वह ट्रांसफार्मर इस सीजन में, इस फसल के समय में तीन बार जल गया। एक बार एक महीने से मिला, दूसरी बार जला तो 20 दिन से मिला और अब तीसरा सिर्फ तीन दिन में ही दिलवा दिया। लेकिन यह जो एक डेढ़ महीने का पीरियड हो गया उसमें उनकी पूरी फसल नष्ट हो गयी। हम लोग 8 तारीख को गये, उनके खेत देखे तो आंखों में आंसू आ गये, किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं कि हम इस सीजन में बिजली का बिल कहां से भरेंगे, बिजली वालों ने हमारा कनेक्शन काट दिया जबकि तीन बार हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था। यह बड़े दुःख की बात है कि एक किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 20 दिन से मिलता है, 30 दिन से मिलता है, तीन महीने के सीजन में और फिर भी उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं तो वह बिल कहां से जमा करायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन किसानों को कम से कम इस सीजन में तो राहत दीजिये। अगर आपको कनेक्शन काटना था तो फसल बोने से पहले काटते, अगर कनेक्शन काटना था तो फसल कटने के बाद काटते, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। अभी फसल को पानी पिलाने में 20 दिन बाकी हैं और आपने कनेक्शन काट दिया। अब वह गरीब किसान कहां से पैसे लाएगा और कहां से वह पैसे जमा कराएगा? इसलिये इस बात पर आप थोड़ा-सा गौर फरमायें।

एक मात्र बांका पट्टी है राजस्थान में वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, गच्छीपुरा में। वहां फ्लोराइड युक्त पानी है और एक गांव से 45 गांवों को पानी जाता है, वहां के लोग लूले-लंगड़े कुबड़े हो जाते हैं। भारत सरकार की कई मशीनें वहां लगी हुई हैं लेकिन वह भारत सरकार के हिसाब से देवेगौड़ा सरकार ने दे दी, वह बंद पड़ी हैं, मशीनें किसी काम नहीं आ रही हैं। अब उस जी.एस.एस. पर 4 घण्टे या 8 घण्टे लाइट जाएगी तो उन 45 गांवों में एक जी.एस.एस. से एक कुएं से एक टंकी तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? कम से कम

(श्री राकेश मेघवाल)

ऐसे गांवों में और जो बांका पट्टी एरिया है, उनके लिए आप अलग से बिजली की व्यवस्था करायें ताकि उन गांवों को हम पानी दे सकें, क्योंकि यह एक गांव की बात नहीं है। उस एरिया में कम से कम 45 गांव आते हैं और वहां एक जी. एस. एस. है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकारियों से सर्वे कराकर उसमें एक दूसरा 33 के.वी. जी. एस. एस. स्थापित करवाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हालांकि यह समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। विदेशों से लोग इसका सर्वे करने आये थे और आज से पहले 33 करोड़ रुपये की जो योजना बनी थी भारत सरकार की, वह दिल्ली में ठण्डे बस्ते में पड़ी है। योजना तो स्वीकृत नहीं हुई लेकिन इस राज्य सरकार ने तीन साल में करोड़ों रुपये लगा करके 10–20 ट्यूबवैल खुदवाये लेकिन वह ट्यूबवैल आज भी बिजली का इंतजार कर रहे हैं।

माननीय मंत्रीजी, पी. एच. ई. डी. के जो ट्यूबवैल खुदते हैं उनमें समय पर कनेक्शन करवाने की कृपा करावें। 3–4 महीने तक बजट नहीं है, बजट मिलता है तो स्वीकृत नहीं होता है, स्वीकृत हो जाता है तो फिर समय पर खुदता नहीं है. समय पर खुद जाता है तो समय पर बिजली नहीं मिलती, कनेक्शन नहीं मिलता है। आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि पी. एच. ई. डी. की सैंक्शन हो जाती है कि यहां ट्यूबवैल खुदवाया जाए, तो उसी समय आपका विभाग यह लिख दे कि यह हमारा ट्यूबवैल सैंक्शन है. आप उसी समय लाइन खिचवा दें और ट्यूबवैल खुदते ही कुछ ही दिनों में, 5–7–10 दिन या कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि 15 दिन में हम ट्यूबवैल खुदने के बाद पी. एच. ई. डी. के ट्यूबवैल को कनेक्शन दे देंगे, ऐसी आप व्यवस्था करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि मैंने जो बातें आपको निवेदन की हैं, आपने जो घोषणा की है और आपके विश्वास से मैंने जो घोषणा की है उस पर गौर फरमायें, शीघ्रातिशीघ्र आदेश फरमायें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरिछपाल नुवाल।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करने जा रहा हूं कि अब की बार फसल बहुत बढ़िया है, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया है, पहले भी लोक सभा के जब चुनाव थे, उस वक्त किसानों की बहुत बड़ी शिकायत थी। गेहूं निकालने के लिए जो थ्रेसर लगते थे उनके लिए अलग से कनेक्शन की बात थी तो उसके अन्दर किसानों को बहुत तकलीफ हुई, किसान बड़े परेशान हुए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि थ्रेसर से गेहूं उसी मीटर से निकालें, उसमें किसी बात की आपत्ति न

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

हो, तो किसानों को काफी बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

इसके साथ–साथ जब नये कनेक्शन होते हैं तो वहां पर डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको यह बताते हैं कि खम्भे भी आप ले जायें, बिजली के तार भी आप ले जाएं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन–तीन बार जाने पर भी वह खम्भे–तार ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सारा खर्चा डिपार्टमेंट का होना चाहिए। यह लोडिंग–अनलोडिंग का सारा खर्चा डिपार्टमेंट करे। जब उनसे बिजली के खम्भे के पैसे ले रहे हैं तो किसानों पर यह भार क्यों है? मेरा निवेदन है कि जब ये खम्भे लग जाते हैं। मान लीजिये टैक्निकली 10–5 फीट की दूरी रहती है, जहां 4 खम्भे लगने थे, वहां 3 खम्भे लगे, बिजली पहुंच गयी है, बिजली लग गयी है, सारा कार्यक्रम हो गया है, जब कोई इन्क्वायरी होती है, जब कोई विजिलेंस कमेटी जाती है तो उससे एक खम्भे का पैसा और करके डिमाण्ड नोटिस निकाल देती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसान को बिजली मिल गयी है, बिजली चालू हो गयी है और मान लो एक खम्भा कहीं कम ज्यादा लगने की बात है तो उसका पैसा उनसे फिर वसूल किया जाता है, यह ठीक बात नहीं है, किसानों के ऊपर बहुत बड़ा भार हो जाता है।

मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर कुछ तहसीलें काफी लम्बे एरिये में बसी हुई हैं, वहां पर ए. ईएन. ऑफिस नहीं है, जिसके कारण से उन किसानों को अपनी बिजली की समस्या के लिए या बिल जमा करवाने के लिए उस स्थान पर आना पड़ता है और 100–100 किलोमीटर दूर है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, उदाहरण के तौर पर मांडल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 100 किलोमीटर दूर, करण से भी आगे तक ए. ईएन. ऑफिस नहीं है अगर ए. ईएन. ऑफिस करण में खोल दिया जाए तो आसपास के किसानों को मांडल नहीं आना पड़े, उनके समय की बचत होगी, उनको वहां पर जो बिजली के पैसे जमा कराने होते हैं, कोई शिकायत करनी होती है तो वहां पर कर सकते हैं, इस कारण से उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।

मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है, वहां पर काफी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं। मैं भी वहां की एक फैक्ट्री से सम्बन्ध रखता हूं। मुझे अभी मेरे जनरल मैनेजर से पता लगा है कि एक बिल के अन्दर 60 हजार रुपये लिखे हैं पिछली बकाया के, तो मैंने वहां जब इस बात को कहा कि मेरा पिछला बिल कम्पलीट जमा है, यह 60 हजार रुपये किस बात के हैं, तो वहां चर्चा करने के बाद उन्होंने बताया कि जो हमारा साल भर का खर्चा एक्स्ट्रा होता है, कहीं हमारी ऊर्जा या कोयला ज्यादा लगा है, इस बात के लिए हम 60 हजार रुपये का बिजली के लास्ट बिल में जोड़ कर बता देते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, भण्डारीजी भी यहां बिराजमान हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए साल

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

मर के बाद में 60 हजार रुपये हों चाहे एक लाख रुपये, यह ठीक बात नहीं है। इसके लिए यह व्यवस्था की जाए, अभी मार्च का महीना है, व्यापारियों के लिए मार्च का महीना बहुत बड़ा होता है, यहां पर परेशानी होती है, सारे एडजस्टमेंट करने की, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस पैसे को व्यवस्थित किया जाए। यह पैसा, मान लो आप अगर लेना ही चाहते हैं तो इसको किस्तों में क्यों नहीं लिया जाए। हर महीने कोई व्यवस्था करके 5 हजार रुपये, 6 हजार रुपये या 10 हजार रुपये महीने के जमा करवा लेंगे तो एक व्यापारी को, एक उद्योगपति को, एक फैक्ट्री के मालिक को इतनी आफत नहीं हो सकेगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए आप अच्छी व्यवस्था करें जिससे कारण से फैक्ट्री के मालिक को जिनकी मार्च महीने के अन्दर एक लाख रुपये बकाया है, जमा कराने में दिक्कत न हो, इस पर आप अवश्य ध्यान दें। भीलवाड़ा बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से आपको बहुत बड़ी राशि वहां से मिलती है। एक भी ऐसा नहीं है वहां पर, उस औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर सारे उद्योगपति परेशान होते हैं और भी काफी बड़ी कमियां हैं। अभी मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहूंगा।

मेरा एक विशेष निवेदन और है। किसानों के यहां विजिलेंस कमेटी वाले जब जाते हैं, मेरे पास ऐसे उदाहरण भी आयें हैं, छोटी-सी गलती है, उसका 100 फीट का तार अपने मीटर से दूर ले गया और वहां किसी गढ्ढे से पानी का मीटर चालू है। मान लो कहीं उस गढ्ढे में पानी है, अगर किसी का खेत पिला रहा है, विजिलेंस के लोग जाते हैं, उसके ऊपर पेनेल्टी लगाने का पूरा प्रयास करते हैं और यह कहते हैं कि हमको अगर दो बोरी दे दो तो हम तुम्हारा केस नहीं बनायेंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जन-प्रतिनिधियों के पास जो शिकायतें आती है उन शिकायतों को आप सुनें और उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाए। जन-प्रतिनिधि किसी गलत, पक्षपाती या बेईमान व्यक्ति को प्रश्रय नहीं देगा। बेईमानों के हम हमेशा खिलाफ हैं। हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं। हम आपको आपके डिपार्टमेंट की बारीक से बारीक जानकारी देते हैं कि कौन आदमी गलत काम कर रहा है, कौन ए.ईएन. बदमाशी कर रहा है। हमारे पास किसानों के माध्यम से जानकारी पहुंचती है, क्योंकि किसान आपके पास सीधे नहीं पहुंच सकते। वे निर्भीक होकर हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं। वे हमको बताते हैं और हम आपको बताते हैं। मैं आपके माध्यम से आपसे और भण्डारी जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं उनसे एक लिस्ट मांगें कि कौन-कौन आदमी गलत काम कर रहा है, किसानों को परेशान कर रहा है, उनको उनसे एक-दो बोरी गेहूं मांगने की क्या आवश्यकता है? फैक्ट्री मालिकों से ही ये परेशान हो रहे हैं।

कौशल साहब, एक बार आप पधारे

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

थे, सी.एम. साहब भी पधारे थे तो वहां घोषणा की थी कि नेफ्था के माध्यम से 100 मेगावाट के विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां उसकी स्थापना का कार्यक्रम या कोई रूपरेखा बनी हो। मेरा निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहां पर इस बात की बहुत आवश्यकता है। वहां पर करीब 28 हजार एकड़ जमीन पिलाई की है। भीलवाड़ा जिले के अन्दर 420 तालाब ऐसे हैं जिनसे पिलाई होती है, अच्छे–अच्छे और बड़े–बड़े बांध हैं, इसलिए वहां बिजली की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर बिजली की इनकम में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। भीलवाड़ा जिला सक्षम है, आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बोल लीजिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने अभी बिजली के बारे में चर्चा की और उन्होंने किसानों की चिन्ता के बारे में अपने आपको चिंतित बताया। वैसे किसान हमारे आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जैसा की कुछ दिनों पहले अखबार में आया था कि हमारे बिजली बोर्ड का एक दिन का घाटा ढ़ाई करोड़ रुपये का है। हमें पढ़े–लिखे लोगों का इसका तो ध्यान है, लेकिन इसका किसानों को ध्यान नहीं है कि ढाई करोड़ का नुकसान हर रोज हो रहा है। किसान को चिन्ता इस बात की है कि चाहे कितना ही घाटा हो लेकिन हमको बराबर बिजली मिलती रहे।

पिछले तीन सालों में बिजली के सुधार के लिए माननीय मंत्रीजी ने काफी प्रयास किए हैं। हमारे यहां 220 के.वी. की लाइन लगाई है और हमको इस साल आपने रामगढ़ स्थित गैस आधारित विद्युत गृह से बाड़मेर को बिजली की आपूर्ति कराई है, जिससे हमको कम से कम 6 घंटे बिजली जरूर मिली। लेकिन किसान की जो पैदावार होती है उसमें आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों से अनाज की, सरसों की, जीरे की जो कीमतें थी खर्चे के अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। किसान के जितने भी औजार हैं, चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे बिजली की मोटर हो जो औजार किसान खेती के लिए काम में ले रहा है उनकी कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। अन्य वस्तुएं जो किसान अपने जीवन–यापन के लिए या अपना कारोबार चलाने के लिए काम में ले रहा था उनकी कीमतें तो बढ़ गयी लेकिन किसान के अनाज की कीमतें कोई ज्यादा नहीं हुई। जिस समय वह खलिहान में धान निकलता है उस समय वह देखता है कि वह साहूकारी का ऋण चुकाए या बिजली का बिल चुकाए या अन्य कोई काम

(श्री अमराराम चौधरी)

करे। उसको मजबूर होकर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। उस समय उसको जो कीमत मिलती है और उसके बाद जब वह बोता है तब तक वह कीमत डेढ़ी हो जाती है। इसलिए यह मुनाफा काश्तकार को होता ही नहीं है।

हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है– "बेरा री छाया तो बेरा में ही रे"। नहर से जो पिलाई करते हैं उन काश्तकारों की हालत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो कुएं से पिलाई करते हैं उन काश्तकारों की हालत वैसी की वैसी है। उनके कोई पक्का मकान नहीं है यदि कोई लड़का पढ़ गया, नौकरी कर रहा है, साइड बिजनेस कर रहा है तो उसके पक्का मकान हो गया या कोई गाड़ी अथवा मोटर साइकिल हो गयी, बाकी गांवों में उनकी स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। हमें चिन्ता इस बात की नहीं है कि हमारा मालदार काश्तकार और मालदार हो रहा है या पूंजीपति और ज्यादा पैसा कमा रहा है। हमें चिन्ता इस बात की है कि हम जो गरीब लोग हैं वे किसी प्रकार से गरीबी रेखा को पार करके आगे बढ़ें, हमारा आर्थिक विकास हो, हमारी माली हालत सुधरे।

अब सरकार को यह नीति अपनानी पड़ेगी, किसानों का दिल जीतना है तो किसानों को देने वाली बिजली की टैरिफ है वह नहीं बढ़ाई जाए। आज टैरिफ बढ़ाने की कई भाई बात करते हैं लेकिन काश्तकार को गेहूं का समर्थन मूल्य लगभग 400 रुपये मिलता है और आज से 10 साल पहले भी यही था। लेकिन काश्तकार के घर में वही दाम आ रहा है। इसलिए काश्तकार भावों के कारण से गरीब होता जा रहा है। इधर बिजली पूरी नहीं मिलती है।

सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 24 घंटे बिजली दी जाए, चाहे इसके लिए आप रेट के अन्दर कुछ बढ़ोतरी कर दें। लेकिन जब हमें आठ घंटे या छह घंटे बिजली मिल रही है और आज कोई यह कहे कि यह धंधा आप क्यों कर रहे हैं। जब बेरे की छाया बेरे में ही रहती है तो फिर खेती करते ही क्यों हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सब व्यापार में लग जाएंगे तो फिर अनाज कहां से आएगा, क्या खाएंगे? व्यापार के लिए कच्चा माल कहां से आएगा, मिर्चियां कहां से आएगी, गन्ना कहां से आएगा, शुगर कहां से पैदा होगी, गुड़ कहां से पैदा होगा, अनाज कहां से पैदा होगा? यदि सब खेती छोड़ देंगे तो क्या आप सबको नौकरियां दे देंगे? सबको नौकरियां मिल सकती। समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए काश्तकार को खेती करनी पड़ती है। हमारे यहां जो काश्तकार खेती करता है उसके लिए सरकार को और ज्यादा चिन्ता करके उनको किस प्रकार से ज्यादा से

(18.19)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

ज्यादा फायदा मिले वह करना चाहिए। इसके लिए माननीय मंत्रीजी और बोर्ड बहुत ज्यादा चिन्तित है।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जो नई

(श्री अमराराम चौधरी)

योजना "जम्प योजना" के नाम से बनाई, दो साल के लिए जम्प योजना, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमने भी यह सोचा कि ठीक है नर्सरी योजना से काश्तकार को जो 60–60, 70–70 हजार रुपया देना पड़ता था, ट्रांसफार्मर का जो पैसा देना पड़ता था वह अब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना आपने लागू तो की है, इससे बोर्ड की इनकम बढ़ेगी, लेकिन चार हजार रुपये आप ले रहे हैं और 75 रुपये पर एच.पी. आप चार्ज कर कर रहे हैं और फिर भी वह सामान्य की श्रेणी में है। जिस दिन काश्तकार ने आपसे कांट्रेक्ट किया था, फार्म भरा था उस समय यह बात नहीं थी। लेकिन आप ऐसा सुधार कर रहे हैं तो यह 75 रुपया घटाकर कम से कम 50 रुपया तो आप लागू करो ताकि 25 रुपया तो कम हो। मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चार हजार से दो हजार ले आयें तो काश्तकारों को कुछ राहत मिलेगी और काश्तकार, जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आपने दो साल का पीरियड जो माना है उस दो साल के पीरियड में मान लीजिये 300 या 400 काश्तकार हैं अब उनमें से 50 को मिल जायेगा तो 150 तो और रह जायेंगे। जितने भी जो सामान्य काश्तकार हैं, दो साल की जम्प योजना में उन सब को कनेक्शन देने के लिए टार्गेट आप बढ़ायें, जो आपका टार्गेट है उसको डेढा, दुगुना कीजिये ताकि जो 10 साल से लगातार बैठे हुए काश्तकार हैं वह यह तो कहेंगे कि सरकार ने यह काम किया, यह अच्छी योजना बनायी जिससे हमें कम पैसों में जम्प योजना में, जनरल में हमको कनेक्शन मिल गये।

इसके साथ–साथ मैं आपसे मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पहले एक ए. ईएन. था पचपदरा तहसील में, अब आपने दो ए. ईएन. किये उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन तीन गांव ऐसे हैं. कानाना, सरावा और पार, इनलू तीन गांवों को आपने पचपदरा से जोड़ा, उस ए ईएन. के अण्डर में दिया। वहां के काश्तकार पहले बालोतरा आते हैं और बालोतरा से फिर उनको पचपदरा जाना पड़ता है। इन तीन गांवों को आप ए. ईएन., बालोतरा के अण्डर में ही रखें, यह वहां के काश्तकारों की मांग है। क्योंकि वहां 10 किलोमीटर उनको पचपदरा जाना पड़ता है और कभी उनको बस मिलती नहीं है। बालोतरा में एक्स. ईएन. आफिस है, बालोतरा में सामान है इसलिए यह तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह तीन गांव तो आप बालोतरा के ए. ईएन. के अण्डर में ही रखें, उनको पचपदरा में नहीं रखें। बाकी पूरा एरिया, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन में बहुत से गांव हैं, वहां भी गुंजाइश हो रही है, कुओं की गुंजाइश हो रही है, कुछ डबल क्रास है, वह उस ए ईएन. को दिया जाए। उस हिसाब से उनको बांटा है उन तीन गांवों को बालोतरा के अण्डर में दिया जाए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारे कानाना में जी. एस. एस. है, वहां पर दो बड़े ट्रांस-

(श्री अमराराम चौधरी)

फार्मर लगे हुए हैं जिनमें एक ट्रांसफार्मर की ओ.सी.बी. खराब पड़ी है जिससे एक से ही काम चल रहा है। अगर वह ट्रांसफार्मर जल गया तो फिर कम से कम हजार काश्तकारों के कुए बन्द हो जायेंगे, उनको बिजली नहीं मिलेगी और महीने-डेढ़ महीने से हो रहा है। इसमें जल्दी से जल्दी यह सुधार किया जाए जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं,आपने जो चार दिनों का टाइम दिया उसके लिए आपको धन्यवाद, अगर चार दिन के अन्दर-अन्दर काश्तकार को ट्रांसफार्मर जलने पर दूसरा नया मिल जाता है तो उससे तो काश्तकारों को फायदा होगा लेकिन 10-10 दिन तक मिलते नहीं हैं। इसलिये एक्स. ईएन. आफिस में ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा रखे जाएं ताकि काश्तकारों को समय पर ट्रांसफार्मर मिल सके।

पादरू में जी.एस.एस. है वह तीन साल से हम कह रहे हैं, वह अधूरा है। बासोतरा का आपने तैयार करवा ही दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि मेरी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण आज ही अपने जवाब के दौरान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जी धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष, कम से कम मेरे क्षेत्र में तो कहीं ऐसी बात सुनने को नहीं मिली कि ट्रांसफार्मर की वजह से या बिजली की कमी की वजह से किसी की फसल सूख गयी हो। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मेरे इलाके में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे रावतभाटा क्षेत्र के जो डूब के गांव हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जो 75 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह जो वसूली का एक नया सर्कुलर निकला है, मेरे वहां कुंजाली नदी जिसके ऊपर डूब के लोग लिफ्ट लगाकर के मोटरों से सिचाई कर रहे हैं, सिर्फ दो महीने, तीन महीने, वह लिफ्टें चलती हैं और 12 महीने उन पर इस तरह का भार पड़ता है। माननीय मंत्रीजी, मैं विशेष तौर से आपका ध्यान इस ओर चाहूंगा कि वह घर-बार डूब में आने से अभी पूरा बसा भी नहीं पाये हैं और फिर उन पर यह और भार। अभी उनकी पूरी तरह से खेतीबाड़ी जम नहीं पायी और 12 महीने वह 75 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से चुका नहीं सकता। इसलिए जिस तरह कृषि का चार्ज है वैसे ही लिफ्टों का माना जाए और उसी तरह से उनसे वसूल किया जाए, यह मेरी मेन समस्या है।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, वास्तव में गांव और शहर में यह भेदभाव है, क्या वजह है कि शहर में जगमगाती लाइटें रहती हैं और गांवों में नहीं रहती हैं? क्या गांव के बोलने वाले नहीं हैं या गांवों के प्रतिनिधि कम हैं? इस वजह से गांव के प्रति यह भेदभाव बरता जा रहा है। चिमनी की रोशनी में रोटी खाते हैं, सुबह उठते हैं, गाय भैंस का करते हैं वहां

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

पर अंधेरा, रात में भी अंधेरा, डिमडीभी लाइट और कई बार गांव में एक फेस से कुछ घरों को लाइट दी गयी है और दूसरे फेस से कुछ को दी गयी है। रोज फेस बदल देते हैं। गांवों में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। यह ग्रामीणों के साथ भेदभाव चलने वाला नहीं है और इस ओर आपको हम सचेत भी करते हैं कि गांवों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हो। वैसे ही कुओं में कम पानी की वजह से अगर मीटर से लाइन लेकर के पास वाले कुएं से अगर कोई मीटर चला लेता है तो उसकी मोटर जब्त नहीं करनी चाहिए, जुर्माना नहीं करना चाहिए। काश्तकार अन्न ही तो पैदा कर रहा है और जब मीटर से ले रहा है तो कोई चोरी नहीं है, उस पर इस तरह से चोरी का मुकदमा लागू नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्रीजी, जावदा में एक नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए काफी समय से उस लाइन का शुभारम्भ अपेक्षित है, इंतजार में है लेकिन क्या वजह है कि अभी तक ट्रांसफार्मर लग नहीं पाया? मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था, लाइन खिच गयी, सब कुछ तैयार है और 6 महीने से वह इंतजार में है। वहां ट्रांसफार्मर शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए। जावदा-नीमड़ी एक अलग-थलग क्षेत्र है और उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

बेगूं क्षेत्र में, जो इतना अच्छा फर्टाइल है, उपजाऊ क्षेत्र है, 132 के.वी. का जी.एस.एस. बहुत आवश्यक है। अभी वहां मांडलगढ़ से सप्लाई होती है और बार-बार मांडलगढ़ वाले काट देते हैं, इससे ट्रिपिंग होती है, किसानों की मोटरें जल जाती हैं। इतने बड़े क्षेत्र के लिए, माननीय मंत्रीजी ने, जब वे वहां पधारे थे तब भरोसा भी दिलाया था। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि बेगूं क्षेत्र के लिए 132 के.वी. का जी.एस.एस. शीघ्र स्थापित किया जाए।

एक बात और है। जो नर्सरी योजना लागू हुई है और जिन गांवों को विद्युतीकृत पहले ही घोषित किया जा चुका है और बिजली विभाग की कमी की वजह से वहां लाइन नहीं खिच पायीं, आज उन गांवों को कह रहे हैं कि आप नर्सरी योजना में लोगे। लम्बी लाइन लानी है तो भी गांवों के ऊपर भार, इस तरह से यह काश्तकारों के साथ न्याय संगत कदम नहीं है, अन्यायपूर्ण है। क्योंकि घोषणा तो पहले हो गयी थी कि यह गांव विद्युतीकृत घोषित किये जाते हैं लेकिन बिजली विभाग की कमी की वजह से या सामान की वजह से वह तार नहीं खिच पाये और आज उस गांव में खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो सारा भार गांव के ऊपर पड़ रहा है। खम्भों के पैसे भी गांव वाले दे रहे हैं। खम्भा लाने का हो तो और है लेकिन तार का और यह पोल का पैसा गांव पर चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह गांव पहले ही घोषित हो चुके थे।

राजस्थान में छोटे-बड़े कई तरह के काश्तकार हैं। हमारे क्षेत्र में ढाई-ढाई, तीन-तीन, चार-चार बीघा के काश्तकार हैं और उनके लिए भी आप बड़े-बड़े काश्तकारों जैसी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

योजना लागू करें, वह काश्तकार इसको बरदाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आप छोटे काश्तकारों का ज्यादा ध्यान रखें। छोटे काश्तकार ज्यादा हैं, बड़े काश्तकार कम हैं, बड़े सक्षम भी हैं। उनके साथ-साथ छोटे काश्तकारों को नहीं घसीटें।

रावतभाटा क्षेत्र में कई जगह डूब के जो गांव हैं, उन्हीं के नाम से नये गांव बसाये हुए हैं। आप रावतभाटा पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ को पूर्ण विद्युतीकृत घोषित कर चुके हैं लेकिन ऐसे कई गांव बचे हुए हैं। हम आपसे पूछते हैं तो आपका विभाग जवाब देता है कि इस नाम से कोई गांव ही नहीं है। अब पुराने नाम से जो नये गांव बस रहे हैं उन गांवों में अभी भी बिजली नहीं है। माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि उन गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई जाये क्योंकि उन्हीं के भरोसे आज हम बिजली पैदा कर रहे हैं, वे गांव डूब में गये हैं, उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है और उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं हो। इस बारे में मैंने भण्डारी जी से भी निवेदन किया था। बरखेड़ा रोडी आदि गांवों के बारे में मैंने लिखित में दिया भी था लेकिन अभी उन गांवों में कुछ नहीं हो पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर गौर करेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदया, आज बिजली के बारे में चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बिजली की पूर्ति करने की कोशिश इस सरकार के कार्यकाल में डग क्षेत्र में की गयी, उसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान प्रदेश में अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय झालावाड़ जिले में विद्युतीकरण की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 1977 से पहले मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 4 प्रतिशत गांव ही इलैक्ट्रिफाइड हो पाये थे। लेकिन आज मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है गांवों में विद्युतीकरण की, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई है, इसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदया, मैंने जिस कार्यकाल का वर्णन किया है, वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का है और उसमें आदरणीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब भी उस समय मंत्री थे तो निश्चित रूप से उनका भी मेरे क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि डग में हमारे टाइम में 132 के.वी. की जो पिछले साल मंजूरी हुई, इस 132 के.वी. की मंजूरी होने के बाद काम चल रहा है और इस सब स्टेशन के बनने के बाद, मेरा पूरा विश्वास है, डग क्षेत्र में 40-50 प्रतिशत गांवों में जो अंधेरा है, उन गांवों में अंधेरा दूर करने में पूरी-पूरी मदद मिलेगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सब स्टेशन का काम पूरा-पूरा कर दिया जाए।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

समापति महोदया, मेरे क्षेत्र की एक और समस्या है, मण्डारीजी यहां बिराजे हैं, सरकार ने एक नीति बनाई। सरकार ने नीति यह बनाई कि 1984-85 तक के जनरल कनेक्शन रिलीज कर दिये जाएं तथा 1995 तक के अनुसूचित जाति-जनजाति के कनेक्शन रिलीज कर दिये जाएं तो निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने यह जो नीति बनाकर निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति का किसी प्रकार के आवेदक को, यदि 1995 तक उसके द्वारा आवेदन कर दिया गया तो उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा लेकिन मेरे क्षेत्र में डांगलिया खेड़ी सब-स्टेशन बनना बहुत जरूरी है। डांगलिया खेड़ी सब स्टेशन बनने से ही वहां पुराने कनेक्शन रिलीज हो पायेंगे अन्यथा वहां कनेक्शन रिलीज नहीं हो सकते।

माननीय समापति महोदया, मैं आज आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इग विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। झालावाड़ जिले में सिंचाई के काफी महत्वपूर्ण साधन हैं, काफी अपार स्रोत सिंचाई के हैं, पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन सिर्फ विद्युतीकरण कम होने की वजह से उसमें सिंचाई नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे गांवों में जहां पानी के स्रोत हैं और यदि उन गांवों को पहले विद्युतीकृत कर दिया जाएं तो वहां निश्चित रूप से खेती की पैदावार बढ़ सकती है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री समापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय समापति महोदया, लगमग 22 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में माग लिया, बहुत अच्छे सुझाव भी दिये किन्तु फिर भी सदन में कुछ कमी खटक रही है। अच्छा होता आज प्रतिपक्ष यहां होता तो आज जितने धन्यवाद मिले हैं उसकी जगह कुछ तीखे प्रहार भी सुनने को मिलते। प्रजातन्त्र में प्रतिपक्ष का महत्व होता है। विषय भी ऐसा था जिस पर राजस्थान का विकास आधारित है, इसमें उनका योगदान होता है, उनके कुछ अच्छे सुझाव मिलते। माननीय सदस्यों ने बिजली की कमी पर चिन्ता प्रकट की है, स्वाभाविक भी है। प्रदेश में बिजली की कमी है। अब कमी की पूर्ति तत्काल तो की नहीं जा सकती लेकिन बिजली के लिए भरसक प्रयत्न किये गये कि हम अधिक से अधिक बिजली ला सकें। हमारे यहां जो उत्पादन होता है अपना उत्पादन, एक रिकार्ड बनाया, सारे देश में रिकार्ड बनाया हमारे कोटा थर्मल ने, उसका उत्पादन, वह कई बार पुरस्कार ले चुका है, किन्तु इस बार उसने विशेष उत्पादन करके हमारी समस्या को हल करने में भागीदारी निभाई।

माननीय समापति महोदया, इसके अलावा आज हमारे सामने जो परिस्थिति है वह क्या है। उत्पादन हुआ नहीं, इस पंचवर्षीय योजना में 250 मेगावाट का उत्पादन हुआ कुल मिलाकर और तीन सौ मेगावाट 1994 से आर.ए.पी.पी. बन्द है। कभी एन.टी.पी.सी. बन्द हो जाती है। जनवरी में एन.टी.पी.सी. ने अपने प्लेटफार्म की मरम्मत के लिए उसको एक माह के

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लिए बन्द कर दिया। कभी दादरी बन्द होती है, कभी ऊंचाहार बन्द होती है, जहां से बिजली मिलती हैं, वह कारखाने बन्द हो रहे हैं। आर.ए पी.पी की 300 मेगावाट की बिजली के तीनों प्लांट बन्द हैं तो हमारी कमी हो जाती है और बिजली की जहां 10 प्रतिशत मांग बढ़ती थी प्रति वर्ष, इस वर्ष 13 प्रतिशत बढ़ी है। 13 प्रतिशत बिजली की मांग बढ़ी, बिजली की कमी आई किन्तु फिर भी बिजली बोर्ड ने भरसक प्रयत्न किये। जहां से बिजली मिल सकती है वहां से बिजली लाई जाये। पंजाब से बिजली ली, हरियाणा से बिजली ली, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड बिजली उत्पादन की स्थिति में नहीं है तो उन्हें काटकर हमको 160 मेगावाट दी और भी कई जगह से जहां से बिजली मिल सकती थी, वहां से ली। ओवरड्रा किया। अधिक पैसे में, हमने कोशिश की कि एन.टी.पी.सी. चाहे जब बिजली उत्पादन कम कर देती है गैस की कमी के कारण, कभी मरम्मत के लिये एक माह बन्द कर देती है तो हमने उनसे कहा कि जो बिजली आप हमको 80 पैसे में देते हो, यदि गैस नहीं मिलती है, आप नेफ्था पर चलाइये, हम साढे तीन रुपये प्रति यूनिट की बिजली लेने को तैयार हैं। यह हमने उनको कहा कि आप यह व्यवस्था कर लीजिये, राजस्थान को बिजली चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, गैस पर आधारित हमारे 38 मेगावाट के दो प्लांट रामगढ़ में हैं। गैस अथारिटी आफ इण्डिया ने हमसे वादा किया था कि गैस दिलायेंगे। वह गैस पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे लिक्विड फ्यूल पर चला रहे हैं। उसकी रेट हमको तीन रुपये से ज्यादा आ रही है किन्तु जहां से भी जिस भाव की बिजली मिल जाए, उस भाव की बिजली लेकर राजस्थान में वह पूर्ति करने का प्रयास बिजली बोर्ड निरन्तर कर रहा है।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त, यह तो हुआ कामचलाऊ मामला, समय निकाल रहे हैं, किन्तु स्थाई रूप से हल तभी होगा जब राजस्थान में अपने प्लांट लगेंगे। हमारे पास अपना भूरा कोयला है। जालीपा-कपूरड़ी के 1200 मेगावाट के दो कारखानों के लिए एक पार्टी का चयन कर लिया गया है। सूरतगढ़ का चल रहा है पांच सौ मेगावाट का, बरसिंहसर 500 मेगावाट का पी.पी.ए. हमारा हो गया है किन्तु यह लिग्नाइट वाले कारखाने आने में चार या पांच साल लगेंगे। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते थे इसलिये कोई शार्ट-कट निकाला जो जल्दी समय में बन सके, जिसका जस्टेशन पीरियड कम हो और वह है नेफ्था। तो नेफ्था पर 15 कम्पनियों से बातचीत की। उन 15 कम्पनियों से हमारा पी.पी.ए. हो गया। साढ़े तीन हजार मेगावाट का करीब, और उसमें से हमको फ्यूल मिला केवल 1415 मेगावाट। यह 1415 मेगावाट भी आंध्रप्रदेश के बाद सबसे अधिक अलाटमेंट राजस्थान को ही हुआ है।

अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, माननीय घनश्यामजी ही कह रहे थे कि बहुत विलम्ब आपको हो रहा है। विलम्ब हमको नहीं हो रहा है, हमने पी.पी.ए. कर लिया। जब फ्यूल अलाट नहीं हुआ तो फिर बिना अलाटमेंट के काम कैसे

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

होगा। अब हो गया, और घनश्यामजी को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि केवल राजस्थान ने ही यह फ्यूल अलाट किया है कम्पनियों को, और किसी प्रदेश, न देश में अभी तक अलाटमेंट नहीं हुआ और हमारी प्रगति इतनी है कि कई कम्पनियों ने जमीनें खरीद ली हैं, प्लांट खरीद लिये हैं, एक से डेढ़ साल के बीच में लगभग 1500, 2000 मेगावाट का उत्पादन हो जाएगा। इतने कम जस्टेशन पीरियड में और कोई उत्पादन नहीं हो सकता, लिक्विड फ्यूल से ही होगा।

हमने यह कोशिश की कि बिजली तत्काल जहां से मिले वहां से लायें। हमने यह कोशिश की पूरी कि जल्दी से जल्दी हमारे यहां थर्मल पावर स्टेशन्स लगें। हमारे अधिकारियों ने रात-दिन एक करके पी.पी.ए. तैयार किया। यह बहुत लम्बा प्रोसीजर है। यह सुनकर आपको प्रसन्नता होगी कि आज वह हमारा पी.पी.ए. देश में माडल पी.पी.ए. माना जाता है, और स्टेट्स के लोग हमारे इस पी.पी.ए. को लेकर, इसकी कापियां लेकर जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान को यह भी श्रेय प्राप्त है कि इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बीडिंग राजस्थान ने शुरू किया, आज उसकी नकल सारा देश कर रहा है। पारदर्शिता के आधार पर यह सारा काम किया गया है और इस नाते राजस्थान बिजली बोर्ड की अपनी एक साख बनी है।

माननीय सभापति महोदया, जहां बिजली उत्पादन में यह कार्य हुआ है वहीं हमने और सुविधा देने के लिए भी व्यवस्था की है। ट्रांसफार्मर जल जाते थे, उपलब्ध नहीं होते थे। आज राजस्थान में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर न रखे हों। लगाने में देर होती है, कभी हमारे कर्मचारी-अधिकारी भी गड़बड़ करते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर्स की कमी नहीं है और अब तक हमने दस दिन की अवधि दी थी, किन्तु अब हम आदेश प्रसारित कर रहे हैं कि यह ट्रांसफार्मर सूचना मिलने के चार दिन में ही लग जाने चाहिए ताकि किसान को सुविधा मिले। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं, अभी बात आई थी, वोल्टेज नहीं मिलता, यह भी कोशिश हो रही है कि ट्रांसमिशन के लिए हम 2200 करोड़ की व्यवस्था करें कहीं से कर्जा लेकर ताकि राजस्थान में 33 के.वी. 132, 220, यह संचार व्यवस्था में सुधार लाया जाए। लेकिन हमने व्यवस्था की दृष्टि से चोरी रोकने की भी कोशिश की है। छीजत की बात अभी कई माननीय सदस्यों ने की। यह बात सच है कि छीजत है, ज्यादा है। अब उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, चोरी रोकने की व्यवस्था में हमने इस बार लगभग जनवरी मास तक सात करोड़ रुपये वसूल किए हैं और अभी मार्च तक मुझे उम्मीद है कि आठ-नौ करोड़ रुपये हो जायेंगे किन्तु फिर भी हमको संतोष नहीं है। कई लोग तो गांव के गांव चोरी करते हैं, सामूहिक चोरियां हो रही हैं और उसके लिए हमने यह कोशिश की कि सूचना देने वाले को भी हम दस प्रतिशत इंसेंटिव देते हैं, पुलिस साथ ले जाते हैं तो पुलिस के कल्याण कोष में दस प्रतिशत पैसा जमा करते हैं, हमारे कर्मचारी को भी देते हैं। चोरी रोकने के लिये वन पोल, टू पोल योजना चलाई थी, पास से ही जम्फर डाल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लेते थे। चोरी रोकने के लिए हमने एल. टी. लैस सिस्टम शुरू किया है, जयपुर को उस दृष्टि से माडल बनाना चाहते हैं। और भी चोरी रोकने के लिए जो प्रयत्न किये जा सकते हैं भरसक, वह प्रयत्न बिजली बोर्ड की तरफ से किये जा रहे हैं।

दूसरी बात, जो माननीय सदस्यों ने एक बात की है, वह की है कि बिजली महंगी दे रहे हैं, किसान के साथ में अन्याय कर रहे हैं। मैं भी किसान हूं, मेरी आजीविका का एकमात्र साधन खेती है और सारा जीवन मैंने खेती की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गरीब किसान की ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब मैं गरीब हूं कि अमीर हूं लेकिन मेरी आत्मा किसान है और सब लोग जानते हैं कि जब मैं उधर भी बैठता था तो किसान पर ही बोलता था। अब मेरे सामने यह एक दुविधा है कि मैं किसान हूं तो मुझे किसान के हित में सोचना चाहिये या अपनी चीप पोपुलरिटी की चिंता करनी चाहिये। यह मेरे सामने दुविधा है। अब चीप पोपुलरिटी मुझे इस बात पर मिल सकती है कि मैं सब्सिडी बढ़ा दूं, मैं घोषणा कर दूं कि नर्सरी समाप्त की जाती है, पुरानी रेट ली जाएगी मैं घोषणा कर दूं – खम्भे के पैसे नहीं लिये जायेंगे और मेरी वाहवाही हो जाएगी, मेरी जय–जयकार हो जाएगी। लेकिन मैंने यह सोचा है कि सचमुच किसान का हित किस में है। यह थोथी वाहवाही लूट कर मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड जैसी हालत कर देने में है या मुझे किसान को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करनी है।

माननीय सभापति महोदया, मुझे कई माननीय सदस्य कहते हैं, मध्यप्रदेश में पांच हार्स पावर की मोटर फ्री कर रखी है। बात सच है। जब मैं मध्यप्रदेश की बोर्डर पर जाता था छबड़ा, छीपाबड़ौद, तब हमसे कहते थे, इधर पांच हार्स पावर की मोटर फ्री है और आप हमसे पैसा ले रहे हैं। हमने कहा, थोड़े दिन बाद बात करेंगे और जब देखा कि मध्यप्रदेश में लाइट गुल थी, राजस्थान में लाइट जल रही थी। आज वह बिजली बोर्ड, तीन साल पहले जो बिजली बोर्ड देश के समृद्ध बिजली बोर्डस में कहलाता था, आज उसकी हालत दयनीय हो गयी है। वह अपने किसानों के लिए बिजली नहीं दे सकता, जब कि वहां हाइडल पावर ज्यादा है। जो बहुत सस्ती, नगण्य सी है। हमारे यहां की भी हाइडल पावर हमें कोटा की बीस पैसे यूनिट मिल रही है। हाइडल पावर ज्यादा होते हुए भी आज उस बिजली बोर्ड की हालत यह हो गयी है कि किसानों को बिजली नहीं दे सकता। किसान के हित पांच हार्स पावर की मोटर फ्री करके बिजली नहीं देने में है या पांच हार्स पावर की मोटर का पैसा लेकर बिजली देने में है। आज यह यक्ष प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैंने अपने मन को कठोर करके यह सोचा कि चाहे मुझे लोकप्रियता न मिले, चाहे मेरे खिलाफ नारे लगें किन्तु एक सच्चे किसान के नाते किसान की खेती की सुरक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको बिजली मिलनी चाहिए। और जब बिजली मिलेगी, माननीय सभापति महोदया, ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो युधिष्ठर ही बन गये, साहब ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यक्ष प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी सब बात का, एक-एक प्रश्न का जवाब दूंगा । माननीय सभापति महोदया, तो आज स्थिति यह है कि यह बिजली के जो प्लांट आ रहे हैं यह कब लगेंगे । चार करोड़ रुपये प्रति मेगावाट का खर्चा आता है । जो सौ मेगावाट लगा रहा है उसे चार सौ करोड़ चाहिए, जो दो सौ मेगावाट लगा रहा है उसे आठ सौ करोड़ रुपये चाहिए और आठ सौ करोड़, चार सौ करोड़ रुपया किसी एक पार्टी के पास नहीं है, उनको किसी फाइनेंशियल इस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए और जब वह बतायेंगे कि राजस्थान में हमको प्लांट लगाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान बिजली बोर्ड की हालत क्या है । क्या हम बिजली बनाएंगे उसे खरीदने की स्थिति में राजस्थान बिजली बोर्ड है या नहीं है ? जब हमारा पी. पी. ए. लेकर हम वहां जाते हैं तो सबसे पहले वे देखते हैं कि बिजली बोर्ड की स्थिति कैसी हैं और यदि हमारे बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो, सभापति महोदय, उनका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होगा । यह पी. पी. ए. धरे के धरे रह जाएंगे । ऐसे बहुत से पी. पी. ए. हो जाते हैं तो आज ये प्लांट यहां आयें, बिजली का उत्पादन हो उसके लिए भी आवश्यक है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और आर्थिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब सब्सिडी होगी । मैं यह मानता हूं कि किसान सब्सिडी का हकदार है, उसे सब्सिडी मिलनी चाहिए, हम सब्सिडी दे भी रहे हैं और आगे भी देना चाहेंगे, किन्तु किस सीमा तक ? क्या इस सीमा तक सब्सिडी दी जाए कि ये प्लांट न आयें ? इस सीमा तक सब्सिडी दी जाए कि हम यहां ट्रांसमिशन का काम न कर सकें और राजस्थान बिजली बोर्ड और बिजली बोर्डों की तरह दिवालिया हो जाए ? अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि आप एक टीम को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अध्ययन करने भेजिये । वे तो डूब गये क्या हम डूबने के लिए वहां अध्ययन करने जाएंगे ? आज उत्तर प्रदेश में ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने तो नहीं कहा यह और किसी ने कहा होगा ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तो वी. पी. सिंह साहब ने कहा होगा ।

श्री सभापति : डूबने के लिए कोई तैयार नहीं है ।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : आप लोग ऐसे ही काम करें मैं तो ऐसा ही चाहता हूं, नहीं तो हरियाणा का मिनिस्टर तो ++ + रिजाइन कर गया । ऐसा नहीं चाहते हैं हम । हम तो ऐसा चाहते हैं कि आप काम करें ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदया, मेरी इच्छा है कि बिजली बोर्ड की तरफ से कुछ वीडियो कोच किराये से किये जाएं और मैं मान-

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

नीय सदस्यों को निकटवर्ती प्रदेशों में बिजली बोर्ड के खर्चे पर घुमाने ले जाना चाहता हूं। ताकि वे अन्य प्रदेशों की तुलना राजस्थान से कर सकें कि राजस्थान में बिजली कैसे मिल रही है, और मध्य प्रदेश में कैसी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में कैसी मिल रही है और हरियाणा में कैसी मिल रही है। माननीय रोहिताश्व जी यहां बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि हरियाणा में कितने घंटे बिजली मिलती है। हमें यहां जैसी भी कम बिजली मिल रही है, लंगड़ी-लूली मिल रही है, किन्तु अपेक्षाकृत हमारे यहां के किसान को बिजली अच्छी मिल रही है।

अभी कहा गया कि आप गरीब किसान का ध्यान नहीं रखते। सभापति महोदया, अगर गरीब किसान का ध्यान नहीं रखते तो क्या कहीं बिजली बोर्ड में ऐसा है कि गरीब शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइबल एरिया का कोई जनजाति का किसान आये और हाथों-हाथ कनेक्शन ले ले? यह राजस्थान बिजली बोर्ड है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल एरिया के गरीब लोगों के लिए हाथों-हाथ कनेक्शन की व्यवस्था है। यदि बिजली बोर्ड पैसे की चिन्ता करता, किसान की चिन्ता नहीं करता तो उद्योगों पर शत-प्रतिशत कट नहीं लगाता।

(18.54)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष पदासीन)

शत-प्रतिशत कट लगाया गया और पहली दफा। माननीय जोशी जी अभी बांसवाड़ा की बात कर रहे थे। मैंने बांसवाड़ा में ही नहीं शहरों में भी पहली बार जान-बूझ कर कट किया है। बिजली की कमी है तो किसान को बिजली मिलनी चाहिए चाहे शहरों की बिजली कट हो जाए। मुझे कोटा में भी इसका विरोध सहन करना पड़ा है। कोटा के लोग कहते हैं कि सारी बिजली कोटा में पैदा होती है। आज दिन तक कोटा में कट नहीं लगा लेकिन मैंने कट लगाया। किसान को यह भरोसा होगा कि हमारी खातिर शहरों में कट लगाया जा रहा है। शहरों में कट लगाया, उद्योगों में कट लगाया। तीन रुपये की बिजली आठ आने में दी लेकिन यह किसान पर अहसान नहीं किया। हम किसान के हित में सोचते हैं। बिजली का पहला हक किसान का है उसके बाद हम किसी और को देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चार्ज लगाया जाता है कि हम गरीब की चिन्ता नहीं करते हैं, यह ठीक है कि नर्सरी में बड़े किसान ले पाते हैं लेकिन बड़े किसानों का पैसा लेकर हम छोटे किसान की बिजली लगाते हैं। आज छोटे किसानों का हित इसी में है। हमने 10 हजार जनरल कनेक्शन दिए हैं। अब यह दो साल की जम्प योजना है। नर्सरी की आलोचना हो रही है। किसने कहा है कि आप नर्सरी कनेक्शन लें? किसने कहा है कि आप यह...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक बात है, देवेगौड़ा जी विनम्र किसान हैं आप आक्रामक किसान हो रहे हो।

श्री भंवर सिंह डांगावास : आपको यह भी गलत फहमी है कि बड़े किसानों से आप बिजली के पैसे लेते हैं। वास्तविकता यह है कि वे दूसरे किसानों के बिल भर गये क्या ? यह देख लो आप। आज भी हम गिरवी रख करके बिल भर रहे हैं। हमारे गहने गिरवी रख करके भर रहे हैं। मजबूरी में हमें लेना पड़ता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप बिल भर रहे हैं इसकी बहुत प्रसन्नता है वरना जो लीडर बनकर आते है, किसानों की समस्या लेकर, वे दो-दो साल तक बिल नहीं भरते हैं और उनके कनेक्शन कटते हैं। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप बिल भर रहे हैं और यह स्वस्थ परम्परा है।

मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मैं विनम्र किसान नहीं हूं, किसान हूं। विनम्र किसान नहीं हूं लेकिन विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह बात सोचने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा कि चीप पोपुलरिटी चाहिए, चुनाव में खड़ा होना है पांच हार्स पॉवर की मोटर फ्री कर दी किसका हित किया, किसका अहित किया ? यह पैसा किसका था ? जिसने माफ किया उसकी जेब का पैसा था ? जनता के पैसे पर राजनीति चलाने वाले लोग किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। आज मध्य प्रदेश का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। किसकी कीमत पर ? यह क्रिमिनल लायबिलिटी है। इसकी जांच की जाए तो पता लगेगा कि दोषी कौन है। आज अच्छाभला बिजली बोर्ड बैठ गया। मैं कम से कम अपने सिर पर यह पाप तो मोल लेने को तैयार नहीं हूं कि अपनी चीप पोपुलरिटी के लिए बिजली बोर्ड का भट्टा बैठ जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड पर केवल तीन हजार सात सौ बहत्तर करोड़ रुपये कर्जा है और पांच सौ करोड़ रुपये साल का घाटा है। इन परिस्थितियों में बिजली बोर्ड यदि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ तो न तो प्लांट आएंगे....आज स्थिति क्या है ? आज सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बिजली मिलती है कैश पर मिलती है जिसमें कैश देने की स्थिति नहीं है वह बिजली नहीं खरीद सकता। आज हमको बिजली मिली, अतिरिक्त आबंटन हुआ। आज पंजाब के पास सरप्लस बिजली होती है, तो पंजाब सबसे पहले हमको टेलीफोन करता है। वे जानते हैं कि ये देनदार हैं। ये पैसा दे देंगे। कैश पेमेंट रोज का पैसा रोज देकर के करते हैं। यदि बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो क्या हम नकद से बिजली खरीद सकते हैं ? तब क्या हम इस किसान की ओर इस उद्योगपति की सेवा कर सकते हैं ? क्या हम घरों में लाइट जला सकते हैं ? उसके लिए आवश्यक है कि बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधरे। अब मैं कुछ माननीय सदस्यों ने जो-जो सवाल किए हैं उनका जवाब दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस वाद-विवाद में, माननीय मंत्री महोदय, करीब 33 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मेरी लिस्ट के अनुसार।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर, अभी माननीय कालीचरणजी ने गृह निर्माण

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सहकारी समितियों के लिए कहा कि आपने आश्वासन दिया था। सामान्य रूप से प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में उस मोहल्ले तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित नगर पालिका, नगर निगम या जे. डी. ए. की होती है और यहां जो बस्तियां रेगुलराइज नहीं हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड पर बनी हैं उन पर जे. डी. ए. और नगर निगम पैसा नहीं देता तो ऐसी स्थिति में बिजली बोर्ड अपने पैसे से बिजली नहीं लगाता। फिर भी कोई मांगता है तो कायदे से हमको बिजली नहीं देनी चाहिए जो रेगुलराइज नहीं है लेकिन हमने उदारता से कहा कि हम दे सकते हैं, जब दे सकते हैं तो यदि पहला आदमी कनेक्शन मांगेगा तो सारा खर्च एक आदमी के जिम्मे आएगा। लाख आये, दो लाख आये, तीन लाख आये, तो क्या वह कनेक्शन ले सकता है और जब वह कनेक्शन नहीं ले सकता तो क्या पूरी बस्ती में कनेक्शन जा सकता है? इसलिए हमने वह सारा खर्चा बोर्ड द्वारा भुगत कर पांच हजार रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से वसूल किया वह केवल इसलिए किया है। आप कहें तो हम यह योजना बंद कर सकते हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, सुनिये। 1982 में नियमन का पैसा जमा करा दिया। उनकी क्या गलती थी? जो निवर्तमान सरकार थी उसने उनका नियमन नहीं किया उस कारण से बस्तियां अटकी हुई हैं। अप्रूव्ड बस्ती नहीं है अगर अप्रूव्ड बस्ती हो जाए तो उसी स्थिति में आएगी। काहे का पांच हजार रुपया? मास्टर प्लान में यह एरिया आवासीय कॉलोनी में है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप सुनिये तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैं सुन रही हूं लेकिन आप इसकी व्यवस्था इस तरह नहीं करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यदि वे रेगुलराइज हो जाएंगी तो जे. डी. ए. पैसा देदेगा हम बीचमें कहा से आ गये? एक हाई टेंशन की बात की है तो अब जे. डी. ए. तैयार हो गया है, आधा पैसा बोर्ड भुगतेगा, आधा पैसा जे. डी. ए. देगा और उस हाई टेंशन लाइन को हटाने की व्यवस्था करेंगे।

अभी माननीय भंवरसिंह जी डांगावास ने कहा था मीटर जल जाते हैं तो हमसे पैसा लेते हैं। मीटर यदि बिजली बोर्ड की गलती से जला है तो पैसे नहीं लिये जाएंगे लेकिन मीटर जलते भी हैं इसलिए कि लोग मीटर का पैसा नहीं देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस परिस्थिति में यदि मीटर जलने का कर दिया तो लोग पैसा नहीं देने के लिए मीटर फोड़ देंगे। मीटर जला देंगे। पचास तरह की दिक्कतें इसमें आएंगी।

निगम बनाने से हानि की बात की। कहा गया कि निगम बनाने से हानि हो जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अलग से चर्चा होगी तब निगम की बात कह देना।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : निगम वाली?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : चलो। कटे हुए कनेक्संश की बात है तो कटे हुए कनेक्संश पर डांगावास जी कह रहे थे कि एक्चुअल प्राइस या 1/3 जो भी अधिक हो....

श्री भंवरसिंह डागांवास : यह आर्डर है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आर्डर है न, मैं इसमें संशोधन कर देता हूं कि जो भी कम हो।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, ठीक है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ठीक है। यह वी.आर. की बात आयी थी तो जनरल कनेक्शन में यदि वी.आर. नहीं बैठती है तो बिजली बोर्ड अपने खर्चे से वी.आर. ठीक करने की व्यवस्था करेगा। यह जनरल कनेक्शन वाले किसान पर नहीं लगेगा।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : आपका कोई मुकाबला है क्या ? कोई मुकाबला नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नर्सरी में फ्यूल सरचार्ज की बात आयी थी तो नर्सरी स्कीम में जो फ्यूल सरचार्ज लगता है उसको माफ करता हूं। फ्यूल सरचार्ज नर्सरी में नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय के भाषण तक समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब हो जाने दीजिये, आप विराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन के साथ अग्रिम राशि ढाई हजार ली जाती थी उसको एक हजार रुपये किया जाता है (व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी शंका प्रकट की थी कि नेफ्था वाले प्लांट लगेंगे या नहीं, या उनकी अवधि है वह तो 5, 7 साल या 2 साल ही रह जायेंगी, इसकी अवधि 20 साल की है। यदि वे पुराने लाते हैं तो हमारा क्या बिगाड़ते हैं। हमें तो जितनी बिजली बनाकर देंगे उतना पैसा हमको उनको देना है। जो आ रहा है वह बनिया आदमी है। अपने सारे पैसे का हिसाब लगाकर वह चलता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होंगे कि जो एक वर्ष में उत्पादन शुरू कर देंगे इसलिए मन से यह बात निकाल देनी चाहिए। रेगुलेटरी कमीशन की बात आयी (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : पर भण्डारी जी की तरफ मत देखो आप तो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह भी शंका प्रकट की गयी। रेगुलेटरी कमीशन पर बोलूं क्या ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इन पर तो बिल आएगा (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : मंत्री महोदय, कुएं से दूसरे साथियों को पानी पिलाने वाली बात है वह कह दो। हमने आपकी सब घोषणाएं मान ली। सिर्फ एक पाइंट है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : थ्रेसर की शिकायत थी। यदि कोई अपने ही खेत की थ्रेसर मीटर से चलाता है तो उससे कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। यदि वह कामर्शियल के लिए करता है तो पांच हार्स पावर पर पन्द्रह सौ और 10 पर इतना-इतना, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आटे की चक्की के बारे में घोषणा फरमायें साहब।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आटे की चक्की के बारे में क्या घोषणा कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नर्सरी के ऊपर 75 रुपये या फ्लेट रेट लागू करने का मामला है, उसको भी जरा सोचकर करिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : देखिये, नर्सरी का तो मैंने फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया पूरा का पूरा और यदि वह 75, आज भी मैं आपको बताऊं तो हमसे डेढ़ी, इस फ्लेट रेट से यह 75 ज्यादा लग रहा है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फ्लेट रेट जो हमारे यहां 43 है, आज वहां 65 है। वहां वर्षों से 65 रुपये है और इसलिए 75 रुपये आपको ज्यादा लग रहा है कि पहले अपने यह 43 थी लेकिन वहां 65 थी तो यह 75 ज्यादा नहीं है। अब मैं आप सब को यह... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : उम्मीद की बात थी, हम पानी पिलाते आये हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मंत्री महोदय, यह जो वेल के अन्दर दूसरे को बेचते हैं उसमें क्या तकलीफ हो रही है? आपका बिल बढ़ता है, आपको तो ज्यादा पैसे मिलते हैं और पानी ज्यादा जिसके पास है, पास में दूसरा खेत है उसमें भेजना चाहते हैं तो आपका बिल बढ़ेगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और उत्पादन भी ज्यादा होगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : एक सीधी सी बात है. हम आपको लिखकर बाइंडिंग देंगे। हम आपकी बिजली नहीं बेचेंगे, आपके मीटर के माध्यम से हम उन खेतों में पानी पिलायेंगे जिन पर हम खेती करेंगे। यह हम लिखकर देंगे आपको और यह आदेश दीजिये आप तो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह गारण्टी भंवरसिंह जी डांगावास दे सकते हैं, सब थोड़े ही दे देंगे।

श्री भंवरसिंह डांगावास : नहीं, जो भी पिलायेगा उसको लिखकर देना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : गलत मेंटिलिटी बढ़ेगी लेकिन लोग इसका बिजनेस करेंगे। इसमें दिक्कत है। नीयत मेरी भी है कि यह कह दूं। दिक्कत यही है इसमें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैंने यह निवेदन किया था कि काश्तकार खुद जब खेत में पानी पिलायेगा और आपको लिखकर देगा कि मैं इस इस खेत को पानी पिलाऊंगा। आपको लिखकर देंगे भंवरसिंह नहीं, हर काश्तकार बाध्य होगा। भंवरसिंह क्या करेगा। हर काश्तकार बाध्य होगा आपके आदेश से।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेरी किसान की भावना तो यही कह रही है कि आप कहो सो कर दूं लेकिन दूसरा पक्ष जब देखता हूं तो यह है कि यह कहीं गलत मेंटिलिटी तो....

श्री भंवरसिंह डांगावास : गलत नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपसे निवेदन करता हूं एरिये छोड़ रहे है। मैं एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तो बिजली देते हैं, बिजली आप उतनी ही देंगे। आपके मीटर लगा हुआ है या आपके फ्लेट रेट लगा हुआ है। किसान अपने खेत में पानी देता है या दूसरे खेत में पानी देता है तो उससे आपको असर नही पड़ने वाला है और किसान को पानी देगा उससे प्रोडक्शन ही बढ़ेगा। आपका पैसा तो उतना का उतना ही है। आपको क्या दिक्कत है? प्रोडक्शन बढ़ेगे तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, आपका बिल आ ही रहा है, आपका पैसा आ ही रहा है, आपको कहां दिक्कत हो रही है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय मंत्री महोदय, हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ा अन्याय होगा और प्रदेश के प्रति घोर अन्याय होगा, उत्पादन रूक जाएगा और आइंदा कोई भी किसान आपसे 25 बीघा के लिए कनेक्शन नहीं लेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : साहब, हम आपकी अनुमति से बोलना चाहते हैं, वह तो बोल नहीं सकते हैं और बाकी लोग आपकी अनुमति के बिना बोल जाते हैं तो बोल जाते हैं। या तो आप हमको अनुमति दीजिये या हमको भी फ्री-स्टाइल से बोलने दीजिये (व्यवधान) नहीं, यह नहीं है। ऐसा है कि मैं आपसे दो बार पूछ रहा हूं कि आप आज्ञा दें, आप आज्ञा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदान साहब को सुन लें आप। मदान साहब बोलिये, क्या बोलना चाहते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : साहब, मैंने केवल मात्र कोटा की दृष्टि से दो निवेदन किये थे मंत्री महोदय से....(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें। मैंने दो निवेदन किये थे पहला निवेदन तो यह है कि जो अपने पूर्वजों के काल से निरन्तर पिछले 20 वर्षों से मिनिमम चार्जेज पर बिजली कनेक्शन लेते चले आ रहे हैं उन पर बिना किसी पूर्व आदेश के नर्सरी के चार्जेज क्यों लिये जाते हैं कोटा में? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैंने यह किया था कि आज लगभग चार वैगन गाड़ियां रोज 160 डिब्बे कोयले के कोटा का नागरिक इनहेल करता है, राख के माध्यम से, कण के माध्यम से और झाड़ू लगाता है वहां का हरिजन बंधु। छत पर रात तो आप सोयें तो साहब आपकी शक्ल नहीं पहचानी जा सकती है। इतनी बालू आती है। आज कोटा 85 प्रतिशत बिजली देकर, कोयले की राख खाकर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोटा पर आ रहे हैं वे, आप थोड़ी तसल्ली रखिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जो किसान दूसरे की जमीन स्वयं कर सकता है वह

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उसमें इससे पानी दे सकता है, अपने कुएं से। कोटा की बात कर रहे थे माननीय अर्जुनदास जी। स्वयं अर्जुनदास जी और मैं मुख्य मंत्रीजी के पास गये थे। उन्होंने चुंगी पर स्टे किया हुआ है इसलिए उसमें मुझसे सम्बन्धित कोई बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, मंत्री-महोदय, अभी आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। यह सारी आज की जो प्रोसिडिंग हुई है इसकी केसेट बनाकर कांग्रेस वालों को दिखा दें ताकि उनको ज्ञान हो जाए कि डबल रोल भी हम किस प्रकार अदा कर सकते हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बूंदी के बारे में निवेदन किया था....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप बात कर लेना। बूंदी के बारे में यह जवाब है कि आपकी जो हमने योजना बनाकर भेजी थी वह वहां से कुछ आब्जेक्शंस लग कर वापस आई है। उन आब्जेक्शंस को दूर करके वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े स्वस्थ वातावरण में अपने आभार प्रकट करता हूं कि सुझाव दिये और मैं उनसे लाभान्वित हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.12 बजे मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला भीलवाड़ा के फ्लोराइड से ग्रसित ग्रामों की पेयजल व्यवस्था

146. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा के कितने गांवों में फ्लोराइड के कारण पेयजल की समस्या है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार जिला भीलवाड़ा में फ्लोराइड से ग्रसित गांवों की समस्या हल करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या वर्ल्ड बैंक से भी राज्य को फ्लोराइड के कारण पेयजल समस्या के हल हेतु कुछ राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले हेतु इसमें से कितनी राशि आबंटित की गई ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में 374 गांव फ्लोराइडयुक्त पेयजल से प्रभावित हैं, जिनकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। भीलवाड़ा जिले के 3 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड प्रभावित 349 ग्रामों में विभागीय मापदण्ड के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गयी। रिपोर्ट में तहसीलवार प्रस्तावित ग्रामों की संख्या व अनुमानित लागत का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है। इस रिपोर्ट पर दिये गये सुझावों के आधार पर शाहपुरा तहसील (ब्लॉक) की एक विस्तृत परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 1298.98 लाख रुपये है तैयार की गयी है, जिसे भारत सरकार से स्वीकृति करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी प्रक्रिया

147. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार केवल सरकार को है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर जिले में किसी सरपंच को पंचायत समिति द्वारा हटाकर उप सरपंच को चार्ज दे दिया

(श्री दयाराम परमार)

गया है ? यदि हां, तो पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट में किस नियम के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान है ?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति द्वारा किसी सरपंच को हटाना नियम विरुद्ध कार्यवाही मानती है ? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही करने वाले के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है।

(2) जी, हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खैरवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक 1812-4 दिनांक 6-9-96 द्वारा ग्राम पंचायत, बरोठीमीलान पंचायत समिति, खैरवाड़ा के सरपंच श्री बालाराम मेघवाल के वित्तीय अधिकार हटाकर उप संरपच श्री कावाजी को प्रदान किये गये हैं। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी, हां। इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति की जांच कर जांच रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने के लिए जिला कलक्टर, उदयपुर को आदेश दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र भीम में निगम बसों का संचालन

148. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)**: क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीम से गोमती चौराहा तक लगभग 75 किलोमीटर व्यस्त रास्ते पर निगम की कितनी साधारण (लोकल) बसें चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रास्ते पर भारी यात्री दबाव व मांग के बावजूद लोकल बसें कम चलाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग तथा शेखावास, भीम, बरजाल-ब्यावर, काछबली-ब्यावर, भीम-जयपुर, भीम-रावतभाटा (सीधी) मार्ग पर निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीम से गोमती वाया देवगढ़-कामलीघाट-बाघाना-छापली-दिवेर-बस्सी (75 किलोमीटर) होकर वर्तमान में 14 परिचक्र साधारण बस सेवाओं के रूप में संचालित है। मार्गवार सूची परिशिष्ट 'क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) औसत यात्री भार लगभग 45 प्रतिशत को देखते हुए लोकल बसें कम नहीं है।

(3) जी, नहीं। भीम से गोमती चौराया वाया देवगढ़-कामलीघाट-बाघाना छापली-दिवेर-बस्सी मार्ग पर वर्तमान में संचालित ब्यावर-कालागुमान मार्ग की बस सेवा को वर्तमान में औसत यात्री भार 45 प्रतिशत तथा आय प्रति कि. मी. 5.28 रुपये ही प्राप्त हो रहा है जो संचालन लागत से भी कम है। अतः इस मार्ग पर साधारण बस सेवाओं में वृद्धि किया जाना अनार्थिक है।

ग्राम शेखावास, ब्यावर-बदनोर मार्ग पर स्थित है जो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत

(राज्य मंत्री, यातायत)

नहीं है। ग्राम बरजाल, ब्यावर–उदयपुर वाया भीम–देवगढ़–कामलीघाट–बाघाना छापली–दिवेर–बस्सी कांकरोली–नाथद्वारा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बाघाना से 2 किलोमीटर अन्दर की ओर स्थित है। इस ग्राम के यात्रियों को सीधी बस सेवा देने की दृष्टि से ब्यावर से कालागुमान बस सेवा को वरजाल होकर संचालन के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। ग्राम काछबली, टाडगढ़–देवगढ़ मार्ग पर स्थित है जो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है।

भीम होकर जयपुर के लिये वाया ब्यावर अजमेर मार्ग पर वर्तमान में दैनिक 16 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। भीम से जयपुर जाने वाले यात्री इन बस सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

भीम से रावतभाटा के लिये सीधा मार्ग आसीन्द–भीलवाड़ा–मांडलगढ़ बिजौलियां–डाबी–कोटा होकर हैं। इस मार्ग का भीम से आसिंद–भीलवाड़ा तक तथा बिजौलियां से डाबी–कोटा तक का भाग वर्तमान में अराष्ट्रीयकृत है तथा भीलवाड़ा से माण्डलगढ़–बिजौलियां तक एवं कोटा से रावतभाटा तक का भाग राष्ट्रीयकृत हैं। चूंकि उक्त पूरा मार्ग अराष्ट्रीयकृत एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों से मिल कर बनता है, अतः इस मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन अनार्थिक रहेगा।

वैसे रावतभाटा जाने वाले यात्रियों के लिये भीम से रावतभाटा वाया ब्यावर–अजमेर कोटा राष्ट्रीयकृत मार्ग होकर वाहन सेवा संचालित हैं।

परिशिष्ट–"क"

भीम से गोमती वाया देवगढ़–कामलीघाट–बाघाना–छापली–दिवेर–बस्सी मार्ग पर साधारण बस सेवाओं के रूप में संचालित बस सेवाओं की मार्गवार सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	समय	संचालित आगार का नाम
1.	उदयपुर–जयपुर वाया केलवाड़ा–गोमती	0530	उदयपुर
2.	बांसवाड़ा–ब्यावर वाया गोमती	0700	बांसवाड़ा
3.	डूंगरपुर–अजमेर वाया गोमती	0830	डूंगरपुर
4.	डूंगरपुर–ब्यावर वाया गोमती	0930	डूंगरपुर
5.	उदयपुर–देवगढ़ वाया गोमती	1045	उदयपुर
6.	उदयपुर–भीम वाया गोमती	1400	उदयपुर
7.	कालागुमान–ब्यावर वाया गोमती	0700	ब्यावर

राज्य में गठित उपभोक्ता संरक्षण फोरम

149. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत राज्य के किस-किस जिले में कब-कब से उपभोक्ता संरक्षण फोरम गठित किये गये हैं ?

(2) किस-किस जिले में कब-कब से अध्यक्षों व सदस्यों के स्थान रिक्त पड़े हैं ?

(3) वर्ष 1995-96 व 1996–97 में कौन-कौन से रिक्त स्थान कब-कब भरे गये तथा कितने-कितने खाली रहे ? वर्षवार-विवरण सदन की मेज-पर रखें।

(4) अध्यक्षों व सदस्यों की निर्धारित योग्यताएं क्या-क्या हैं और मौजूदा कार्यरत सदस्यों की योग्यता क्या है ?

उत्तर

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम गठित किये हुये हैं। इन फोरम का जब-जब गठन किया गया है, का विवरण संलग्न है।

(2) राज्य में जिस-जिस जिले में जब-जब से अध्यक्षों व सदस्यों के स्थान रिक्त पड़े हैं, का विवरण संलग्न है।

(3) वर्ष 1995–96 व 1996–97 में रिक्त स्थानों में से जब-जब भरे गये एवं खाली रहे, का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) अध्यक्षों व सदस्यों की निर्धारित योग्यताएं उपभोक्ता संरक्षण, अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न प्रकार है एवं मौजूदा कार्यरत सदस्यों की योग्यता का विवरण संलग्न है :–

अध्यक्ष की निर्धारित योग्यता :–

ऐसा कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्हित है।

सदस्य की निर्धारित योग्यता :–

योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित हो तथा जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने उनको निपटाने की क्षमता दिखाई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के सिंचाई संसाधनों की मरम्मत पर व्यय

150. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करें :–

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पिछले 3 वर्षों के दौरान तालाबों एवं बांधों की मरम्मत हेतु कितनी राशि किन-किन पंचायतों में स्वीकृत की गई तथा किस-किस तालाब/बांध का मरम्मत कार्य पूर्ण

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में सिचाई के बांधों पर मरम्मत हेतु पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत राशि की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन सभी बांधों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	बांध का नाम	पंचायत	वर्षवार स्वीकृत राशि लाख रुपयों में		
			1994–95	1995–96	1996–97
1.	चिरोटा	बगरू	—	3.00	—
2.	नेवटा	नेवटा	1.70	5.00	—
3.	चन्दलाई	चन्दलाई	1.85	7.00	—

जिला बीकानेर के अभावग्रस्त ग्राम

151 श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में इस वर्ष कितने गांव अभावग्रस्त हैं ? क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अब तक उक्त ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों में 2–3 वर्षों मे लगातार अकाल की स्थिति है ?

(3) क्या यह भी सही है कि लूणकरणसर तहसील से राहत कार्यों के अभाव में बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया है? यदि हां, तो सरकार पलायन को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अभावग्रस्त ग्राम नवरंगदेसर तहसील बीकानेर के अनुसूचित जाति के लोगों ने विकास अधिकारी, बीकानेर से तत्काल मजदूरी देने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें मजदूरी देने हेतु क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में (संवत् 2053) में अभावग्रस्त घोषित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) बीकानेर एवं लूणकरणसर तह-

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

सौल में संवत् 2050 एवं 2052 में अकाल की स्थिति रही है।

(3) जी, नहीं।

(4) ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

जयपुर शहर की विभिन्न बस्तियों की पेयजल व्यवस्था

152. श्री मुल्कराज चिद (रायसिंह नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर की गोविन्द नगर, अजमेर रोड, हीरानगर एवं उसके आस-पास की कॉलोनियों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त कॉलोनियों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त कॉलोनियों की पानी की समस्या को दृष्टिगत रखकर सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार उक्त कॉलोनियों में पानी की समस्या को हल करने हेतु पानी की टंकी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्रश्न में वर्णित कॉलोनियों गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई है। इन कॉलोनियों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सरकार के नियमों के अनुसार सहभागिता योजना के अन्तर्गत करवाई जा सकती है। कॉलोनी वासियों ने इस विभाग में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु सहभागिता योजना के अन्तर्गत कोई राशि जमा नहीं करवाई है।

(2) जी, हां। यदि कालोनीवासी सहभागिता योजना के अन्तर्गत विभाग में राशि जमा कराते हैं तो इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था कराने का प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

(3) जी, नहीं। कॉलोनी वासियों के आवेदन के पश्चात् तथा सहभागिता राशि के जमा कराने के पश्चात् ही सर्वे कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) उपरोक्त 1, 2 व 3 के अनुसार।

जिला परिषद् धौलपुर द्वारा जारी शिक्षकों की चयनित सूची

153. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष जिला परिषद, धौलपुर द्वारा शिक्षकों की चयनित सूची प्रकाशित की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) गत वर्ष 1995-96 में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। जिससे चयनित सूची जारी करने व नियुक्ति की कार्यवाही नहीं हुई।

निगम द्वारा संचालित बसें

154. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्यीय एवं अन्तरराज्यीय मार्गों पर कुल कितने किलोमीटर दूरी पर बसों का संचालन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कुल कितनी बसें हैं उसमें से कितनी बसें चल रही हैं तथा कितनी बसें खराब पड़ी हैं तथा कब से?

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितनी नई बसें खरीदना प्रस्तावित था तथा उनमें से अब तक कितनी नई बसें खरीदी जा चुकी हैं?

उत्तर

(1) कुल 13715.77 लाख किलोमीटर। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-एक)

(2) दिनांक 1.1.97 को निगम के पास स्वयं की कुल 4405 बसें थीं जिनमें से 4151 बसें विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं तथा 254 बसें केन्द्रीय कार्यशालाओं और आगार कार्यशालाओं में मरम्मत में थीं। खराब हुई बसों का दिनांक दर्शाते हुए आगार वार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-2)

(3) निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुल 2060 नई बसें क्रय किये जाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 1964 नये चैसिस क्रय कर प्राप्त किये गये। इस अवधि में पूर्व में क्रय चैसिसों को मिलाकर, कुल 2270 नई बसें बॉडी निर्माण पश्चात् निगम के वाहन बेड़े में सम्मिलित की गयीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला टोंक के क्षतिग्रस्त तालाब

255. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला टोंक में औसत से अधिक वर्षा हुई है? यदि हां, तो प्रत्येक तहसील में कितने सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई जो औसत से कितनी अधिक थी?

(2) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि से जिले के अनेक तालाब टूटे हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त तालाबों की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

(3) क्या उन तालाबों में कुछ निर्माणाधीन तालाब भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(4) प्रत्येक तालाब की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? तालाबवार खर्चे की तालिका सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि इस वर्ष सन् 1996 में जिला टोंक में औसत से अधिक वर्षा हुई है । जिले की औसत वर्षा 65 से मी. है, तहसीलवार वर्षा का रिकार्ड प्रपत्र—1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी, हां । अतिवृष्टि से जिले के पांच छोटे तालाब टूटे थे, जिसकी सूची प्रपत्र-2 पर उपलब्ध है ।

(3) जी, हां । अतिवृष्टि से निर्माणाधीन बिडौली बांध को वेडवार क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा करवा दी गई है ।

(4) अभी मरम्मत हेतु कोई राशि खर्च नहीं की गई किन्तु मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है जो प्रपत्र-3 पर उपलब्ध है ।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 131 की प्रति)

GURGAON CANAL PRFJECT

(NON PERNNIAL)

DRAFT PROCEEDINGS OF THE MEETING ON GURAGON CANAL HELD IN THE LIBRARY HALL OF C.W. & P. C. ON 29.4.60 AT 11.00 A. M.

1. The Punjab Chief Engineers stated that they have now furnished the latest projectr eport for the Gurgaon canal to thier Govt. Inthis project, the discharge at the hend of the Gurgaon canal is 1800 cuses; including 500 cusecs to be delivered at the Boundary of Rajasthan for use in that state, In the project report it has also been mentioned that water will be taken to the Sohana areas by lifting from the Gurgaon canal system near Sohana hills to the extent of 350 cusecs, out of which 150 cosecs have already been provided in the 1800 cusecs, The Punjab Engineer, however, stated that the Sohana lift scheme would be furnished seperately In addition, the Punjab Engineers anticipated that another 100 cusecs would be required for extension of irrigation into rewari areas beyond the Shabi Nadi, a part of this discharge could also be utilised in some areas near the Gurgaon canal system The total final withdrawal for all areas in Punjab and Rajasthan would thus be 2100 cusecs

2. On this besis, the Agra Canal wil also have ro widened from head up to mile 15 for pass in an additional discharge of 2100 cusecs.

3. The Chief Engineer, Rajasthan confirmed that the requirement for waters in that state would be 500 cusecs delivered at the border of Punjab and Rajasthan.

4. The Chief Engineer, U.P. pointed out that in earller stages the requirement of Punjab and Rajasthan taken together were 800 cusecs which was subsequently raised to 1100 cusecs. At this stage

studies were made to examine the number of days for which the 3250 cusecs discharge requred by the Agra canal and the additional discharge of 1100 cusecs by Punjab and Rajasthan would be available from the supplies of Jamuna River. Now with the increased demand this question would have to be examined again.

5. The Chief Engineer, U. P. further stated that it will not be possible for U. P. to agree to supply water to Gurgaon canal till such time as the full requirement of U. P. to the extent of 3250 cusecs had been met. He added that this was also agreed to in the meeting held on August 2nd, 1957 in the Central water & Power Commission under the Chairmanship of Dr R. L. Rao, ary commitment for the supply of this quantity of water had already been made and channels had been constructed there for. He expressed the view that the in that meeting held. it was decided that Gurgaon canal basis of project on besanetioned on the discharge of 500 cusecs for Punjab and 300 cusecs for Rajasthan sinoe the above supplies in excess of 3250cusecs were available for about 75days He stated how ever when supllies were in excess of 3250cusecs that would be passed on the Gurgaon canal and also when the demand in U. P. was less than 3250 cusecs, the spare supplies can be passed on.

6. The Chief Engineer, Rajasthan and Pujab, however, pointed out that this decision applied only to the Gurgaon canal not tot he distribution of water which had been referred earlier to the Ministry of Irrigation and Power and in when they had requested that the prior right of U P. should be restricted to 1800 cusecs, the capacity of Agra Canal before remoelling.

7. It was considred that actual discharges available in the Yamuna river during different periods may, however, be examined in broad manner to see the number or days for which the different adischarges would be available from the river and what difference it makes in the actual number of running days for which 1800 cusecs and 3250 cusecs and were available in the river for being supplied to the Agra canal.

8. The Chief Engineer, U.P. also said that whenever there are proposals to make the Gurgaon canal perennial throgh stored water,

The requirements of Uttar Pradesh should be duly considered and due share of cost will certainly be born by U. P. The Chief Engineer, Punjab stated that this issue might be taken up at a subrequent, meeting.

9. The Chief Engineer U. P. pointed out that the figure of Rs. 10.00 Lacs for the remodelling of Agra Canal to accommodate additional discharge or 2100 cusecs up to mile 15 as accounted for by the Chief Engineer Punjab is thehead quarter in the per. An estimate had been prepared for remodelling of Agra Canal up to mide 15 for an additional discharge of 140 cauecs for Rs. 47.5 Lacs This estimate will have to be re–examined since the increase discharge now required to be passed in 2100 cusecs.

10. The U.P. will prepared the estimate for the remodelling of the Agra Canal from 3250 to 4340 cusecs. At the same time Punjab will also prepared an sstimate constructing a separate channel from Okhla or from same point off-take from the Agra Canal to be present propos ed of the Gurgaon Canal.

11. The U.P. Reprsentative also raised the point teh widening of the Agra Canal from head to mile will increase the channel losses on this canal during the Rabi and early Kharif when the canal is being run exclusively for U. P. and that U. P. should be compensated for these and a solution for this may be found. The U. P. may make their own suggestions in this regard.

12. In the note received from Punjab Govt, is has been surges'ed that the demands of Punjab Should be met in the first instance and the balance supplies available would de passed on to Rajasthan, it was agreed that both the states will have eqeal claim on the supplies passed at the head of Gurgaon Canal. and in the event of shortage, the supplies will be shared in the ratio of 1.2:4 between Rajasthan and purjat respectively. This excludes the supplies which may be supplemented by punjab and Rajasthan from their own sources other than the Jamuna river.

13. **SHARING OF COST :**

The cost of remodelling of Agra Canal and the cost of Gurgaon canal will be shared between Punjab and Rajasthan on cusec mile basis.

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 136 की प्रति)

परिशिष्ट-1

विगत 3 वर्षों में विभिन्न आगारों को जारी शिकायत पुस्तिकाओं का आगारवार विवरण

क्र.सं	आगार का नाम	जारी की गयी शिकायत पुस्तकों की संख्या			भरने के बाद प्राप्त हुई शिकायत पुस्तिकाओं की संख्या		
		1994	1995	1996	1994	1995	1996
1.	अलवर	60	—	—	60	—	—
2.	सांगानेर	14	—	—	14	—	—
3.	टोंक	20	—	—	20	—	—
4.	चित्तौड़गढ़	5	—	—	5	—	—
5.	विद्याधरनगर	100	—	—	100	—	—
6.	अजमेर	—	—	10	—	—	10
7.	तिजारा	—	—	40	—	—	40
8.	झालावाड़	—	—	60	—	—	60
		199	—	110	199	—	110

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 137 का विवरण)

STATEMENT SHOWING ALLOTMENT & OFFTAKE OF WHEAT

Year : 1996 (Figures are in MT)

S. No.	District	Oct. 96 Allotment	Oct. 96 Offtake	Nov. 96 Allotment	Nov. 96 Offtake	Dec. 96 Allotment	Dec. 96 Offtake
1.	Ajmer	7500	6740	7000	6313	6600	6600
2.	Alwar	1100	612	1090	1054	1100	1089
3.	Barmer	9000	6084	7900	6750	6000	6000
4.	Baran	800	800	800	800	1100	1100
5.	Banswara	4500	3309	4500	3478	4700	3200
6.	Bharatpur	2000	2000	1300	1300	3000	3000
7.	Bhilwara	2200	2180	2100	2070	2300	2300
8.	Bikaner	7300	7000	7110	7110	6500	6500
9.	Bundi	700	700	600	600	700	700

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Chittorgarh	3500	2730	3600	3100	3500	3500
11.	Churu	7000	6330	8702	6882	7800	7640
12.	Dausa	300	300	600	600	1000	1000
13.	Dholpur	500	500	500	500	1500	1500
14.	Dungarpur	6200	4179	6300	3969	6000	4249
15.	Ganganagar	900	582	1000	870	1500	1450
16.	Jaipur	3200	3190	4200	4030	5000	4870
17.	Jaisalmer	3700	3700	3700	3550	3000	2956
18.	Jalore	3900	3900	3700	450	4000	4000
19.	Jhalawar	2600	2056	2900	2872	3000	3000
20.	Jhunjhunu	5300	5300	4700	4700	4250	4250
21.	Jodhpur	10710	10320	10400	10400	8500	8500
22.	Kota	1400	1150	1500	1500	2000	2000

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Nagour	7400	5787	5100	3401	5000	4193
24.	Pali	7000	6870	6500	6500	6500	6500
25.	Rajsamand	1600	930	1500	1359	1400	1400
26.	Sawai Madhopur	1000	570	1300	1300	1000	1000
27.	Sikar	5500	5300	5000	5000	5500	5500
28.	Sirohi	1800	1550	2000	1950	2100	1836
29.	Tonk	1800	1800	1700	1700	2500	2500
30.	Udaipur	7490	4068	7500	7352	6800	6800
31.	Hanumangarh	2000	1800	3000	2973	3150	3118
	Total	119900	102337	117802	104533	117000	112251
	Jils	10		198			
	Grand Total	119910	102337	118000	104533	117000	112251

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 232 का विवरण)

राज्य में वस्तुओं/आइटम पर एक समान चुंगी दरों की सूची ।

क्र. सं.	नाम वस्तु	दर प्रति
1.	अंग्रेजी शराब (आई. एम. एफ. एल.)	5.00 प्रति बोतल
2.	देशी शराब	3.00 प्रति बोतल
3.	बीयर	3.00 प्रति बोतल
4.	रेक्टी/फाइड स्प्रिट	2.00 प्रतिशत

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के बांधों की सूची व भराव क्षमता

क्र. सं.	बांध का नाम	भराव क्षमता एम. सी. एफ. टी.
1.	प्रताप सागर बांध	9.16
2.	माताजी का वाला बांध	13.59
3:	राजलोता बांध	17.86
4.	हरसौर बांध	89.00
5.	भैरून्दा बांध	91.44
6.	लेगो की ढाणी बांध	2.00
7.	घाटा रपट	4.96
8	कालेडा बांध	9.44
9.	पिपलिया बांध प्रथम	11.65
10.	पिपलिया बांध द्वितीय	5.30
11.	राताडूंडा बांध	10.20
12.	नरसिंह बासनी बांध	15.08
13.	लाडपुरा बांध	6.60
14.	डोडियाना बांध	17.06
15.	पवरण्डा प्रथम बांध	6.76
16.	पवरण्डा द्वितीय बांध	7.56
17.	सथाना बांध	23.52
18.	वागन देवा बांध	2.71
		343.89

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 248 का विवरण)

कार्यालय पंचायत समिति–अटरू (बारां)

ग्राम पंचायत अटरू की ग्राम सभा की बुलाई गई बैठकों का विवरण

बैठक संख्या	बैठक दिनांक	पंचायत समिति से नियुक्त प्रभारी अधिकारी	विशेष विवरण
1.	22. 5. 95 (तिमाही प्र.)	श्री घनश्याम शर्मा उद्योग प्र. अधि. पं. सं. अटरू	श्री घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन वि. अ. ने कोरम के अभाव में आदेश क्रमांक 2330, दिनांक 24. 5. 95 से इस बैठक को स्थगित कर पुनः बैठक बुलाने के आदेश दिये। (प्रति संलग्न) सरपंच ने पुनः बैठक नहीं बुलाई।
2.	11. 3. 96 (द्वि. तिमाही)	श्री चन्द्र शेखर क. अभियन्ता पं. स. अटरू	—
3.	17. 6. 96 (प्र. तिमाही)	श्री घनश्याम शर्मा उद्योग प्र. अधिकारी पं. सं. अटरू।	कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की गई।
4.	29. 7. 96 (प्र. तिमाही) की 17.6.96 की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित होने के कारण पुन बुलाई जाये।	पंचायत ने अपनी मर्जी से बारावफात के अवकाश के दिन बैठक रखने से उपलब्ध नहीं।	बैठक प्रथम तिमाही समाप्त होने के बाद हुई।

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 250 का विवरण)

(राशि रुपयों में दर्शायी गई है ।)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सड़क के पास वर्ष 93–94	सड़क से हटकर	सड़क से काफी अन्दर	सड़क के पास वर्ष 94–95	सड़क से हटकर	सड़क से काफी अन्दर	सड़क के पास वर्ष 95–96	सड़क के हटकर	सड़क से काफी अन्दर
1–	बालेसर सता	125	70	40	135	85	56	166	100	75
2–	बालेसर दुर्गावता	16	13	—	30	18	—	35	25	—
3–	बेलवा	16	13	—	18	15	—	30	20	—
4–	धागोलाई	22	18	—	30	24	—	40	25	—

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 256 का विवरण)

सामग्री राशि का शेष भुगतान

(1) पंचायत समिति जहाजपुर

क्र.सं.	नाम पंचायत	कार्य का नाम	बकाया राशि
1—	रावत खेड़ा	1-प्रा. वि. भवन रावत खेड़ा	3610/-
2—	लुहारीकलां	1-रामतलाई जलाशय छज्जा का झोपड़ा	20800/-
		2-आंगनबाड़ी केन्द्र, लुहारीकलां	13514/-
		3-आंगनबाड़ी केन्द्र, लुहारीखुर्द	12440/-
		4-उ. प्रा. वि. लुहारीखुर्द	20838/-
		5-प्रा. वि. लुहारीकलां	20262/-

(2) पंचायत समिति कोटड़ी

1—	विशनिया	मा. वि. विशनिया	13263/-
2—	सूठेपा	प्रा. वि. सिंहपुरा	41384/-

ह०

कलक्टर, भीलवाड़ा

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 260 की सूची)

क्र.सं.	घास वितरण हेतु अधिकृत संस्था का नाम	संचालक
1.	क्रय विक्रय सह. समिति, भीण्डर	श्री हेमराज खत्री
2.	दलित सेवा संस्था, उदयपुर	" भेरू तंवर
3.	अपना संस्थान, मुवाणा	" चैनाराम गाडरी (डिपो संचालक)
4.	ग्राम विकास सेवा समिति, थरोडा	" गोविन्द डांगी
5.	बजरंग दल सेवा समिति	" दिलीप कुमार गोराणा
6.	अलर्ट संस्थान	" बी. के. गुप्ता
7.	सुभाष नवयुवक मण्डल, घासा	" गोपाल सैन
8.	किसान सेवा समिति, शोभागपुरा	" शंकर लाल
9.	आदर्श शिक्षा समिति, सेरिया	" किशन लाल
10.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बडगांव	" जग्गा राम (अध्यक्ष)
11.	बाणाकला दुग्ध उत्पादक सह. समिति	" कचरा दूल जी डांगी (अध्यक्ष)
12.	तरूण धारा, उदयपुर	" शंकर पालीवाल
13.	छोटीवली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	" भेरू लाल पटेल (अध्यक्ष)
14.	डिगरी दुग्ध उत्पादक सह. समिति	" कालू लाल मीणा (अध्यक्ष)
15.	कामना संस्थान, उथरदा	" रोशन औदीच्य
16.	गांधी नवयुवक मण्डल टूस डांगियान	" आशाराम

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 261 का विवरण)

परिशिष्ट–1

वर्ष 1992–93

1.	भरतपुर आगार	रुपये	5400/–	रुपये 18,335/–
2.	हिण्डौन आगार	,,	4000/–	
3.	डूंगरपुर आगार	,,	3000/–	
4.	अनूपगढ़ आगार	,,	2000/–	
5.	झालावाड़ आगार	,,	3435/–	
6.	ब्यावर आगार	,,	0500/–	

वर्ष 1993–94

1.	उदयपुर आगार	रुपये	13123.08	रु. 104980.08
2.	फलौदी आगार	,,	14800/–	
3.	गंगानगर आगार	,,	2400/–	
4.	सीकर	,,	70/–	
5.	भरतपुर	,,	100/–	
6.	भीलवाड़ा		5386 + 30 = 5416/–	
7.	डूंगरपुर	रुपये	5336/–	
8.	बारां	,,	50,000/–	
9.	हनुमानगढ़	,,	300/–	
10.	कोटपूतली	,,	3435/–	
11.	जयपुर	,,	2000/–	
12.	जालौर	,,	8000/–	

वर्ष 1994–95

1.	उदयपुर	रु.	2634/–	रु. 19268/–
2.	सीकर	रु.	14000/–	
3.	भीलवाड़ा	रु.	2634/–	

वर्ष 1995–96

1.	सीकर	रु.	50,000/–	रु. 78000/–
2.	अलवर	रु.	05,000/–	
3.	लोहागढ़	रु	15,000/–	
4.	चित्तौड़गढ़	रु.	08,000/–	

वर्ष 1996-97

1.	ब्यावर	रु. 2,784/-	रु. 174010/-
2.	झुंझुनूं	रु. 23,000/-	
3.	के. का. जयपुर	रु. 30,000/-	
4.	लोहागढ़	रु. 28,872/-	
5.	गंगानगर	रु. 4,000/-	
6.	फलोदी	रु. 15,500/-	
7.	टोंक आगार	रु. 21,654/-	
8.	नागौर	रु. 34,200/-	
9.	बून्दी	रु. 14,000/-	

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूचना)

परिशिष्ट–"क"

जीवन रक्षा जेकेट का नावों में रखना अनिवार्य करने से पूर्व गत 10 वर्षों में हाडौती संभाग में वर्षा ऋतु में हुई नोका दुर्घटनाओं की सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) अभियोग सं. 147/86 धारा 304–ए भादंसं व 14 राजस्थान नाव एक्ट थाना सिगोद कोटा ग्रामीण पर दिनांक 17-11-86 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें घटना-स्थल नाव घाट उमरदा परवन नदी पर दुर्घटना हुई जिसमें 44 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(2) अभियोग संख्या 53/87 धारा 304–ए भादसं थाना इटावा, कोटा ग्रामीण पर दिनांक 21-4-87 को पंजीबद्ध हुआ, जिसमें घटनास्थल दुर्जनपुरा नदी पारवती पर घटना घटित हुई, जिसमें 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(3) अभियोग संख्या 10/88 धारा 304–ए भादंसं थाना कनवास, कोटा ग्रामीण पर दिनांक 21-1-88 को पंजीबद्ध हुए, जिसमें घटनास्थल नदी काली सिंध घाट वालुहेडा पर घटना घटित हुई, जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(4) अभियोग संख्या 189/96 धारा 304–ए भादंसं थाना कनवास, कोटा ग्रामीण पर दिनांक 13-9-96 को पंजीबद्ध हुआ, जिसमें घटनास्थल नदी काली सिंध आजादपुरा के सामने (थाना हेडा) घटना घटित हुई। जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(5) अभियोग संख्या 95/93 धारा 304–ए, 282, 336 भादंसं थाना हरनावदा जिला बांरा पर दिनांक 26-9-93 को पंजीबद्ध हुआ, जिसमें घटना स्थल परवन नदी पर घटना हुई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस अभियोग में दो अभियुक्तों के विरुद्ध चालान 22-12-93 को न्यायालय में पेश किया गया।

———